VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

सरकारी योजनाएं

Classroom Study Material

(May 2019 to February 2020)

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

विषय सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 12

1.1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि........ 12
1.2. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना........ 12
1.3. किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन........ 14
1.4. प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना........ 15
1.5. हरित क्रांति – कृषोन्नति योजना........ 16
1.5.1. एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन 17
1.5.2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन........ 18
1.5.3. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन........ 19
1.5.3.1. परंपरागत कृषि विकास योजना 19
1.5.3.2. पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम........ 20
1.5.4. कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना........ 21
1.5.5. कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन........ 21
1.5.6. फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन 22
1.6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ़्तार 22
1.6.1. पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना........ 24
1.7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 24
1.8. राष्ट्रीय कृषि बाजार 25
1.9. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 26
1.10. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना........ 26
1.11. युवा सहकार योजना........ 27
1.12. किसान क्रेडिट कार्ड........ 28
1.13. भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण........ 28
1.14. जलवायु प्रत्यास्थ कृषि पर राष्ट्रीय पहल........ 29
1.15. ब्याज अनुदान योजना 29
1.16. आर्या परियोजना 30
1.17. कृषि विज्ञान केंद्र........ 30
1.18. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना 30
1.19. अन्य पहलें........ 31

2. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय........ 35

2.1. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष योजना........ 35
2.2. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम........ 35
2.3. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम........ 36
2.4. राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन........ 36
2.5. राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम........ 37
2.6. राष्ट्रीय डेयरी योजना-I 37
2.7. डेयरी उद्यमिता विकास योजना........ 38
2.8. नीली क्रांति: एकीकृत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन........ 38

VISION IAS

2.9. गुणवत्ता दुग्ध कार्यक्रम 39
2.10. अन्य योजनाएँ 39

3. आयुष मंत्रालय 41

3.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन 41
3.2. आयुष दवाओं की निगरानी को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक योजना 42
3.3. अन्य योजनाएँ 42

4. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 44

4.1. उर्वरक विभाग 44
4.1.1. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 44
4.1.2. भारत में यूरिया सब्सिडी 44
4.1.3. सिटी कम्पोस्ट स्कीम 44
4.2. औषध विभाग 45
4.2.1. चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना 45
4.2.2. बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन 45
4.2.3. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (KSMs/ड्रग इंटरमीडिएट्स और APIs के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए) 46
4.2.4. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु) 46
4.2.5. प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना 47
4.2.6. औषध उद्योग के विकास हेतु योजना 47
4.2.7. अन्य योजनाएँ 48
4.3. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग 48
4.3.1. प्लास्टिक पार्क स्कीम 48

5. नागर विमानन मंत्रालय 49

5.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/क्षेत्रीय संपर्क योजना: 49
5.2. अन्य योजनाएँ 50

6. कोयला मंत्रालय 52

6.1. शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांस्पैरेंटली इन इंडिया) योजना 52
6.2. अन्य योजनाएँ 52

7. वाणिज्य मंत्रालय 54

7.1. स्टार्ट अप इंडिया 54
7.2. चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना 55
7.3. मेक इन इंडिया 55
7.4. निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना 56
7.5. परिवहन एवं विपणन सहायता योजना 56
7.6. अन्य योजनाएँ 57

8. संचार मंत्रालय 60

VISION IAS

8.1. दूरसंचार विभाग 60
8.1.1. राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 60
8.1.2. भारत नेट परियोजना 60
8.1.3. पंडित दीन दयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना 61
8.1.4. तरंग संचार 61
8.2. डाक विभाग 62

9. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 63

9.1. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 63
9.1.1. अंत्योदय अन्न योजना 63
9.1.2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 63
9.1.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन 64
9.2. उपभोक्ता मामले विभाग 64
9.2.1. मूल्य स्थिरता कोष 64
9.2.2. अन्य योजनाएं 65

10. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 66

11. संस्कृति मंत्रालय 67

11.1. प्रोजेक्ट मौसम 67
11.2. स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइन्स 67
11.3. सेवा भोज योजना 67
11.4. भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण 68
11.5. अन्य योजनाएं 68

12. रक्षा मंत्रालय 70

12.1. वन रैंक वन पेंशन योजना 70
12.2. अन्य योजनाएँ 70

13. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय 71

14. जल शक्ति मंत्रालय 74

14.1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 74
14.2. अटल भूजल योजना 76
14.3. नमामि गंगे योजना 77
14.4. जल क्रांति अभियान 78
14.5. राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना 78
14.6. बांध पुनरूद्धार और सुधार परियोजना 2.0 79
14.7. जल जीवन मिशन 79
14.8. अन्य योजनाएँ 81

15. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 83

15.1. राष्ट्रीय मानसून मिशन (द्वितीय चरण 2017-2020) 83
15.2. अन्य योजनाएं 83

VISION IAS

16. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 85

16.1. डिजिटल इंडिया 85
16.2. जीवन प्रमाण 85
16.3. प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 86
16.4. साइबर स्वच्छता केन्द्र 86
16.5. भारत BPO संवर्द्धन योजना 87
16.6. राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग अभियान 88
16.7. स्त्री स्वाभिमान 88
16.8. इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि 88
16.9. सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति, 2019 89
16.10. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना 90
16.11. संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना 90
16.12. इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना 91
16.13. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना 91
16.14. अन्य योजनाएँ 92

17. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 95

17.1. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 95
17.2. सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट 96
17.3. हरित कौशल विकास कार्यक्रम 97
17.4. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 98
17.5. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 98
17.6. अन्य योजनाएँ 99

18. विदेश मंत्रालय 101

18.1. भारत को जानो कार्यक्रम 101
18.2. छात्र और विदेश मंत्रालय का सहभागिता कार्यक्रम 101
18.3. प्रवासी कौशल विकास योजना 101
18.4. भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग 102

19. वित्त मत्रांलय 103

19.1. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना 103
19.2. नेशनल पेंशन स्कीम 105
19.3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना 106
19.4. अटल पेंशन योजना 107
19.5. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 108
19.6. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 109
19.7. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 109
19.8. प्रधान मंत्री जन धन योजना 110
19.9. स्टैंड अप इंडिया योजना 110
19.10. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 111
19.11. सार्वभौमिक स्वर्ण बॉण्ड योजना 112

VISION IAS

19.12. स्वच्छ भारत कोष 113

20. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 114

20.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना 114
20.2. मेगा फ़ूड पार्क 114
20.3. ऑपरेशन ग्रीन्स 115
20.4. अन्य योजनाएँ 116

21. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 117

21.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 117
21.2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 117
21.3. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 118
21.4. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 118
21.5. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 119
21.6. जननी सुरक्षा योजना 119
21.7. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 120
21.8. प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना 120
21.9. लक्ष्य - लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव 120
21.10. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) पहल 121
21.11. मदर्स ऐब्सल्यूट अफेक्शन 121
21.12. परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना 122
21.13. मिशन परिवार विकास 123
21.14. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 123
21.15. मिशन इंद्रधनुष 123
21.16. इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क 124
21.17. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति पहल (राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस) 125
21.18. आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना 125
21.19. राष्ट्रीय आरोग्य निधि 126
21.20. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम 127
21.21. सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा 127
21.22. नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 128
21.23. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल 128
21.24. अन्य योजनाएँ 129

22. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय 132

22.1. फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स II: फेम 132
22.2. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 133
22.3. समर्थ उद्योग भारत 4.0 133

23. गृह मंत्रालय 134

23.1. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम 134
23.2. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 134
23.3. महिला एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम 135

VISION IAS

23.4. अन्य योजनाएँ ... 135

24. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ... 137

24.1. प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी ... 137
24.2. दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) ... 138
24.3. स्मार्ट सिटी मिशन ... 138
24.4. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन ... 140
24.5. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास व संवर्धन योजना (हृदय) ... 141
24.6. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ... 141

25. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ... 144

25.1. राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल (निष्ठा) ... 144
25.2. प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम - ध्रुव ... 145
25.3. नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी ... 145
25.4. स्कीम फॉर ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकॉनामी (स्ट्राइड/STRIDE) ... 146
25.5. समग्र शिक्षा- स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना ... 146
25.5.1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ... 147
25.5.2. सर्व शिक्षा अभियान ... 148
25.5.3. पढ़े भारत बढ़े भारत ... 148
25.5.4. विद्यांजलि ... 148
25.5.5. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान ... 149
25.6. मध्याह्न भोजन योजना ... 149
25.7. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ... 151
25.8. 'स्टडी इन इंडिया' ... 151
25.9. शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम ... 152
25.10. माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष ... 152
25.11. उड़ान- गिविंग विंग्स टू गर्ल्स ... 153
25.12. उन्नत भारत अभियान ... 153
25.13. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम ... 154
25.14. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ... 154
25.15. उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल योजना: श्रेयस ... 155
25.16. अन्य योजनाएँ ... 155

26. श्रम और रोजगार मंत्रालय ... 160

26.1. दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम ... 160
26.2. प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ... 160
26.3. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक योजना ... 161
26.4. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना ... 161
26.5. प्लेटफ़ॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर (पेंसिल) पोर्टल ... 162
26.6. नेशनल करियर सर्विस ... 162
26.7. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ... 163
26.8. प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन योजना ... 163

VISION IAS

26.9. व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना (प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना) ... 164
26.10. कर्मचारी राज्य बीमा योजना ... 165
26.11. अन्य योजनाएँ ... 165

27. विधि और न्याय मंत्रालय ... 166

27.1. प्रो बोनो लीगल सर्विस ... 166
27.2. न्याय मित्र ... 166
27.3. अन्य योजनाएँ ... 166

28. खान मंत्रालय ... 168

28.1. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ... 168
28.2. अन्य योजनाएँ ... 168

29. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ... 169

29.1. साइबर ग्राम ... 169
29.2. जियो पारसी ... 169
29.3. नई रोशनी ... 170
29.4. उस्ताद - अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स-क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट ... 170
29.5. नई मंजिल ... 171
29.6. पढ़ो परदेश ... 171
29.7. नई उड़ान ... 172
29.8. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी ... 172
29.9. हमारी धरोहर ... 173
29.10. सीखो और कमाओ ... 173
29.11. महिला समृद्धि योजना ... 174
29.12. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम ... 174
29.13. अन्य योजनाएँ ... 175

30. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ... 176

30.1. शहद मिशन ... 176
30.2. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम ... 176
30.3. शून्य दोष एवं शून्य प्रभाव योजना ... 177
30.4. सौर चरखा मिशन ... 177
30.5. पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष योजना (स्फूर्ति) ... 178
30.6. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम ... 178
30.7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ब्याज अनुदान योजना ... 180

31. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ... 182

31.1. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन ... 182
31.2. सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना ... 182
31.3. अटल ज्योति योजना - अजय ... 183
31.4. सौर शहरों के विकास की योजना ... 184

VISION IAS

31.5. सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम 184
31.6. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट 185
31.7. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना 185
31.8. अन्य योजनाएँ 186

32. पंचायती राज मंत्रालय 187

32.1. ग्राम स्वराज अभियान 187
32.2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 187

33. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 188

33.1. इंडक्शन ट्रेनिंग पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल 188

34. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 189

34.1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 189
34.2. प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) 189
34.3. पी.डी.एस. केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBTK) योजना 190
34.4. प्रधान मंत्री LPG पंचायत योजना 190
34.5. प्रधानमंत्री JI-VAN (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना 191
34.6. राष्ट्रीय गैस ग्रिड 191
34.7. सिटी गैस वितरण नेटवर्क 192
34.8. अन्य योजनाएँ 193

35. विद्युत मंत्रालय 194

35.1. उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) 194
35.2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 195
35.3. राष्ट्रीय एल.ई.डी. कार्यक्रम 195
35.3.1. उजाला 196
35.3.2. राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम 196
35.4. प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) 196
35.5. एकीकृत विद्युत विकास योजना (शहरी क्षेत्रों के लिए) 197
35.6. सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ़ इफिशन्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्माल इंडस्ट्रीज (साथी) 197
35.7. अन्य योजनाएँ 198

36. रेल मंत्रालय 199

36.1. किसान रेल योजना 199
36.2. अवतरण 199
36.3. मिशन सत्यनिष्ठा 200
36.4. अन्य योजनाएँ 200

37. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 202

37.1. भारतमाला परियोजना 202
37.2. अन्य योजनाएँ 203

38. ग्रामीण विकास मंत्रालय 204

38.1. सांसद आदर्श ग्राम योजना 204
38.2. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 204
38.3. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 205
38.4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 206
38.5. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 207
38.6. मिशन अंत्योदय 208
38.7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 209
38.8. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 210
38.9. जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति 211
38.10. DAY- NRLM के अंतर्गत अन्य योजनाएँ 211
38.10.1. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 211
38.10.2. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 212
38.11. नीरंचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट 213

39. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 214

39.1. विज्ञान ज्योति 214
39.2. स्वस्थ्य पुन: उपयोग सयंत्र के लिए शहरी सीवेज स्ट्रीम का स्थानीय उपचार 214
39.3. उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गहन अनुसंधान 215
39.4. उम्मीद (वंशानुगत विकारों के उपचार एवं प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियां) पहल 215
39.5. नेशनल बायोफार्मा मिशन 216
39.6. बायोटेक-किसान (कृषि अभिनव विज्ञान एपलिकेशन नेटवर्क) 216
39.7. मवेशी जीनोमिक्स योजना 217
39.8. इंस्पायर योजना (इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च) 217
39.9. इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम्स प्रोग्राम 218
39.10. बहुविषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन 219
39.11. अटल जय अनुसंधान बायोटैक मिशन - राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम 219
39.12. अन्य योजनाएँ 220

40. पोत परिवहन मंत्रालय 223

40.1. सागरमाला 223
40.2. जल मार्ग विकास परियोजना 224

41. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 225

41.1. प्रधान मंत्री युवा योजना 225
41.2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 225
41.3. आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) 226
41.4. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण 227
41.5. नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 227
41.6. जन शिक्षण संस्थान 227
41.7. अन्य योजनाएँ 228

42. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 229

VISION IAS

42.1. स्वच्छता उद्यमी योजना ... 229
42.2. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (मैनुअल स्केवेंजर्स) के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना ... 229
42.3. सुगम्य भारत अभियान ... 229
42.4. राष्ट्रीय वयोश्री योजना ... 230
42.5. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ... 231
42.6. मादक पदार्थों की मांग में कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (वर्ष 2018-2023) ... 231
42.7. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना ... 232
42.8. अन्य योजनाएँ ... 232

43. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ... 234

43.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ... 234
43.2. अन्य योजनाएं ... 234

44. इस्पात मंत्रालय ... 235

44.1. मिशन पूर्वोदय ... 235
44.2. भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन ... 235

45. वस्त्र मंत्रालय ... 236

45.1. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना ... 236
45.2. सिल्क समग्र - रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना ... 237
45.3. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन ... 237
45.4. पावरटेक्स इंडिया स्कीम ... 239
45.5. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना ... 239
45.6. वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना ... 240
45.7. अन्य योजनाएँ ... 240

46. पर्यटन मंत्रालय ... 242

46.1. स्वदेश दर्शन ... 242
46.2. तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन- प्रसाद योजना ... 242
46.3. धरोहर गोद लें/अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना ... 243
46.4. पर्यटन पर्व ... 244
46.5. अन्य योजनाएँ ... 244

47. जनजातीय कार्य मंत्रालय ... 245

47.1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ... 245
47.2. जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना ... 245
47.3. वनबंधु कल्याण योजना ... 246
47.4. प्रधानमंत्री वन धन योजना ... 246
47.5. न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वनोपज मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र ... 246
47.6. अन्य योजनाएँ ... 247

48. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ... 248

VISION IAS

48.1. एकीकृत बाल विकास सेवाएं ... 248
48.1.1. राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) ... 248
48.1.2. भारतीय पोषण कृषि कोष ... 249
48.1.3. किशोर लड़कियों के लिए योजना ... 249
48.1.4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ... 250
48.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ... 251
48.2.1. सुकन्या समृद्धि योजना ... 252
48.3. उज्ज्वला योजना ... 252
48.4. किशोर लड़कों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना - सक्षम ... 253
48.5. स्वाधार गृह योजना ... 253
48.6. जेंडर चैंपियंस योजना ... 254
48.7. सखी वन स्टॉप सेंटर ... 254
48.8. अन्य योजनाएँ ... 254
49. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ... 256
50. नीति आयोग ... 258
50.1. अटल नवोन्मेष मिशन ... 258
50.2. मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी (साथ) कार्यक्रम ... 259
50.3. आकांक्षी जिला कार्यक्रम ... 259
50.4. परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन ... 259
50.5. अन्य योजनाएँ ... 260
51. प्रधान मंत्री कार्यालय ... 261
51.1. प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) ... 261
51.2. अन्य योजनाएँ ... 261
52. अंतरिक्ष विभाग ... 262
52.1. भुवन- इसरो का भू-पोर्टल ... 262
52.2. युवा विज्ञानी कार्यक्रम ... 263
52.3. अन्य योजनाएँ ... 263
53. राज्य सरकार की योजनाएँ ... 264

VISION IAS

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(Ministry Of Agriculture And Farmers Welfare)

1.1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि

(Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• कृषि योग्य भूमि धारित करने वाले सभी लघु व सीमांत भू-स्वामी कृषक परिवारों को आय सहायता प्रदान करना। • उचित फसल स्वास्थ्य और उचित उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आगतों (इनपुट्स) की खरीद हेतु किसानों की प्रत्याशित कृषि आय के पूरक के तौर पर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना।	• यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। • इस योजना में देश के सभी भू-स्वामी कृषक परिवारों को उनके कृषि भूमि आकार पर ध्यान दिए बिना **प्रति वर्ष प्रत्येक चार माह में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाती है।** • इस योजना के तहत परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और छोटे बच्चे सम्मिलित हैं। • लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान का उत्तरदायित्व राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों/प्रशासन का है। • राशि, लाभार्थियों के बैंक खातों में **प्रत्यक्षत: अंतरित** की जाती है। • इस हेतु कृषक, PM किसान पोर्टल पर **फार्मर्स कॉर्नर** या **कॉमन सर्विस सेंटर्स** के माध्यम से अपना स्वत: पंजीकरण कर सकते हैं। • इस योजना के अंतर्गत लाभ केवल उन कृषक परिवारों को प्रदान किया जाएगा, जिनके नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज हैं। हालांकि, इसके कुछ **अपवाद** भी हैं, जैसे- **वन निवासी, पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड, जिनके भूमि अभिलेखों हेतु पृथक प्रावधान किए गए हैं।** • PM किसान की प्रथम वर्षगांठ पर **PM किसान मोबाइल ऐप** लॉन्च की गई थी। इसके माध्यम से कृषक अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड्स को अद्यतित व संशोधित कर सकते हैं तथा अपने बैंक खातों में विगत क्रेडिट्स की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। • **अपात्र (Exclusions):** संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर पूर्व में और वर्तमान में पदधारक, विगत मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति आदि जैसी **उच्च आर्थिक स्थिति** के लाभार्थियों की कुछ श्रेणियां, इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी। • PM किसान के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड्स (KCC) उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि कृषक बैंकों से सरलतापूर्वक ऋण प्राप्त कर सकें। इससे ऐसे सभी कृषकों को समयबद्ध भुगतान करने पर **4%** की अधिकतम ब्याज दर पर फसलों एवं पशु/मत्स्यपालन हेतु लघु अवधि के ऋण प्राप्त करने में सहायता होगी।

1.2. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

(PM Fasal Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• प्राकृतिक आपदा तथा विभिन्न कीटों और रोगों के कारण फसल हानि की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज एवं वित्तीय	• अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगानेवाले पट्टेदार/ जोतदार किसानों सहित सभी किसान, जिनके पास फसल बीमा है,	• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme: RWBCIS) के अतिरिक्त, इस योजना ने अन्य सभी मौजूदा बीमा योजनाओं को प्रतिस्थापित कर दिया है। • **किसानों द्वारा सभी खरीफ तथा रबी फसलों के लिए एकसमान**

PT 365 - सरकारी योजनाएं

सहायता प्रदान करना। • कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु किसानों की आय को स्थायित्व प्रदान करना। • किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। • कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।	कवरेज के लिए पात्र हैं।	**क्रमशः 2% तथा 1.5% प्रीमियम** का भुगतान किया जाएगा। • वार्षिक वाणिज्यिक और **बाग़वानी फसलों** के संदर्भ में, किसानों द्वारा **केवल 5% प्रीमियम** का भुगतान किया जाएगा। • ज्ञातव्य है कि शेष बीमा प्रीमियम का समान अनुपात में भुगतान राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाना था। हालांकि, हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से अपनी प्रीमियम सब्सिडी को 50% से घटाकर सिंचित क्षेत्रों के लिए केवल 25% तथा असिंचित क्षेत्रों के लिए केवल 30% कर दिया है। • **50%** अथवा अधिक सिंचित क्षेत्रों वाले जिलों को सिंचित क्षेत्र/जिले के रूप में स्वीकार किया जाएगा। • पूर्वोत्तर राज्यों हेतु प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार का हिस्सा वर्तमान 50:50 के सहभाजन प्रतिमान से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। • प्रीमियम दरों हेतु प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत केंद्रीय सब्सिडी असिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए **30%** तक तथा सिंचित क्षेत्रों/फसलों हेतु **25%** तक सीमित होंगी। • यह अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों हेतु फसल ऋण प्राप्त करने वाले ऋणी कृषकों हेतु अनिवार्य था। हालाँकि वर्तमान में, इसे कर्ज़दार कृषकों सहित **सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक बना दिया गया है।** • **उपज हानि (Yield Losses):** प्राकृतिक अग्नि एवं तड़ित, तूफ़ान, ओला-वृष्टि, चक्रवात, टाइफून, आंधी/झंझावात, हरिकेन, टोरनाडो आदि जैसे रोके न जा सकने वाले (non-preventable) जोखिम; तथा बाढ़ और भूस्खलन, सूखा, सूखा अवधि, कीटों / रोगों के कारण होने वाले जोखिम को भी कवर किया जाएगा। • **पोस्ट हार्वेस्ट हानियों को भी कवर किया** गया है, जिसमें बेमौसम और चक्रवातीय वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाली क्षति भी शामिल है। • इस योजना को **'क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण'** (एरिया एप्रोच बेसिस) के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। परिभाषित क्षेत्र (अर्थात्, बीमा का इकाई क्षेत्र) एक गांव या उससे अधिक क्षेत्र के रूप में होता है जो किसी अधिसूचित फसल हेतु **समान जोखिम का सामना** करने वाला एक जियो-फेंस्ड/जियो-मैप्ड क्षेत्र (Geo-Fenced/ Geo-mapped region) हो सकता है। • **फसलों की बीमित राशि:** राज्य/संघ शासित प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय-मान या जिला स्तर मूल्य का चयन कर सकते हैं। जिन फसलों के लिए MSP घोषित नहीं की जाती है उन फसलों हेतु फार्म गेट प्राइस (खेत पर ही) ही स्वीकार किया जाएगा। • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए **सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी** (यथा- एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी आदि) और **निजी बीमा कंपनियों** को सूची में सम्मिलित किया गया है। निर्धारित कट-ऑफ तिथि से दो माह से

VISION IAS

		अधिक का समय व्यतीत होने पर **निपटान दावों में विलंब** हेतु बीमा कंपनियों द्वारा कृषकों को 12% तक का ब्याज भुगतान किया जाएगा • इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को अपनी बीमा कंपनियों को भी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। • हाल ही में, सरकार ने वर्तमान समय में जारी PMFBY और RWBCIS के कुछ प्रावधानों को संशोधित किया है: ○ बीमा कंपनियों को व्यवसाय का आवंटन तीन वर्षों हेतु किया जाएगा। वर्तमान में, राज्यों द्वारा 1/2/3 वर्षों की अवधि हेतु निविदाएं जारी की जाती हैं। ○ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एक अथवा अधिक अतिरिक्त जोखिम को कवर करने के विकल्प के साथ इस योजना को कार्यान्वित करने की छूट प्राप्त है। ○ यदि राज्य सरकारें निर्धारित समय-सीमा के पहले संबंधित बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान करने में विफल रहती हैं तो उन्हें आगामी (subsequent) मौसम में इस योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। खरीफ और रबी मौसमों हेतु कट-ऑफ तिथियां क्रमश: 31 मार्च और 30 सितंबर हैं। • हाल ही में, **महाराष्ट्र** PMFBY के वेब पोर्टल के साथ अपने भू-अभिलेखों को समेकित करने वाला **प्रथम** राज्य बन गया है। यह किसानों को भू-अभिलेखों तक ऑनलाइन पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा, ओवर-इन्सुरेंस (over-insurance) से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगा और अपात्र लोगों को बीमा लाभ प्राप्त करने से रोकेगा।

1.3. किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन

{Formation And Promotion Of Farmer Producer Organizations (FPOs)}

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• आगामी पाँच वर्षों की अवधि (वर्ष 2019-20 से 2023-24) में **10,000 FPOs का गठन किया जाएगा,** ताकि किसानों के लिए इकॉनमी ऑफ़ स्केल का लाभ सुनिश्चित किए जा सके। ○ **प्रत्येक FPO को अपनी स्थापना से लेकर 5 वर्षों तक हैंडहोल्डिंग समर्थन प्रदान किया जाएगा,** जो वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगी।	• ऐसे **लघु एवं सीमांत किसान** इसके लाभार्थी होंगे, जिनके पास उत्पादन प्रौद्योगिकी, सेवाओं और मूल्य संवर्धन युक्त विपणन प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं है।	• यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के **"कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग"** (DAC&FW) के अंतर्गत **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। • इसे **लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ** (Small Farmers Agri-business Consortium: SFAC), **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम** (NCDC) और **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक** (NABARD) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य भी DAC&FW के परामर्श से अपनी कार्यान्वयन एजेंसी को नामित कर सकते हैं। • इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्लस्टर/राज्य स्तर पर **क्लस्टर बेस्ड बिज़नस आर्गेनाईजेशन** (CBBO) की स्थापना की जाएगी।

		इन CBBOs में **विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे तथा FPOs के संवर्धन से संबंधित सभी मुद्दों हेतु सभी स्तरों पर जानकारी के लिए एक मंच** के रूप में कार्य करेंगे। • **FPO के सदस्यों की न्यूनतम संख्या** मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। • प्रस्तावित FPOs में से **कम से कम 15 प्रतिशत आकांक्षी जिलों में गठित** किए जाएंगे, ऐसे जिलों के प्रत्येक ब्लॉक (प्रखंड) में कम से कम एक FPO की स्थापना की जाएगी। • प्रत्येक FPO हेतु परियोजना ऋण के तौर पर दो करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान की जाएगी। क्रेडिट गारंटी फंड (CGF) नाबार्ड (NABARD) और NCDC द्वारा सृजित किया किया जाएगा। • FPO का संवर्धन **"एक जिला एक उत्पाद"** क्लस्टर के अंतर्गत किया जाएगा, ताकि FPO के माध्यम से विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग तथा निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके।

1.4. प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना

(Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana: PM-KMY)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
PM-KMY, देश के लगभग 3 करोड़ लघु एवं सीमांत वृद्ध कृषकों हेतु एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में तथा आजीविका की निरंतर हानि की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होती है।	• **18-40 वर्ष की आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान (SMF):** वह किसान जो संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि धारण करता है। • **अपात्र (Exclusions):** राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, **प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)** आदि जैसी **किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं** के अंतर्गत शामिल SMFs इसके लाभार्थी नहीं होंगे। .	• यह केन्द्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • यह **18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग** के किसानों के लिए एक **स्वैच्छिक और अंशदान-आधारित पेंशन योजना** है तथा उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर **3,000 रुपये** की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। • इसके लिए पेंशन निधि में किसानों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक योगदान करना होगा है। यह राशि इस योजना में उनके प्रवेश की आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान किया जाएगा। • **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)** को पेंशन निधि प्रबंधक और पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। • सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, पति या पत्नी

VISION IAS

		(जीवन-साथी), मृतक किसान की शेष अवधि तक शेष अंशदान का भुगतान करते हुए योजना में बने रह सकते हैं। • यदि सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् किसान की मृत्यु होती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त होगी। किसान और जीवन-साथी, दोनों की मृत्यु के पश्चात्, संचित कोष को **पेंशन निधि** में वापस जमा कर दिया जाएगा। • **अन्य पहलों के साथ समन्वय:** ○ इस योजना की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि किसान द्वारा इस योजना के लिए अपना मासिक अंशदान सीधे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना से प्राप्त लाभ से किए जाने के विकल्प का चयन किया जा सकता है। परन्तु यह अनिवार्य नहीं है। • किसानों को पहुंच की सुगमता प्रदान करने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के माध्यम से PM-KMY के लिए प्रारंभिक नामांकन का कार्य किया जा रहा है। • CSCs के ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs), जो क्षेत्र आधारित कार्यकर्ता होते हैं, को कृषकों का अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। • LIC, बैंकों और सरकार का एक उपयुक्त **शिकायत निवारण तंत्र** होगा। • इस योजना की निगरानी, समीक्षा और संशोधन के लिए **सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति** का भी गठन किया गया है।

1.5. हरित क्रांति - कृषोन्नती योजना

(Green Revolution – Krishonnati Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना तथा उत्पादों पर बेहतर लाभ के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का समग्र एवं वैज्ञानिक रीति से विकास करना।	यह एक **केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना** है, जो वर्ष 2016-17 से लागू है। इसमें निम्नलिखित 11 योजनाएँ/मिशन शामिल हैं: • **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH):** बाग़वानी क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। • **राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन (NMOOP) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा**

	मिशन (NFSM): देश के चिन्हित जिलों में उचित तरीके से क्षेत्र विस्तार, मृदा उर्वरता के पुनर्स्थापन और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से चावल, गेंहू, दालों, मोटे अनाज, तिलहन तथा वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। • **राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA):** विशेष कृषि पारिस्थितिकी में एकीकृत कृषि, उपयुक्त मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के समन्वय से संधारणीय कृषि को प्रोत्साहित करना। • **कृषि विस्तार पर उप-मिशन (SMAE):** खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों को सशक्त बनाने, कार्यक्रम नियोजन को सुदृढ करने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग को बढ़ावा देने आदि हेतु राज्यों/स्थानीय निकायों के प्रचालनरत कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना। • **बीज तथा पौध रोपण सामग्री पर उप मिशन (SMSP):** प्रमाणित/गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन को बढ़ाना, बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) में वृद्धि करना और फसल उपज के पश्चात् प्राप्त बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना। • **कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM):** कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाली आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु 'कस्टम हायरिंग सेंटरों' को प्रोत्साहित करना। • **पौध संरक्षण एवं पौध संग रोधक से संबंधित उप मिशन (SMPP):** कृषि फसलों की गुणवत्ता और उपज की हानि को कम करने एवं कृषि जैव-सुरक्षा को बनाए रखने तथा वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि सामग्रियों के निर्यात में सहायता करने और संरक्षण रणनीतियों के साथ श्रेष्ठ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। • **कृषि संगणना, अर्थव्यवस्थाएं और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना:** कृषि संगणना, प्रमुख फसलों की उपज/लागत का अध्ययन करना तथा देश की कृषि आर्थिक समस्याओं पर शोधाध्ययन करना। • **कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (ISAC):** सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। • **कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (ISAM):** कृषि विपणन अवसंरचना विकसित करना, नवाचार और नवीनतम प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा एक साझे ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करना। • **राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP-A):** सूचना और सेवाओं तक किसानों की पहुँच में सुधार करने, उनकी कृषिगत उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किसानों को समय पर एवं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराना।

1.5.1. एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन

(Mission for Integrated Development of Horticulture)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बाग़वानी क्षेत्रक (बांस और नारियल सहित) के समग्र विकास को बढ़ावा देना। • FPO जैसे समूहों में किसानों के समूहन को प्रोत्साहित करना। • बाग़वानी उत्पादन में वृद्धि, करना;	• यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2014-15 में आरम्भ किया गया था। इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं और कार्य क्षेत्र सम्मिलित हैं: ○ **राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन:** क्षेत्र आधारित स्थानीय रूप से विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बाग़वानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना; ○ **पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बाग़वानी मिशन:** यह एक तकनीकी मिशन है जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, जैविक कृषि, कुशल जल

किसानों की आय में वृद्धि करना और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना। • जर्मप्लाज्म, रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना। • कौशल विकास में सहायता करना और रोज़गार सृजन के अवसर उत्पन्न करना।	प्रबंधन इत्यादि पर सकेंद्रित है। ○ **प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और उनका प्रसार करना तथा रोज़गार के अवसर सृजित करना।** ○ **राष्ट्रीय बाग़वानी बोर्ड** सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। ○ **नारियल विकास बोर्ड** देश के सभी नारियल उत्पादक राज्यों में एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (MIDH) के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। ○ **केंद्रीय बाग़वानी संस्थान, नागालैंड:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों और क्षेत्र अधिकारियों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी बैक स्टॉप प्रदान करने हेतु। • **रणनीति:** ○ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के साथ एंड-टू-एंड एप्रोच अपनाना। ○ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। ○ फसलों के विविधीकरण, प्रौद्योगिकी के विस्तार और बागानों के क्षेत्रफल (एकड़ में) में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना। ○ फसल पश्चात् प्रबंधन, मूल्य वृद्धि से संबंधित प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना में सुधार करना। ○ FPOs को प्रोत्साहन देना तथा बाजार समूहकों (Market aggregators) एवं वित्तीय संस्थानों के साथ FPOs के संबंधों को बढ़ावा देना। • **वित्त पोषण:** केंद्र सरकार पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90% तथा अन्य सभी राज्यों के लिए 60% का योगदान करेगी, जबकि शेष योगदान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। • वर्ष 2014 में, **प्रोजेक्ट चमन** आरम्भ किया गया था। इसके तहत बाग़वानी विकास के लिए कार्य योजनाएं बनाने हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के साथ सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग की परिकल्पना की गयी है।

1.5.2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

(National Food Security Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि** के माध्यम से **चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज तथा नकदी फसलों** के उत्पादन में संधारणीय रूप से वृद्धि करना। • एकल खेत (फार्म) के स्तर पर मृदा की उर्वरता और उत्पादकता पुनर्स्थापित करना। • खेत स्तर की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना।	• यह वर्ष 2007 में प्रारंभ एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। • वर्ष 2018-19 और 2019-20 से, राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन (NMOOP) तथा बीज ग्राम कार्यक्रम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के तहत शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार NFSM के अब **आठ घटक** होंगे, यथा- (i) NFSM - चावल; (ii) NFSM - गेंहू; (iii) NFSM - दाल; (iv) NFSM - मोटे अनाज (मक्का, जौ आदि); (v) NFSM - पोषक खाद्यान्नों पर उप-मिशन; (vi) NFSM - वाणिज्यिक फसलें; (vii) NFSM - तिलहन और पाम ऑयल; तथा (viii) NFSM - बीज ग्राम कार्यक्रम।

VISION IAS

1.5.3. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन

(National Mission on Sustainable Agriculture: NMSA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• कृषि को अधिक संधारणीय, उत्पादक, लाभकारी और जलवायु प्रत्यास्थ (climate resilient) बनाना।
• समुचित मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
• व्यापक मृदा प्रबंधन पद्धतियां अपनाना तथा जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।
• जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उपशमन उपायों के क्षेत्र में कृषकों की क्षमता का निर्माण करना।
	• यह सतत कृषि मिशन से अधिदेशित है। यह मिशन **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है।
	• NMSA संधारणीय विकास पद्धतियों को अपनाकर **'जल उपयोग दक्षता', 'पोषक-तत्व प्रबंधन'** और **'आजीविका विविधीकरण'** के प्रमुख आयामों की प्राप्ति हेतु सहयोग करेगा।
	• NMSA के **प्रमुख घटक** हैं:
	  ○ वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास;
	  ○ खेत (फार्म) पर जल प्रबंधन {अब प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के **प्रति बूँद अधिक फसल (PDMC)** घटक के तहत}; एवं
	  ○ मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन;
	  ○ जलवायु परिवर्तन और संधारणीय कृषि: मॉनीटरिंग, मॉडलिंग और नेटवर्किंग;
	  ○ कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF); एवं
	  ○ राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM)।
	• **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन:** यह इस मिशन के तहत एक उप-मिशन है। इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना है, ताकि उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके तथा आगतों से लेकर एकत्रीकरण, संग्रहण, प्रसंस्करण व विपणन हेतु सुविधाओं के निर्माण तथा ब्रांड बिल्डिंग पहल तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास को सहायता प्रदान की जा सके।

1.5.3.1. परंपरागत कृषि विकास योजना

(Paramparagat Krishi Vikas Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु प्रत्यास्थ संधारणीय कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना।
• संधारणीय एकीकृत जैविक कृषि प्रणाली के माध्यम से किसानों हेतु कृषि की लागत कम करने के लिए भूमि की प्रति यूनिट पर किसान की निवल आय को बढ़ाना।
• पर्यावरण अनुकूल कम लागत वाली पारंपरिक तकनीकों और किसान अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर पर्यावरण की खतरनाक अकार्बनिक रसायनों से रक्षा करना।
• उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और प्रमाणीकरण प्रबंधन की क्षमता के साथ क्लस्टरों और समूह के रूप में अपने स्वयं के संस्थागत विकास के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना।
• स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों के साथ
	• "परंपरागत कृषि विकास योजना" एक महत्वपूर्ण परियोजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) का एक विस्तृत घटक है।
	• **क्लस्टर एप्रोच:** क्लस्टर एप्रोच में जैविक कृषि करने के लिए 50 या उससे अधिक ऐसे किसान एक क्लस्टर का निर्माण करेंगे, जिनके पास 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर भूमि होगी। जैविक कृषि करने के लिए किसान कृषि की पारंपरिक पद्धतियों और मानक जैविक कृषि पद्धतियों, जैसे- शून्य बजट वाली प्राकृतिक कृषि और पर्माकल्चर अपनाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए 48,700 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता हेतु पात्र होंगे।
	• बजट के कम से कम 30% आबंटन को महिला लाभार्थियों/किसानों के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है।
	• **प्रमुख घटक:**
	  ○ **क्लस्टर पद्धति के माध्यम से भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) प्रमाणीकरण:** किसानों को लामबंद करना, क्लस्टर निर्माण, भूमि संसाधनों की पहचान और जैविक कृषि तथा PGS प्रमाणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण।
	  ○ **क्लस्टर पद्धति के माध्यम से खाद प्रबंधन और जैविक नाइट्रोजन हार्वेस्टिंग के लिए जैविक गांव को अपनाना:** एकीकृत खाद प्रबंधन (Integrated Manure

VISION IAS

किसानों के प्रत्यक्ष बाजार संबंध स्थापित कर किसानों को उद्यमी बनाना।	Management), पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग और क्लस्टर के जैविक उत्पादों की जैविक कृषि के लिए एक्शन प्लान। • **इस योजना के अन्य हालिया घटनाक्रम: मई 2018 में दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है।** ○ **NMSA के तहत कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NAC),** इस मिशन को समग्र दिशा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने वाली नीति-निर्धारण निकाय होगी तथा इसकी प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी व समीक्षा करेगी। ○ **राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र (NCOF):** PGS-इंडिया कार्यक्रम का सचिवालय होने के कारण NCOF, क्षेत्रीय केंद्रों के प्राधिकरण, NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के चयन और RCOF के माध्यम से यादृच्छिक निगरानी सहित PGS प्रमाणन कार्यक्रम के लिए निगरानी निकाय होगा। ○ **जैविक खेती पोर्टल:** जैविक खेती के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जाएगा, जो एक ज्ञान मंच और विपणन मंच दोनों के रूप में कार्य करेगा। ○ संबंधित घटकों के लिए MIDH, NFSM जैसी अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और MOFPI, SMES, MoRD आदि जैसे अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ अभिसरण को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (Mission Organic Value Chain Development in North East region: MOVCDNER)	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) की भांति इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: रसायन मुक्त, निम्न आगत व्यय और संधारणीय जैविक कृषि आधारित संकुल/किसान उत्पादन संगठनों (FPOs) के संवर्धन को बढ़ावा देना तथा बाजार लिंकेज हेतु आगत खरीद से कृषकों को समर्थन प्रदान करना है। • निर्यात हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट (niche) फसलों की जैविक कृषि को भी MOVCDNER के तहत समर्थन प्रदान किया जा रहा है, जहां FPOs को अवसंरचना निर्माण और मूल्य श्रृंखला आधारित विपणन सहित जैविक आगतों एवं कटाई पश्चात् प्रबंधन प्रथाओं हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

1.5.3.2. पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम

(Participatory Guarantee System: PGS)

पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया (PGS-India)	• घरेलू जैविक बाजार संवर्धन को बढ़ावा देने और लघु व मध्यम किसानों को जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने हेतु **कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग** द्वारा PGS-India नामक एक विकेन्द्रीकृत जैविक कृषि प्रमाणन प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है। • **यह प्रमाणन की तृतीय पक्ष प्रणाली (जो जैविक उत्पादों के निर्यात बाजार में प्रवेश करने हेतु एक पूर्व-आवश्यकता है) के ढांचे से बाहर है।** यह किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं वाली एक समूह-प्रमाणन प्रणाली (जैसाकि इसके नाम से ही ज्ञात होता है) है तथा यह प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना (PKVY) द्वारा समर्थित है। • PGS यह सुनिश्चित करती है कि इनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए। यह खेत के इतर (ऑफ-फ़ार्म) की गतिविधियों, जैसे- परिवहन, भंडारण आदि के लिए प्रवर्तनीय नहीं है। • प्रमाणन एक **प्रलेखित लोगो (logo) या एक वक्तव्य के रूप** में होता है। **खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017** में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) या PGS-India के अतिरिक्त भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की लेबलिंग की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है, ताकि अंतिम उपभोक्ताओं तक जैविक उत्पादों की बिक्री की जा सके। हालाँकि, उन

VISION IAS

	लघु जैविक उत्पादकों को छूट दी गई है जिनका वार्षिक कारोबार 12 लाख रुपये से कम है, परंतु वे **जैविक भारत लोगो** (Jaivik Bharat logo) का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

संबंधित तथ्य:
- **जैविक भारत लोगो:** जैविक उत्पादों को अजैविक उत्पादों से पृथक करना।
- **राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP):** इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वित किया गया है। यह भारत से इस प्रकार के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणन निकायों हेतु प्रत्यायन कार्यक्रम, जैविक उत्पादन के लिए मानदंड, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने आदि पर केंद्रित है। इसक तहत **तृतीय पक्ष प्रमाणन** की प्रक्रिया के माध्यम से जैविक कृषि प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

1.5.4. कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना

(Integrated Scheme for Agricultural Marketing: ISAM)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राज्य, सहकारी और निजी क्षेत्रक के निवेश के बदले में सब्सिडी सहायता प्रदान करके कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा देना। • प्राथमिक संसाधकों (processors) के साथ किसानों को ऊर्ध्वाधर एकीकरण प्रदान करने के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला (केवल प्राथमिक प्रसंस्करण के चरण तक सीमित) को बढ़ावा देना। • कृषि विपणन में नई चुनौतियों के प्रत्युत्तर में किसानों को संवेदनशील और उन्मुख बनाने हेतु विस्तार के एक साधन के रूप में सूचना एवं संचार तकनीक (ICT) का प्रयोग करना।	• ISAM में निम्नलिखित **पांच घटक** सम्मिलित होंगे: ○ कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) {वर्तमान में चल रही ग्रामीण भंडार योजना (GBY) और कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण (AMIGS) का विकास/सुदृढ़ीकरण योजना का AMI में विलय कर दिया जाएगा}; ○ विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क (MRIN); ○ एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं को सुदृढ़ करना (SAGF); ○ वेंचर कैपिटल असिसटेंट (VCA) और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी (PDF) के माध्यम से एग्री-बिज़नेस डेवलपमेंट (ABD); एवं ○ चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM)।

1.5.5. कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन

(National Mission on Agricultural Extension and Technology)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से कृषि विस्तार व्यवस्था को किसान-संचालित और किसान-उत्तरदायी बनाना। • किसानों को उचित प्रौद्योगिकी प्रदान करने और उन्नत कृषि पद्धतियाँ उपलब्ध कराने हेतु कृषि विस्तार का पुनर्गठन करना तथा उसे सुदृढ़ बनाना।	• केंद्रीय क्षेत्रक की यह योजना **कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी** (Agriculture Technology Management Agency: ATMA) के तत्वाधान में प्रारंभ की गई थी। • इसके तहत निम्नलिखित **4 उप-योजनाओं** के माध्यम से विस्तार तंत्र को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई है: ○ कृषि विस्तार के लिए उप-मिशन (SMAE); ○ बीज तथा पौध रोपण सामग्री के लिए उप मिशन (SMSP); ○ कृषि मशीनीकरण हेतु उप-मिशन (SMAM); एवं ○ पौध संरक्षण और पौध संगरोध पर उप-मिशन (SMPP)।

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanisation)	• इसका उद्देश्य कृषि मशीनीकरण का विस्तार **लघु और सीमांत किसानों** तक तथा उन क्षेत्रों में करना है, जहां मशीनीकरण और विद्युत की उपलब्धता अत्यंत कम है। • इस मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: ○ प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि मशीनीकरण का संवर्द्धन एवं सुदृढीकरण। ○ पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (PHTM) का प्रदर्शन, प्रशिक्षण और वितरण। ○ कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। ○ कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) के लिए फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना। ○ पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि मशीनीकरण और उपकरणों को बढ़ावा देना।

1.5.6. फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन

(Promotion of Agricultural Mechanization for In-Situ Management of Crop Residue)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• फसल अवशेषों के दहन के कारण हो रहे वायु प्रदूषण से **पर्यावरण की रक्षा करना** और मृदा के पोषक तत्वों व लाभकारी सूक्ष्म जीवों के ह्रास को रोकना; • उपयुक्त मशीनीकरण आगतों के उपयोग के माध्यम से मृदा में प्रतिधारण और समावेशन द्वारा **फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन को प्रोत्साहित करना;** • लघु भू-जोतों और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाली आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की कस्टम हायरिंग हेतु **'फार्म मशीनरी बैंकों'** को बढ़ावा देना। • फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन हेतु प्रदर्शन, क्षमता निर्माण गतिविधियों तथा विभेदित सूचना, शिक्षा एवं संचार रणनीतियों के माध्यम से **हितधारकों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना।**	• यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू है। • इस योजना के तहत, किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर **यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद** हेतु लागत की 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। • यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के **कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए** परियोजना लागत की 80 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। • यह किसानों के मध्य जागरूकता सृजित करने के लिए **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों** को भी प्रोत्साहित करती है। • इसके कार्यान्वयन के एक वर्ष के भीतर 500 करोड़ रुपये के व्यय के माध्यम से, **हैप्पी सीडर/शून्य जुताई तकनीक** को भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्यों की 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर अपनाया गया था। • वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 32,808 मशीनरी वितरित की गई और 8,662 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए।

1.6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ़्तार

(Rashtriya Krishi Vikas Yojana - RAFTAAR) (RKVY-RAFTAAR)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• कटाई-पूर्व और पश्चात कृषि संबंधी अवसंरचना के सृजन के माध्यम से कृषक प्रयासों को सुदृढ़ करना, जिससे गुणवत्ता युक्त आगत, भंडारण व बाजार सुविधाओं आदि तक पहुंच में वृद्धि हो	• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अम्ब्रेला योजना के रूप में वर्ष 2007 में आरम्भ की गई RKVY को हाल ही में वर्ष 2017-19 एवं 2019-20 के लिए RKVY-रफ़्तार (Remunerative Approaches for

VISION IAS

सके तथा किसानों को सूचित विकल्पों के चयन में सक्षम बनाया जा सके।

- राज्यों को स्थायी/किसानों की आवश्यकता के अनुरूप योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन हेतु स्वायत्तता और लोचशीलता प्रदान करना।
- मूल्य श्रृंखला वर्धन से संबद्ध उत्पादन प्रतिमानों को प्रोत्साहित करना, जिससे किसानों को उनकी आय में वृद्धि करने और साथ ही साथ उत्पादकता बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो सके।
- अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों, जैसे- एकीकृत कृषि, मशरूम की खेती, मधुमखीपालन आदि पर ध्यान सकेंद्रण के साथ किसानों की आय जोखिम का शमन करना।
- विभिन्न उप-योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना।
- कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता के माध्यम से युवाओं का सशक्तीकरण करना।

Agriculture and Allied sector Rejuvenation: RAFTAAR) के रूप में संशोधित किया गया है। इसकी कार्यावधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।

- यह योजना राज्यों को कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में अत्यधिक **लचीलापन एवं स्वायत्तता** प्रदान करती है।
- राज्यों द्वारा कृषि-जलवायु स्थितियों, समुचित प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और प्राकृतिक प्राथमिकताओं के आधार पर **जिला कृषि योजना** तथा **राज्य कृषि योजना** के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रीकृत नियोजन आरम्भ किया गया है।
    - इस योजना के अंतर्गत राज्यों के कृषि विभाग, नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं।
- यह **कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाने** हेतु राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी तथा **पोस्ट-हार्वेस्ट ढांचे को सुदृढ़** बनाने और संपूर्ण देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगी।
- **निधि आबंटन:** पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य 90:10 अनुदान अनुपात तथा शेष राज्यों के लिए 60:40 अनुदान अनुपात का प्रावधान किया गया है। निधि का खण्डवार वितरण:
    - नियमित RKVY-RAFTAAR (अवसरंचना और परिसम्पत्तिया एवं उत्पादन विकास) - वार्षिक परिव्यय का 70% राज्यों को अनुदानों के रूप में आवंटित किया जाएगा (इसमें से 20% फ्लेक्सी फंड होगा);
    - RKVY-रफ़्तार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली विशेष उप-योजनाएं - 20%;
    - नवाचार और कृषि उद्यमी विकास - 10% (यदि निधियों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे नियमित RKVY-रफ़्तार और उप-योजनाओं को आवंटित कर दिया जाएगा); एवं
    - केंद्र शासित प्रदेशों हेतु केंद्र द्वारा 100% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- **इसकी उप-योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना।
    - फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP) - इसे हरित क्रांति के मूल राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों के स्थान पर अधिक फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा रहा है।
    - समस्याग्रस्त मृदा में सुधार (RPS)।
    - खुरपका और मुंहपका रोग - नियंत्रण कार्यक्रम (FMD-CP)।
    - केसर मिशन।
    - त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (Accelerated Fodder Development Programme: AFDP) - सूखा प्रभावित जिलों एवं प्रखंडों में किसानों/किसान उत्पादन संगठनों (FPOs)/सहकारी संस्थाओं को चारे के अतिरिक्त उत्पादन हेतु 3,200 रुपये प्रति हेक्टेयर (दो हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र तक) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

1.6.1. पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना

(Bringing Green Revolution to Eastern India: BGREI)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर चावल और गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।
• फसल गहनता और किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु धान के परती क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना।
• जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना और उपलब्ध जल का कुशलतापूर्वक उपयोग करना।
• पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और विपणन समर्थन (marketing support) को प्रोत्साहन देना।
	• यह कार्यक्रम वर्ष 2010-11 में आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वी भारत के 7 राज्यों अर्थात् **असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल)** और **पश्चिम बंगाल** में "चावल आधारित फसल पद्धति" की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करना है।
	• इस योजना के अंतर्गत विभिन्न निम्नलिखित पहलें शामिल हैं:
	  ○ बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी का ब्लॉक या क्लस्टर विकास।
	  ○ कृषि सुधार के लिए परिसंपत्ति निर्माण गतिविधियाँ।
	  ○ कृषि नवीनीकरण के लिए स्थान विशिष्ट गतिविधियाँ।
	  ○ बीज उत्पादन और वितरण।
	  ○ विपणन समर्थन और कटाई-पश्चात प्रबंधन।

1.7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

(Soil Health Card Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश के सभी किसानों को **प्रत्येक 2 वर्ष पर** मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरकों के प्रयोग के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आधार उपलब्ध हो सके। • क्षमता निर्माण के माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (STLs) की कार्यप्रणाली का सुदृढ़ीकरण, कृषि विज्ञान के छात्रों को भागीदार बनाना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)/ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करना। • पोषक-तत्व प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहन देने हेतु जिला एवं राज्य स्तरीय कर्मचारियों और प्रगतिशील किसानों का क्षमता निर्माण करना। • संधारणीय कृषि को प्रोत्साहित करना।	• यह वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • किसानों को जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उनके अलग-अलग खेतों के लिए आवश्यक पोषक-तत्वों और उर्वरकों से संबंधित **फसल-वार अनुशंसाएँ प्रदान** की जाती हैं। • कृषकों की मांग पर अतिरिक्त फसलों हेतु अनुशंसाएं भी प्रदान की जाती है। • विशेषज्ञ खेतों से एकत्रित मृदा के सामर्थ्य और दुर्बलताओं (सूक्ष्म पोषक-तत्वों की कमी) का विश्लेषण करते हैं तथा उनसे निपटने के उपायों का सुझाव देते हैं। • इसके तहत मृदा की स्थिति को 12 मानदंडों अर्थात् - N,P,K (मुख्य पोषक-तत्व), S (गौण पोषक-तत्व); Zn, Fe, Cu, Mn, Bo (सूक्ष्म पोषक-तत्व); और pH, EC, OC (भौतिक मानदंड) के आधार पर मापा जाता है। • इसके आधार पर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) में **जैविक खाद** सहित **छह फसलों** (3 खरीफ और 3 रबी) हेतु **उर्वरक अनुशंसाओं के दो समुच्चय** प्रदान किए जाते हैं। • किसान SHC पोर्टल पर मृदा नमूनों को ट्रैक भी कर सकते हैं। • इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण युवा एवं 40 वर्ष की आयु तक के किसान **मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना** और जांच करने हेतु पात्र हैं। • **किसानों को प्रदत्त सहायता:** ○ सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण हेतु प्रति हेक्टेयर 2,500 रुपये; तथा

VISION IAS

	○ लघु मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता। • हाल ही में, **'आदर्श गाँव की विकास योजना'** नामक एक पायलट परियोजना आरम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत ग्रिड्स आधार पर नमूने संग्रहण करने के बजाए कृषकों की भागीदारी के साथ **व्यक्तिगत खेतों से नमूनों का संग्रहण किया जाएगा।**

1.8. राष्ट्रीय कृषि बाजार

(National Agricultural Market: NAM)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रमाणिक मूल्यों को बढ़ावा देना। • किसानों के लिए विक्रय और बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विकल्पों में वृद्धि करना। • व्यापारियों/खरीदारों और कमीशन एजेंटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को उदार बनाना। एक व्यापारी के लिए एकल लाइसेंस उपलब्ध कराना जो सभी राज्यों में मान्य होगा। • कृषि उपज के गुणवत्ता मानकों को सुसंगत बनाना। • एकल बिंदु (अर्थात् किसान से की जाने वाली प्रथम थोक खरीद पर) पर बाजार शुल्क प्राप्त करना। • स्थिर कीमतों और उपभोक्ताओं हेतु गुणवत्तायुक्त उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देना। • चयनित मंडी में या मंडी के निकट मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने संबंधी प्रावधान करना।	• यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है तथा इस हेतु एग्री-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AITF) से वित्तपोषण प्राप्त होता है। • NAM एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह कृषि वस्तुओं हेतु एक **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्माण** के लिए मौजूदा APMCs और अन्य बाजार स्थलों को जोड़ने का प्रयास करता है। • स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिज़नेस कंसोर्टियम (SAFC) को इस राष्ट्रीय ई-प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख एजेंसी के रूप में चुना गया है। • केंद्र सरकार राज्यों को नि:शुल्क सॉफ्टवेयर प्रदान करेगी। इसके साथ ही संबंधित उपकरणों और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं हेतु **प्रत्येक मंडी या बाजार या निजी मंडियों को 30 लाख रुपये तक** की अनुदान राशि दी जाएगी। • अब तक 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में 585 थोक विनियमित बाजार/APMC बाज़ारों को e-NAM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। • NAM वस्तुतः मंडी/बाजार में स्थानीय व्यापारी को द्वितीयक व्यापार हेतु एक अपेक्षाकृत बड़े राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। • थोक क्रेता, प्रोसेसर (संसाधक), निर्यातक आदि NAM प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय मंडी/बाजार स्तर पर व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में सक्षम होते हैं जिससे उनकी मध्यस्थता लागत कम होने से लाभ प्राप्त होगा। • हाल ही में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य **ई-नाम पोर्टल पर अंतर्राज्यीय व्यापार** आरंभ किया गया है। • **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)** को भी e-NAM पोर्टल से जोड़ा गया है तथा इनके द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों से व्यापार हेतु अपने उत्पादों को अपलोड करना आरंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश स्थित केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के 23 भंडारगृहों को **"कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2017"** के तहत डीम्ड मार्केट के रूप में घोषित किया गया है, जिससे e-NAM पोर्टल पर इन भंडारगृहों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

VISION IAS

1.9. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

(Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan: PM-AASHA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• किसानों के लिए उनके उत्पादों का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु।	इसमें MSP पर धान, गेहूं एवं अन्य अनाजों तथा मोटे अनाजों की सरकारी खरीद के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वर्तमान योजनाओं के पूरक के रूप में निम्नलिखित **तीन घटक** विद्यमान हैं: • **मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS):** इसके तहत दाल, तिलहन तथा खोपरा (नारियल गिरी) की भौतिक खरीद केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) के अतिरिक्त, FCI भी PSS के अंतर्गत फसलों की ख़रीद करेगा। खरीद के दौरान होने वाले व्यय और क्षति को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। • **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme: PDPS):** इसके अंतर्गत उन सभी तिलहन फसलों को सम्मिलित किया जाएगा जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है तथा केंद्र सरकार द्वारा MSP एवं वास्तविक बिक्री/मॉडल मूल्य के मध्य के अंतर का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। अधिसूचित अवधि के भीतर निर्धारित मंडियों में अपनी फसल बेचने वाले किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। • **निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट पायलट योजना (Pilot of Private Procurement and Stockiest Scheme: PPSS):** तिलहन के मामले में राज्यों के पास यह विकल्प होगा कि वे चयनित जिलों में PPSS आरंभ कर सकते हैं जहाँ कोई निजी अभिकर्ता बाज़ार मूल्य के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर सकता है। उस निजी अभिकर्ता को फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 15% तक के सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

1.10. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• खेत स्तर पर सिंचाई में निवेश को अभिसरित करना।
• जलाशयों के पुनर्भरण में वृद्धि करना तथा सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरुआत करना।
• पेरी-अर्बन कृषि (peri urban agriculture) में नगरपालिका अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने की व्यवहार्यता का पता लगाना।
• सिंचाई में महत्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित करना।
• जल संचयन, जल प्रबंधन और किसानों के लिए फसल संयोजन तथा जमीनी स्तर के क्षेत्र कर्मियों से संबंधित विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
	• **विकेंद्रीकृत राज्य स्तरीय योजना** और कार्यान्वयन संरचना ताकि राज्य डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान (DIP) तथा स्टेट इरीगेशन प्लान (SIP) का निर्माण कर सकें। PMKSY फंड का उपयोग करने हेतु इस प्लान का निर्माण आवश्यक है। इसके तहत खेत स्तर पर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
	• प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली व सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर गठित अंतर-मंत्रालयी **नेशनल स्टीयरिंग कमेटी (NSC)** द्वारा इसका निरीक्षण और निगरानी की जाएगी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा।
	• PMKSY को वर्तमान में जारी निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित कर तैयार किया गया है:
	  o जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme: AIBP);
	  o भूमि संसाधन विभाग का एकीकृत जलसंभर क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme: IWMP);
	  o कृषि एवं सहकारिता विभाग के तहत नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA)।
	• **वाटर बजटिंग:** घरेलू, कृषि और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों हेतु वाटर बजटिंग की जाती है।

VISION IAS

	• हाल ही में, **PMKSY के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तत्वावधान में समर्पित दीर्घकालीन सिंचाई निधि (LTIF) का सृजन** किया गया है। यह अपूर्ण प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करेगी। • राज्यों को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए PMKSY के तहत नाबार्ड के अंतर्गत एक समर्पित **सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF)** को स्थापित किया गया है।

Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)	PMKSY (Har Khet ko Pani)	PMKSY (Per Drop More Crop)	PMKSY (Watershed Development)
• Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation • Faster completion of ongoing Major and Medium Irrigation including National Projects	• Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation • Creation of new water sources through Minor Irrigation (both surface and ground water) • Repair, restoration and renovation of water bodies; • Strengthening carrying capacity of traditional water sources, construction of rain water harvesting structures (**Jal Sanchay**); Jal Mandir (Gujarat); Khatri, Kuhl (H.P.); Zabo (Nagaland); Eri, Ooranis (T.N.); Dongs (Assam); Katas, Bandhas (Odisha and M.P.) • Command area development	• Ministry of Agriculture • Promoting efficient water conveyance and precision water application devices like drips, sprinklers, pivots, rain-guns in the farm (Jal Sinchan) • Extension activities for promotion of scientific moisture conservation, Crop combination, crop alignment etc., • (ICT) interventions through NeGP – precision irrigation technologies, on farm water management, crop alignment etc. and also to do intensive monitoring of the Scheme.	• Department of Land resources, Ministry of Rural development • Effective management of runoff water and improved soil & moisture conservation activities • Converging with MGNREGS • DPAP, DDP and IWDP were consolidated under this component • Cluster Approach in selection and preparation of projects • ***Read more on Neeranchal National Watershed Project under Ministry of Rural Development***

1.11. युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना

(Sahakar-Cooperative Enterprise Support and Innovation Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
यह युवाओं की आवश्यकताओं एवं महत्वकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी व्यवसाय उपक्रमों की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** द्वारा तैयार की गई युवाओं के अनुकूल एक योजना है। यह सहकारी समितियों को नए और नवाचारी क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।	• **आरंभकर्ता:** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) • **सहकारी स्टार्ट-अप एवं नवाचार निधि (CSIF):** 100 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय उद्देश्य के साथ NCDC द्वारा सृजित CSIF से इस योजना को संबद्ध किया जाएगा तथा इसमें महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजनों की सहकारी समितियों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सहकारी समितियों एवं आकांक्षी जिलों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। • **वित्तीयन:** इस परियोजना के तहत वित्तपोषण, विशेष श्रेणियों के लिए परियोजना लागत का 80 प्रतिशत तक होगा, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए 70 प्रतिशत है। इस योजना में मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष के अधिस्थगन सहित परियोजना के लिए ब्याज दर, प्रचलित सावधि ऋण पर लागू ब्याज दर से 2% कम होगी। • **पात्रता:** कम से कम एक वर्ष से परिचालनरत और सकारात्मक निवल संपत्ति वाली सभी प्रकार की सहकारी समितियां पात्र हैं।
NCDC के बारे में	• यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एकमात्र वैधानिक संगठन है, जो शीर्ष वित्तीय और विकास संस्थान के रूप में कार्यरत है तथा विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र के प्रति समर्पित है।

	• यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, जैसे- डेयरी, कुक्कुट, पशुधन, मत्स्य पालन, कपास की ओटाई (जिनिंग) व कताई, चीनी और अधिसूचित सेवाओं, जैसे- आतिथ्य, परिवहन, ग्रामीण आवास, अस्पतालों/स्वास्थ्य आदि से संबंधित क्षेत्रों के कार्यक्रमों को सुदृढ़ एवं प्रोत्साहित करता है। • इसके द्वारा वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने हेतु **मिशन सहकार-22** की शुरूआत की गई है।

1.12. किसान क्रेडिट कार्ड

(Kisan Credit Card: KCC)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• बैंकिंग प्रणाली द्वारा सिंगल विंडो के माध्यम से पर्याप्त और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।	• सभी किसान- व्यक्तिगत/संयुक्त उधारकर्ता जिनके पास भू-स्वामित्व है। • काश्तकार किसान, अलिखित पट्टेदार और बंटाईदार आदि। • काश्तकार किसान, बंटाईदार आदि सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह (SHGs) और संयुक्त देयता समूह।	• KCC के तहत वितरित ऋण का आधार व्यापक होता है और इसका उपयोग **अल्पकालिक ऋण के रूप में** फसलों की बुआई, फसल कटाई के पश्चात् आवश्यक व्यय, उत्पाद विपणन से संबंधित ऋण, कृषक परिवार की उपभोग आवश्यकता आदि के लिए किया जा सकता है। • KCC योजना के तहत अधिसूचित फसलों के लिए वितरित किए जाने वाले ऋण फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। • यह ATM की सुविधा युक्त रुपे (RuPay) कार्ड, एकबारगी दस्तावेज़ीकरण और कुछ शर्तों के तहत आहरण की सुविधा प्रदान करता है। • इस योजना के तहत बाह्य, हिंसक और दृश्यमान साधनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप KCC धारकों की मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता संबंधी जोखिम को कवर किया जाता है। • इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा KCC को और अधिक सुगम बनाने हेतु अन्य पहलें भी आरंभ की गई हैं, जिसमें **पशु एवं मत्स्य पालन** में संलग्न किसानों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही, KCC के तहत ऋण प्राप्ति हेतु कोई प्रक्रिया (processing) शुल्क आरोपित नहीं किया जाता है तथा संपार्श्विक (collateral) मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये तक कर दिया गया है।

1.13. भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण

(Strengthening & Modernization of Pest Management Approach in India: SMPMA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• न्यूनतम निवेश लागत के साथ फसल उत्पादन को अधिकतम करना। • कीटनाशकों के कारण मृदा, जल और वायु में होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। • रासायनिक कीटनाशकों से	• यह **केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना** है। यह योजना निम्नलिखित घटकों के साथ प्रारंभ की गई है: ○ **एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM):** यह कीट संबंधी समस्याओं के प्रबंधन के लिए पर्यावरण अनुकूल एक व्यापक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है। ○ **टिड्डी नियंत्रण एवं अनुसंधान (LCR):** इसके तहत अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों (राजस्थान, गुजरात और हरियाणा) में टिड्डियों की निगरानी, पूर्वसूचना और नियंत्रण तथा टिड्डी (locust) और टिड्डों (grasshoppers) पर शोध करने के लिए टिड्डी चेतावनी संस्थानों की स्थापना की गयी है।

VISION IAS

संबंधित व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करना।	○ **कीटनाशक अधिनियम, 1968 का कार्यान्वयन:** यह मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण पर कीटनाशकों के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए कीटनाशकों के आयात, उत्पादन, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करता है। ○ **कार्यान्वयन एजेंसी:** 35 केंद्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र (CIPMCs)।

1.14. जलवायु प्रत्यास्थ कृषि पर राष्ट्रीय पहल

(National Initiative on Climate Resilient Agriculture: NICRA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• बेहतर उत्पादन और जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के विकास एवं अनुप्रयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि (जिसमें फसलें, पशुपालन और मत्स्यपालन सम्मिलित हैं) की प्रत्यास्थता में वृद्धि करना। • वर्तमान जलवायु जोखिमों के प्रति अनुकूलित होने के लिए किसानों के **खेतों पर स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी पैकेज** का प्रदर्शन करना। • जलवायु प्रत्यास्थ कृषि संबंधी अनुसंधान और उसके अनुप्रयोगों में वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण को बेहतर बनाना।	• यह **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** की परियोजनाओं का एक नेटवर्क है। • यह देश में वर्षा की **सुभेद्यता** हेतु विभिन्न फसलों/क्षेत्रों के महत्वपूर्ण आकलन पर विचार करती है। • यह बड़े क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैसों की माप के लिए फलक्स टावर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना करती है। • यह धान की कृषि की नई एवं उभरती पद्धतियों का व्यापक क्षेत्र मूल्यांकन करती है। • परियोजना में निम्नलिखित **चार घटक** सम्मिलित हैं: **रणनीतिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रतिस्पर्द्धी अनुदान।**

1.15. ब्याज अनुदान योजना

(Interest Subvention Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश में कृषि उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किफायती दर पर अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराना।	• यह किसानों को 7% ब्याज वाले 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण पर 2% प्रति वर्ष ब्याज अनुदान प्रदान करती है। • "समय से भुगतान करने वाले किसानों" को प्रति वर्ष 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है। • ब्याज अनुदान का लाभ उपज को डिस्ट्रेस सेल से बचाने के उद्देश्य से परक्राम्य वेयरहाउस (Negotiable Warehouse) रसीदों के एवज में ऋण लेने वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक लघु एवं सीमांत किसानों को छह माह की अवधि (फसल-कटाई पश्चात्) हेतु विस्तारित किया गया है। • यह ब्याज अनुदान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों तथा RRBs को प्रदान किया जाएगा। साथ ही, RRBs एवं सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए NABARD को भी ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। • इस योजना के तहत चार सेगमेंट में ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा: ○ अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान; ○ पोस्ट हार्वेस्ट लोन पर ब्याज अनुदान; ○ दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत ब्याज अनुदान; तथा ○ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत के लिए ब्याज अनुदान।

VISION IAS

1.16. आर्या परियोजना

(Arya Project)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आय और लाभकारी रोजगार के लिए विभिन्न कृषि एवं संबद्ध और सेवा क्षेत्रक के उद्यमों को अपनाने हेतु युवाओं को आकर्षित करना तथा उन्हें सशक्त बनाना। • कृषि क्षेत्र के युवाओं को प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन जैसी गतिविधियों में अपने संसाधनों एवं पूंजी के निवेश हेतु नेटवर्क समूहों को स्थापित करने में सक्षम बनाना।	• भारत सरकार ने वर्ष 2015 में **"आर्या"** (Attracting and Retaining Youth in Agriculture) नामक परियोजना आरम्भ की। • इसे प्रत्येक राज्य के एक जिले में **कृषि विज्ञान केंद्र** (KVK) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। KVKs इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे संस्थानों को प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में शामिल करेंगे। • एक जिले में, 200-300 ग्रामीण युवाओं को उद्यमशील गतिविधियों हेतु उनके कौशल विकास और संबंधित सूक्ष्म-उद्यम इकाइयों की स्थापना के लिए चिन्हित किया जाएगा। • कृषि विकास केंद्रों पर भी एक या दो उद्यम इकाइयां स्थापित की जाएंगी ताकि वे किसानों के लिए उद्यमी प्रशिक्षण इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।

1.17. कृषि विज्ञान केंद्र

(Krishi Vigyan Kendras: KVK)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• कृषि में फ्रंटलाइन विस्तार के लिए और किसानों की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करना। • स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और किसानों का क्षमता निर्माण करना।	• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने देश में 669 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, 106 KVKs और स्थापित किए जाएंगे। • KVKs द्वारा ग्रामीण युवाओं, कृषक महिलाओं और किसानों के **कौशल विकास प्रशिक्षण** पर अत्यधिक बल दिया जाता है। • ये बीज, रोपण सामग्री और जैव उत्पादों जैसे नवीनतम तकनीकी इनपुट प्रदान करते हैं। • ये जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों सहित फसल/उद्यम से संबंधित अनुशंसाओं के बारे में समय-समय पर किसानों को परामर्श प्रदान करते हैं। • ये जिला कृषि-पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित समस्याओं को चिन्हित एवं हल करते हैं। साथ ही, नवाचारों को अपनाने हेतु नेतृत्व प्रदान करते हैं। ○ यह **राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली** (NARS) का एक अभिन्न अंग है। • KVK योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है तथा कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों एवं कृषि क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों हेतु KVKs का अनुमोदन किया जाता है।

1.18. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना

(National Agricultural Higher Education Project: NAHEP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• चयनित कृषि विश्विद्यालयों (AUs) में उच्चतर कृषि शिक्षा की प्रासंगिकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना।	• **वित्तपोषण:** इसे विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। • **घटक:** ○ **संस्थागत विकास योजनाएं (IDPs):** NAHEP चयनित प्रतिभागी AUs को

VISION IAS

• छात्र एवं संकाय विकास। • अधिगम परिणामों, नियोजनीयता और उद्यमिता में सुधार करना। • संस्थागत और प्रणालीगत प्रबंधन की प्रभावशीलता में वृद्धि करना।	**संस्थागत विकास अनुदान** प्रदान करेगी, जो AU के छात्रों हेतु अधिगम परिणाम एवं भावी रोज़गार तथा संकाय शिक्षण प्रदर्शन और अनुसंधान प्रभावशीलता में सुधार का प्रयास करेगा। ○ **सेंटर ऑफ़ एडवांस एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CAAST):** चयनित प्रतिभागी कृषि विश्वविद्यालयों (AUs) को महत्वपूर्ण एवं उभरते कृषि विषयों पर शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के लिए बहु-विषयक केंद्र स्थापित करने हेतु CAAST अनुदान प्रदान किया जाएगा। ○ AUs द्वारा सुधारों (अर्थात् मान्यता प्राप्त करना) को अपनाने हेतु चयनित प्रतिभागी **AU को नवाचार अनुदान** प्रदान किया जाएगा; और मौजूदा सुधार को अपना चुके AUs एवं अन्य अंतरराज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतिभागियों द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त AUs को परामर्श प्रदान किया जाएगा। ○ **परिणाम निगरानी एवं मूल्यांकन:** शिक्षा प्रभाग/ICAR द्वारा निगरानी और मूल्यांकन (M&E) प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी ताकि सभी NAHEP घटकों की गतिविधियों की प्रगति की निगरानी की जा सके।

1.19. अन्य पहलें

(Other Initiatives)

पहल	प्रमुख विशेषताएं
त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (Accelerated Pulses Production Program)	• इसका लक्ष्य पांच प्रमुख दलहनी फसलों (प्रत्येक हेतु 1,000 हेक्टेयर की सघन इकाइयों में) के पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों तथा पौधों की सुरक्षा पर केंद्रित संशोधित प्रौद्योगिकियों एवं प्रबंधन कार्यप्रणालियों का प्रदर्शन करना है। ये पांच प्रमुख दलहनी फसलें हैं: बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम (उड़द बीन), रेड ग्राम (अरहर), ग्रीन ग्राम (मूंग) और लेंटील (मसूर)। • यह कार्यक्रम केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित है और NFSM-Pulses (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दाल) के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। • इसे एकीकृत पोषक-तत्व प्रबंधन (INM) और एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों का सक्रिय रूप से प्रसार करने हेतु परिकल्पित किया गया है। • इस कार्यक्रम को **'कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग'** निम्नलिखित के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है: (i) दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि निदेशक/आयुक्त; और (ii) केंद्र सरकार की संस्था: ICAR-NCIPM (नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट)।
कृषि विपणन अवसंरचना कोष (Agri-Market Infrastructure Fund: AMIF)	• हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास और उन्नयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये के कृषि विपणन अवसंरचना कोष (AMIF) के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गयी है। • इसे नाबार्ड (NABARD) के अंतर्गत सृजित किया जाएगा तथा यह 585 कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) और 10,000 गावों में विपणन अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को उनके प्रस्ताव के लिए रियायती ऋण प्रदान करेगा। • राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से नवाचारी एकीकृत बाजार अवसंरचना परियोजनाओं के लिए AMIF तक पहुँच स्थापित कर सकते हैं।
ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट	• कृषि विपणन क्षेत्र में खुदरा बाजार को विकसित करने के लिए कृषि विपणन विकास कोष के तहत बजट 2017-18 में GrAMs का शुभारम्भ किया गया।

VISION IAS

(GrAMs)	• इस पहल के तहत 22,000 ग्रामीण हाट और 585 APMC बाजारों को विकसित एवं अद्यतित कर उन्हें GrAMs के रूप में स्थापित किया जाएगा। • इन GrAMs में मनरेगा (MGNREGA) और अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग करके भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। • इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) से भी लिंक किया जाएगा और APMC विनियमों से छूट प्रदान की जाएगी। • ये किसानों को अपने उत्पादों की उपभोक्ताओं और थोक खरीदारों को प्रत्यक्ष बिक्री करने की सुविधा प्रदान करेंगे।
कृषि बाजार सूचना नेटवर्क (AGMARKNET) पोर्टल	• यह एक ई-गवर्नेंस पोर्टल (G2C के रूप में) है जो सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि विपणन से संबंधित सूचना प्रदान करके किसानों, उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। • यह देश भर में विस्तृत कृषि उपज मंडियों में वस्तुओं की दैनिक पहुंच और कीमतों की वेब आधारित सूचना प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है
ई-कृषि संवाद	• यह एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस है जिसके माध्यम से किसान और अन्य हितधारक प्रभावी समाधान के लिए अपनी समस्याओं के साथ प्रत्यक्ष रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से संपर्क कर सकते हैं। • हितधारक विशेषज्ञों से निदान और शीघ्र उपचारात्मक उपायों के लिए रोगग्रसित फसलों, जानवरों या मछलियों की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। • SMS या वेब के माध्यम से भी विशेषज्ञों द्वारा उचित समाधान प्रदान किया जाएगा।
ई-रकम पोर्टल	• यह MSTC लिमिटेड {इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (PSU)} और सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कंपनी की एक संयुक्त पहल है। • किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें बिचौलियों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता हेतु यह एक नीलामी मंच है, साथ ही यह उनकी उपज को मंडी तक ले जाने की आवश्यकता को भी समाप्त करता है। • किसानों को प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।

फार्मर फर्स्ट इनिशिएटिव	• इसके तहत मुख्य बल किसान के खेतों, नवाचारों, संसाधनों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Farm, Innovations, Resources, Science and Technology: FIRST) पर दिया गया है।
	• यह ICAR की एक पहल है, जो निम्नलिखित पर केंद्रित है:
	  ○ समृद्ध किसान - वैज्ञानिक इंटरफ़ेस;
	  ○ प्रौद्योगिकी संयोजन, आवेदन एवं प्रतिक्रिया;
	  ○ साझेदारी एवं संस्थागत भवन; एवं
	  ○ सामग्री का एकत्रण।
	• यह विभिन्न कृषि-परिस्थितियों में किसानों की आय वृद्धि मॉडल के रूप में आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से स्वीकार्य उद्यमशील गतिविधियों को चिन्हित एवं एकीकृत करेगी।

हॉर्टिनेट-फार्मर कनेक्ट एप	• यह **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)** द्वारा विकसित खोज करने में सक्षम एक एकीकृत प्रणाली है, जो मानकों के अनुपालन के साथ भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर, अनार और सब्जियों के फार्मों के पंजीकरण, परीक्षण और प्रमाणन की सुविधा के लिए इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करता है।

	• यह राज्य के बागवानी/कृषि विभाग को किसानों, खेतों की अवस्थिति, उत्पादों एवं खेत से प्रत्यक्ष रूप में निरीक्षण के वास्तविक विवरणों को अभिग्रहण करने में भी सहायता करेगा।
जीरो हंगर प्रोग्राम	• इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से पारस्परिक और बहुपक्षीय कुपोषण का समाधान करना है। • यह भूख एवं कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा।
मेघदूत ऐप	• **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** और **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा **मेघदूत (MEGHDOOT)** नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया है, जो किसानों को स्थानीय भाषाओं में अवस्थिति, फसल और पशुधन-विशिष्ट मौसम आधारित कृषि परामर्श प्रदान करेगा। • इसे **भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology)** तथा **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research)** के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। • मंत्रालय द्वारा किसानों को तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु गति एवं दिशा के संबंध में पूर्वासूचना उपलब्ध करायी जाएगी, जो कृषिगत परिचालनों में महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन करते हैं। • हालांकि, ये सूचनाएं वास्तविक समय पर आधारित नहीं हैं, परंतु इन्हें सप्ताह में दो बार मंगलवार और शुक्रवार को अवश्य अपडेट किया जाता है।
एग्री उड़ान	• इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के सुदृढ़ मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, उद्योग नेटवर्किंग तथा निवेशकों को विशिष्ट सहयोग प्रदान कर खाद्य और कृषि व्यवसाय आधारित स्टार्ट-अप्स का उन्नयन करना है। • इसे भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि व्यवसाय उत्प्रेरक की संज्ञा दी गयी है तथा इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी (ICAR-NAARM)** और **भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के इनक्यूबेटर केंद्रों** द्वारा प्रारम्भ किया गया है।
मेरा गाँव-मेरा गौरव	• इस योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक शामिल हैं। • इनमें से प्रत्येक संस्थान और विश्वविद्यालय में चार बहु-विषय वैज्ञानिकों का समूह गठित किया जाएगा। प्रत्येक समूह अधिकतम 100 किमी की परिधि के भीतर पांच गांवों को "गोद लेंगे" तथा किसानों को तकनीकी एवं और अन्य संबंधित पहलुओं की जानकारी एक समय सीमा के भीतर प्रदान करेंगे।
एकीकृत पैकेज बीमा योजना	• इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र से संबद्ध नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है तथा किसानों के भू-स्वामित्व अधिकारों एवं उपजाई गई फसलों के आधार पर उन्हें उपज आधारित फसल बीमा उपलब्ध करवाना है। • **इसके अंतर्गत** फसल बीमा {प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) / पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme: RWBCIS)}, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत जीवन बीमा, छात्र सुरक्षा बीमा (विद्यार्थी की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु और दिव्यांगता एवं पिता या माता की मृत्यु की स्थिति में) तथा व्यक्तिगत व पेशागत परिसंपत्तियों का बीमा **शामिल हैं**। • इस योजना के तहत एक वर्षीय बीमा का प्रावधान किया गया है तथा जिसे प्रतिवर्ष नवीकरणीय किया जा सकता है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना	• **उद्देश्य:** जैविक कृषि / प्राकृतिक कृषि / ग्रामीण अर्थव्यवस्था / संधारणीय कृषि के क्षेत्र में **व्यावसायिक सहायता** उपलब्ध कराना तथा इन क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर कुशल मानव संसाधन का विकास करना है। • ICAR द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना वर्ष 2016 में आरम्भ की गई थी। • इसे **उन्नत भारत अभियान** के तहत संचालित किया जा रहा है। • इस योजना के तहत कृषि शिक्षा के लिए 100 प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। **प्रशिक्षण केंद्रों** का चयन उन किसानों के आधार पर किया जाएगा जो पहले ही उन्नत भारत अभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं या अपने खेतों में प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं और प्राकृतिक कृषि के सभी मूलभूत, मौलिक, सिद्धांतों और प्रचलनों के जानकार हैं।

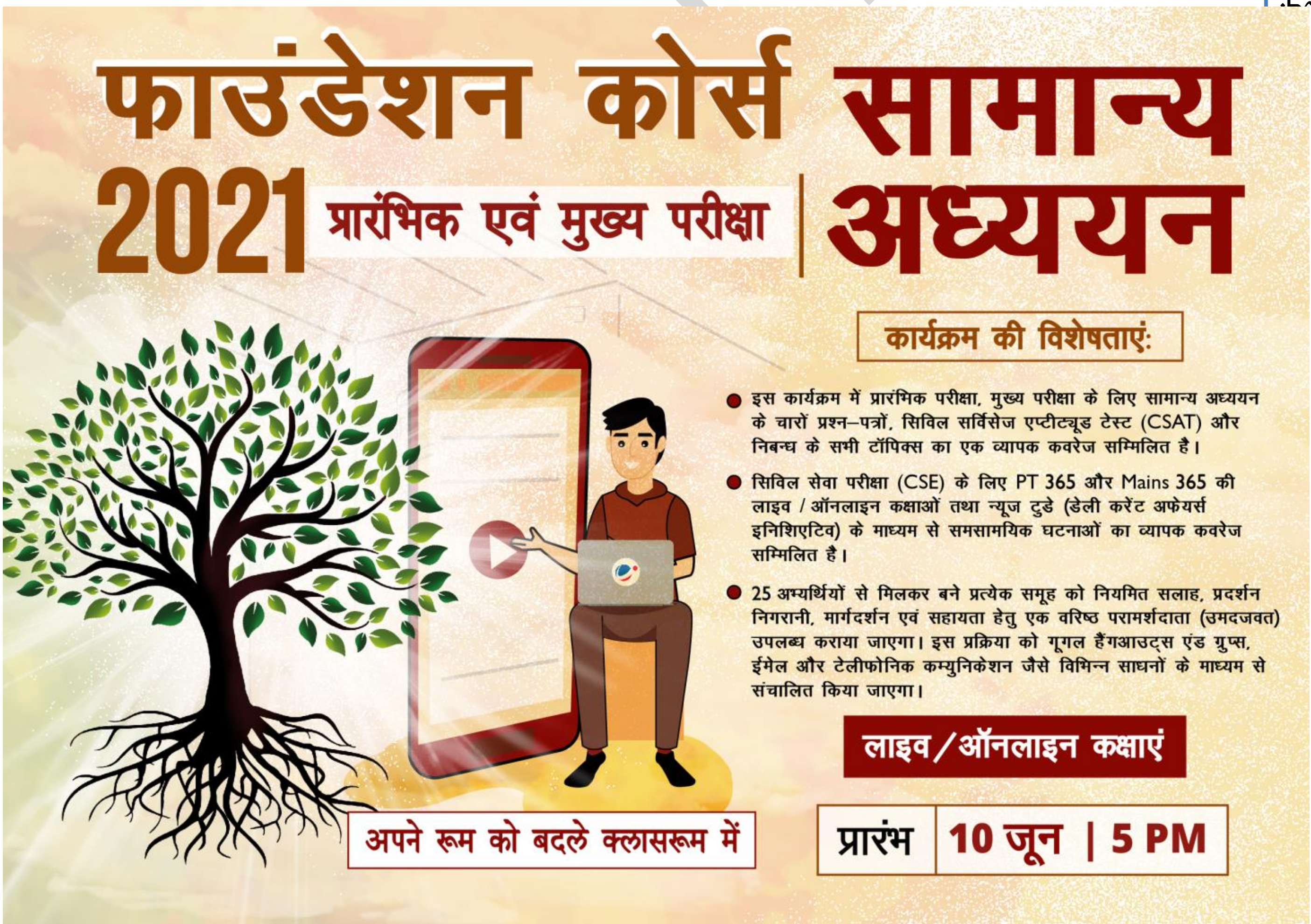

2. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)

2.1. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष योजना

{Dairy Processing and Infrastructure Development Fund (DIDF) scheme}

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थियों	प्रमुख विशेषताएं
अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के सृजन हेतु डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और मशीनरी को आधुनिकीकृत करने और उनमें दक्षता लाने के लिए अवसंरचना में निवेश करना।	• इससे 50,000 गांवों के 95 लाख **दुग्ध उत्पादक** लाभान्वित होंगे। • **अंतिम उधारकर्ताओं** (End Borrowers), जैसे- दुग्ध संघ, राज्य डेयरी संघ, दुग्ध सहकारी संस्थाएं, दुग्ध उत्पादक कंपनियां आदि।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे **पशुपालन और डेयरी विभाग** द्वारा प्रारम्भ किया गया था। • इस योजना के अंतर्गत **कोष की स्थापना नाबार्ड (NABARD) के तहत** की गई है। वित्तीयन ब्याज सहायता के रूप में होगा, जिसे अंतिम उधारकर्ताओं के माध्यम से प्रत्यक्षत: **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। • संबंधित राज्य सरकार ऋण अदायगी की **प्रत्याभूति** प्रदान करेगी। • हाल ही में, सरकार ने डेयरी क्षेत्र को दिए जाने वाले **ऋण पर ब्याज सहायिकी या सब्सिडी** को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। • इस योजना की **वित्तपोषण अवधि** को संशोधित किया गया है (पूर्व में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 थी तथा वर्तमान में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक कर दिया गया है) और पुनर्भुगतान अवधि को वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है।

2.2. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(National Animal Disease Control Programme: NADCP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2025 तक पशुधन में खुरपका मुंहपका रोग और पशुजन्य माल्टा-ज्वर (ब्रूसेलोसिस) को नियंत्रित करना तथा वर्ष 2030 तक इनका पूर्णतः उन्मूलन करना है।	• इस योजना के अंतर्गत **खुरपका-मुंहपका रोग (FMD)** के विरुद्ध संरक्षण हेतु मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर सहित 600 मिलियन से अधिक पशुधन के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। • इस कार्यक्रम का एक अन्य उद्देश्य पशुजन्य माल्टा-ज्वर से बचाव के लिए प्रतिवर्ष दुधारू पशुओं के 36 मिलियन मादा बछड़ों का टीकाकरण करना भी है। • **वित्त पोषण:** वर्ष 2024 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। • कृषि मंत्रालय तथा पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 'खुरपका मुंहपका रोग मुक्त भारत' पहल का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत उन सभी राज्यों को शामिल किया गया है, जिन्हें छह माह पर किए जाने वाले टीकाकरण योजना के तहत समाविष्ट नहीं किया गया था। ○ FMD पशुधन से संबंधित एक गंभीर व अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित रोग है,

VISION IAS

	जो अत्यधिक नकारात्मक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करता है। इस रोग से मवेशी, शूकर, भेड़, बकरी तथा अन्य खुरयुक्त जुगाली करने वाले पशु प्रभावित होते हैं। ○ **पशुजन्य माल्टा-ज्वर या ब्रूसिलोलिस (Brucellosis)** जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला रोग है, जो विभिन्न **ब्रूसिला जीवाणु प्रजातियों** के कारण होता है। यह रोग मुख्यतया मवेशियों, सूअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों में उत्पन्न होता है। मनुष्यों में यह रोग मुख्यतया दूषित पशु खाद्य पदार्थों के सेवन अथवा वायुवाहित अभिकारकों के अन्तःश्वसन द्वारा संक्रमित पशुओं के प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से उत्पन्न होता है।

2.3. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

(Nationwide artificial Insemination Programme: NAIP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। • उच्च गुणवत्ता युक्त बीज के साथ दुधारू पशुओं के आनुवंशिक गुणों में सुधार करना।	• इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 माह में 1 करोड़ से अधिक बोवाइन (गोजातीय) आबादी का गर्भाधान करना और उनके कानों पर **'पशुआधार'** टैग लगाना है। पशुआधार पशुओं को प्रदत्त एक विशिष्ट पहचान है, जो नस्ल, आयु, लिंग और उसके स्वामी के विवरण के आधार पर विशेष पशुओं की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने में सरकार को सक्षम बनाता है। • इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गाय और भैंस की टैगिंग की जाएगी और उन्हें **पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य सूचना तंत्र (INAPH) डेटाबेस** के माध्यम से ट्रैक किया जा सकेगा। • NAIP एक मिशन मोड संचालित एक आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य **सभी नस्ल की बोवाइन को कवर करना है** ताकि उच्च गुणवत्ता युक्त बीज के साथ दुधारू पशुओं के आनुवंशिक गुणों में सुधार करने के साथ कम लागत की प्रजनन तकनीक का उपयोग कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा सके। • उल्लेखनीय है कि बोवाइन आबादी के कृत्रिम गर्भाधान के लाभ लगभग 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्राप्त होते हैं।

2.4. राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन

(National Mission on Bovine Productivity)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। • डेयरी उद्योग को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाना।	• इसे दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने और डेयरी उद्योग को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने के लिए वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। • इस मिशन को निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से लागू किया जा रहा है - ○ **पशु संजीवनी:** यह एक कल्याण कार्यक्रम है। इसके तहत प्रत्येक दुधारू पशु को UID के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान और एक स्वास्थ्य कार्ड (नकुल स्वास्थ्य पत्र) प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा अन्य विवरणों के साथ उसकी नस्ल, आयु और टीकाकरण के विवरण को रिकॉर्ड किया जाता है। ○ **उन्नत प्रजनन तकनीक:** उन्नत प्रजनन तकनीक के तहत 10 A ग्रेड वाले वीर्य केंद्रों पर सेक्स सोर्टेड सीमन प्रोडक्शन फैसिलिटी (sex sorted semen production facility) का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, भारत में 'इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)' की सुविधा वाली 50 भ्रूण स्थानांतरण प्रोद्योगिकी प्रयोगशालाएँ भी खोली जा रही हैं। ○ **ई-पशु हाट पोर्टल:** यह स्वदेशी नस्ल के प्रजनकों और किसानों में परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए एक ई-ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल है। ○ जीनोमिक चयन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए **'स्वदेशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक सेंटर'** की स्थापना की गयी है।

VISIONIAS

2.5. राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम

(National Program for Bovine Breeding and Dairy Development: NPBBDD)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• बोवाइन (गोजातीय) संबंधी गुणवत्तायुक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं तक किसानों की सुगमतापूर्ण पहुँच सुनिश्चित करना। • उच्च सामाजिक-आर्थिक महत्व वाले चयनित स्वदेशी बोवाइन नस्लों का संरक्षण, विकास और वंश वृद्धि सुनिश्चित करना। • दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना का निर्माण करना और इसे सुदृढ़ता प्रदान करना। • डेयरी किसानों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना तैयार करना। • डेयरी सहकारी समितियों / उत्पादक कंपनियों को ग्रामीण स्तर पर सशक्त बनाना।	• इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में *नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग* (NPCBB), *इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम* (IDDP), *स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन* (SIQ & CMP) और *असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव* (A-C) जैसी तत्कालीन योजनाओं का विलय कर की गई थी। • इस योजना के **तीन घटक** हैं- ○ **नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग (NPBB)**: यह प्रजनन आगतों को किसान तक पहुंचाने के लिए **MAITRI** (मल्टी पर्पस AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया) की स्थापना करेगा। ○ राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) ○ राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

राष्ट्रीय गोकुल मिशन	• स्वदेशी नस्लों के आनुवांशिक संघटन में सुधार करने और उनकी संख्या में वृद्धि के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम। • दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि • गिर, साहीवाल, राठी, देवनी, थारपारकर, लाल सिंधी जैसी उन्नत स्वदेशी नस्लों का उपयोग कर विशिष्ट नस्लों (nondescript breeds) के आनुवंशिक संघटन को उन्नत बनाना। • स्वदेशी नस्लों के स्थानीय प्रजनन क्षेत्रों में एकीकृत स्वदेशी मवेशी केंद्र या **गोकुल ग्रामों** की स्थापना। • इस योजना को 100% अनुदान के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। • **महत्वपूर्ण कदम:** ○ **गोपाल रत्न पुरस्कार:** स्वदेशी नस्ल/नस्लों के उत्कृष्ट समूह को बनाए रखने वाले और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अभ्यास करने वाले किसानों के लिए। ○ **कामधेनु पुरस्कार:** संस्थानों/ट्रस्टों/गैर-सरकारी संगठनों/गौशालाओं द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित स्वदेशी समूह या सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित ब्रीडर्स सोसायटीज़ हेतु। ○ **गोकुल ग्राम:** ये वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी मवेशी पालन और संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु एक एकीकृत मवेशी विकास केंद्र हैं। ये स्वदेशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणों वाले बैलों के प्रवर्धन को बढ़ावा देते हैं और साथ ही, आधुनिक फार्म प्रबंधन प्रथाओं के अनुकूलन तथा किफायती तरीके से पशु अपशिष्ट, जैसे कि गाय के गोबर/मूत्र के उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

2.6. राष्ट्रीय डेयरी योजना-I

(National Dairy Plan-I)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। • संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक आसान पहुंच सुनिश्चित कर ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को	• यह **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड** द्वारा लागू एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है। • NDP-1 18 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश आदि पर केंद्रित होगी।

VISION IAS

सहायता प्रदान करना।	• इस योजना के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं: ○ उत्पादकता में वृद्धि करना। ○ संग्रहित दुग्ध का भार मापने, गुणवत्ता का परीक्षण करने तथा दुग्ध उत्पादकों को भुगतान करने हेतु गांव आधारित दुग्ध खरीद प्रणालियाँ स्थापित करना। ○ परियोजना प्रबंधन और गहन अध्ययन।

2.7. डेयरी उद्यमिता विकास योजना

(Dairy Entreprenuership Development Scheme: DEDS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• शुद्ध दुग्ध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना। • असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना ताकि दुग्ध का प्रारंभिक प्रसंस्करण गांव स्तर पर किया जा सके। • व्यावसायिक पैमाने पर दुग्ध संरक्षण के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना। • मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए स्व-रोजगार का सृजन करना तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।	• डेयरी वेंचर कैपिटल फंड (DVCF) योजना को संशोधित किया गया और वर्ष 2010 में इसका नाम परिवर्तित कर डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS) रखा गया था। • यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। **नोडल एजेंसी के रूप में इसका कार्यान्वयन नाबार्ड** द्वारा किया जा रहा है। • यह योजना संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।

2.8. नीली क्रांति: एकीकृत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन

(Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• अंतर्देशीय और समुद्री क्षेत्र में विद्यमान देश की कुल मत्स्य क्षमता का पूर्णतया दोहन करना तथा 2020 तक उत्पादन को तीन गुना करना। • मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ई-कॉमर्स, अन्य प्रौद्योगिकियों और वैश्विक सर्वोत्तम नवाचारों के साथ-साथ उत्पादकता वृद्धि एवं बेहतर मार्केटिंग व पोस्टहार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। • सहकारी समितियों, उत्पादक कंपनियों और अन्य संस्थाओं में संस्थागत तंत्र के माध्यम से मछुआरों और मत्स्य किसानों को लाभ प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करना तथा साथ ही 2020 तक निर्यात आय को तीन गुना करना। • देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा में वृद्धि करना।	• यह नीली क्रांति के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। • यह एक अम्ब्रेला योजना है जो सभी मौजूदा योजनाओं का विलय कर निर्मित की गयी है। • इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को 2015-16 के 107.95 लाख टन से बढ़ाकर 2019-20 के अंत तक 150 लाख टन तक करना है। • इस योजना में **निम्नलिखित घटक** सम्मिलित हैं: ○ राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) और इसके कार्य। ○ अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जल कृषि विकास। ○ सागरीय मत्स्यन क्षेत्रों का विकास, अवसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन। ○ मत्स्यपालन क्षेत्र के डेटाबेस और उसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। ○ मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए संस्थागत व्यवस्था। ○ देख-रेख, नियंत्रण और निगरानी तथा अन्य आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप। ○ राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना। • नीली क्रांति के तहत **मिशन फिंगरलिंग** को प्रारंभ किया गया है, जो मत्स्य पालन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की परिकल्पना करता है। ○ इसका लक्ष्य मत्स्य उत्पादन को 10.79 मीट्रिक मिलियन टन (2014-15) से बढ़ाकर 2020-21 तक 15 मीट्रिक

	मिलियन टन करना है। ○ इस योजना के माध्यम से देश में फिश फिंगरिंग, पोस्ट लार्वा झींगा तथा केकड़े के निश्चित स्तर पर उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु हैचरी और रियरिंग (rearing) पोंड की स्थापना की सुविधा प्रदान की जाएगी।

2.9. गुणवत्ता दुग्ध कार्यक्रम

(Quality Milk Programme)

उद्देश्य	
• दुग्ध की घरेलू खपत के लिए वैश्विक (कोडेक्स) मानकों को प्राप्त करना और दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के साथ-साथ विश्व निर्यात में उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि करना। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में भारत की विश्व डेयरी निर्यात बाजार में केवल 0.01% हिस्सेदारी है। • सभी सहकारी डेयरी संयंत्रों को अपने उपभोक्ताओं को सभी सूक्ष्मजैविकी/ रासायनिक मानकों पर परीक्षण किए गए गुणवत्ता युक्त दुग्ध की आपूर्ति करने में सक्षम बनाना।	• पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने जुलाई, 2019 में **'गुणवत्ता दुग्ध कार्यक्रम' प्रारंभ** किया था। • वर्ष 2019-20 के दौरान इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में, **दुग्ध** में मिलावट (यूरिया, माल्टोडेक्सट्रिन, अमोनियम सल्फ़ेट, डिटर्जेंट, शुगर, न्यूट्रलाइज़र आदि) का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NDPP) योजना के तहत 231 डेयरी संयंत्रों को साधनों से सुसज्जित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। • फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड (FTIR) प्रौद्योगिकी-आधारित **दुग्ध विश्लेषक** (दुग्ध की संरचना और मिलावट का सही पता लगाने एवं आकलन करने के लिए) को स्वीकृति प्रदान की गई है। • इसके अतिरिक्त 18 राज्यों में प्रत्येक के लिए एक-एक केंद्रीय प्रयोगशाला को अनुमोदित किया गया है।

2.10. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission: NLM)	• इसमें पशुधन का संधारणीय विकास सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यह गुणवत्तापूर्ण पशु-आहार एवं चारे की उपलब्धता में सुधार पर भी केंद्रित है। • **NLM के तहत उप-मिशन:** पशुधन विकास पर उप-मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूअर विकास पर उप-मिशन, पशु-आहार तथा चारा विकास पर उप–मिशन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार पर उप-मिशन।
मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund: FIDF)	• **वित्त पोषण:** अनुमोदित प्रस्ताव के तहत 7,522 करोड़ रूपये के अनुमानित कोष का प्रावधान किया गया है, जिसमें से अधिकांश योगदान नोडल ऋणदाता निकायों (NLEs) द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के योगदान को भी इसमें शामिल किया गया है, साथ ही भारत सरकार की ओर से बजटीय समर्थन भी प्रदान किया जाएगा। • **प्रमुख ऋणदाता निकायों (NLE):** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और सभी अनुसूचित बैंक प्रमुख ऋणदाता निकाय होंगे। • **वित्तीय निवेश गतिविधियां:** मत्स्य पालन विकास की चिन्हित निवेश गतिविधियों के लिए मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) अवसंरचना विकास कोष (FIDF) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य संस्थाओं, सहकारी समितियों, व्यक्तियों एवं उद्यमियों आदि को रियायती वित्त प्रदान करेगा।

VISION IAS

ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Control and Eradication of Glanders)	• ग्लैंडर्स घोड़े, गधे और खच्चर सहित **अश्व प्रजाति (equines)** में होने वाला एक संक्रामक तथा घातक रोग है। यह रोग **मनुष्यों** को भी हो सकता है। • यह रोग **बैक्टीरियम** बुर्खोलडेरिया मल्लेई (bacterium Burkholderia mallei) के कारण होता है तथा इस रोग हेतु कोई **टीका** उपलब्ध नहीं है। • कार्य योजना के अनुसार, संक्रमित जानवर को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। पूर्ण रूप से आवश्यक होने पर, प्रभावित जानवर को समाप्त करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चयन करके बंद साधनों के माध्यम से निपटान किया जा सकता है। शवों के निस्तारण और निपटान के दौरान सभी चिड़िया घरों द्वारा स्वच्छता संबंधी उपायों का पालन किया जाना आवश्यक हैं।

3. आयुष मंत्रालय

(Ministry of Ayush)

3.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन

(National Ayush Mission: NAM)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के माध्यम से एक सार्वभौमिक पहुंच के साथ लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना। • राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना। • उत्तम कृषि पद्धतियों (गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज) को अपनाकर औषधीय पादपों की कृषि में सहायता प्रदान करना। • कृषि, वेयरहाउसिंग, मूल्य संवर्द्धन और विपणन के अभिसरण द्वारा समूहों की स्थापना में सहायता तथा उद्यमियों के लिए अवसंरचना का विकास करना।	• यह वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसे वर्ष 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। • आयुष, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल की एक परंपरागत प्रणाली है, जिसमें **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा तथा होम्योपैथी** शामिल हैं। • इस मिशन के घटक: ○ **अनिवार्य घटक (रिसोर्स पूल का 80%)** ▪ आयुष सेवाएं {आयुष सुविधाओं की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) के साथ सह-स्थापना} ▪ आयुष शैक्षणिक संस्थान। ▪ ASU &H औषधियों और औषधीय पौधों का गुणवत्ता नियंत्रण। ▪ **स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम:** योग और परामर्श के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करना। ○ **लचीले (Flexible) घटक (रिसोर्स पूल का 20%)** ▪ योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र। ▪ IEC गतिविधियाँ। ▪ टेली-मेडिसिन। ▪ औषधीय पौधों के लिए फसल बीमा। ▪ सार्वजनिक निजी साझेदारी का प्रावधान और निजी आयुष शैक्षिक संस्थानों के लिए ब्याज सब्सिडी घटक। • **निगरानी और मूल्यांकन:** केंद्र/राज्य स्तर पर समर्पित MIS निगरानी और मूल्यांकन इकाई (सेल) स्थापित की जाएगी। • **आयुष ग्राम:** प्रति ब्लॉक से एक गांव का चयन किया जाएगा, विशेषकर जहां आयुष आधारित जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा रहा है। • आयुष मंत्रालय के द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के 10% स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) के संचालन का निर्णय लिया गया है। • इसलिए, NAM के तहत 1,032 आयुष औषधालयों को

VISION IAS

	आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। • औषधीय पौधों की कृषि हेतु किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

3.2. आयुष दवाओं की निगरानी को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक योजना

(Central Sector Scheme For Promoting Pharmacovigilance of Ayush Drugs)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों के लिखित साक्ष्य रखने की संस्कृति विकसित करना तथा इनकी सुरक्षात्मक निगरानी करने के साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए जाने वाले भ्रामक विज्ञापनों का अनुवीक्षण करना।	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • यह नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर (NPvCC), इंटरमीडियरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर (IPvCCs) और पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स (PPvCC) का एक त्रि-स्तरीय नेटवर्क है। • नई दिल्ली स्थित **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान**, आयुष मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है, जिसे इस पहल के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के समन्वय हेतु NPvCC के रूप में नामित किया गया है।

3.3. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजना	प्रमुख विशेषताएं
मिशन मधुमेह	• गैर-संक्रामक रोग मधुमेह का नियंत्रण एवं लागत प्रभावी उपचार प्रदान करना। • वर्ष 2016 में लॉन्च की गई, यह योजना संपूर्ण देश में आयुर्वेद के माध्यम से मधुमेह के प्रभावी प्रबंधन हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए **राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल** के माध्यम से लागू की जाएगी।
स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम	• गाँवों में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना। साथ ही, घरेलू परिवेश और पर्यावरण की सफाई के बारे में जागरुकता का प्रसार करना। स्वास्थ्य संवर्द्धन और स्वास्थ्य शिक्षा हेतु रैलियों, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से व्यापक प्रचार, जिसमें व्यक्तिगत, पर्यावरण तथा सामाजिक स्वच्छता के संबंध में जागरुकता के प्रसार पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।
ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL)	• **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में भारतीय पारंपरिक औषधीय ज्ञान के दुरुपयोग को कम कर बायो-पायरेसी को प्रतिबंधित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण प्रणालियों के निर्देशानुसार इस पारंपरिक ज्ञान को वर्गीकृत करना। • यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और आयुष मंत्रालय की एक सहयोगी परियोजना है। • TKDL के तहत लगभग 1,250 सूत्रीकरण (formulations) को शामिल किया गया है, जिन्हें स्थानीय भाषाओं (जैसे- संस्कृत, उर्दू, तमिल आदि) में मौजूद भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों से प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन्हें अंग्रेजी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में डिजिटाइज्ड सर्चेबल डेटाबेस में परिवर्तित किया गया है।
राष्ट्रीय आयुष ग्रिड परियोजना (National AYUSH Grid	• इसे सभी स्तरों, यथा- अनुसंधान, शिक्षा, योजना और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्वास्थ्य

Project)	सेवा वितरण के विकास के लिए आयुष क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिक (IT) को शामिल करने हेतु प्रारंभ किया गया है। • मंत्रालय द्वारा आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (A-HMIS), योग लोकेटर एप्लीकेशन, टेलीमेडिसिन आदि जैसी कई पायलट परियोजनाओं को प्रारम्भ किया गया है, जिन्हें पायलट अवधि पूर्ण होने के पश्चात् आयुष ग्रिड परियोजना में विलय कर दिया जाएगा।
एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान योजना (Scheme for Integrated Health Research: SIHR)	• SIHR को नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया (AGNI प्लेटफॉर्म) के सहयोग से तैयार किया गया है। • **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य शोध आधारित एकीकृत प्रथाओं के माध्यम से आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुष प्रणालियों के एकीकरण संबंधी अप्रयुक्त लाभों को प्राप्त करना है।

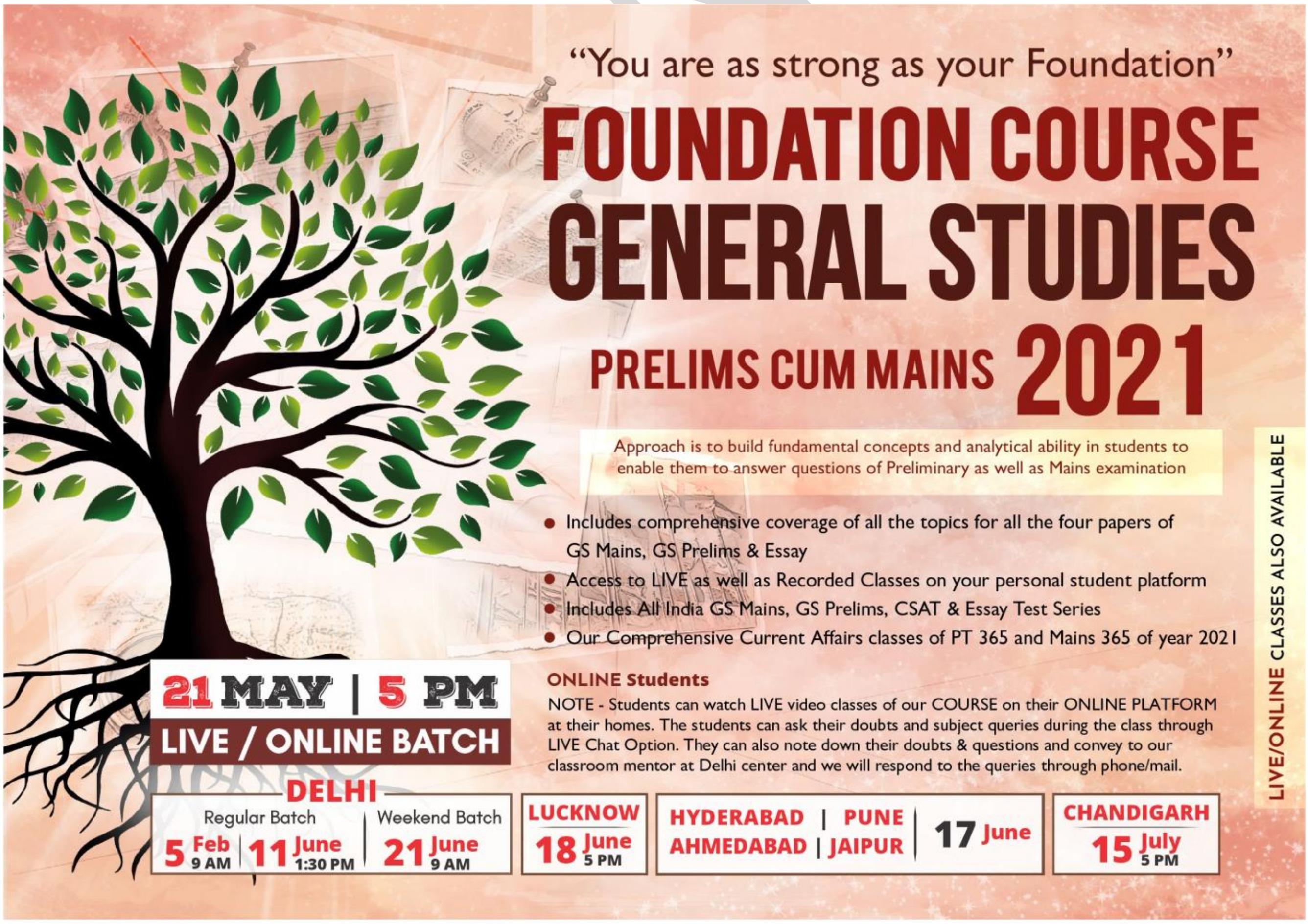

4. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(Ministry of Chemicals and Fertilizers)

4.1. उर्वरक विभाग

(Department of Fertilisers)

4.1.1. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

(Nutrient Based Subsidy Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसे उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने, कृषि उत्पादकता में सुधार करने, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और सब्सिडी के बोझ को कम करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।	• पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) नीति के तहत **सब्सिडी की एक निश्चित राशि को वार्षिक तौर पर सब्सिडी प्राप्त फॉस्फेटिक एवं पोटैसिक (P&K)** उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उसके **पोषक तत्व के आधार** पर प्रदान किया जाता है। • इस योजना के तहत फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों के **अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)** के निर्धारण को मुक्त रखा गया है तथा निर्माताओं/आयातकों/विपणकों को उचित स्तर पर इन उर्वरकों के MRP नियत करने की अनुमति प्रदान की गयी है। • MRP का निर्धारण P&K उर्वरकों के **अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों, विनिमय दरों तथा देश में इनके भंडार के स्तर** को ध्यान में रखकर किया जाएगा। • P&K उर्वरकों के 22 ग्रेड नामतः DAP, MAP, TSP, MOP, अमोनियम सल्फेट, SSP तथा NPKS के 16 ग्रेड [नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और सल्फर (S)] जैसे जटिल उर्वरकों को NBS नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है। • हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने **NBS योजना के तहत अमोनियम फॉस्फेट** नामक एक जटिल उर्वरक को शामिल करने हेतु भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

4.1.2. भारत में यूरिया सब्सिडी

(Urea Subsidy in India)

- यूरिया सब्सिडी **उर्वरक विभाग की केंद्रीय क्षेत्रक योजना का एक भाग है।**
- किसानों को यूरिया वैधानिक रूप से अधिसूचित **अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)** पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- यूरिया इकाइयों द्वारा खेत पर ही उर्वरकों के वितरण की लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के मध्य अंतर को भारत सरकार यूरिया निर्माता / आयातक को सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। इसमें देश भर में **यूरिया के संचरण हेतु माल-भाड़ा सब्सिडी भी सम्मिलित है।**
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के कारण किसान द्वारा वहनीय MRP पर यूरिया की खरीद की जा रही है।

4.1.3. सिटी कम्पोस्ट स्कीम

(City Compost Scheme)

• स्वच्छ भारत मिशन को समर्थन प्रदान करना तथा किसानों को सब्सिडीकृत मूल्यों पर सिटी कम्पोस्ट खाद उपलब्ध कराना।	• इस योजना के तहत प्रति टन सिटी कंपोस्ट (शहरी अपशिष्ट से बनने वाली खाद) पर **बाजार विकास सहायता** के रूप में 1,500 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सिटी कंपोस्ट के उत्पादन और उपयोग में

VISION IAS

	वृद्धि करना है। • **उर्वरक कंपनियों और विपणन संस्थाओं** के माध्यम से सिटी कंपोस्ट के विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कंपनियों द्वारा गांवों को भी गोद लिया जाएगा। • इस हेतु एक उचित **BIS मानक/इको-मार्क** के माध्यम से किसानों तक पर्यावरण अनुकूल गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

4.2. औषध विभाग

(Department of Pharmaceuticals)

4.2.1. चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना

(Scheme for Promotion of Medical Device Parks)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसका उद्देश्य राज्यों के साथ भागीदारी करते हुए देश में चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना है।	• इन योजनाओं को 2020-21 से 2024-25 तक राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (State Implementing Agency: SIA) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। • राज्यों को प्रति पार्क अधिकतम 100 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। • 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए साझा अवसंरचना सुविधा केंद्रों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। • इससे देश में चिकित्सा उपकरणों की विनिर्माण लागत कम होना अपेक्षित है। **नोट:** भारत अपनी चिकित्सा उपकरणों की कुल घरेलू मांग के 85% तक के लिए आयात पर निर्भर है।

4.2.2. बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन

(Promotion of Bulk Drug Parks)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राज्यों के साथ मिलकर भारत में **3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स** विकसित करना। • देश में थोक औषधि **(बल्क ड्रग)** की विनिर्माण लागत और **बल्क ड्रग** के लिए अन्य देशों पर निर्भरता को कम करना।	• प्रत्येक बल्क ड्रग पार्क के लिए भारत सरकार राज्यों को अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी। • पार्कों में विभिन्न साझा सुविधाएं होंगी, जैसे- घोलक संयंत्र, आसवन संयंत्र, विद्युत और भाप संयंत्र, साझा उत्सर्जन शोधन संयंत्र आदि। • यह योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाने वाली राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। • इस योजना के लिए **आगामी 5 वर्षों हेतु 3,000 करोड़ रुपये** की राशि स्वीकृत की गई है। मात्रा के आधार पर भारतीय दवा उद्योग विश्व का **तीसरा** सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल उद्योग है। इस उपलब्धि के बावजूद भारत मूलभूत कच्ची सामग्री (जैसे- दवाओं के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली थोक औषधियाँ) के लिए आयात पर निर्भर है। कुछ विशेष बल्क ड्रग के मामले में आयात पर निर्भरता 80 से 100 प्रतिशत तक है।

VISION IAS

4.2.3. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (KSMs/ड्रग इंटरमीडिएट्स और APIs के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए)

{Production Linked Incentive Scheme (For Promotion of Domestic Manufacturing of Critical Ksms/Drug Intermediates and APIS)}

(इसी नाम से MeitY द्वारा भी एक योजना लॉन्च की गई है।)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
इस योजना का उद्देश्य अति महत्वपूर्ण KSMs/ड्रग इंटरमीडिएट सामग्री और APIs में बृहद् निवेश को आकर्षित करने के माध्यम से घरेलू विनिर्माण/उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे KSMs/ड्रग इंटरमीडिएट सामग्री और APIs उत्पादन में अन्य देशों पर भारत की निर्भरता में कमी आएगी।	• चिन्हित 53 अति महत्वपूर्ण बल्क ड्रग्स के अर्ह विनिर्माताओं को आगामी 6 वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो उत्पादन वृद्धि पर आधारित होगी तथा इसके लिए वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष माना जाएगा। • 53 चिन्हित बल्क ड्रग्स में से 26 किण्वन पर और 27 रसायन संश्लेषण पर आधारित बल्क ड्रग्स हैं। • किण्वन आधारित बल्क ड्रग्स के लिए छूट की दर 20% (विक्रय में वृद्धि के आधार पर) तथा रसायन संश्लेषण आधारित बल्क ड्रग्स के लिए यह दर 10% होगी। • यह योजना **औषध विभाग द्वारा नामित की जाने वाली परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। • **आगामी 8 वर्षों** के लिए **6,940 करोड़ रुपये** की राशि स्वीकृत की गई है।

4.2.4. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु)

{Production Linked Incentive (PLI) Scheme (For Promoting Domestic Manufacturing of Medical Devices)}

(इसी नाम से MeitY द्वारा भी एक योजना लॉन्च की गई है।)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बृहद् निवेश को आकर्षित करके स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है।	• स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक फॉर्मास्यूटिकल्स विभाग द्वार नामित की जाने वाली एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
	• इस योजना के अंतर्गत आधार वर्ष 2019-20 के दौरान पहचाने गए चिकित्सा उपकरण खंडों पर वृद्धिशील बिक्री के **5%** की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
	• इसका लक्ष्य, चिकित्सा उपकरणों की निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत **लगभग 25-30 विनिर्माताओं** को सहायता प्रदान करना है:
	  ○ **कैंसर** देखभाल/रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण;
	  ○ **रेडियोलॉजी और प्रतिबिंबन (imaging) चिकित्सा उपकरण;** एवं
	  ○ नाभिकीय प्रतिबिंबन उपकरण।
	• इससे पांच वर्ष की अवधि में 68,437 करोड़ रूपये का अनुमानित वृद्धिशील उत्पादन होगा।

4.2.5. प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना

(Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana): PMBJP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• सभी के लिए, विशेष रूप से निर्धन और वंचित वर्गों हेतु वहनीय कीमतों पर गुणवत्तायुक्त दवाएँ उपलब्ध कराना। • प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि के व्यापक विशिष्ट केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्ययों में कटौती करना।	• प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (PMBJKs) को **जेनेरिक दवाएँ प्रदान** करने के लिए स्थापित किया गया है। ये दवाएँ गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के समान होती हैं किंतु उनसे कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। • शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से **जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरुकता का प्रसार करना** ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने। • राज्य सरकारें या कोई संगठन/प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन/ट्रस्ट/निजी अस्पताल/धर्मार्थ संस्थान/डॉक्टर/अनियोजित फार्मासिस्ट/व्यक्तिगत उद्यमी 'PMBJK' के नए केंद्र स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। • किसी सरकारी अस्पताल परिसर में जनऔषधि केंद्र की स्थापना करने वाले NGOs/एजेंसियों/व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही, इसकी स्थापना हेतु ऑपरेटिंग एजेंसी को सरकार द्वारा अस्पताल परिसर में नि:शुल्क स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा। • कार्यान्वयन एजेंसी: **ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (BPPI)** • **जन औषधि सुविधा:** PMBJP के तहत केंद्र द्वारा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की गई है। इसकी सहायता से वंचित महिलाओं के लिए 'स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा' को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसका विनिर्माण BPPI द्वारा किया जा रहा है।

4.2.6. औषध उद्योग के विकास हेतु योजना

(Scheme for Development of Pharmaceutical Industry)

उद्देश्य	विशेषताएं
घरेलू औषध उद्योग की दक्षता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर देश में **औषधि सुरक्षा** सुनिश्चित करना।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 480 करोड़ रूपये है। • इसकी उप-योजनाएँ निम्नलिखित हैं: ○ **सामान्य सुविधा केंद्र हेतु बल्क ड्रग उद्योग की सहायता योजना:** राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किसी भी आगामी बल्क ड्रग पार्क में, सामान्य सुविधा केंद्र के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता (अधिकतम 100 करोड़ रूपये प्रति CFC या लागत का 70% इनमें से जो भी कम हो) प्रदान की जाएगी । ○ **सामान्य सुविधा केंद्र हेतु चिकित्सा उपकरण उद्योग की सहायता योजना:** राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किसी भी आगामी मेडिकल डिवाइस पार्क में सामान्य सुविधा केंद्र के निर्माण हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता (अधिकतम 25 करोड़ रूपये प्रति CFC या लागत का 70%, जो भी कम हो) प्रदान की जाएगी। ○ **औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना:** लघु और मध्यम औषध उद्यम (SMEs) को उनके संयंत्र एवं मशीनरी का उन्नयन करने हेतु सहायता प्रदान करना। इसमें 250 औषध SMEs को ब्याज अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। ○ **क्लस्टर विकास के लिए सहायता योजना:** मौजूदा औषध क्षेत्र के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP-PS) को इस अंब्रेला योजना के तहत समाविष्ट किया गया है। इसमें 20 करोड़ या परियोजना की लागत का 70% इनमें से जो भी कम हो अनुदान के रूप में

	सहायता प्रदान की जाती है। ○ **औषधि संवर्धन विकास योजना:** वित्तीय सहायता के विस्तार के माध्यम से औषध क्षेत्र का संवर्धन एवं विकास और निर्यात को बढ़ावा देना।

4.2.7. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

फ़ार्मा जन समाधान	• यह औषधियों के मूल्य एवं उपलब्धता से संबंधित **उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक वेब आधारित प्रणाली** है। इसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा सृजित किया गया है। • यह **औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सशक्त ई-गवर्नेंस उपकरण के रूप में कार्य करेगा। • NPPA द्वारा शिकायत प्राप्ति के 48 घंटे की समयावधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
'फ़ार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप	• यह NPPA द्वारा विकसित की गयी एक मोबाइल ऐप है। यह NPPA द्वारा विभिन्न अनुसूचित औषधियों के लिए **निर्धारित MRP को रियल-टाइम आधार** पर प्रदर्शित करती है।

4.3. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

4.3.1. प्लास्टिक पार्क स्कीम

(Plastic Parks Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्लास्टिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश में वृद्धि करना, पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास और क्षमताओं को सुदृढ करने के लिए क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को अपनाना तथा प्लास्टिक के आयात को कम करना।	• इसकी **परिकल्पना राष्ट्रीय प्लास्टिक पार्क नीति, 2010** में की गई थी। इस नीति को वर्ष 2013 में संशोधित किया गया। • यह योजना **आवश्यकता आधारित "प्लास्टिक पार्क"** की स्थापना का समर्थन करती है। ये पार्क आवश्यक अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त परिवेश होंगे तथा साथ ही यह योजना, इस क्षेत्रक की मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने तथा अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी रूप से योगदान देने हेतु सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता हेतु सहायता करती है। • **वित्तपोषण पैटर्न:** केंद्र द्वारा 50% राशि (40 करोड़ प्रति योजना की निर्धारित सीमा के तहत) का योगदान किया जाएगा और शेष योगदान राज्य सरकार या राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा सृजित SPV द्वारा किया जाएगा।

VISION IAS

5. नागर विमानन मंत्रालय

(Ministry of Civil Aviation)

5.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/क्षेत्रीय संपर्क योजना:

{Ude Desh Ka Aam Naagrik (Udan)/Regional Connectivity Scheme (RCS)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• एयरलाइन परिचालन हेतु सहायता प्रदान कर क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को वहनीय एवं सुगम बनाना/बढ़ावा देना।
• इसके लिए निम्नलिखित द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी:
  ○ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हवाईपत्तन संचालकों द्वारा रियायत; एवं
  ○ वित्तीय समर्थन (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण)
• **मौजूदा हवाई पट्टियों और विमानपत्तनों के पुनरुद्धार** द्वारा गैर-सेवारत तथा असेवित क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।
  ○ असेवित (Under-served) विमानपत्तन वे होते हैं जहाँ एक सप्ताह में 7 से अधिक उड़ानें उपलब्ध नहीं होती हैं (प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 14), जबकि गैर-सेवारत हवाई अड्डे वे होते हैं जहां कोई अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें उपलब्ध नहीं होती हैं।
  ○ मंत्रालय का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 1,000 मार्गों और 100 से अधिक विमानपत्तनों के परिचालन को प्रारम्भ करना है।
	• **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** इसका **कार्यान्वयन प्राधिकरण** है।
	• यह **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016** का एक प्रमुख घटक है।
	• यह योजना (योजना संस्करण 1.0 की अधिसूचना की तिथि से) 10 वर्ष तक की अवधि के लिए परिचालन में बनी रहेगी।
	• क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को विकसित करने के लिए इसमें एक **अद्वितीय मांग एवं बाजार-आधारित मॉडल** को अपनाया गया है। RCS केवल उन राज्यों में और विमानपत्तनों/एयरोड्रमों/हेलीपैडों पर परिचालन में बना रहेगा, जहां इस योजना के तहत आवश्यक रियायत प्रदान कर इस योजना के प्रति प्रतिबद्धता और समर्थन प्रदान किया जाएगा।
	• क्षेत्रीय उड़ानों में हवाई किराया, एक विमान पर लगभग 500 कि.मी. के लिए या हेलीकाप्टर पर 30 मिनट के लिए 2,500 रूपये प्रति घंटा तक निर्धारित किया गया है।
	• एयरलाइंस को रियायती दरों पर 50% सीटें (न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 UDAN सीटें) प्रदान करनी होती हैं। शेष 50% सीटों का मूल्य बाजार दर पर निर्धारित किया जाता है। हेलिकॉप्टरों के लिए, यदि सीटें 13 या इससे कम हैं, तो RCS सीटों के रूप में 100% उपलब्ध करवाना आवश्यक है, लेकिन यदि क्षमता 13 से अधिक है, तो अधिकतम 13 को RCS सीटें माना जाएगा।
	• इस योजना के तहत RCS मार्गों के लिए चयनित ऑपरेटरों को **रियायतें और व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding: VGF) के रूप में सहायता** प्रदान की जाएगी।
	  ○ इसके तहत केंद्र द्वारा घरेलू एयरलाइंस की प्रत्येक प्रस्थान करने वाली उड़ान पर 8,500 रुपये तक का शुल्क (levy) अधिरोपित कर राशि संग्रहित की जाएगी तथा VGF का 80% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और शेष 20% संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाएगा (पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 10% है)।
	    ▪ इस उद्देश्य के लिए **रीजनल कनेक्टिविटी फंड** का सृजन किया जाएगा।
	  ○ हालांकि, राज्य RCS मार्गों और लक्षद्वीप विशिष्ट मार्ग के रूप में वर्गीकृत किए गए मार्गों के लिए, राज्य सरकारें तथा गृह मंत्रालय क्रमशः इस योजना के तहत VGF के 100% की प्रतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।
	  ○ **राज्य सरकारों** को निःशुल्क सुरक्षा और अग्नि सेवा, रियायती दरों पर सुविधाएँ, RCS विमानपत्तनों के लिए निःशुल्क भूमि आदि प्रदान करना होगा।
	  ○ **विमानपत्तन/एयरोड्रम/हेलीपैड ऑपरेटर:** RCS के तहत उड़ान हेतु कोई

	लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क आरोपित नहीं किए जाएंगे। • यदि RCS के तहत परिचालनों के लिए विमानपत्तनों / वाटर एरोड्रमस / हेलीपैड पर बुनियादी ढांचे के किसी भी पुनर्सुधार / उन्नयन की आवश्यकता होती है, तो AAI द्वारा संबंधित राज्य सरकार / विमानपत्तन / वाटर एरोड्रमस / हेलीपैड ऑपरेटर से आवश्यक लागत भुगतान को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि स्वामित्व में परिवर्तन नहीं होगा। • पिछले 3 दौर (राउंड) में, लगभग 700 RCS मार्ग प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 106 विमानपत्तनों और 31 हेलिपोर्टों का निर्माण तथा 232 RCS मार्गों का संचालन किया जा चुका है। • हाल ही में, **UDAN के लिए चौथे दौर की बोली को प्रारंभ** किया गया है ताकि सुदूरवर्ती एवं प्रादेशिक क्षेत्रों में संपर्क को बढ़ाया जा सके तथा विमानपत्तनों का विकास और लंबित मार्गों का संचालन किया जा सके। ○ इसके तहत पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर तथा द्वीप समूह जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। (गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की तुलना में प्रति सप्ताह 3-14 उड़ानें उपलब्ध हो सकेंगी जहां अभी प्रति सप्ताह 3-7 उड़ानें उपलब्ध हैं) ○ **व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (VGF) की उच्चतम सीमा में संशोधन:** ▪ **श्रेणी 2/3 वाले विमानों** (20 सीटों से अधिक) के लिए VGF का प्रावधान अब उन सभी उड़ानों तक बढ़ा दिया गया है जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संचालनरत होंगी। ▪ **श्रेणी 1/1A वाले विमानों (20 सीटों से कम)** के माध्यम से संचालन के लिए दूरी से संबंधित विभिन्न चरण की लंबाइयों के लिए लागू VGF की उच्चतम सीमा को भी संशोधित किया गया है। ○ **लघु-ढुलाई वाले मार्गों को प्रोत्साहन:** श्रेणी 2/3 वाले विमान के संचालन के लिए 600 किलोमीटर तक की दूरी वाले मार्गों के लिए VGF के प्रावधान प्रतिबंधित होंगे। ○ **VGF के अधिनिर्णय के लिए स्पष्ट परिभाषित प्राथमिकता फ्रेमवर्क:** प्राथमिकता का अवरोही क्रम होगा: AAI द्वारा पहले से विकसित किए गए विमानपत्तन, इसके पश्चात् वे विमानपत्तन जो उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं हैं, लेकिन प्राथमिकता क्षेत्र/क्षेत्रों में स्थित हैं, इसके पश्चात् प्राथमिकता क्षेत्र/क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थित विमानपत्तन। ○ चयनित एयरलाइन ऑपरेटर द्वारा उड़ानों की आवृत्ति को परिवर्तित करने के संबंध में लचीलापन प्रदान किया गया है, बशर्ते कि कुल निर्धारित उड़ानें 1 वर्ष की अवधि के भीतर संचालित की जाएं। ○ यह हेलीकॉप्टर और समुद्री विमानों के संचालन की अनुमति प्रदान करेगा।

5.2. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजनाएँ	प्रमुख विशेषताएं
डिजी यात्रा प्लेटफ़ॉर्म	• यह विमान पत्तन पर यात्रियों के प्रवेश एवं संबंधित आवश्यकताओं के लिए **बायोमेट्रिक-आधारित** डिजिटल प्रसंस्करण प्रणाली है। • यह विमान पत्तन पर स्थित विभिन्न चेक पॉइंट्स पर कागज़-रहित (पेपरलेस) यात्रा तथा पहचान की

	जाँच से बचने को सुविधाजनक बनाता है। इसके तहत प्रत्येक यात्री को एक विशिष्ट डिजी यात्रा ID प्रदान की जाएगी।
नभ (भारत के लिए अगली पीढ़ी के विमान पत्तन)	• इसका उद्देश्य प्रति वर्ष एक बिलियन ट्रिप्स का भार सँभालने के लिए **विमान पत्तनों की क्षमता** में 5 गुना से अधिक विस्तार करना है। • इसका उद्देश्य 4 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से **15 वर्षों में लगभग 100 विमानपत्तनों को स्थापित करना** है तथा इसके लिए आवश्यक निवेश का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र से प्राप्त होगा।
कृषि उड़ान	• इसकी घोषणा 2020-21 के बजट में की गई थी। हालांकि, अभी इसे प्रारम्भ किया जाना शेष है। • नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान को प्रारम्भ किया जाएगा। • कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी जिलों में मूल्य प्राप्ति (कृषि उत्पादों पर) को बेहतर बनाने में सहायता करेगा।

6. कोयला मंत्रालय

(Ministry of Coal)

6.1. शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांस्पैरेंटली इन इंडिया) योजना

(Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India: SHAKTI Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तरीके से कोयला उपलब्ध कराना तथा साथ ही यह सुनिश्चित करना कि कोल लिंकेज (या आपूर्ति) का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके।	• विद्युत कंपनियाँ (कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति) • उपभोक्ता (विद्युत लागत में कमी) • स्वदेशी कोयला क्षेत्रक (आयातित कोयले में कमी) • बैंकिंग क्षेत्रक (NPAs में कमी)	• SHAKTI मूल रूप से एक कोल लिंकेज नीति है, जो उन विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज (या आपूर्ति) प्रदान करती है, जिनके पास कोयले की नीलामी के माध्यम से ईंधन आपूर्ति समझौतों (Fuel Supply Agreements: FSAs) का अभाव है। ○ इसका उद्देश्य कोल लिंकेज को युक्तियुक्त बनाना है, जिसका अर्थ है- उन खानों से कोयले की खरीद करना जो विद्युत संयंत्र या अन्य गतिविधियों के अधिक निकट स्थित हैं तथा जो अत्यधिक आर्थिक लाभ को प्रोत्साहित करती हैं। • कोयला लिंकेज **राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों** (डिस्कॉम) को आबंटित किए जाएंगे। बदले में, वे इन लिंकेज को ताप विद्युत संयंत्रों को प्रदान करेंगे। • राज्य/केंद्रीय उत्पादक संयंत्रों में कोयले के उपयोग संबंधी निर्णायक मापदंड में निम्नलिखित शामिल होंगे: संयंत्र की दक्षता, कोयला परिवहन लागत, प्रेषण शुल्क और विद्युत की समग्र लागत। • निजी स्वामित्व वाले स्वतंत्र विद्युत संयंत्रों (IPPs) को कोल लिंकेज के लिए बोली लगानी होगी। बोली लगाने का आधार कोयला स्रोत की अवस्थिति, कोयले की मात्रा, विद्युत की मात्रा और उनके द्वारा उत्पादित विद्युत के वितरण बिंदु होंगें। • पूर्व में, कोल लिंकेज प्राप्त करने के लिए विद्युत खरीद समझौते (PPAs) आवश्यक थे। लेकिन वर्तमान में सरकार ने पी. के. सिन्हा समिति की सिफारिशों के अनुसार SHAKTI के तहत इन मानदंडों को उदार बना दिया है। • अब, जिन विद्युत संयंत्रों के पास PPAs नहीं हैं उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड से नीलामी के माध्यम से कोल लिंकेज प्राप्त हो सकेंगे, जिससे इस क्षेत्र में तनाव कम करने में सहायता मिलेगी।

6.2. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

उत्तम (Unlocking Transparency By Third Party Assessment Of Mined Coal) ऐप	• **कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** द्वारा उत्तम ऐप को विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है - **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सभी सहायक कंपनियों में तीसरे पक्ष के द्वारा नमूना प्रक्रिया की सभी नागरिकों तथा कोयला उपभोक्ताओं द्वारा**

VISION IAS

	निगरानी करना। • यह एक इंटरैक्टिव **मानचित्र आधारित प्रणाली** है, जो गुणवत्ता संबंधी विभिन्न मानकों, यथा- घोषित सकल कैलोरी मान (Gross Calorific Value: GCV), विश्लेषित घोषित सकल कैलोरी मान तथा कवरेज संबंधी मानक, जैसे- स्थिति एवं नमूने के रूप में प्राप्त की गई मात्रा इत्यादि हेतु विभिन्न सहायक कंपनियों के पास विद्यमान कोयले की गुणवत्ता की समग्र कवरेज प्रदान करेगा।
कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (CMSMS)	• यह एक **वेब आधारित GIS एप्लीकेशन** है, जिसके माध्यम से अनधिकृत खनन स्थलों की स्थिति का पता लगाया जाएगा। • सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला मूल प्लेटफ़ॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) द्वारा प्रदान किया गया बेस मैप है, जो ग्रामीण स्तरीय सूचनाएं प्रदान करेगा।
खान प्रहरी	• यह अवैध कोयला उत्खनन से संबंधित गतिविधियों जैसे- रैट होल माइनिंग, चोरी इत्यादि की रिपोर्ट करने सम्बन्धी एक उपकरण है। • इसके तहत सिस्टम पर व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से घटना की जिओ-टैग तस्वीरों को अपलोड करने के साथ जानकारी भी प्रदान की जा सकेगी। • शिकायतकर्ता की पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा।
सतत विकास प्रकोष्ठ (Sustainable Development Cell: SDC)	• **कोयला मंत्रालय** ने खदानों के बंद होने के दौरान संधारणीय कोयला खनन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए SDC की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके द्वारा डेटा के संग्रह और विश्लेषण, योजना, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने आदि के संबंध में प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। • SDC द्वारा संधारणीय तरीके से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा किए गए शमन उपायों के संबंध में सुझाव, परामर्श, योजना और निगरानी का कार्य किया जाएगा। यह **खान बंदी कोष (Mine Closure Fund)** सहित पर्यावरणीय शमन उपायों के लिए भविष्य की नीतिगत रूपरेखा भी तैयार करेगा। • इस मामले में यह कोयला मंत्रालय के नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
प्रकाश (आपूर्ति में समन्वय के जरिये विद्युत रेल कोयला उपलब्धता) (Power Rail Koyla Availability through Supply Harmony: PRAKASH) पोर्टल	• इस पोर्टल का उद्देश्य सभी हितधारकों, यथा- विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत सेवाओं के मध्य कोयला आपूर्ति का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। यह ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। • यह पोर्टल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation: NTPC) द्वारा विकसित किया गया है तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, रेलवे सूचना प्रणाली और कोयला कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों से आँकड़े प्राप्त किए जाते हैं। • यह पोर्टल विद्युत संयंत्रों के लिए संपूर्ण कोयला आपूर्ति श्रृंखला का मानचित्रण और निगरानी करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। o आपूर्ति स्रोतों (खानों) पर कोयले का भंडार (स्टॉक); o नियोजित कोयले की मात्रा/रेक (rakes); o पारगमन में कोयले की मात्रा; और o विद्युत उत्पादक केन्द्रों पर कोयले की उपलब्धता। • **यह पोर्टल निम्नलिखित चार रिपोर्ट्स उपलब्ध कराएगा:** विद्युत संयंत्र की दैनिक स्थिति, विद्युत संयंत्र की आवधिक स्थिति, संयंत्र अपवाद रिपोर्ट (Plant Exception Report) एवं कोयला प्रेषण रिपोर्ट (Coal Dispatch Report)।

VISION IAS

7. वाणिज्य मंत्रालय

(Ministry of Commerce)

7.1. स्टार्ट अप इंडिया

(Start Up India)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश में नवाचार और स्टार्ट-अप्स के पोषण के लिए एक सुदृढ़ इको-सिस्टम का निर्माण करना।	• एक्शन प्लान **तीन स्तंभों** पर आधारित है- सरलीकरण और देखभाल, वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन, उद्योग-शिक्षा जगत सहभागिता तथा इन्क्यूबेशन। **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPI&IT)** (पूर्व में DIPP) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। • **सरलीकरण और देखभाल (हैंडहोल्डिंग):** ○ स्टार्ट-अप के लिए स्व-प्रमाणीकरण आधारित सरल अनुपालन व्यवस्था का विकास। ○ अनुपालन और सूचना विनिमय के लिए मोबाइल ऐप एवं पोर्टल की शुरुआत। ○ विकास के विभिन्न चरणों के दौरान स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने हेतु **स्टार्टअप इंडिया हब** को प्रारंभ करना। ○ निम्न लागत पर कानूनी सहायता और शीघ्र पेटेंट जाँच की सुविधा। ○ स्टार्ट-अप्स के लिए सार्वजनिक खरीद हेतु आसान मानदंड। ○ स्टार्ट-अप्स के लिये त्वरित निकासी नियम। • **अनुदान सहायता और प्रोत्साहन:** ○ स्टार्ट-अप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) को SIDBI द्वारा प्रबंधित 10,000 करोड़ रुपये के कोष के रूप में स्थापित किया गया है। सरकार SEBI के तहत पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) की पूँजी में भागीदारी करती है, जिन्हें **डॉटर फंड** के रूप में जाना जाता है, जो बदले में इक्विटी/इक्विटी-लिंक्ड साधनों के माध्यम से भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश करते हैं। ○ SIDBI के माध्यम से स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड। ○ **कर छूट:** ▪ यदि परिसंपत्ति खरीद हेतु पात्र स्टार्ट-अप में पूँजी का निवेश किया जाता है, तो आवासीय घर/भूखंड की बिक्री से उत्पन्न **पूंजीगत लाभ** पर कर छूट। ▪ यदि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित फंड में निवेश (अधिकतम निवेश 50 लाख रुपये) किया गया है तो **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर** कर छूट। ▪ **आयकर छूट:** निगमन के पश्चात् से 7 वर्षों में किन्हीं भी क्रमानुगत 3 वर्षों के लिए। ▪ **एंजेल टैक्स:** स्टार्ट-अप के फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक निवेश पर। नए नियमों के तहत, एक स्टार्ट-अप द्वारा जारी किए गए शेयरों के लिए समग्र निवेश 10 करोड़ रुपये की पूर्व की सीमा से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ○ हाल ही में, आयकर अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार, किसी स्टार्ट-अप की शेयर कैपिटल में न्यूनतम 50% धारिता या मतदान अधिकार संबंधी शर्त को 25% कर दिया गया है। • **उद्योग-शिक्षा जगत सहभागिता तथा इन्क्यूबेशन** ○ नवाचारों को प्रदर्शित करने और एक सहयोग मंच प्रदान करने हेतु स्टार्टअप उत्सव आयोजित करना। ○ नीति आयोग के स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेल्फ एम्पलायमेंट एंड यूटीलाईजेशन; SETU) कार्यक्रम के साथ अटल इनोवेशन मिशन (AIM) का शुभारंभ। ○ इनक्यूबेटरों को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का दोहन। ○ IIT मद्रास में रिसर्च पार्क सेट-अप मॉडल के आधार पर 7 नए शोध पार्कों की स्थापना करना। ○ इनक्यूबेटर के मध्य सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक इनक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज का

	आयोजन। • **स्टार्ट-अप की परिभाषा का विस्तार:** एक योग्य स्टार्ट-अप वह होगा जो सरकार के तहत पंजीकृत हो और जिसका निगमन **10 वर्ष पूर्व (पूर्व में 7 वर्ष) हुआ** हो और **उसका टर्नओवर उस अवधि में 100 करोड़ रुपये (पूर्व में 25 करोड़ रुपये) से अधिक न हो**। इसके अतिरिक्त, एक इकाई होनी चाहिए: ○ एक निजी लिमिटेड कंपनी या एक सीमित देयता भागीदारी। ○ 1 अप्रैल 2016 को या उसके पश्चात् लेकिन 1 अप्रैल 2021 से पूर्व निगमित।

7.2. चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना

(Champion Services Sector Scheme: CSSS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• क्षेत्रीय और नियामकीय सुधार, सेवा मानक, डेटा सुरक्षा आदि सहित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना। • प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान करना। • सेवाओं की व्यापक श्रृंखला में सेवा निर्यात को बढ़ावा देना। • कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार सृजन करना।	• यह वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक की अवधि के लिए केंद्रीय क्षेत्र **(वाणिज्य विभाग)** की एक अम्ब्रेला योजना है। • 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान उनके विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई है। उदाहरण के लिए: सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ (IT & ITeS), पर्यटन, कानूनी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं आदि। • इन क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों / विभागों को चिन्हित चैंपियन सेवा क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया है, जो प्रभावी रूप से अम्ब्रेला योजना CSSS के तहत संचालित उनकी क्षेत्रीय योजनाएँ होंगी। उदाहरणार्थ चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत IT & ITeS के लिए **नोडल मंत्रालय:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। • संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा मंत्रिमंडल सचिव के अधीन सचिवों की समिति (CoS) के समग्र मार्गदर्शन में कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र को भी अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। • चैंपियन क्षेत्रों की क्षेत्रीय कार्य योजना के लिए पहल को समर्थन प्रदान करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के एक समर्पित कोष को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

7.3. मेक इन इंडिया

(Make In India)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश स्थल, वैश्विक डिज़ाइन और विनिर्माण हब में परिवर्तित करना।	• "मेक इन इंडिया" पहल निम्नलिखित चार स्तंभों पर आधारित है: ○ **नई प्रक्रियाएँ:** यह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' की एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचान करता है। ○ **नई अवसंरचना:** सरकार औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट सिटी का विकास करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त विश्वस्तरीय अवसंरचना और उच्च गति वाली संचार व्यवस्था का निर्माण करने की इच्छुक है। तीव्र पंजीकरण प्रणाली और IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) पंजीकरण हेतु बेहतर अवसंरचना के जरिए नवाचार और अनुसंधान क्रियाकलापों को सहायता दी जा रही है। ○ **नए क्षेत्र:** रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण और रेलवे अवसंरचना को बड़े पैमाने पर FDI के लिए खोला गया है। ○ **नई सोच:** देश के आर्थिक विकास में उद्योग को भागीदार बनाने के लिए सरकार सहायक की भूमिका निभाएगी न कि विनियामक की। मेक इन इंडिया अभियान के लिए वर्ष 2014 में एक समर्पित इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल (IFC) का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य निवेश के

VISION IAS

	पूर्व के चरण और निवेश की अवधि से लेकर निवेश के उपरांत तक नियामकीय अनुमोदन, स्वीकृति और देखभाल सेवाओं के लिए निवेशकों की मदद करना है। • **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPI&IT) 15** विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है, जबकि **वाणिज्य विभाग 12** सेवा क्षेत्रों का समन्वय करता है।

7.4. निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना

(Trade Infrastructure for Export Scheme: TIES)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **निर्यात अवसंरचना (बुनियादी ढाँचे) में व्याप्त अंतराल को समाप्त** कर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना, केन्द्रित निर्यात अवसंरचना का सृजन, निर्यातोन्मुख परियोजनाओं हेतु फर्स्ट माइल और लास्ट माइल (शुरू से अंत तक) कनेक्टिविटी तथा गुणवत्ता और प्रमाणीकरण मानकों का निर्धारण करना।	• यह सीमावर्ती हाटों, कोल्ड चेन, ड्राई पोर्ट्स आदि जैसे निर्यात लिंकेज के साथ नवीन अवसंरचनाओं के सृजन तथा **मौजूदा अवसंरचनाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान** करेगा। • इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार की एक्ज़िम नीति के तहत **मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्द्धन परिषद, कमोडिटी बोर्ड्स, SEZ प्राधिकरण और शीर्ष व्यापार निकाय** सहित केंद्रीय और राज्य एजेंसियां **वित्तीय सहायता** प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। • **केंद्र सरकार द्वारा** किया जाने वाला **वित्त-पोषण अनुदान** सहायता के रूप में होगा, यह सामान्यत: कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई जा रही इक्विटी या परियोजना की कुल इक्विटी के 50% से अधिक नहीं होगा। (उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर सहित हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है)।

7.5. परिवहन एवं विपणन सहायता योजना

{Transport and Marketing Assistance (TMA) Scheme}

उद्देश्य	कवरेज	प्रमुख विशेषताएँ
• कृषि उपज के माल भाड़े एवं विपणन के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता उपलब्ध कराना।	• इस योजना के तहत विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्रासंगिक निर्यात संवर्धन परिषद में उचित विधि से पंजीकृत, उपयुक्त अथवा पात्र कृषि उत्पादों के सभी निर्यातकों को कवर किया जाएगा। • **निर्यात की वे श्रेणियां जो TMA के लिए पात्र नहीं हैं:** ○ SEZs/EOUs/EHTPs/ STPs/BTPs/FTWZs से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद; ○ ट्रांस-शिपमेंट के माध्यम से निर्यात, अर्थात् वह निर्यात जो तीसरे देश में उत्पन्न हो रहा है किन्तु उसका ट्रांस-शिपमेंट भारत से होकर किया जा रहा है; तथा ○ ई-कॉमर्स का उपयोग करके कूरियर या विदेशी डाकघरों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात।	• माल भाड़े की आंशिक प्रतिपूर्ति के रूप में TMA के तहत सहायता प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से नकद प्रदान कर उपलब्ध कराई जाएगी। • इस योजना में हवाई मार्ग के साथ-साथ समुद्री मार्ग (सामान्य एवं रेफ़्रीजरेटेड कार्गो) से किए जाने वाले निर्यात से संबंधित परिवहन एवं विपणन सहायता को भी शामिल किया जाता है। • इस योजना को विदेश व्यापार नीति (वर्ष 2015-20) में शामिल किया जाएगा। • FTP को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

VISION IAS

7.6. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजनाएँ	विशेषताएं
रोपण फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (Revenue Insurance Scheme for Plantation Crops)	• फसल बीमा तंत्र के माध्यम से रोपण फसलों (यथा- चाय, कॉफी, रबर, इलायची और तम्बाकू) के उत्पादकों को प्रतिकूल मौसम, कीटों के हमलों आदि के कारण होने वाली उपज क्षति के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू कीमतों में गिरावट के कारण होने वाली आय की क्षति के दोहरे जोखिमों से संरक्षण प्रदान करना। • इस योजना को चयनित बीमा कंपनियों के माध्यम से कमोडिटी बोर्ड द्वारा पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम और तमिलनाडु के आठ जिलों में **सितंबर 2016 से पायलट आधार पर दो वर्ष के लिए क्रियान्वयित किया गया था।**
राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवी से छूट (Rebate of State and Central Taxes and Levies: RoSCTL)	• RoSCTL योजना {जो वर्तमान में वस्त्र और निर्मित वस्तुओं (made-ups) के निर्यात पर उपलब्ध है} को अब चरणबद्ध तरीके से सभी निर्यातों पर भी लागू किया जाएगा। यह नई योजना मौजूदा **मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम** (MEIS) को प्रतिस्थापित करेगी। ज्ञातव्य है कि MEIS को अमेरिका ने विगत वर्ष WTO में चुनौती दी थी। • यह नई योजना स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय पावती-पत्रों (transferable scrips) के माध्यम से निर्यात आगतों पर शुल्क एवं अप्रत्यक्ष करों की प्रतिपूर्ति करेगी। पावती-पत्र एक प्रकार का प्रोत्साहन हैं जिनका उपयोग प्रशुल्कों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना (Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products: RoDTEP)	• सरकार ने निर्यातकों के लिए करों और शुल्कों (जैसे- मूल्य वर्धित कर, कोयला उपकर, मंडी कर, विद्युत शुल्क और परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला ईंधन, जिन्हें किसी भी अन्य मौजूदा तंत्र के तहत छूट या रिफंड नहीं किया जा रहा है) की प्रतिपूर्ति हेतु निर्यातकों के लिए "RoDTEP" हेतु एक नई योजना प्रारंभ की है। • RoDTEP वस्तुतः WTO के नियमों से सुसंगत एक योजना है जिसके तहत उत्पादन प्रक्रिया में निवेश पर अप्रत्यक्ष करों को प्रयुक्त किया जाता है। • यह MEIS के तहत विद्यमान अंतरालों की भी पूर्ति करेगी।
भारत से सेवा निर्यात योजना (Service Exports from India Scheme: SEIS)	• इसे पूर्व की एक योजना "सर्व्ड फ्रॉम इण्डिया स्किम" को प्रतिस्थापित करते हुए विदेश व्यापार नीति (FTP), 2015-20 के तहत शुरु किया गया था। • SEIS 'भारतीय सेवा प्रदाताओं' के बजाय 'भारत में अवस्थित **सेवा प्रदाताओं'** पर लागू होगी। इस प्रकार, SEIS **अधिसूचित सेवाओं** के सभी सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो सेवा प्रदाता के संगठन या रूपरेखा पर ध्यान दिये बिना भारत से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। • SEIS के तहत, अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को उनकी शुद्ध विदेशी मुद्रा आय पर 3 या 5% की दर से **ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया** जाता है। ये SEIS स्क्रिप हस्तांतरणीय हैं और इसका उपयोग कई केंद्रीय शुल्कों / करों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है जिसमें सीमा शुल्क शामिल है।
पूँजीगत वस्तु निर्यात प्रोत्साहन योजना (Export Promotion Capital Goods Scheme)	• यह **शून्य सीमा शुल्क** पर पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और उत्पादन पश्चात् पूंजीगत **वस्तुओं के आयात** (नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर) की अनुमति प्रदान करता है। • EPCG योजना के तहत आयात, **शुल्कों, करों और पूंजीगत वस्तुओं पर आरोपित**

	उपकर के 6 गुने के समतुल्य निर्यात बाध्यता के अधीन होगा, जिसे प्राधिकरण के जारी होने की तिथि से 6 वर्ष में पूरा किया जाएगा।
निर्यात बंधु योजना	• इसे **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को परामर्श प्रदान करने हेतु** वर्ष 2011 में विदेश व्यापार नीति 2009-14 के भाग के रूप में घोषित किया गया।
ई बिज (eBiz)	• निवेशकों और व्यवसायिकों को भारत में व्यवसाय प्रारंभ करने से संबंधित जानकारी और सेवाओं को प्राप्त करने में सामना की जाने वाली जटिलता को कम करने तथा सम्पूर्ण व्यवसाय चक्र के दौरान लाइसेंस एवं परमिट संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु **कुशल और सुविधायुक्त गवर्नमेंट टू बिजिनेस (G2B) सेवाएँ प्रदान करने के लिए 24x7 ऑनलाइन सिंगल-विंडो सिस्टम** के रूप में कार्य करेगा। • इसे **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPI & IT) के मार्गदर्शन एवं तत्वावधान में इनफ़ोसिस टेक्नोलाजी लिमिटेड (इंफोसिस)** द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
स्कीम फॉर IPR अवेयरनेस क्रिएटिव इंडिया ; इन्नोवेट इंडिया	• इसका उद्देश्य वर्ष 2017 से वर्ष 2020 में छात्रों, युवाओं, लेखकों, कलाकारों, उदीयमान अन्वेषकों और पेशेवरों के मध्य IPR जागरुकता को बढ़ाना है जिससे कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों सहित भारत भर के टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों में अपनी कृतियों और आविष्कारों के सृजन, नवाचार एवं संरक्षित करने में प्रेरणा प्राप्त हो सके। • इसे **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPI & IT) के मार्गदर्शन और तत्वावधान में सेल फॉर IPR प्रोमोशन एंड मैनेजमेंट (CIPAM)** द्वारा शुरू किया गया है।
परियोजना निगरानी समूह (Project Monitoring Group)	• यह DPIIT का एक संस्थागत तंत्र है जिसमें वृहत सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी सहित कई मुद्दों का समाधान किया जाता है। • घरेलू निवेश के मामले में **1,000 करोड़ रुपये** के निवेश और FDI परियोजनाओं के मामले में **500 करोड़ रुपये** के निवेश से जुड़े किसी परियोजना के प्रस्तावक, जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब का सामना करना पड़ रहा है, वे PMG के **"ई-सुविधा पोर्टल"** पर अपनी शिकायत दर्ज/अपलोड कर सकते हैं। • उपर्युक्त मौद्रिक सीमा से कम अनुमानित निवेश वाली परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के PMG पोर्टलों पर अपलोड किया जा सकता है, जहां ऐसी परियोजनाएं अवस्थित हैं। • DPIIT को चुनौतियों का सामना करने वाली सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए नोडल निकाय के रूप में अधिदेशित किया गया है तथा साथ ही, PMG के माध्यम से उनके समाधान को सुगम बनाया गया है। PMG इन्वेस्ट इंडिया में स्थित है। • **"इन्वेस्ट इंडिया"** एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है जिसके द्वारा निवेशकों को भारत में निवेश के अवसरों तथा विकल्पों की पहचान करने में सहायता प्रदान की जाती है। इसे DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक गैर-लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया है।
इन्टीग्रेट टू इन्नोवेट प्रोग्राम	• ऊर्जा कंपनियों के साथ साझेदारी में **DPIIT** के तहत इन्वेस्ट इंडिया ने ऊर्जा क्षेत्रक में स्टार्ट-अप्स के लिए 'इन्टीग्रेट टू इन्नोवेट प्रोग्राम' शुरू किया है। • यह कॉर्पोरेट परिसरों में स्थापित किए जाने वाले ऊर्जा स्टार्ट-अप्स के लिए **3 महीने का कॉर्पोरेट ऐक्सेलरेशन प्रोग्राम है।**

	• चयनित स्टार्ट-अप्स को निगमों के साथ अपने उत्पाद को संबद्ध करने के अवसर के साथ-साथ प्रति स्टार्टअप 5 लाख रूपये तक की नकद पुरस्कार राशि का अनुदान दिया जाएगा।
इन्वेस्ट इंडिया बिजनस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म (Invest India business immunity platform)	• **इन्वेस्ट इंडिया** द्वारा व्यवसायों और निवेशकों को भारत द्वारा COVID-19 (कोरोनावायरस) के संबंध में की जा रही सक्रिय प्रतिक्रिया के बारे में वास्तविक समय पर अपडेट प्राप्त करने में सहायता करने हेतु एक व्यापक संसाधन के रूप में इस मंच को डिजाइन किया गया है। • यह इस वायरस को नियंत्रित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की प्रगति पर नियमित निगरानी रखता है, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के संबंध में नवीनतम जानकारी प्रदान करता है, विशिष्ट प्रावधानों तक पहुंच प्रदान करता है तथा ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से आने वाले विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देता है एवं शिकायतों का समाधान उपलब्ध कराता है।
स्वायत्त (SWAYATT) पहल	• **स्वायत्त** वस्तुतः गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पर ई-लेन-देन के माध्यम से **स्टार्ट-अप्स, वीमेन एंड यूथ एडवांटेज** को बढ़ावा देने की एक पहल है। • यह नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल, **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस** हेतु भारतीय उद्यमिता पारिस्थितिकी के भीतर प्रमुख हितधारकों को एक साथ आने के अवसर प्रदान करेगा।

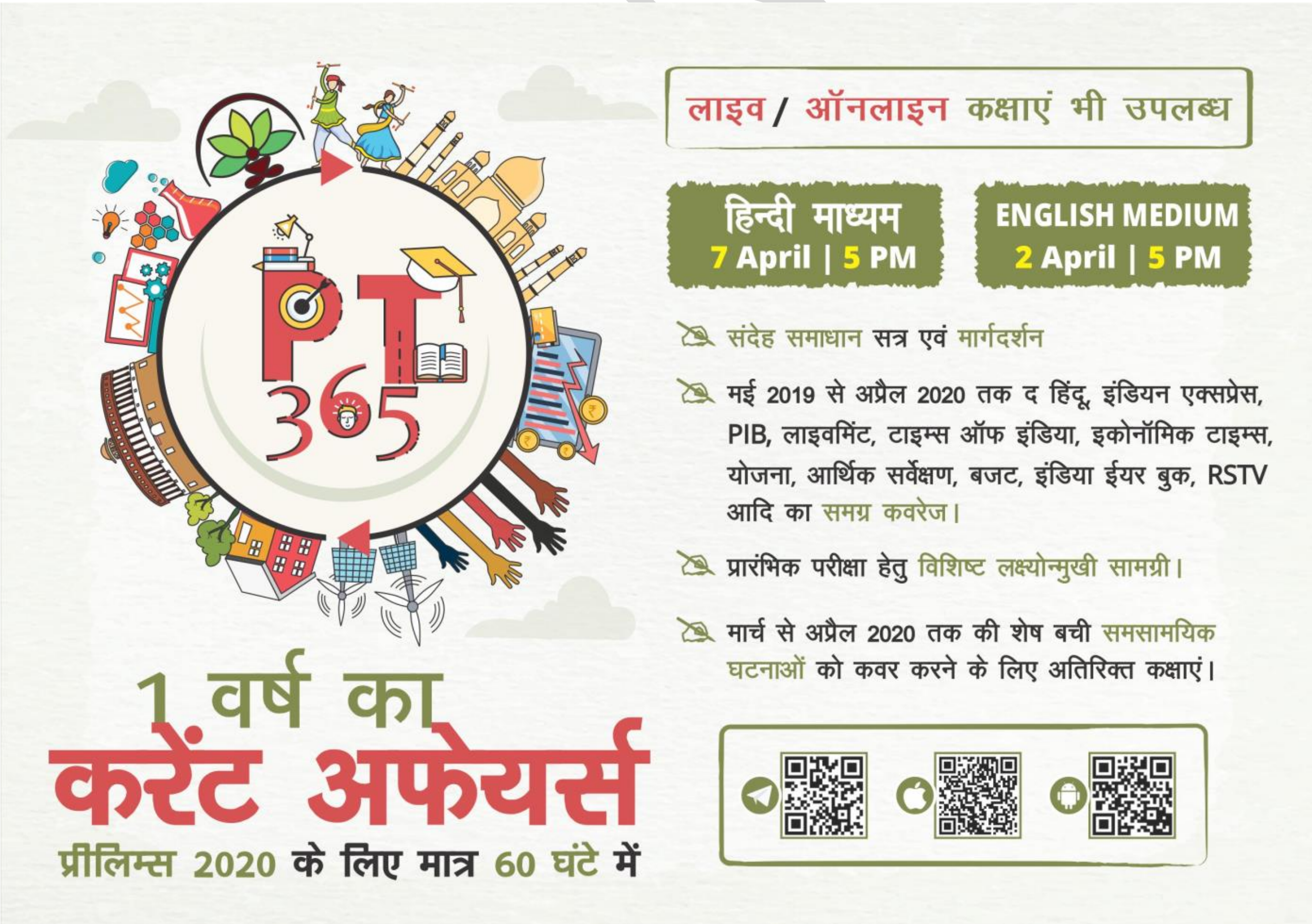

8. संचार मंत्रालय

(Ministry of Communication)

8.1. दूरसंचार विभाग

(Department of Telecommunication: DOT)

8.1.1. राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन

(National Broadband Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• सभी गाँवों में वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता को बढ़ाना। • ऑप्टिक फाइबर केबल रूट में 30 लाख कि.मी. का विस्तार करना और वर्ष 2024 तक टावर घनत्व प्रति एक हजार की आबादी पर 0.42 से बढ़ाकर 1.0 करना। • ऑप्टिकल फाइबर केबल और टावर्स सहित डिजिटल संचार नेटवर्क एवं अवसंरचना के डिजिटल फाइबर मैप का निर्माण करना। • मोबाइल और इंटरनेट के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करना। • एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (BRI) विकसित करना। • डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं के निर्माण एवं विस्तार में तीव्रता लाने के लिए आवश्यक नीतिगत तथा विनियामक संबंधी नियमों में परिवर्तन करना।	• यह तीन सिद्धांतों पर बल देता है, यथा- सार्वभौमिकता, वहनीयता और गुणवत्ता। • **विज़न:** डिजिटल संचार ढांचे का त्वरित विकास करना, डिजिटल अंतराल को समाप्त करना और डिजिटल सशक्तिकरण एवं समावेशन को सुविधाजनक बनाना तथा सभी को ब्रॉडबैंड की वहनीय व सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। • **वित्तीयन:** सरकार और उद्योग जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा 100 बिलियन अमरीकी डालर (7 लाख करोड़ रुपये) का निवेश किया गया। इसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के माध्यम से 70,000 करोड़ रूपये का निवेश भी सम्मिलित है। ○ **USOF** एक सांविधिक निधि {भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत} है और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाती है, अर्थात् इसका कार्य वंचित/अल्प सेवित ग्रामीण क्षेत्रों को एक विश्वसनीय और सर्वव्यापी दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी रूप से जोड़ना है।

8.1.2. भारत नेट परियोजना

(Bharat Net Project)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से **ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान** करना।	• इसका लक्ष्य सभी **2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की न्यूनतम बैंडविड्थ प्रदान** करना है। • यह **ग्रामीण भारत को ई-गवर्नेंस,** ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच, G2C, B2B, P2P, B2C आदि तथा मौसम, कृषि संबंधी एवं अन्य सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा। • यह निम्नलिखित तीन चरणों में कार्यान्वित किए जा रहे **NOFN (नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क) का नया ब्रांड** नाम है। ○ **प्रथम चरण:** इसके अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनें बिछाकर एक लाख

VISION IAS

	ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। इसके लिए 31 दिसंबर 2017 की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस प्रकार पहले चरण को निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया गया। ○ **द्वितीय चरण:** इसमें भूमिगत फाइबर, फाइबर ओवर पावरलाइन, रेडियो और सैटेलाइट मीडिया का इष्टतम मिश्रण करके सभी 2,50,500 पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई। यह मार्च 2019 में लगभग पूर्ण हो गया। ○ **तृतीय चरण:** यह 2019 से 2023 तक कार्यान्वित किया जाएगा। इस दौरान रिंग टोपोलॉजी (व्यर्थ के संचरण को रोकने के लिए) के साथ जिलों और ब्लॉकों के बीच फाइबर केबल्स बिछाये जायेंगे। साथ ही इसे अत्याधुनिक और भावी अभेद्य नेटवर्क बनाया जाएगा। • इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड** नामक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)** द्वारा इसका वित्त पोषण किया जा रहा है।

8.1.3. पंडित दीन दयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना

(Pandit Deen Dayal Upadhayay Sanchar Kaushal Vikas Pratisthan Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए दूरसंचार कुशल श्रमशक्ति के सृजन की पूरक व्यवस्था** करना और राष्ट्र के युवाओं के लिए आजीविका उत्पन्न करना।	• प्रारंभिक चरण में यह **उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा में कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ** करने जा रहा है। पहले चरण में पायलट आधार पर **10,000 लोगों को प्रशिक्षित** किया जाएगा। • DoT 1,000 से अधिक संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)** और दूरसंचार क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। • सरकार दूरसंचार क्षेत्र में **अभिनव काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत** भी करेगी।

8.1.4. तरंग संचार

(Tarang Sanchar)

योजना	प्रमुख विशेषताएं
तरंग संचार	• यह एक **वेब पोर्टल** है, जो **मोबाइल टॉवर एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी (EMF) उत्सर्जन संबंधी सूचना को साझा करेगा।** • इसे **उद्योगों के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से विकसित किया गया है।** • वैश्विक मानकों की तुलना में भारतीय मानकों द्वारा विकिरण उत्सर्जन पर 10 गुना अधिक कठोरतापूर्ण सीमा निर्धारित की गई है। • कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान संबंधी EMF उत्सर्जन मापन हेतु अनुरोध कर सकता है।

VISION IAS

8.2. डाक विभाग

(Department of Posts)

दर्पण (DARPAN: डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ़ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया) परियोजना	• इसका उद्देश्य **सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना और बैंक सेवा से वंचित ग्रामीण आबादी का "वित्तीय समावेशन" सुनिश्चित करना है।** • इसका लक्ष्य प्रत्येक शाखा के **पोस्टमास्टर (BPM) को निम्न ऊर्जा खपत वाला प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध** करवाना है, जो सभी राज्यों में ग्रामीण ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं का स्तर बेहतर बनाने के लिए लगभग 1.29 लाख डाकघरों को सक्षम बनाएगा। • हाल ही में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) नीतियों के लिए प्रीमियम के निर्बाध संग्रहण हेतु **DARPAN-PLI एप्लिकेशन** लॉन्च की गई थी।
सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना	• इसका उद्देश्य डाक नेटवर्क के माध्यम से देश के **ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय जीवन बीमा सेवाएं प्रदान** करना है। • यह देश के प्रत्येक राजस्व **जिले में कम से कम एक गांव** (जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों) की पहचान करेगा। साथ ही कम से कम एक RPLI (ग्रामीण डाक जीवन बीमा) पॉलिसी के साथ उस चिन्हित गाँव के सभी परिवारों को आच्छादित करने का प्रयास किया जाएगा। • **सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को** उन्हें सम्पूर्ण बीमा ग्राम में परिवर्तित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।
दीन दयाल स्पर्श योजना	• SPARSH, का आशय है- **रूचि के रूप में डाक टिकटों के प्रति अभिवृत्ति और अनुसंधान के संवर्द्धन के लिए छात्रवृत्ति** (Scholarship for Promotion of Aptitude & Research in Stamps as a Hobby)। • यह **डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को बढ़ावा** देने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई एक अखिल भारतीय योजना है। • इस योजना के अंतर्गत **कक्षा VI से IX तक के उन सभी बच्चों को वार्षिक तौर पर 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति** दी जाएगी, जिनका शैक्षणिक परिणाम अच्छा है और जिन्होंने डाक टिकट संग्रह (Philately) को एक रूचि के रूप में चुना है। सभी डाक सर्किलों में आयोजित होने वाली एक प्रतियोगी प्रक्रिया के आधार पर डाक टिकट संग्रह में रूचि रखने वाले छात्रों का चयन किया जाएगा।
कूल EMS सर्विस (Cool EMS Service)	• **कूल EMS (एक्सप्रेस मेल सर्विस) सेवा जापान से भारत की ओर एक-तरफा सेवा है, जो भारत में ग्राहकों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए जापानी खाद्य पदार्थों को आयात करने की अनुमति देती** है जिनको भारतीय नियमों के तहत अनुमति दी गई है। • शुरूआत में, यह सेवा **केवल दिल्ली** में उपलब्ध होगी। खाद्य पदार्थों को जापानी पोस्ट द्वारा विशेष रूप से तैयार ठंडे बक्सों में लाया जाएगा, जिसमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेंट संलग्न होते हैं।

VISION IAS

9. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)

9.1. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(Department of Food and Public Distribution)

9.1.1. अंत्योदय अन्न योजना

{Antyodaya Anna Yojana (AAY)}

उद्देश्य	अभिप्रेत लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• निर्धनों में निर्धनतम आबादी को लक्षित करना और उन्हें भूख से राहत प्रदान करना।	• भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत दैनिक रूप से आजीविका अर्जित करने वाले व्यक्ति। • ऐसे परिवार जिनका मुखिया कोई विधवा या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति (terminally ill persons)/दिव्यांग जन/60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है और जिनके पास निर्वाह योग्य या सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन उपलब्ध नहीं है। • विधवा या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति या दिव्यांग जन या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिला या एकल पुरुष जिनके पास किसी प्रकार की पारिवारिक या सामाजिक समर्थन या निर्वाह योग्य साधन उपलब्ध नहीं हैं। • सभी आदिम जनजातीय परिवार। • निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले सभी HIV संक्रमित व्यक्तियों के परिवार।	• यह राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों में से **अत्यंत गरीब परिवारों** को शामिल करती है और उन्हें अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त दर पर अर्थात् 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराती है। • **परिवारों की पहचान करने के लिए,** दिशानिर्देश निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं- भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर / शिल्पकार आदि तथा वे परिवार जिनका मुखिया विधवा या सामान्य रूप से बीमार व्यक्ति / दिव्यांग जन / 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति (जिनके निर्वाह या सामाजिक सहायता का कोई आश्वासन साधन नहीं है) हो। • **AAY NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) का एक अवयव** भी है और AAY के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होते हैं। • **राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वितरण लागत वहन करना होता है। इसमें डीलरों और खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिन के साथ-साथ परिवहन लागत** भी सम्मिलित होती है।

9.1.2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

{Targeted Public Distribution System (TPDS)}

उद्देश्य	अभिप्रेत लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें विशेष रूप से सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न, चावल और / या गेहूं उपलब्ध कराना।	• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए देश की **75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के** अखिल भारतीय कवरेज का प्रावधान करता है। • इस प्रकार, TPDS के अंतर्गत	• केंद्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (UTs) की सरकारों के **सामूहिक उत्तरदायित्व** के अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। • **केंद्र सरकार** खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और FCI के निर्दिष्ट डिपो तक उसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। • **राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें** राज्यों/संघ शासित प्रदेश के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन और

	आच्छादन को गरीबी के अनुमानों से अलग कर दिया गया है।	वितरण के लिए परिचालन संबंधी उत्तरदायित्वों, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के कामकाज के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं। • **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के अंतर्गत** लक्षित परिवार 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज पाने का पात्र है। • थोक विक्रेताओं / खुदरा विक्रेताओं, परिवहन शुल्क, लेवी, स्थानीय करों इत्यादि के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए **राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंतिम खुदरा मूल्य निर्धारित किया जाता है।**

9.1.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन

(Integrated Management of Public Distribution System)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• खाद्यान्न वितरण में देशव्यापी पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन। • लाभार्थी डेटा (आधार आधारित) के डी-डुप्लीकेशन के लिए राष्ट्रीय स्तरीय डेटा रिपोजिटरी का सृजन करना। • निरंतर सुधारों हेतु उन्नत डेटा एनालिटिक्स तकनीकों का उपयोग करना।	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक नई योजना है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: ○ केंद्रीय प्रणाली / पोर्टलों के साथ राज्यों / संघ शासित प्रदेशों की **PDS प्रणाली / पोर्टलों को एकीकृत** करना; तथा ○ राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत: यह सुविधा PDS लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पसंद की उचित मूल्य की दुकानों (FPS) से अपने हक का अनाज प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करती है। • यह खाद्यान्नों के वितरण में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए 'एंड-टू-एंड कम्प्यूटराइजेशन ऑफ़ PDS ऑपरेशन' का विस्तार करती है।

9.2. उपभोक्ता मामलों का विभाग

(Department of Consumer Affairs)

9.2.1. मूल्य स्थिरता कोष

(Price Stabilization Fund: PSF)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्याज, आलू और दाल जैसी कृषि उपज की कीमतों में अस्थिरता को कम करना।	• इसे 2014-15 में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) के तहत स्थापित किया गया था और इसे 1 अप्रैल, 2016 को DAC&FW से उपभोक्ता मामलों के विभाग (DOCA) को स्थानांतरित कर दिया गया था। • निम्नलिखित के माध्यम से मूल्य स्थिरता लाने के उद्देश्य से इस कोष को स्थापित किया गया था- ○ फार्म गेट (कृषि स्थल) / मंडी में किसानों / किसान संघों से **सीधी खरीद को प्रोत्साहन।** ○ **रणनीतिक बफर स्टॉक का** सृजन। यह जमाखोरी और अनैतिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित

VISION IAS

	करेगा। ○ स्टॉक के अंशांकित मोचन (कैलिब्रेटेड रिलीज) के माध्यम से **उचित कीमतों पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करके उपभोक्ताओं की सुरक्षा** करना। • यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। • इस कोष का प्रबंधन **मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति** करेगी। यह राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करेगी और **स्माल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (SFAC)** द्वारा एक कॉर्पस फंड के रूप में इसका अनुरक्षण किया जाएगा, **जो फंड मैनेजर के रूप में कार्य करेगा।** • **वित्त पोषण:** ○ राज्यों को एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करना होगा। इसमें केंद्र और राज्य समान रूप से 50:50 का योगदान देंगे। ○ उत्तर-पूर्व के राज्यों में 75:25 का अनुपात होगा।

9.2.2. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

डिजिटल रूप से सुरक्षित उपभोक्ता अभियान (Digitally Safe Consumer Campaign)	• यह अभियान उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा **गूगल** (Google) के सहयोग से जागरुकता को बढ़ावा देने हेतु और इंटरनेट पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। • इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं द्वारा **इंटरनेट पर संपन्न किए जाने वाले दिन प्रति दिन के कार्यों,** यथा- वित्तीय लेनदेन, ई-मेल का उपयोग करना, ई-कॉमर्स करना या केवल जानकारी के लिए इंटरनेट सर्फ करना, के संबंध में इंटरनेट सुरक्षा संदेशों को **एकीकृत** करना है।
INGRAM	• उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा **जागरुकता उत्पन्न करने, सलाह देने और उपभोक्ता शिकायतों का समाधान** करने के लिए **एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र** (Integrated Grievance Redress Mechanism: INGRAM) का शुभारंभ किया गया है। • यह पोर्टल **उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री के रूप** में भी कार्य करेगा। • यह सभी हितधारकों को एक साथ एक ही मंच पर संगठित करेगा। • यह ऑनलाइन शिकायतें पंजीकृत कराने की भी सुविधा प्रदान करता है जिनका **60 दिनों के भीतर निवारण** किया जाएगा।

10. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

(Ministry of Corporate Affairs)

राष्ट्रीय CSR डेटा पोर्टल	• यह अपने वित्तीय विवरण में MCA 21 रजिस्ट्री पर पात्र कंपनियों द्वारा दाखिल की गई **कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (CSR) से संबंधित डेटा** और जानकारी को प्रसारित करने का एक मंच है। • यह राज्यों, जिलों, विकास क्षेत्रों आदि में हुए **व्यय के संबंध में पूर्व-निर्धारित रिपोर्ट दे** सकता है और साथ ही यह परियोजनाओं पर आवश्यक प्रतिक्रिया की भी सुविधा प्रदान करता है।
MCA21 परियोजना	• **कंपनी मामलों के सम्बन्ध में मुख्य सेवाओं की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए** यह ई-गवर्नेंस पहल है। • परियोजना का उद्देश्य सक्रिय प्रवर्तन और विधिक आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को **पूर्णतः स्वचालित बनाकर** कॉर्पोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और जनता तक **कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)** सेवाओं की एक सुगम और सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाना है।
सीमित देयता भागीदारी निपटारा योजना, 2020 (LLP settlement scheme, 2020)	• मंत्रालय ने सीमित देयता भागीदारी (LLP) फर्मों द्वारा दस्तावेजों की फाइलिंग में विलंब संबंधी मुद्दों के लिए इस योजना को प्रारंभ किया है। • LLPs एक लचीली कानूनी और कर इकाई है जो भागीदारों को एक साथ कार्य करके इकॉनमी ऑफ़ स्केल से लाभान्वित होने की अनुमति प्रदान करती है, वहीं अन्य भागीदारों के कार्यों के लिए उनकी देयताओं में कमी करती है।
कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल	• यह पोर्टल कंपनियों की **सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी (वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट और विभिन्न घटना-आधारित फाइलिंग सहित) सार्वजनिक अवलोकन** के लिए उपलब्ध कराएगा। • यह **अनुसंधान और विश्लेषण के लिए अनुकूलित डेटा सेवाओं** की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेगा।
कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा (SPICe+)	• SPICe+ वस्तुतः केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों एवं विभागों (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग) तथा एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा प्रदत्त 10 सेवाओं हेतु एक **एकीकृत वेब फॉर्म** है। इसके परिणामस्वरूप भारत में व्यवसाय आरंभ करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं से गुजरने से छुटकारा मिलेगा तथा समय और लागत की बचत होगी। • **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** द्वारा स्पाइस प्लस (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically Plus: SPICe+) का शुभारंभ किया है। ज्ञातव्य है इसके द्वारा इसके पूर्व संस्करण 'SPICe' को प्रतिस्थापित किया गया है जो कि एक ई-फॉर्म (e-form) था। • यह सरलीकृत आवेदन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) हेतु पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।
स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक	• **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)** ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार **'स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक'** नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके तहत कई नियम निर्धारित किए गए हैं। • इसका उद्देश्य वर्तमान स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors: IDs) तथा स्वतंत्र निदेशक बनने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों को पोर्टल पर पंजीकरण के लिए एक मंच और आसान पहुँच प्रदान करना है। • इस डाटाबैंक के माध्यम से वे कंपनियां भी पंजीकृत हो सकती हैं, जो उचित कौशल प्राप्त व्यक्तियों की खोज एवं चयन करना और उनसे जुड़ना चाहती हैं, ताकि उन व्यक्तियों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जा सके।

VISION IAS

11. संस्कृति मंत्रालय

(Ministry of Culture)

11.1. प्रोजेक्ट मौसम

(Project Mausam)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• **बहुआयामी हिंद महासागर जगत का अन्वेषण**; एवं • पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा हिन्द महासागर की सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और धार्मिक विविधता की अन्तरक्रियाओं को संयोजित करना।	• इस परियोजना को सहयोगी निकायों के रूप में **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण** और राष्ट्रीय संग्रहालय की सहायता से **नोडल समन्वय एजेंसी** के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केद्र, नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। • **वृहत् स्तर** पर परियोजना का लक्ष्य **हिंद महासागर जगत के 39 देशों के मध्य संचार संपर्क को पुन: स्थापित** करना है, जिससे सांस्कृतिक मूल्यों एवं आर्थिक संबंधों में और अधिक घनिष्ठता आयेगी। • **सूक्ष्म स्तर** पर, इसका ध्यान राष्ट्रीय संस्कृतियों को इनके क्षेत्रीय समुद्री वातावरण में समझने पर है। • इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट मौसम के तहत **यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची हेतु ट्रांस-नेशनल नोमिनेशन** के रूप में **स्थलों की पहचान** करना भी है।

11.2. स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइन्स

{Scheme for Promotion of Culture of Science (SPOCS)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास तथा उद्योग व मानव कल्याण में उनके अनुप्रयोग को दर्शाना। • जागरुकता और सार्वजनिक समझ, सराहना एवं जन-जुड़ाव उत्पन्न करना	• इस योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में **विज्ञान नगर और विज्ञान केंद्रों की स्थापना** का प्रावधान किया गया है। • **राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद** (संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। • इच्छुक राज्यों को भूमि प्रदान करना होगा तथा सुविधाओं की स्थापना की लागत और रखरखाव एवं अनुरक्षण के लिए कोष साझा करना होगा।

11.3. सेवा भोज योजना

(Seva Bhoj Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

परोपकारी धार्मिक संस्थानों के वित्तीय बोझ को कम करना।	• इस योजना के तहत लोगों को नि:शुल्क भोजन/प्रसाद/लंगर प्रदान करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्थानों द्वारा कुछ निश्चित खाद्य पदार्थों की खरीद पर दिए जाने वाले केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर (IGST) के केन्द्र सरकार के हिस्से को लौटा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
	• यह सभी परोपकारी धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, धार्मिक आश्रम, दरगाह, मठ, बौद्ध मठ आदि पर लागू होता है, जो निम्नलिखित मानदंडों का पालन करते हैं:
	  ○ जो **वित्तीय सहायता/अनुदान के लिए आवेदन करने से पूर्व कम से कम पांच वर्षों से कार्यरत** हों।
	  ○ जो आवेदन के दिन से **कम से कम विगत तीन वर्षों** से जन सामान्य को **नि:शुल्क भोजन**, लंगर और प्रसाद सार्वजनिक रूप से वितरित कर रहे हों।
	  ○ जो एक महीने में **कम से कम 5,000 लोगों** को नि:शुल्क भोजन प्रदान करता हों।

VISION IAS

	○ उसे **FCRA या केंद्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य अधिनियम/नियम के प्रावधानों के तहत ब्लैकलिस्ट नहीं होना** चाहिए।

11.4. भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण

(Safeguarding The Intangible Cultural Heritage and Diverse Cultural Traditions of India)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
इसके तहत **विभिन्न संस्थानों**, समूहों, व्यक्तियों, संस्कृति मंत्रालय से इतर संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, शोधकर्ताओं और विद्वानों को **पुनर्जीवित एवं प्रभावी बनाया जायेगा**, ताकि **वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (ICH) को सुदृढ़, संरक्षित, संग्रहित** एवं बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों / परियोजनाओं में संलग्न हो सकें।	• इस योजना में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मंच कला, सामाजिक प्रथाओं, रीति-रिवाजों और उत्सव घटनाक्रमों, प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान तथा प्रथाओं, पारंपरिक शिल्पन कौशल आदि के माध्यम के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां जैसे **ICH विषयक सभी मान्यता प्राप्त कार्यक्षेत्र शामिल होंगे।** • इस योजना को **संगीत नाटक अकादमी** के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

11.5. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

सांस्कृतिक मानचित्रण एवं रोडमैप पर राष्ट्रीय मिशन	• यह योजना **'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'** के अंतर्गत शामिल है। • यह सभी कला रूपों तथा कलाकारों के विकास के लिए **'हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान'** नामक देशव्यापी सांस्कृतिक जागरुकता कार्यक्रम के माध्यम से **सांस्कृतिक मानचित्रण (यानी सांस्कृतिक संपत्तियों एवं संसाधनों का डेटाबेस) की स्थापना** करता है। • इसका उद्देश्य सभी कला रूपों के क्षेत्र में सूचना प्राप्त करने तथा ज्ञान साझा करने के लिए एक **राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल (नेशनल कल्चरल वर्किंग प्लेस: NCWP)** पोर्टल स्थापित करना है।
गुरु-शिष्य परंपरा योजना	• इसे दुर्लभ एवं लुप्तप्राय कला रूपों (चाहे शास्त्रीय हो या लोक/जनजातीय) को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने हेतु **क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (ZCCs)** द्वारा आरंभ किया गया है। इसके माध्यम से इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों और निपुण लोगों के मार्गदर्शन में ZCC द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में वित्तीय सहायता के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को कला के अपने चुने हुए क्षेत्र में कौशल प्राप्त करने के लिए पोषित किया जाता है।
आदर्श स्मारक	• इसका उद्देश्य **स्मारकों के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं** प्रदान करना है, जैसे कि व्याख्या (भाषा रूपांतरण), ऑडियो-वीडियो केंद्र, अपशिष्ट जल व कचरा निपटान इत्यादि को व्यवस्थित करना। • इसे **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन	• इसे वर्ष 2003 में **प्रलेखन की पहचान व संरक्षण तथा भारत की पांडुलिपि विरासत को सर्वसुलभ बनाने हेतु एक अद्वितीय परियोजना** के रूप में स्थापित किया गया था। • इसका उद्देश्य **इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स (Indira Gandhi National Centre for the Arts: IGNCA) में एक राष्ट्रीय डिजिटल पांडुलिपि पुस्तकालय** स्थापित करना है। • यह पुस्तक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप में प्रकाशन के माध्यम से इन पांडुलिपियों तक लोगों की पहुंच को प्रोत्साहित करता है।

VISION IAS

सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम (CHYLP)	• इसका उद्देश्य युवाओं में उचित नेतृत्व गुणों को विकसित करने की दृष्टि से युवाओं के मध्य **भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की समझ के प्रति लगाव को बढ़ावा देना, समझना और विकसित करना है।** • यह पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों की बेहतर समझ हेतु उनसे स्थानीय भाषाओं में बातचीत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। • संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन **'सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र'** इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
जतन एवं दर्शक (Jatan and Darshak)	• सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने "जतन" नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो संग्रहालय (म्यूजियम) के अनुभव को क्रांतिकारी रूप से बेहतर बनाएगा। • इसके अतिरिक्त, दिव्यांग व्यक्तियों के मध्य संग्रहालय यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, C-DAC ने **एक मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन "दर्शक"** विकसित किया है। यह रियल टाइम म्यूजियम आगंतुकों को वस्तु के पास लगे QR कोड को स्कैन करने के माध्यम से वस्तुओं या कलाकृतियों के बारे में समस्त विवरण प्राप्त करना संभव बनाता है।

12. रक्षा मंत्रालय

(Ministry of Defence)

12.1. वन रैंक वन पेंशन योजना

{One Rank One Pension (OROP) Scheme}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• सेवा की समान अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख जो भी हो, समान पेंशन प्रदान करना।	• इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभ 1 जुलाई, 2014 से प्रदान किए जाएंगे। • बकाया राशि का भुगतान **चार अर्ध-वार्षिक किस्तों** में किया जाएगा। हालांकि, युद्ध में **शहीद सैन्य कर्मियों की विधवाओं** सहित सभी विधवाओं को बकाया राशि का **भुगतान एक-मुश्त** किया जाएगा। • सेवा की समान अवधि के साथ एक ही रैंक से सेवानिवृत्त सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन फिर से निर्धारित की जाएगी। यह वर्ष 2013 में न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन के औसत के रूप में होगी। • स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त (VRS) कर्मियों को OROP योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा। • भविष्य में, पेंशन की राशि प्रत्येक 5 वर्ष में फिर से निर्धारित की जाएगी।

12.2. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजनाएं	प्रमुख विशेषताएं
राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा	• जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के युवाओं हेतु ये शैक्षिक एवं प्रेरणादायी यात्राएं हैं, जिसका उद्देश्य देश की समृद्ध विरासत के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक एवं उद्योग पहलों (जिसका परिचालन हो रहा हो) के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना है। • यह भारतीय सेना द्वारा देश भर में **राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे आउटरीच प्रोग्राम** का एक भाग है।
मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति	• रक्षा उत्पादन विभाग ने **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु** इस पहल की शुरूआत की है। • इस कार्यक्रम का समन्वय एवं क्रियान्वयन **गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय** (Directorate General of Quality Assurance: DGQA) द्वारा किया जा रहा है। • इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा विनिर्माण परिवेश में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) की संस्कृति को विकसित करना है।
रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency: DSA)	• DSA भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रि-सेवा **एजेंसी** है, जो थल सेना, नौसेना और वायु सेना की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को नियंत्रित करती है, जिसमें सेना की उपग्रह-रोधी क्षमता भी शामिल है। DSA के तहत सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के कर्मी शामिल हैं। इसका परिचालन नवंबर 2019 में आरंभ हुआ था। • इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इस एजेंसी को भारत की अंतरिक्ष-युद्ध (स्पेस-वारफेयर) परिसंपत्तियों का संचालन करने का कार्य सौंपा गया है। • रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (DSRO) वह वैज्ञानिक संगठन है जो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के लिए स्पेस-वार फेयर सिस्टम और तकनीक विकसित करने के लिए उतरदायी है।

VISION IAS

13. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

(Ministry of Development of North Eastern Region)

योजना	विवरण
उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका योजना (NERLP)	• इसे **विश्व बैंक** द्वारा समर्थन प्राप्त है। • संधारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए इस परियोजना में **आजीविका सशक्तीकरण के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण** हैं। ये हैं- सामाजिक सशक्तीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण, साझेदारी एवं संबंध। • **परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य हैं-** ○ महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों (SHGs), पुरुषों व महिलाओं के युवा समूहों (YG) एवं सामुदायिक विकास समूहों (CDG) के आसपास **संधारणीय सामुदायिक संस्थानों** का सृजन। ○ सामुदायिक संस्थानों में स्व-शासन, ऊर्ध्वगामी नियोजन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की क्षमता विकसित करना। ○ **आर्थिक एवं आजीविका** के अवसरों को बढ़ाना। ○ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सूक्ष्म वित्त, बाजार संबंध एवं क्षेत्रीय आर्थिक सेवाओं के लिए **सामुदायिक संस्थानों की साझेदारी** विकसित करना। ○ यह मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम; प्रत्येक के दो जिलों और त्रिपुरा के 5 जिलों को कवर करती है।
पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (North East Special Infrastructure Development Scheme: NESIDS)	• यह केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त-पोषित एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसका उद्देश्य मार्च 2020 तक निर्दिष्ट क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सृजन से सम्बंधित अंतराल को समाप्त करना है। • यह योजना व्यापक तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के सृजन को शामिल करेगी : ○ जलापूर्ति, विद्युत, सम्पर्क और विशेषकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित **भौतिक बुनियादी ढांचा**। ○ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे **सामाजिक क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा**। • इस योजना के अंतर्गत कुछ मानकों पर अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों, जैसे- क्षेत्रफल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, सड़क घनत्व आदि के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य धन वितरित किया जाएगा। • NESIDS पूर्वोत्तर क्षेत्र की **राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के अतिरिक्त एक योजना होगी।** इस योजना के अंतर्गत **केवल उन्हीं परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विचार किया जाएगा**, जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत समर्थित नहीं हैं।
नॉन लैप्सबल सेंट्रल पूल ऑफ़ रिसोर्सेज (NLCPR)	• यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए उनके बजटीय आबंटन के 10% राशि को पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) पर खर्च किए जाने के अनिवार्य प्रावधान के चलते खर्च न की गयी राशि का एक संचय है। 90:10 के फंडिंग पैटर्न के साथ इसे वर्ष 1997-98 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सृजित किया गया था- ○ बजटीय संसाधनों के लक्षित प्रवाह को बढ़ाकर NER का तीव्र विकास

VISION IAS

	सुनिश्चित करने के लिए। ○ संविधान की संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित सामाजिक व भौतिक अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए। • NLCPR (राज्य) योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों की प्राथमिक परियोजनाओं को वित्त-पोषित किया जा रहा है एवं NLCPR-केंद्रीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय व क्षेत्रीय महत्व की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों को फंड प्रदान किया जाता है।
उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना (NERSDS)	• इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उपेक्षित **अंतर्राज्यीय सड़कों (सड़कों पर पुलों सहित) का पुनरूद्धार/निर्माण/उन्नयन** करना है। इस योजना के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों के अन्य मानदंड निम्नलिखित प्रकार से हैं: ○ NER की सामाजिक-राजनीतिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों की सड़कें; ○ सुरक्षा या रणनीतिक दृष्टि से आवश्यक वे सड़कें, जो किसी भी अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं; तथा ○ कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से आवश्यक सड़कें एवं आर्थिक अंतर समाप्त करने के दृष्टिकोण से आर्थिक महत्व की सड़कें। • इस योजना का प्रशासन एवं निगरानी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) के सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त अंतर-मंत्रालयी समिति के माध्यम से MDoNER द्वारा की जाएगी।
पूर्वोत्तर के लिए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	• इस योजना से **मणिपुर, त्रिपुरा** और **असम** के पहाड़ी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। • इसका उद्देश्य गंभीर अनुसंधान एवं विचार-विमर्श के माध्यम से **अवसंरचना, सड़कों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के मामलों में पहाड़ी एवं घाटी के जिलों के मध्य विद्यमान अंतराल को समाप्त करना है।** • इसका उद्देश्य अपेक्षाकृत कम विकसित पहाड़ी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है और इसे मणिपुर के पहाड़ी जिलों में प्रायोगिक (पायलट) आधार पर आरंभ किया जाएगा। • पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील इन क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों के अनुपूरक के तौर पर निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों को **विशेष केन्द्रीय सहायता** प्रदान की जा रही है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (North Eastern Region Community Resource Management Project: NERCORMP)	• यह पूर्वोत्तर परिषद (NEC), उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) की एक संयुक्त विकासात्मक पहल है। • इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने और आजीविका विकास से संबंधित स्थानीय संस्थानों को सुदृढ़ करके आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के आजीविका विकल्पों में संधारणीय तरीके से सुधार करना है। • इस परियोजना के वर्तमान चरण अर्थात् चरण- III के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तिरप (अविभाजित) और चांगलांग जिलों; मणिपुर के चुरचंदपुर और चंदेल जिलों को शामिल किया गया है। • प्रारंभ में इसे अग्रलिखित **तीन राज्यों और छह जिलों** में संचालित किया गया था: असम (कार्बी आंगलोंग और उत्तर कछर ज़िला), मणिपुर (उखरूल और सेनापति) और मेघालय (पश्चिमी गारो हिल्स एवं पश्चिमी खासी हिल्स)। • **प्रमुख परियोजना गतिविधियाँ:** समुदाय एवं भाग लेने वाली एजेंसियों का क्षमता निर्माण, आजीविका गतिविधियां, विस्तार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्रेडिट,

	सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियां, ग्रामीण सड़कें व ग्रामीण विद्युतीकरण, सामुदाय-आधारित जैव-विविधता संरक्षण, वर्तमान सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण तथा विपणन सहायता।
डिजिटल नॉर्थ ईस्ट: विजन 2022	• **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम** के तहत आरम्भ इस योजना को **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा समन्वित किया जाएगा तथा इसे केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा। • इस दस्तावेज़ के तहत **आठ प्रमुख डिजिटल क्षेत्रों -** डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सशक्तीकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा, BPOs सहित IT एवं IT सक्षम सेवाओं को प्रोत्साहन, डिजिटल भुगतान, नवाचार एवं स्टार्टअप्स और साइबर सुरक्षा की पहचान की गई है।
सामाजिक और बुनियादी ढांचा विकास निधि (Social and Infrastructure Development Fund: SIDF)	• SIDF को लोक लेखा के तहत सृजित किया गया है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से, उन विशेष समस्याओं का सामना कर रहे अरुणाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए समर्पित है, जिनका समाधान सामान्य योजनाओं द्वारा नहीं किया जा सकता है। • यह मुख्यतः एकमुश्त पैकेज है जिसमें उन परियोजनाओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता प्रदान की जाती है, जिसमें, नई सड़कों और पुलों का निर्माण, नए उप-स्टेशनों/ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण/उन्नयन, स्कूलों की स्थापना, जलापूर्ति परियोजनाएं आदि शामिल हैं।
बांस प्रौद्योगिकी/औद्योगिक पार्क (Bamboo Technology/ Industrial Parks)	• हाल ही में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) के अनुरूप केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। • इस मिशन का उद्देश्य क्षेत्र आधारित रणनीति को अपनाकर तथा बांस की कृषि के तहत क्षेत्र में वृद्धि कर और विपणन को बढ़ावा देकर बांस क्षेत्र का समग्र विकास करना है। इसके साथ ही, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने, नर्सरी स्थापित करने और बांस के उत्पादों के विपणन में वृद्धि करना है। • इसके अतिरिक्त, असम में पूर्वोत्तर के प्रथम बांस औद्योगिक पार्क को स्थापित करने की मंजूरी दी गई। • NEC के तहत **गन्ना और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र (CBTC)** द्वारा इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

VISION IAS

14. जल शक्ति मंत्रालय

(Ministry of Jal Shakti)

14.1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

[Swachha Bharat Mission (Gramin) {SBM (G)}]

उद्देश्य	रणनीति	घटक
• सफाई व स्वच्छता में सुधार तथा खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना। • 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज को त्वरित करना। • समुदायों तथा पंचायती राज संस्थानों को जागरुकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से संधारणीय स्वच्छता की प्रथाओं व सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना। • पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित तथा संधारणीय स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। • ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक हो, ठोस एवं तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित कर सामुदायिक रूप से प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास करना। • विशेष रूप से अधिकारहीन समुदायों के बीच स्वच्छता में सुधार करके जेंडर पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालना तथा सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना।	• मिशन की रणनीति इसे विशाल जन आंदोलन बनाकर 'स्वच्छ भारत' की ओर अग्रसर होना है। • SBM (G) के प्रभावी नियोजन तथा कार्यान्वयन के उद्देश्य से, यह प्रस्तावित किया गया है कि हस्तक्षेप हेतु 'जिले' को आधार इकाई माना जाएगा। • प्रत्येक राज्य के कार्यान्वयन ढांचे को कार्यक्रम के लिए आवश्यक निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण चरणों को कवर करने वाली गतिविधियों की रूप-रेखा के साथ तैयार किया जाना चाहिए: ○ **नियोजन** - जिले द्वारा एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायतवार विवरण शामिल होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना में इसे संवीक्षित एवं समेकित किया जाएगा। ○ **कार्यान्वयन** - इसमें पक्ष-समर्थन एवं संवाद, वित्त पोषण तथा शौचालय निर्माण सम्मिलित है। रैपिड एक्शन लर्निंग यूनिट (RALU) की स्थापना भी इसका अंग है। ○ **स्थिरता** - इसमें ODF समुदायों को बनाए रखना तथा उनका सत्यापन सम्मिलित हैं। • राष्ट्रीय/ राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ ग्राम स्तर पर पांच-स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। • कॉरपोरेट हाउस को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के एक अनिवार्य अंग के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।	• **प्रारंभिक गतिविधियां-** इसमें आधारभूत सर्वेक्षणों का अद्यतन, प्रमुख कर्मियों का अभिविन्यास तथा योजना तैयार करना सम्मिलित है। • **IEC** (सूचना, शिक्षा एवं संचार) घटक: SBM-G का मुख्य फोकस **व्यवहार परिवर्तन संबंधी संचार** पर है। यह कोई 'एकल' पृथक गतिविधि नहीं है। सामुदायिक कार्यवाही तथा असहमत अथवा बाहरी लोगों पर शिष्टजनों या भद्रजनों द्वारा दबाव इसका एक मुख्य घटक है। • **क्षमता निर्माण।** • **व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण-** SBM(G) के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु योग्य परिवारों का चयन करते समय, वरीयता का अनुक्रम इस प्रकार होना चहिए - BPL के बाद SC/ST तथा APL परिवार। • **स्वच्छता सामग्री की उपलब्धता-** ग्रामीण स्वच्छता बाजारों (RSM), उत्पादन केंद्रों (PC), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) के माध्यम से। • **जिले में रिवॉल्विंग फंड का सृजन-** यह ध्यान रखना कि दिशानिर्देशों के तहत प्रोत्साहनों में न कवर हुए APL परिवारों की भी इस तक पहुँच हो सके। • **समता एवं समावेश-** इसमें रजोधर्म स्वच्छता प्रबंधन पर विशेष रूप से विद्यालयों में किशोर लड़कियों के बीच जागरुकता तथा कौशल को बढ़ाना सम्मिलित है। • **ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन।** • **प्रशासनिक शुल्क-** राज्यों को आवश्यकतानुसार इस घटक के तहत

		धन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। • इसका निगरानी तंत्र सामाजिक लेखा-परीक्षा जैसी सुदृढ़ समुदाय आधारित पद्धति का उपयोग करता है। समुदाय-आधारित निगरानी तथा सतर्कता समितियां, अतिरिक्त दबाव बनाने में सहायता करेंगी। • **स्वच्छ भारत के 'फूट सोल्जर्स':** 'फूट सोल्जर्स' अथवा 'स्वच्छग्रहियों' के एक दल जिसे पहले 'स्वच्छता दूत' के नाम से जाना जाता था, को विकसित किया गया है।

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र	बेहतर स्वच्छता तथा वर्धित जागरुकता व स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय की एक संयुक्त पहल** है। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के तीन प्रमुख घटक हैं: ○ कायाकल्प प्रमाणीकरण (स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के उच्च मानकों के लिए प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के लिए ODF ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) की सहायता की जाएगी। ○ कायाकल्प प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) की ग्राम पंचायत को ODF बनने के लिए प्राथमिकता दी गई। ○ CHC/PHC नामितों को WASH (जल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य-Water, Sanitation and Hygiene) में प्रशिक्षण। • MDWS कायाकल्प पुरस्कार विजेता PHC ग्राम पंचायत में ODF गतिविधियों का संचालन करेगा तथा उन CHC और PHC के नामित को WASH प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल (SWACHH ICONIC PLACES: SIP)	• यह संबंधित राज्य और स्थानीय सरकारों तथा तीन केंद्रीय मंत्रालयों नामतः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। उल्लेखनीय है कि इस पहल हेतु **जल शक्ति मंत्रालय** नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कार्य करेगा। • संपूर्ण भारत में 100 स्थानों को **उनकी विरासत, धार्मिक तथा/या सांस्कृतिक महत्व के कारण "प्रतिष्ठित (Iconic) स्थल"** के रूप में पहचाना गया है। SIP पहल इन स्थानों पर स्वच्छता की स्थिति को एक सुस्पष्ट उच्च स्तर तक सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। **प्रथम दो चरणों में अब तक 20 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया गया है।** इन सभी 20 प्रतिष्ठित स्थलों ने **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए पीएसयू या निगमों को नियुक्त किया है। मदुरई में श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर को देश में सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल घोषित किया गया है।** • 10 नए आइकॉनिक स्थलों को तीसरे चरण के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये हैं- राघवेन्द्रस्वामी मंदिर (कुर्नूल, आंध्र प्रदेश), हजारद्वारी महल (मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल), ब्रह्म सरोवर मंदिर (कुरुक्षेत्र, हरियाणा), विदुरकुटी (बिजनौर, उत्तर प्रदेश), माणा गांव (चमौली, उत्तराखंड), पेंगोंग झील (लेह-लद्दाख, जम्मू और कश्मीर), नागवासुकी मंदिर (इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश), इमा कैथल/बाजार (इम्फाल, मणिपुर), सबरीमाला मंदिर (केरल) और कण्वाश्रम (उत्तराखंड)।
राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (RSK)	• इसकी घोषणा 10 अप्रैल, 2017 को चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी वर्षगाँठ पर की गयी थी। यह राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के सामने स्थित होगा। RSK को स्वच्छता मामलों तथा उन्नत शौचालय प्रौद्योगिकी पर उपलब्ध समस्त जानकारी को लोगों के मध्य प्रसारित करने के उद्देश्य से

VISION IAS

	निर्मित किया जा रहा है।
दरवाजा बंद मीडिया अभियान	• यह व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से MDWS द्वारा एक सशक्त मास मीडिया अभियान है। विश्व बैंक द्वारा 'दरवाज़ा बंद' अभियान को समर्थन प्रदान किया गया है। **यह उन पुरुषों में व्यवहार परिवर्तन को** प्रोत्साहित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, **जिनके पास शौचालय हैं, परन्तु वे उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं।** • हाल ही में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा **'दरवाजा बंद - भाग 2' अभियान** की शुरुआत की गयी। यह देश भर के गांवों को खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने (अर्थात् ODF की संधारणीयता) पर ध्यान केंद्रित करता है।
स्वच्छता ही सेवा अभियान	यह, स्वच्छता पहल **'स्वच्छ भारत मिशन' के प्रचार हेतु पखवाड़े भर चलने वाला स्वच्छता** अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के लिए संगठित करना तथा जन आंदोलन को मजबूत बनाना है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक तथा पर्यटन स्थलों की योजनाबद्ध तरीके से सफाई की जाएगी।

गोबर धन योजना (GOBAR Dhan scheme)	• MDWS ने 30 अप्रैल 2018 को हरियाणा के करनाल में गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन या "गोबर धन" योजना का शुभारंभ किया। • इस योजना का उद्देश्य मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक संसाधनों को बायोगैस तथा जैविक खाद में परिवर्तित करने के लिए स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देकर किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करते हुए गांवों को स्वच्छ बनाए रखना है।
ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) डैशबोर्ड, ODF-प्लस एडवाइजरी तथा ODF-प्लस और स्वच्छ ग्राम दर्पण मोबाइल एप्लिकेशन	• इन्हें NIC द्वारा विकसित किया गया है तथा जल शक्ति मंत्रालय ने इनका शुभारंभ किया है। • **लक्ष्य:** ODF-प्लस गतिविधियों का संचालन करने वाले राज्यों तथा जिलों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। • **"स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप"** लोगों को इस कार्यक्रम के जिला और राज्य स्तर पर प्रदर्शन पर निगरानी रखने की अनुमति प्रदान करती है।

14.2. अटल भूजल योजना

(Atal Bhujal Yojna)

उद्देश्य	**प्रमुख विशेषताएँ**

• सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में **भूजल प्रबंधन में सुधार करना।**
• **व्यवहारजन्य परिवर्तन को प्रोत्साहन** प्रदान कर, जल संरक्षण और उसके कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।
	• यह **विश्व बैंक की सहायता से** वर्ष 2020- 21 से वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में क्रियान्वित होने वाली एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है।
	• इस योजना के तहत पहचाने गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं।
	  ○ ये राज्य, भारत में भूजल के संदर्भ में अतिदोहित, संकटग्रस्त और अल्प-संकटग्रस्त प्रखंडों की कुल संख्या के लगभग 25% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
	  ○ ये राज्य भारत में पाये जाने वाले दो बड़े प्रकार के भूजल निकायों यथा - **जलोढ़ एवं हार्ड रॉक जलभृत** को कवर करते हैं तथा भूजल प्रबंधन में सांस्थानिक तैयारी और अनुभव के मामले में भी आत्मनिर्भर हैं।
	• यह योजना अधिमानित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के केंद्रित कार्यान्वयन को प्रोत्साहन प्रदान कर, राज्यों में **संचालित इन योजनाओं के अभिसरण** को

	सुविधाजनक बनाएगी। • भागीदार राज्यों को इस योजना के तहत अनुदान के रूप में निधि उपलब्ध कराई जाएगी। • इस योजना के तहत जल संरक्षण और उसके कुशल उपयोग को बढ़ावा देने वाले व्यवहारजन्य परिवर्तनों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भू-जल प्रबंधन में सुधार हेतु भू-जल प्रशासन तथा साथ ही **सामुदायिक संलग्नता** को प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी **संस्थानों को सशक्त** बनाने हेतु राज्यों को निधि उपलब्ध करवाई जाएगी।

14.3. नमामि गंगे योजना

(Namami Gange Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• गंगा नदी को व्यापक रूप से **स्वच्छ और संरक्षित** करना।
• गंगा नदी बेसिन का **जलसंभर प्रबंधन (वाटरशेड मैनेजमेंट)** करना; तथा अपवाह (रनऑफ) और प्रदूषण को कम करना।
• गंगा नदी की **मुख्य धारा पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, एवं धार्मिक और/या पर्यटन संबंधी महत्त्वपूर्ण गांवों का विकास** करना।
• **नदी तट प्रबंधन।**
• **जलीय जीवन का संरक्षण** करना।
• विभिन्न संलग्न मंत्रालयों के मध्य **समन्वय स्थापित** करना।
	• परियोजना के तहत 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, 47 कस्बों और 12 नदियों को कवर किया जाएगा।
	• **स्वच्छ गंगा निधि** की स्थापना।
	• इस परियोजना में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (SPMGs) के अंतर्गत **राज्य, शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं शामिल** होंगी।
	• घाट और नदी तटों में हस्तक्षेप के माध्यम से, नागरिकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु **नदी केंद्रित शहरी नियोजन प्रक्रिया स्थापित** करने का प्रयास किया जायेगा।
	• **आरंभिक अवधि की गतिविधियां:** तैरते हुए ठोस अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने के लिए **नदी की सतह की सफाई;** ग्रामीण सीवेज नालियों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण (ठोस और तरल) को रोकने के लिए **ग्रामीण स्वच्छता** एवं शौचालयों का निर्माण।
	• **मध्यम अवधि की गतिविधियां:**
	  ○ गंगा के तट पर स्थित 118 शहरी आवासीय क्षेत्रों में **सीवरेज अवसंरचना के कवरेज** का विस्तार।
	  ○ जैव-उपचार विधि, इन-सीटू उपचार, नगरपालिका सीवेज और दूषित जल उपचार संयंत्रों का प्रयोग कर जल निकासी के **अपशिष्ट जल के उपचार** द्वारा प्रदूषण की रोकथाम की जाएगी।
	  ○ **औद्योगिक प्रदूषण** का प्रबंधन।
	  ○ **जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, और जल की गुणवत्ता की निगरानी।**
	• **दीर्घ अवधि की गतिविधियां:** पारिस्थितिक-प्रवाह का निर्धारण, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और सतही सिंचाई की दक्षता में वृद्धि।

- गंगा कायाकल्प की चुनौती की बहु-क्षेत्रीय, बहु-आयामी और बहु-हितधारक प्रकृति को चिन्हित करते हुए (a) जल शक्ति मंत्रालय, (b) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (c) जहाजरानी मंत्रालय, (d) पर्यटन मंत्रालय, (e) शहरी विकास मंत्रालय, (f) ग्रामीण विकास मंत्रालय इत्यादि प्रमुख मंत्रालय एक साथ कार्य कर रहे हैं।
- गंगा नदी की मुख्य धारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, एवं धार्मिक और/या पर्यटक महत्व के गांवों को विकसित करने के लिए MoWR द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत वर्ष 2016 में **गंगा ग्राम योजना** आरम्भ की गयी थी।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के सहयोग से वर्ष 2017 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने एक अन्य **गंगा ग्राम परियोजना** प्रारंभ की है।

VISION IAS

14.4. जल क्रांति अभियान

(Jal Kranti Abhiyan)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• जल सुरक्षा में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों सहित सभी हितधारकों की जमीनी स्तर पर सहभागिता को सुदृढ़ करना। • सहभागी सिंचाई प्रबंधन (Participatory Irrigation Management: PIM) • जल संसाधन संरक्षण और उसके प्रबंधन में परम्परागत ज्ञान को अपनाये जाने / उसके उपयोग को प्रोत्साहित करना; • ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के माध्यम से आजीविका सुरक्षा में संवर्धन करना।	• जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्थानीय/क्षेत्र विशिष्ट नवाचारी उपाय विकसित करने हेतु परम्परागत ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना भी शामिल है। • जल क्रांति अभियान के चार महत्वपूर्ण घटक हैं- ○ जल ग्राम योजना: जल संकट का सामना कर रहे दो गांवों को "जल ग्राम" के रूप में चयनित किया जाता है। ○ प्रत्येक जल ग्राम से, पंचायत के एक निर्वाचित प्रतिनिधि और जल प्रयोक्ता संघ के एक प्रतिनिधि की जल मित्र/नीर नारी के रूप में पहचान की जा रही है और जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ○ प्रत्येक जल ग्राम में किए जा रहे विभिन्न कार्यों पर व्यय केंद्रीय/ राज्य सरकारों की पहले से विद्यमान योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), मनरेगा (MGNREGA), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना (Repair, Renovation and Restoration: RRR), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) इत्यादि से से प्राप्त होगा। • मॉडल कमांड क्षेत्र का विकास: राज्य में लगभग 1000 हेक्टेयर के मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की जाएगी। मॉडल कमान क्षेत्र का चयन राज्य सरकारों की सलाह से मंत्रालय द्वारा राज्य की एक वर्तमान/जारी सिंचाई परियोजना से किया जाएगा जहाँ विभिन्न योजनाओं से विकास के लिए निधि उपलब्ध हो। • प्रदूषण न्यूनीकरण और • जन जागरूकता कार्यक्रम। • प्रत्येक जल ग्राम के लिए सुजलम कार्ड (लोगो: 'जल बचत, जल निर्माण') नामक एक जल स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा। यह गाँव के लिए उपलब्ध पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में वार्षिक सूचना प्रदान करेगा। • केन्द्रीय जल आयोग (CWC) और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां हैं। • राज्यों को राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुसार राज्य जल नीति निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

14.5. राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना

(National Hydrology Project)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **विश्वसनीय और समयबद्ध तरीके से जल संसाधनों से जुड़े आंकड़ों** के अधिग्रहण, भंडारण, संयोजन और प्रबंधन हेतु एक प्रणाली स्थापित करना। • सूचना प्रणाली के उपयोग और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे- रिमोट सेंसिंग को अपनाकर राज्य और केंद्रीय क्षेत्रकों के संगठनों में जल संसाधन प्रबंधन में क्षमता निर्माण करना। • बाढ़ के पूर्वानुमान में कम से कम 1 दिन से लेकर 3 दिन तक का लीड टाइम प्राप्त करना।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्र** की योजना है (2016)। • यह परियोजना **विश्व बैंक** द्वारा सहायता प्राप्त (50% ऋण) है। • परियोजना के घटक निम्नलिखित हैं: ○ स्व-स्थाने जल-मौसम निगरानी प्रणाली तथा जल-मौसम डेटा अधिग्रहण प्रणाली (In Situ Hydromet Monitoring System and Hydromet Data Acquisition System)। ○ राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (National Water Informatics Centre: NWIC) की स्थापना। ▪ हाल ही में इसे जल संसाधन से संबंधित व्यापक डेटा को बनाए रखने हेतु स्थापित किया गया है।

	○ जल संसाधन संचालन तथा प्रबंधन प्रणाली। ○ जल संसाधन संस्थान तथा क्षमता निर्माण। • NHP से **जल-मौसम विज्ञान (Hydro-meteorological) संबंधित डाटा** एकत्रित करने में सहायता मिलेगी और इसका रियल टाइम के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा तथा किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा सकेगा। • यह जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा के संयोजन और प्रबंधन के माध्यम से **नदी बेसिन एप्रोच को अपनाकर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन** की सुविधा प्रदान करेगा। यह जल संसाधन मूल्यांकन में भी सहायता प्रदान करेगा।

14.6. बांध पुनरूद्धार और सुधार परियोजना 2.0

{Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP) 2.0}

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• चयनित मौजूदा बांधों और इनसे संबद्ध उपकरणों की **सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन** में स्थायी रूप से सुधार करना, • प्रतिभागी राज्यों/ कार्यान्वयन एजेंसियों (CWC) की **बांध सुरक्षा संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना।**	भारत के **सात राज्य,** मुख्यतः झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड	• यह एक **बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना है** क्योंकि सम्पूर्ण परियोजना का 80% **विश्व बैंक** द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है और शेष 20% राज्य / केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। • इसके तहत बांधों की मरम्मत और पुनरूद्धार का कार्य किया जाएगा। • बांधों के लिए **आपातकालीन कार्य योजना (EAP)** प्रस्तावित है, जो एक बांध से संबंधित संभावित आपातकालीन स्थितियों की पहचान करती है और जीवन एवं संपत्ति की हानि के न्यूनीकरण हेतु प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है।

बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी एप्लीकेशन (DAM HEALTH AND REHABILITATION MONITORING APPLICATION: DHARMA)	DHARMA बांध संबंधित सभी डेटा के प्रभावी ढंग से डिजिटलीकरण हेतु आरंभ किया गया एक वेब टूल है। **यह देश में बड़े बांधों से संबंधित परिसंपत्ति तथा स्वास्थ्य सूचना के प्रामाणिक प्रलेखन** में सहायता करेगा और आवश्यकता आधारित पुनर्वास सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाएगा।

14.7. जल जीवन मिशन

{Jal Jeevan Mission (JJM)}

उद्देश्य	विशेषताएँ
• JJM का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (हर घर नल से जल) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection: FHTC) उपलब्ध कराना है। ○ FHTC: एक नल कनेक्शन की कार्यक्षमता को आधारभूत संरचना के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे- घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से दीर्घकालीन रूप से निरंतर व पर्याप्त मात्रा में जल प्रदान करना अर्थात् नियमित आधार पर निर्धारित	• JJM, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) का एक उन्नत संस्करण है, जिसे वर्ष 2009 में आरंभ किया गया था। • **JJM के तहत घटक:** ○ गांव में प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन हेतु जल आपूर्ति अवसंरचना का विकास। ○ जल आपूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता

गुणवत्तायुक्त (BIS: 10500 मानक) कम से कम 55 lpcd (लीटर प्रति व्यक्ति) जलापूर्ति उपलब्ध कराना।

- स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।

प्रदान करने हेतु विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/या विद्यमान स्रोतों का संवर्द्धन करना।

  - जहाँ जल की गुणवत्ता से संबंधित समस्या विद्यमान है, वहां संदूषकों को हटाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप करना।
  - **ग्रे वाटर प्रबंधन** (घरेलू मल-रहित अपशिष्ट जल)।
  - उपयोगिताओं (utilities), जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी, शोध एवं विकास, नॉलेज सेंटर, समुदायों की क्षमता-निर्माण आदि का विकास करना।
- **समुदाय संचालित दृष्टिकोण:** भारत के संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वीं अनुसूची में "पेयजल" को समाविष्ट किया गया था। इसलिए, JJM के तहत, ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
- **फंड शेयरिंग पैटर्न:** हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **कार्यान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र:**
  - **राष्ट्रीय जल जीवन मिशन:** राज्यों को नीतिगत मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  - **राज्य जल और स्वच्छता मिशन (State Water and Sanitation Mission: SWSM):** राज्य कार्रवाई योजना (SAP), वित्तीय योजना आदि को अंतिम रूप प्रदान करना।
  - **जिला जल और स्वच्छता मिशन (District Water and Sanitation Mission: DWSM):** इसकी अध्यक्षता उपायुक्त/जिला कलेक्टर (DC) द्वारा की जाती है और यह JJM के समग्र कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है।
  - **ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समितियाँ:** प्रत्येक मौजूदा ग्रामीण परिवार को FHTC प्रदान करना, ग्राम कार्रवाई योजना (VAP) की तैयारी सुनिश्चित करना आदि।
- **कार्यान्वयन रणनीति:**
  - योजनाओं का समयबद्ध समापन प्रस्तावित किया गया है।
  - उन बस्तियों को कवर करने को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ जल गुणवत्ता अत्यधिक प्रभावित है।
  - विद्युत शुल्क, नियमित कर्मचारियों के वेतन और भूमि की खरीद आदि जैसे किसी भी व्यय को

	केंद्रीय हिस्से पर भारित नहीं किया जाएगा। ○ **उपयोगिता-आधारित दृष्टिकोण:** यह संस्थानों को सेवाप्रदाताओं के रूप में कार्य करने और पेयजल आपूर्ति सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा सभी प्रकार के उपभोक्ताओं से जल शुल्क वसूल करने में सक्षम बनाएगा। ○ **अभिसरण:** वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण आदि जैसे उपायों को लागू करने हेतु मनरेगा जैसी मौजूदा योजनाओं के साथ एकीकृत करना। ○ **समुदाय हेतु प्रोत्साहन:** समुदाय को उनके संबंधित ग्राम-जलापूर्ति योजना में पूंजीगत व्यय के 10% का व्यय करने हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। ○ **जल गुणवत्ता निगरानी और जांच (WQM&S):** इसके अंतर्गत समुदाय द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और निगरानी गतिविधियों की स्थापना एवं रखरखाव करना शामिल है।

जलमणि कार्यक्रम	इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2008 से **ग्रामीण विद्यालयों में स्टैंड अलोन जल शोधन प्रणाली** की स्थापना की जा रही है। इसमें जल शोधन प्रणाली का स्वामित्व विद्यालय अधिकारियों के पास होता है, जबकि इस कार्यक्रम के संचालन के लिए धन राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है।
स्वजल	• यह सामुदायिक मांग द्वारा संचालित, विकेन्द्रीकृत, एकल ग्रामीण और मुख्यतः सौर ऊर्जा से संचालित एक मिनी पाइप्ड वाटर सप्लाई (PWS) कार्यक्रम है। इसे नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षी जिलों में प्रारम्भ किया गया है। • ग्रामीण समुदायों और राज्य क्षेत्रक एजेंसियों के साथ साझेदारी में ग्राम पंचायतों को इस योजना के निष्पादन हेतु शामिल किया जाएगा तथा ये इस योजना का संचालन और देख-रेख भी करेंगी। **यह कार्यक्रम ODF स्थिति को भी बनाए रखेगा।** • इस योजना के तहत स्वजल इकाइयों के संचालन और रखरखाव के लिए सैकड़ों ग्रामीण तकनीशियनों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

14.8. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (National Aquifer Mapping and Management : NAQUIM)	• जलभृत (एक्विफ़ायर) मानचित्रण कार्यप्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य **"अपने जलभृत को जानें, अपने जलभृत को प्रबंधित करें" (Know your Aquifer, Manage your Aquifer)** के रूप में समझा जा सकता है। • इस कार्यक्रम को उन्नत तकनीकों के माध्यम से जलभृत का मानचित्रण करने हेतु आरंभ किया गया था। यह जलभृत पुनर्भरण एवं नदी तट निस्यंदन के प्रबंधन तथा अत्यधिक संकटग्रस्त उपखंड एवं दूषित उपखंडों की पहचान करने में सहायता करेगा। • यह भूजल अभिगम्यता और गुणवत्ता पहलुओं के साथ भूजल उपलब्धता को एकीकृत करने में मदद कर सकता है। यह **राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम (NGMIP)** का सबसे बड़ा घटक है। • जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके संबद्ध संस्थानों के अंतर्गत केंद्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, विश्व बैंक, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFID) और राज्य भूजल विभाग शामिल हैं।

VISION IAS

जल संसाधन सूचना प्रणाली (WRIS)	INDIA-WRIS WebGIS भारत के **जल संसाधनों** तथा उनसे संबद्ध प्राकृतिक संसाधनों के व्यापक एवं प्रामाणिक **आंकड़ों** के लिए **एक सिंगल विंडो** समाधान है। यह समेकित जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) के लिए आंकड़ों की खोज, पहुँच तथा विश्लेषण के उपकरणों के साथ एक मानकीकृत राष्ट्रीय GIS फ्रेमवर्क से अनुरूप है। इस परियोजना को संयुक्त रूप से CWC, MoWR और NRSC, ISRO, DoS द्वारा वर्ष 2009 में प्रारम्भ किया गया है।
अर्थ गंगा	• यह गंगा नदी के तट पर आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से एक **संधारणीय विकास का मॉडल** प्रस्तुत करती है। • **इस प्रक्रिया के भाग:** ○ किसानों को संधारणीय कृषि प्रथाओं में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें जीरो बजट फार्मिंग आदि सम्मिलित हैं। ○ **जल क्रीड़ा के लिए अवसंरचना** का निर्माण किया जाना चाहिए तथा शिविर स्थलों, साइक्लिंग और पैदल ट्रैक आदि का भी विकास किया जाए। ○ **महिला स्वयं सहायता समूहों** और पूर्व सैनिक संगठनों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ○ नदी बेसिन क्षेत्र की **'हाइब्रिड' पर्यटन क्षमता** (धार्मिक और साथ ही साहसिक पर्यटन के प्रयोजनार्थ) को विकसित करना।

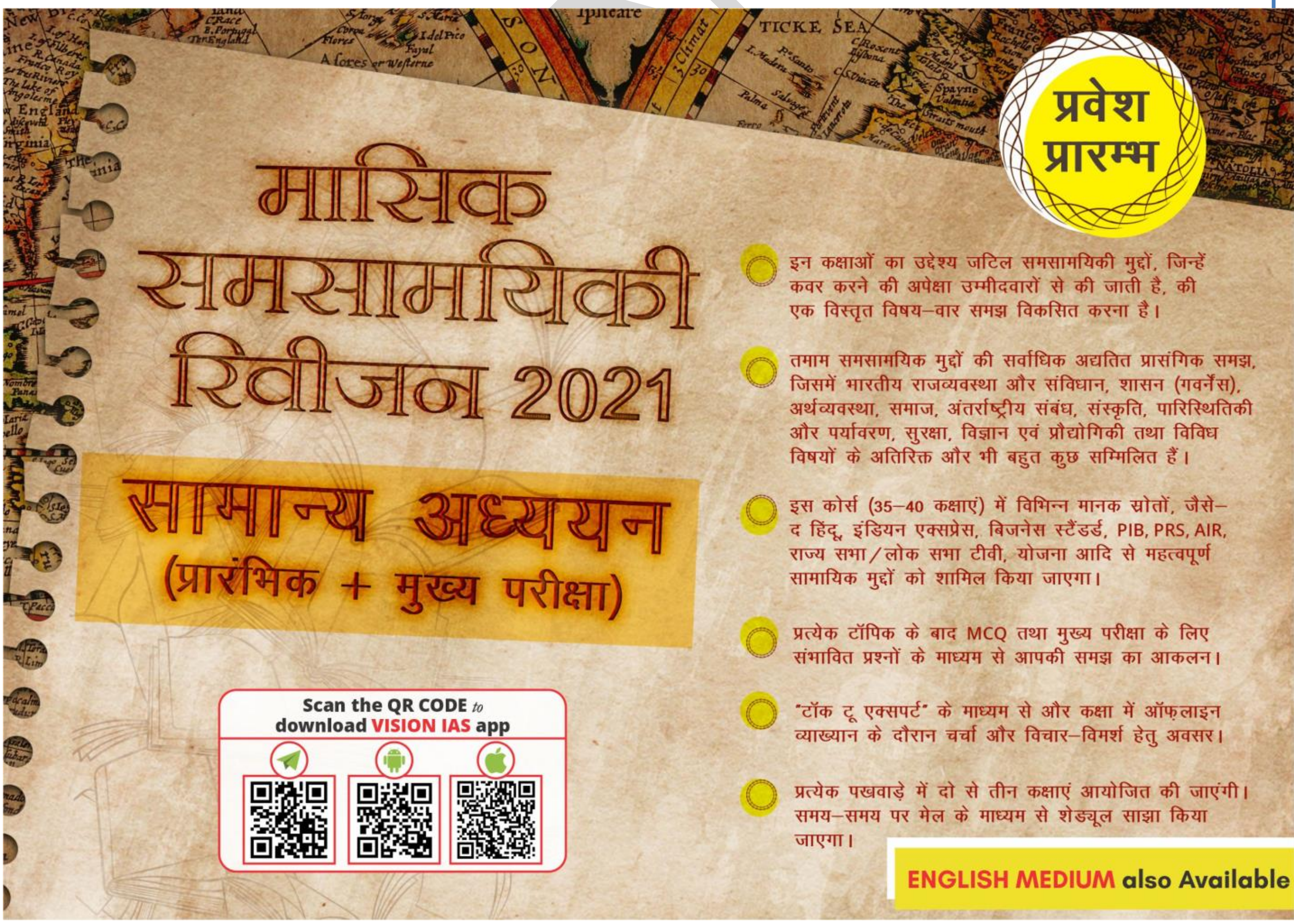

15. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(Ministry of Earth Sciences)

15.1. राष्ट्रीय मानसून मिशन (द्वितीय चरण 2017-2020)

{National Monsoon Mission (Phase II 2017-2020)}

उद्देश्य	प्रतिभागी संस्थान	विशेषताएं
• मौसमी तथा अंतर-मौसमी मानसून पूर्वानुमानों में सुधार करना • मध्यम अवधि पूर्वानुमानों में सुधार करना • समय के अलग-अलग सभी पैमानों के लिए अर्थात् छोटी अवधि से लेकर मौसमी अवधि तक, **मानसून वर्षा के लिए अत्याधुनिक गतिशील पूर्वानुमान तंत्र** का विकास करना।	• **पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान** (IITM), मौसमी तथा अंतर-मौसमी पैमानों पर पूर्वानुमानों को सुधारने के प्रयासों का समन्वय एवं नेतृत्व करेगा। • नोएडा में स्थित **राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र** (NCMRWF), मध्यम अवधि के पैमाने से दो सप्ताह तक के पूर्वानुमानों में सुधार लाने के प्रयासों का नेतृत्व एवं समन्वय करेगा। • इन्हें **भारत मौसम विज्ञान विभाग** (IMD), नई दिल्ली द्वारा परिचालित कराया जाएगा।	• लंबी अवधि के पूर्वानुमानों (एक ऋतू तक) के लिए, **जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली** (CFS) नामक अमेरिकी मॉडल का उपयोग किया जाता है, जो कि एक **युग्मित-महासागर पूर्वानुमान प्रणाली** है अर्थात् यह महासागर, वातावरण तथा भूमि से लिए गये आंकड़ों को जोड़ती है। • लघु से मध्यम अवधि तक के पूर्वानुमानों के लिए UK द्वारा विकसित **एकीकृत मॉडल (UM)** का उपयोग किया जाता है। • इस मिशन के पहले चरण में, IMD **हाई रेजोल्यूशन-कपल्ड डायनैमिकल प्रेडिक्शन सिस्टम** (मौसमी तथा विस्तारित समय पैमाने के लिए) को विकसित करने में सक्षम रहा था। **IMD ने पहली बार मानसून मिशन गतिशील मॉडल का उपयोग भारत में वर्ष 2017 की मानसून वर्षा के सम्बन्ध में प्रचालनात्मक (ऑपरेशनल) मौसमी पूर्वानुमान को तैयार करने के लिए किया था।** • मंत्रालय ने अब **अगले 3 वर्षों (2017-2020) के लिए मानसून मिशन कार्यक्रम के द्वितीय चरण** का शुभारंभ किया है जिसमें मानसून की चरम सीमाओं के पूर्वानुमान पर तथा मानसून के पूर्वानुमानों पर आधारित अनुप्रयोगों के विकास पर बल दिया गया है।

15.2. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

सफ़र (SAFAR)	• विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा **वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली** (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research: SAFAR) का शुभारम्भ किया गया।

VISION IAS

महासागर सेवाएं, प्रौद्योगिकी, अवलोकन, संसाधन मॉडलिंग और विज्ञान (ओसन सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ऑब्जरवेशन, रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस: O-SMART)"	• इस योजना में महासागर विकास गतिविधियों, जैसे- सागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, संसाधनों, अवलोकनों और विज्ञान से संबंधित 16 उप-परियोजनाएं शामिल हैं। • O-SMART के कार्यान्वयन से सतत विकास लक्ष्य (SDG)- 14 से जुड़े मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि SDG-14 का उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागरों और समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग और उन्हें संरक्षित करना है। • यह योजना ब्लू इकॉनमी के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी आधार भी प्रदान करती है।
रेड एटलस एक्शन प्लान मैप (चेन्नई के लिए)	• इस एटलस का उद्देश्य चेन्नई में बाढ़ शमन, तैयारियों, कार्यवाही और प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करना है। • इसे तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (SDMA) और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के सहयोग से भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (NCCR) तथा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग (NCMRWF) द्वारा तैयार किया गया है।
गगन एनेबल्ड मेरिनर इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इनफार्मेशन (GEMINI) डिवाइस	• यह एक निम्न लागत वाला उपकरण है, जिसे 'संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र (Potential Fishing Zones: PFZ)' और 'ओसियन स्टेट फोरकास्ट (Ocean States Forecasts: OSF)' तथा आपदा चेतावनियों या मछुआरों के लिए पूर्वानुमानों को जारी करने हेतु GAGAN (GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन) उपग्रह प्रणाली का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • इस उपकरण को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन 'इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज (INCOIS)' नामक स्वायत्त निकाय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

VISION IAS

16. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(Ministry of Electronics & IT)

16.1. डिजिटल इंडिया

(Digital India)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना।	• **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित तीन मुख्य दृष्टिकोणों पर आधारित है:** प्रत्येक नागरिक के लिए एक यूटिलिटी (utility) के तौर पर डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध कराना; मांग आधारित गवर्नेंस और सेवाएं प्रदान करना; एवं नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना।
	• **इसके कार्यक्रम के नौ स्तंभ हैं, यथा-** ब्रॉडबैंड हाई-वे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौम पहुँच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार करना, ई-क्रान्ति: NeGP 2.0, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम।
	  ○ **ई-क्रांति: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) 2.0 -** ई-क्रांति का उद्देश्य परिवर्तनशील और परिणामोन्मुखी ई-गवर्नेंस पहलों को प्रोत्साहित करने हेतु NeGP को पुनः परिभाषित करना, एकीकृत (व्यक्तिगत नहीं) सेवाएं प्रदान करना तथा कोर ICT के इष्टतम उपयोग एवं नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देना है।
	• ई-गवर्नेंस से संबद्ध परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जहां भी संभव हो, **सार्वजनिक निजी भागीदारी** को प्राथमिकता दी जाएगी।
	• डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन हेतु इसकी कार्यक्रम प्रबंधन संरचना में निम्नलिखित शामिल होंगे:
	  ○ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली डिजिटल इंडिया निगरानी समिति,
	  ○ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह तथा
	  ○ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति(Apex Committee)।
	• कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में **मुख्य सूचना अधिकारी (CIO)** के पद का सृजन किया जाएगा, ताकि ई-गवर्नेंस की विभिन्न परियोजनाओं का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन हो सके।
	• देश के प्रत्येक कोने में डिजिटल इंडिया का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से 2.5 लाख से अधिक **कॉमन सर्विसेज सेंटरों** का एक विशाल नेटवर्क सृजित किया गया है। इसने भारत के गरीबों, सीमांत लोगों, दलितों और महिलाओं के मध्य डिजिटल उद्यमियों का विकास किया है।

16.2. जीवन प्रमाण

(Jeevan Pramaan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत/दाखिल करने की ऑन-लाइन सुविधा उपलब्ध कराना; तथा • **जीवन प्रमाण-पत्र** पाने की प्रक्रिया को आसान और	• केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशन भोगी।	• यह पेंशनभोगियों के लिए आधार बॉयोमीट्रिक प्रमाणन आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificates: DLCs) है। • कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs), बैंकों और सरकारी कार्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न जीवन प्रमाण केंद्रों के माध्यम से DLC प्राप्त किया जा सकता है, अथवा PC/मोबाइल/टैबलेट पर क्लाइंट

बाधा रहित बनाना।		(ग्राहक) एप्लिकेशन का उपयोग करके भी इसे (DLC) प्राप्त किया जा सकता है। • पेंशनभोगियों को अपने खाते में पेंशन की राशि को जारी रखने हेतु प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में स्वयं जाकर अपना जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था। हालांकि, अब डिजिटल प्रमाणन सुविधा उपलब्ध होने से इसकी अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी।

16.3. प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

(Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• 31 मार्च 2020 तक पात्र परिवारों से एक सदस्य को शामिल करके लगभग 40% ग्रामीण परिवारों तक पहुंच स्थापित करते हुए **6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर** बनाना।	• **14 से 60 वर्ष** के आयु समूह के भारतीय नागरिक। • इसमें निम्नलिखित को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी: नॉन-स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता, अंत्योदय परिवार, कॉलेज छोड़ने वाले, व्यस्क साक्षरता मिशन के भागीदार तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वैसे डिजिटल रूप से असाक्षर स्कूली छात्र जिनके स्कूल में कंप्यूटर/ICT प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है।	• यह नागरिकों को कंप्यूटर अथवा डिजिटल उपकरणों को संचालित करने में सशक्त बनाएगा। इस प्रकार यह उन्हें IT तथा इससे संबद्ध सेवाओं, **विशेष रूप से डिजिटल भुगतान** के लिए सशक्त बनाएगा। • इसका लक्ष्य ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें हाशिये पर स्थित वर्ग (SC, ST, BPL, महिलाएं, नि:शक्तजन और अल्पसंख्यक) शामिल हैं, उन्हें लक्षित करके **डिजिटल डिवाइड (अंतराल) को कम करना** है। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV)। • जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी, ग्राम पंचायतों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से CSC-SPV द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।

16.4. साइबर स्वच्छता केन्द्र

(Cyber Swachhta Kendra: CSK)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• बॉटनेट/मालवेयर के खतरों के बारे में सूचना प्रदान कर और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देकर डिजिटल इंडिया के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना।	• इसे **बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर** के नाम से भी जाना जाता है। • यह डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के प्रावधानों के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी टीम (CERT-In) द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। • इसे 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति' के उद्देश्यों के मद्देनजर स्थापित

	किया गया है। यह नीति देश में एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिक तंत्र के सृजन की परिकल्पना करती है। • यह केंद्र, दूरसंचार विभाग, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स: ISPs), एंटीवायरस कंपनियों और उद्योगों के साथ समन्वय कर कार्य करता है। • यह बॉटनेट एवं मालवेयर संक्रमण के संबंध में नागरिकों के मध्य जागरुकता को भी बढ़ाएगा तथा साथ ही नागरिकों के उपकरणों को सुरक्षित करने के उपायों की जानकारी प्रदान करेगा। ○ वर्तमान में बॉटनेट का उपयोग करके किए जाने वाले विख्यात साइबर अटैक को डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल ऑफ सर्विस (DDOS) अटैक कहा जाता है।

CSK के अंतर्गत प्रदत्त टूल्स	प्रकार्य
M कवच	• यह एंड्रॉइड **मोबाइल उपकरणों से संबंधित** विभिन्न खतरों का समाधान करने के लिए स्वदेश में विकसित एक **व्यापक सुरक्षा** समाधान है।
USB प्रतिरोध	• यह USB, मेमरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसे **विभिन्न एक्सटर्नल स्टोरेज (बाह्य संग्रह) डिवाइस** को सुरक्षित रखने में सहयोगी एक USB रक्षक है।.
AppSamvid (एप्प संविद)	• यह एक प्रकार का डेस्कटॉप समाधान है, जो **व्हाइट लिस्टिंग के माध्यम से वास्तविक एप्लीकेशन को इन्स्टॉल करने की अनुमति प्रदान कर सिस्टम की सुरक्षा** करता है।

16.5. भारत BPO संवर्द्धन योजना

(India BPO Promotion Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• विशेष रूप से BPO/ITES संचालन की स्थापना करके IT/IT समर्थित सेवा उद्योग को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना।	• इसका उद्देश्य व्यवहार्यता अन्तराल वित्तपोषण (VGF) के रूप में 1 लाख रुपये प्रति सीट की वित्तीय सहायता के साथ राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में राज्यों के मध्य वितरित 48,300 सीटों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। • महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को नियोजित करने तथा लक्ष्य से आगे बढ़कर रोजगार सृजन करने एवं राज्य के भीतर इनके व्यापक प्रसार के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं। • इसमें स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा पहाड़ी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना भी शामिल है। • **बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुणे** जैसे महानगरों को इस योजना से बाहर रखा गया है। • **कार्यान्वयन एजेंसी- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया (STPI)**। यह MeitY के तहत एक स्वायत्त संस्था है। • पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5,000 सीटों वाले BPO/ITES के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए **'डिजिटल भारत' कार्यक्रम** के अंतर्गत एक पृथक पूर्वोत्तर BPO संवर्धन योजना का भी प्रावधान किया गया है।

VISION IAS

16.6. राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग अभियान

(National Supercomputing Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारत को सुपर कम्प्यूटिंग क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में से एक बनाना तथा भारत को राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों को सुलझाने में सक्षम बनाना। • वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा हासिल करना तथा सुपर कम्प्यूटिंग प्रौद्योगिकी के रणनीतिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता सुनिश्चित करना। • इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक देश के राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में कुछ टेरा फ्लॉप्स (TF) से लेकर सैकड़ों टेरा फ्लॉप्स (TF) के सुपर कंप्यूटरों का एक नेटवर्क तथा 3 पेटा फ्लॉप्स (PF) के बराबर या उससे अधिक की क्षमता वाली तीन प्रणालियों को स्थापित करना है।	• इस अभियान को **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC)** तथा **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC), बंगलुरु** (अर्थात् दो एजेंसियों) के माध्यम से **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** एवं **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY)** द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। • इस अभियान के अंतर्गत 70 उच्च क्षमता युक्त कंप्यूटिंग सुविधाओं वाला एक विशाल सुपरकम्प्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर पूरे देश में फैले हमारे राष्ट्रीय अकादमिक तथा शोध और विकास संस्थानों को और अधिक सक्षम बनाने पर विचार किया जा रहा है। • इन सुपरकम्प्यूटरों को नेशनल नॉलेज नेटवर्क (इसी मंत्रालय के अंतर्गत अकादमिक संस्थानों तथा शोध और विकास प्रयोगशालाओं को तीव्र-गति वाला नेटवर्क प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम) पर राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग ग्रिड से भी जोड़ा जाएगा। • इस अभियान में उच्च निष्पादन-क्षमता युक्त कम्प्यूटिंग (HPC) से सुपरिचित अत्यधिक पेशेवर मानव संसाधन का विकास करना भी शामिल है।

16.7. स्त्री स्वाभिमान

(Stree Swabhiman)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• सम्पूर्ण समाज को वृहत स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए महिला उद्यमियों का सशक्तीकरण करना ताकि वे अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC's) के माध्यम से न केवल सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाएं बल्कि महिलाओं को इस सामाजिक वर्जना से बाहर निकलने हेतु शिक्षित कर सकें तथा सैनिटरी पैडों के उपयोग को भी प्रोत्साहन दे सकें।	ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी महिला उद्यमी	• इस परियोजना के अंतर्गत पूरे भारत में, ख़ास तौर से महिला उद्यमियों द्वारा संचालित CSC's पर, छोटी **सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाइयां (अर्द्ध-स्वचालित एवं हाथ से चलाई जाने वाली उत्पादन इकाई)** स्थापित की जा रही हैं। • इस उत्पाद (सैनिटरी नैपकिन) को **'स्वाभिमान ब्रांड'** के नाम से बेचा जाएगा तथा यह संगठन ग्रामीण स्तर की उद्यमियों (VLE's) तथा SHG समूहों की सहायता से सैनिटरी नैपकिन को अनुदानित दर पर बेचने के लिए व्यापार संबंधी लाइसेंस प्राप्त करेगा। • इसमें मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता जागरुकता सृजन से जुड़ा हुआ एक घटक भी शामिल है तथा इसका उद्देश्य 7वीं से 12वीं तक की 1000 छात्राओं को उनके ग्राम के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराते हुए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ावा देना है। • CSC SPV देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए वित्त की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा।

16.8. इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि

(Electronics Development Fund: EDF)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• डिजिटल भारत योजना में परिकल्पित वर्ष 2020 तक	• इसे व्यावसायिक रूप से प्रबंधित "डॉटर फ़ंड्स" का समर्थन करने हेतु **"फ़ंड ऑफ़ फ़ंड्स"** के रूप में स्थापित किया गया है। बदले में डॉटर फ़ंड्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी, सूक्ष्म-

"सकल शून्य आयात" का लक्ष्य प्राप्त करना।	इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाली कंपनियों को जोखिम पूँजी प्राप्त हो सकेगी। • EDF विशिष्ट क्षेत्रों में R&D और नवोन्मेष की दिशा में उद्यम निधि (venture funds), एंजेल फंड्स तथा प्रारंभिक निधि को आकर्षित करने में भी सहायता करेगा। • इससे **डॉटर फ़ंड्स तथा फ़ंड मैनेजर्स (निधि प्रबंधकों) की पूरी श्रृंखला** का निर्माण हो सकेगा, जो अच्छे स्टार्ट-अप्स (संभावित विजेताओं) का पता लगा कर व्यावसायिक पैमानों पर उनका चयन कर पाएंगे। • कैनबैंक उद्यम पूँजी निधि लिमिटेड (CANBANK Venture Capital Funds Ltd.-CVCFL) EDF का निधि प्रबन्धक है।

16.9. सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति, 2019

(National Policy on Software Products, 2019)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **सॉफ्टवेयर उत्पादों से संबंधित एक सुदृढ़ परिवेश का सृजन करना,** जिसका उद्देश्य भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पादक राष्ट्र और वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करना है। • इस नीति का उद्देश्य अन्य सरकारी पहलों, जैसे- स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया इत्यादि के साथ समन्वय स्थापित करना है, ताकि वर्ष 2025 तक इस उद्योग के कारोबार को 40 प्रतिशत की **मिश्रित वार्षिक विकास दर (CAGR)** के साथ 70-80 बिलियन डॉलर का बनाया जा सके तथा 3.5 मिलियन लोगों के लिए रोज़गार के अवसर सृजित किए जा सकें।	• इस नीति के तहत निम्नलिखित पांच मिशन को शामिल किया गया है: ○ बौद्धिक संपदा (IP) द्वारा संचालित **एक स्थायी भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को प्रोत्साहित करना,** जिससे वर्ष 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दस गुना की वृद्धि की जा सके। ○ सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में **10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को पोषित करना** जिसमें टीयर-2 और टीयर-3 नगरों व शहरों में संचालित 1,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल हैं तथा वर्ष 2025 तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख लोगों के लिए रोज़गार सृजित करना है। ○ सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए एक **प्रतिभा पूल का निर्माण** करना। इसके लिए 10 लाख सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के कौशल में वृद्धि करना, 1 लाख स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और नेतृत्व प्रदान करने वाले 10,000 विशेषीकृत पेशेवरों का सृजन करना। ○ एकीकृत ICT अवसंरचना, विपणन, इनक्यूबेशन (उद्भवन), अनुसंधान व विकास / परीक्षण मंच और परामर्श सहयोग वाले 20 क्षेत्रवार व रणनीतिक रूप से स्थित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टर विकसित करते हुए एक **क्लस्टर आधारित नवाचार संचालित परिवेश का निर्माण करना।** ○ इस नीति के कार्यान्वयन हेतु योजना और कार्यक्रमों को विकसित करने तथा निगरानी करने के लिए **राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन** की स्थापना की जाएगी जिसमें सरकार, शिक्षा समुदाय और उद्योग आदि भागीदार होंगे। • **राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन (NSPM)** को सरकार, शिक्षा तथा उद्योग क्षेत्र से भागीदारी के साथ एक **संयुक्त सचिव की अध्यक्षता** में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित किया जाएगा। • इस नीति के अंतर्गत परिकल्पित की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आगामी सात वर्षों के लिए 1,500 करोड़ रुपये के व्यय को शुरुआती तौर पर शामिल किया गया है। ○ इस राशि को **सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि (SPDF)** और **अनुसंधान**

	एवं नवाचार निधि में विभाजित किया जाएगा।

16.10. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना

(Software Technology Park Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• संचार संपर्कों (communication links) या भौतिक माध्यमों का उपयोग करते हुए व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात सहित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात के लिए इस योजना की परिकल्पना की गई है।	• प्रथम सॉफ्टवेयर नीति वर्ष 1986 में प्रस्तुत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1991 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STP) योजना आरम्भ की गई थी। • यह 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना है, जिसमें **100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU)**, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZ) तथा साइंस पार्कों / टेक्नोलॉजी पार्कों को एकीकृत किया जाता है। • यह एक विशिष्ट प्रकृति की योजना है क्योंकि यह केवल एक उत्पाद/क्षेत्रक, अर्थात् कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर बल देती है। • इसकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: o सदस्य इकाइयों के लिए एकल-बिंदु संपर्क सेवाओं की व्यवस्था। o कोई कंपनी भारत में कहीं भी STP इकाई स्थापित कर सकती है। o 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति। o STP इकाइयों में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के सभी आयात पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। साथ ही, सेकेंड हैंड पूंजीगत माल के आयात की भी अनुमति है। o पूंजीगत माल के पुनः निर्यात की भी अनुमति है। o घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (Domestic Tariff Area: DTA) में निर्यात के 50 प्रतिशत मूल्य तक की बिक्री की अनुमति होगी।

16.11. संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना

{Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टरों (EMCs) के माध्यम से विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ-साथ सामान्य सुविधा केंद्रों को विकसित करना। • ESDM क्षेत्र के विकास में सहायता के लिए, उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मदद करना, नवाचार को बढ़ावा देना तथा इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करके, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर राजस्व में वृद्धि करके क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि को उत्प्रेरित करना।	• इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा **वर्ष 2012 में EMC योजना (1.0)** को **अधिसूचित किया गया था,** जो अक्टूबर, 2017 तक आवेदनों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध थी। अब अनुमोदित परियोजनाओं के लिए फंड के संवितरण हेतु आगामी 5 वर्ष (अर्थात अक्टूबर, 2022 तक) की अवधि निर्धारित की गई है। • यह **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE) 2019** के अनुरूप है। • EMC 2.0 योजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स (EMCs) और सामान्य सुविधा केंद्र (CFCs) **दोनों की स्थापना में सहायता प्रदान** करेगी। o EMC को विशिष्ट न्यूनतम दायरे वाले निकटवर्ती भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। इसके तहत बुनियादी अवसंरचना, विशिष्ट सुविधाओं और ESDM इकाइयों के लिए अन्य सामान्य सुविधा केंद्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। o CFC के लिए संबंधित क्षेत्र में मौजूद ESDM इकाइयां व्यापक संख्या में अवस्थित होनी चाहिए और इसके तहत साझा तकनीकी अवसंरचना को उन्नत करने एवं इस प्रकार के EMCs, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/औद्योगिक गलियारों में ESDM इकाइयों के लिए सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित

	किया गया है। • **8 वर्षों की अवधि** तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • यह भारत में बड़ी कंपनियों को उनके संपूर्ण विनिर्माण परिवेश के साथ आकर्षित करने में सहायक होगा।

16.12. इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना

(Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors: SPECS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण परिवेश का सृजन करना।
• इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला का विस्तार करना।
	• हाल ही में कैबिनेट द्वारा, इस योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अर्धचालकों (सेमीकंडक्टरों) के निर्माण के लिए निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों हेतु अनुसंधान एवं विकास सहित संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपयोगिताओं और प्रौद्योगिकी के लिए पूंजीगत व्यय पर **25 प्रतिशत प्रोत्साहन** उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है।
	• इससे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण और कम्प्यूटर हार्डवेयर जैसे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के सभी खंडों की आवश्यकताएं पूर्ण होंगी।
	• **लाभ:**
	  ○ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के नए निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
	  ○ विनिर्माण इकाइयों में लगभग 1,50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की अपेक्षा की गई है, वहीं लगभग 4,50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त होने की संभावना है।
	  ○ व्यापक पैमाने पर घटकों के घरेलू विनिर्माण से आयात पर निर्भरता में कमी आएगी, जिससे डिजिटल सुरक्षा में भी वृद्धि होगी।

16.13. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना

(Production linked incentive schem: PLI)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा** देना। • मोबाइल फोन के विनिर्माण, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तथा **एसेम्बली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग (ATMP)** इकाइयों सहित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला के क्षेत्र में व्यापक निवेश को आकर्षित करना।	• इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों को भारत में विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर (आधार वर्ष के सापेक्ष) 4 से 6 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा तथा आगामी 5 वर्षों की अवधि में पात्र कंपनियों को लक्षित क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। • यह योजना **केवल लक्षित खंडों अर्थात् मोबाइल फोन और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ही लागू** होगी। • सरकार का अनुमान है कि PLI योजना के तहत, **मोबाइल फोन के लिए घरेलू मूल्य वृद्धि** 20-25 के मौजूदा स्तर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 35-40 प्रतिशत होने की संभावना है तथा इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से **8 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित** होंगे। • यह योजना 2-4 **"चैंपियन भारतीय कंपनियों"** के सृजन में भी सहायता करेगी।

16.14. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजनाएँ	प्रमुख विशेषताएं
डिजिशाला	• यह एक फ्री-टू-एयर चैनल है इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नोटबंदी-उपरांत **नकदी रहित लेन-देन** को प्रोत्साहित करना है। • इसे **'डिजीधन' अभियान** के भाग के रूप में आरंभ किया गया था जिसका लक्ष्य डिजिटल संव्यवहार (लेन-देन) संबंधी जागरुकता फैलाना है।
साइबर सुरक्षित भारत पहल	• इसे 'डिजिटल इंडिया' के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तथा भारत में साइबर सुरक्षा पारितंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) और उद्योग जगत के भागीदारों के सहयोग से MeitY द्वारा लॉन्च किया गया है। • यह अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी साझेदारी है तथा इसके द्वारा साइबर सुरक्षा में आई.टी. उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा। • इसके संस्थापक साझेदारों में आई.टी. क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां, जैसे- माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो आदि सम्मिलित हैं। इसके *नॉलेज पार्टनर्स* में CERT-In, NIC, NASSCOM तथा कंसल्टेंसी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां Deloitte और EY आदि हैं। • इसका संचालन **जागरुकता, शिक्षा एवं सक्षमता** के तीन सिद्धांतों पर किया जाएगा। • इसका लक्ष्य सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) एवं अग्रिम पंक्ति के आई.टी. कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण करना तथा साइबर अपराध के बारे में जागरुकता का प्रसार करना है।
ई-संपर्क	• इसका लक्ष्य **अभियानों का डिजिटलीकरण कर अग्रसक्रिय संचार स्थापित** करना है तथा मेल, आउटबाउंड डायलिंग एवं SMS अभियानों के माध्यम से सरकार को सीधे **भारत भर के नागरिकों से जोड़ना** है। • यह नोडल अधिकारियों, प्रतिनिधियों और नागरिकों के संपर्कों के एक डेटाबेस का भी प्रबंध करता है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय खतरों पर जागरूकता कार्यक्रम	• इसका लक्ष्य वर्कशॉप/सेमिनारों के निर्माण के लिए MeitY समुदाय, अकादमिक संस्थाओं, उद्योग संघों और व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और ई-अपशिष्ट के कुप्रभावों पर व्यापक जागरुकता प्रसार हेतु अभियान सामग्री का निर्माण करना है।
सेवा के रूप में सुरक्षित (SECURE), मापनीय (SCALABLE) और सुगम्य वेबसाइट (S3WAAS)	• यह एक वेबसाइट निर्माण तथा परिचालन उत्पाद है, जिसे NIC के राष्ट्रीय क्लाउड पर आयोजित किया गया है। • यह कस्टमाइज़ किए जा सकने की उच्च क्षमता वाले टेम्पलेट का प्रयोग कर सुरक्षित वेबसाइट बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध कराएगी। इन वेबसाइटों को स्केलेबल सॉफ्टवेयर द्वारा परिभाषित अवसंरचना पर निर्बाध रूप से परिनियोजित किया जा सकता है।
GI क्लाउड – मेघराज	• इसका लक्ष्य **क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग करना** एवं उन्हें उपयोग में लाना है, जिसमें सरकार के ICT के व्यय को अनुकूलित बनाते हुए देश में **ई-सेवाओं के वितरण में तेजी लाने पर ध्यान** केंद्रित किया गया है। • GI क्लाउड की वास्तुशिल्प की परिकल्पना में मौजूदा या नई (उन्नत) अवसंरचना पर निर्मित कई स्थानों पर फैले अलग-अलग क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक समुच्चय सम्मिलत है जो भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य प्रोटोकॉलों, दिशा-निर्देशों और मानकों के समुच्चय का अनुपालन करता है।
डिजीलॉकर	• यह डिजिटल रूप से **दस्तावेज और प्रमाण पत्र जारी करने तथा उनका सत्यापन करने का एक मंच** है, इस प्रकार यह कागज-रहित शासन को बढ़ावा देता है। • डिजीलॉकर खाते के लिए साइन-अप करने वाले भारतीय नागरिकों को उनके **आधार (UIDAI) नंबर से जुड़ा** एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रदान किया जाता है।

	• डिजिटल लॉकर के साथ पंजीकृत संस्थाएं दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों (जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल प्रमाणपत्र) की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ सीधे नागरिक लॉकर में रख सकती हैं। • नागरिक अपने खातों में अपनी वसीयत (विरासत) के दस्तावेजों की स्कैन की गयी प्रतियां भी अपलोड कर सकते हैं जिन्हें ई-साइन सुविधा का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित किया जा सकता है।
ई-ताल	• यह मिशन मोड प्रोजेक्ट्स सहित **राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के ई-संव्यवहारों (Transactions) के आंकड़ों के लगभग रियल-टाइम प्रसार के लिए एक वेब-पोर्टल** है। • यह सारणीबद्ध (tabular) और ग्राफिकल रूप में संव्यवहारों की गणना का त्वरित विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
उमंग (Unified Mobile Application for New-age Governance : UMANG)	• भारत में मोबाइल गवर्नेंस के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और राष्ट्रीय ई-शासन विभाग (NeGD) द्वारा **यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस** (UMANG) विकसित किया गया है। • यह केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों की अन्य उपयोगिता सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं प्रदान करता है। यह एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है जहां नागरिक कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक ही एप्लीकेशन इंस्टाल कर सकते हैं। • इसकी सेवाएं कई चैनल पर उपलब्ध करा दी गई हैं जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, वेब, आई.वी.आर. और एस.एम.एस. जिन्हें स्मार्टफ़ोन, फीचर फ़ोन, टेबलेट और डेस्कटॉप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (National Information Centre-Computer Emergency Response Team) (NIC-CERT)	• यह सरकार के सभी स्तरों तथा सरकार एवं नागरिकों के मध्य होने वाले संचार सहित NIC प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध आंकड़ों की निगरानी कर साइबर हमलों का पता लगाने, उनकी रोकथाम व शमन करने हेतु एक समर्पित निकाय है।
प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा	• इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट तथा डाटा सिक्यूरिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (DSCI) ने **साइबर सुरक्षा के उपयुक्त क्षेत्र में इंजीनीयरिंग स्नातक महिलाओं को कौशल प्रदान करने हेतु** प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा का शुभारंभ किया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हेतु विश्वेश्वरैया पी.एच.डी. योजना	• इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) तथा सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (IT/ITES) के क्षेत्र में पी.एच.डी. धारकों की संख्या में वृद्धि करना है। • यह योजना अन्य पी.एच.डी. योजनाओं की तुलना में **25% अधिक फ़ेलोशिप राशि** प्रदान करती है। • यह योजना प्रयोगशालाओं के निर्माण और उन्नयन हेतु शिक्षण संस्थाओं को **प्रति उम्मीदवार 5,00,000 रुपये तक का अवसंरचनात्मक अनुदान** भी प्रदान करती है।
भारत के लिए संकल्प - प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान	• इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **विद्यालयी छात्रों (कक्षा**

VISION IAS

(Ideate for India - Creative Solutions using Technology)	**6-12) को समस्याओं का समाधानकर्ता बनने का एक अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ** "भारत के लिए संकल्प - प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान" नामक एक नेशनल चैलेंज का शुभारंभ किया है। • इस चैलेंज को MeitY के नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) द्वारा इंटेल इंडिया के सहयोग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के समर्थन से डिजाइन किया गया है।
भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद रजिस्ट्री	• यह भारत की सभी कंपनियों और भारत में विकसित उत्पादों को सूचीबद्ध करने हेतु एक एकल-खिड़की पोर्टल होगा, जो वर्धित बाजार पहुंच के लिए प्रमुख विश्लेषिकी, श्रेणी-वार सूचीकरण और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर डेटाबेस को पोर्ट करने का विकल्प प्रदान करेगा।
'बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम	• इसे गूगल और MeitY द्वारा तैयार किया जाएगा। • यह कार्यक्रम इंजीनियरिंग छात्रों को बाज़ार की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जो स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर और अवसंरचना, महिला सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में प्रमुख सामाजिक समस्याओं का समाधान करेगा। • गूगल सर्वाधिक आशाजनक उत्पादों और प्रोटोटाइप हेतु उत्पाद डिजाइन, रणनीति एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में मेंटरशिप सत्र भी प्रदान करेगा।
हैक द क्राइसिस इंडिया: ऑनलाइन हैकथॉन	• यह **"ग्लोबल हैक द क्राइसिस मूवमेंट"** का भाग है, जिसमें प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप उद्यमी कोरोनावायरस संकट की रोकथाम हेतु एक ऑनलाइन 48 घंटे के हैकथॉन के दौरान समर्पित समाधान विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। • इसके तहत इस संकट के पश्चात् की स्थिति से निपटने के लिए समाधानों को भी विकसित किया जाएगा।

VISION IAS

17. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(Ministry of Environment, Forest And Climate Change)

17.1. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज

(National Action Plan on Climate Change: NAPCC)

उद्देश्य	मिशन	प्रमुख विशेषताएं

• एक ऐसा सतत विकास मार्ग प्राप्त करना, जो आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाता हो।
• पेरिस समझौते के तहत UNFCCC के तत्वावधान में भारत के इंटेंडेड नेशनली डीटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन (INDC) को पूरा करना।
• जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील, समावेशी और सतत विकास रणनीति के माध्यम से समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों की सुरक्षा करना।
• कुशल और लागत प्रभावी रणनीतियों का निर्माण करना।
	इसके अंतर्गत निम्नलिखित आठ मिशन शामिल हैं:
	1. **राष्ट्रीय सौर मिशन** {नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अंतर्गत}
	2. **परिष्कृत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन** (विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत)
	3. **सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन** (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत)
	4. **राष्ट्रीय जल मिशन** (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (MoWR) के अंतर्गत)
	5. **सतत हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन** {विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoS&T) के अंतर्गत}
	6. **हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन (पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत)**
	7. **सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन** (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत)
	8. **जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन** (MoS&T के अंतर्गत)
		• यह **जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद द्वारा तैयार** एक नीति दस्तावेज है। NAPCC निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है:
		• **संरक्षण-** समावेशी विकास रणनीति के माध्यम से समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों का संरक्षण।
		• **राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करना-**
		  ○ पारिस्थितिक संधारणीयता को बढ़ावा देने वाले गुणात्मक परिवर्तन और आर्थिक नीति के माध्यम से।
		  ○ एंड यूज़ मांग पक्ष प्रबंधन के उपयोग हेतु कुशल और लागत प्रभावी रणनीति तैयार करना।
		• **बेहतर प्रौद्योगिकी-** शमन या अनुकूलन के पहलुओं से संबंधित।
		• **बाजार प्रणाली-** जो सतत विकास को बढ़ावा दे।
		• **समावेशिता-** जो नागरिक समाज और स्थानीय सरकारी संस्थानों के साथ सम्बद्धता को बढ़ावा दे।
		• जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अधिकांश क्षेत्रों, जैसे- जल और कृषि आदि के प्रबंधन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। इसलिए सभी राज्यों को एक स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (SAPCC) का विकास करना है जो अपनी विशिष्ट सुभेद्यताओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन करे।
		• भारत सरकार देश भर में सुभेद्य क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यों का क्रियान्वयन करने के लिए एक समर्थित **नेशनल एडाप्टेशन फण्ड फॉर क्लाइमेट चेंज (NAFCC)** भी स्थापित कर रही है।

हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन	• यह NAPCC के अंतर्गत 8 मिशनों में से एक है जिसका क्रियान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर रहा है। इस मिशन के तहत **सार्वजनिक और निजी दोनों** भूमियों का उपयोग किया जाता है तथा

VISION IAS

(GIM)	नियोजन, निर्णय लेने एवं निगरानी आदि में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करता है। हरित भारत मिशन के लक्ष्य हैं: • **वन/वृक्ष आवरण** को 5 मिलियन हेक्टेयर (mha) तक **बढ़ाना** और अन्य 5 mha वन/गैर-वन भूमि के वन/वृक्ष आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना; • **कार्बन प्रच्छादन और भंडारण** (वनों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में), जलविद्युत सेवाओं एवं जैव विविधता जैसी **पारिस्थितिकी सेवाओं** के साथ ईंधन, चारा, काष्ठ और गैर-काष्ठ वन उत्पादन (NTFPs) जैसी प्रोविजनिंग सेवाओं में सुधार/वृद्धि करना तथा • लगभग 3 मिलियन परिवारों की **वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि** करना।

फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों में जलवायु सुदृढ़ता निर्माण (CLIMATE RESILIENCE BUILDING AMONG FARMERS THROUGH CROP RESIDUE MANAGEMENT)	• यह **NAFCC के अंतर्गत** जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय संचालन समिति (पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) के द्वारा अनुमोदित एक **क्षेत्रीय परियोजना** है। • इस परियोजना का लक्ष्य **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना** और **अनुकूलन क्षमता में वृद्धि करना** तथा **पराली जलाने** से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों से निपटना भी है। • यह परियोजना **चरणबद्ध दृष्टिकोण** के आधार पर लागू की जाएगी। इस परियोजना के प्रथम चरण को लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत के साथ **पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान** राज्यों के लिए अनुमोदित किया गया है। • किसानों द्वारा वैकल्पिक व्यवहारों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **जागरुकता सृजन और क्षमता निर्माण** गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। इससे किसानों के आजीविका विकल्पों के विविधिकरण में सहायता मिलेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। • मौजूदा मशीनों के प्रभावी उपयोग के अतिरिक्त फसल अवशेषों का समय पर प्रबंधन करने हेतु **तकनीकी उपाय** किए जाएंगे। • सफल पहलों और नवाचारी पहलों को बढ़ाते (upscaling) हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने योग्य एवं सतत उद्यमिता मॉडलों का सृजन किया जाएगा। • प्रथम चरण के कार्य निष्पादन के आधार पर, इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है और अन्य गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सकता है।

17.2. सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट

(SECURE Himalaya Project)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
चार राज्यों, यथा- हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर (वर्तमान समय में संघ शासित प्रदेश), उत्तराखंड और सिक्किम में **विस्तृत उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण** जैव विविधता, भूमि और वन संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना।	• यह आजीविका सुरक्षा, संरक्षण तथा उच्च श्रेणी के हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संधारानीय उपयोग एवं पुनर्बहाली (Securing Livelihoods, Conservation, Sustainable Use and Restoration of High Range Himalayan Ecosystem: SECURE) सुनिश्चित करने पर आधारित एक परियोजना है। • इस परियोजना को प्राकृतिक संसाधनों और अनियोजित अवसंरचना पर स्थानीय समुदायों की बढ़ती उच्च निर्भरता के कारण बढ़ते क्षेत्र के विखंडन, पर्यावास निम्नीकरण की पृष्ठभूमि में शुरू किया गया था। • इसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम** (UNDP) के सहयोग से पर्यावरण,

	वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा प्रारंभ किया गया है। • यह परियोजना **भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)** द्वारा वित्त पोषित है। • इस परियोजना की अवधि 6 वर्ष है। यह परियोजना चांगथांग (जम्मू और कश्मीर), लाहौल-पंगी और किन्नौर (हिमाचल प्रदेश), गंगोत्री - गोविंद और दर्मा - पिथौरागढ़ में ब्यान घाटी (उत्तराखंड) तथा कंचनजंगा- ऊपरी तीस्ता घाटी सहित विशिष्ट भू-दृश्यों के लिए है। • इस परियोजना में **हिम तेंदुआ और अन्य एंडेंजर्ड स्पीशीज तथा उनके आवासों का संरक्षण** एवं क्षेत्र में लोगों की आजीविका को सुरक्षित करना साथ ही **वन्यजीव अपराध को कम** करने के लिए प्रवर्तन को बढ़ाना भी सम्मिलित है। • इसके अंतर्गत, इन परिदृश्यों में सर्वाधिक थ्रेटेंन्ड स्पीशीज में से **कुछ औषधीय और सुगंधित पौधों के अवैध व्यापार को रोकने** के लिए प्रवर्तन प्रयासों एवं निगरानी को बढ़ाया जाएगा।

17.3. हरित कौशल विकास कार्यक्रम

(Green Skill Development Programme: GSDP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

कुशल कार्यबल की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु भारत के युवाओं (विशेष रूप से ड्रॉपआउट्स को) को कौशल प्रदान करना।	• यह **पर्यावरण और वन क्षेत्र से संबंधित कौशल विकास** के लिए एक पहल है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को लाभकारी रोजगार और/या स्वरोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
	• इसे **राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA),** जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत देश में कौशल विकास पहलों के लिए नोडल एजेंसी है, के परामर्श से MoEF&CC के अंतर्गत परिकल्पित और विकसित किया गया है।
	• इसके तहत सभी पाठ्यक्रम **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप** हैं।
	• हरित कौशल विकास कार्यक्रम (GSDP), के तहत पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) हब तथा रिसोर्स पार्टनर्स (RPs) के व्यापक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है।
	• वर्ष 2017 में एक पायलट प्रोजेक्ट के बाद, मंत्रालय ने इसके विस्तार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
	  ○ **बजट आवंटन में वृद्धि:** बजट 2018-19 में ENVIS के लिए बजट आवंटन में 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई। GSDP के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को इसमें से वित्त पोषित किया जाएगा।
	  ○ **लक्ष्य का विस्तार:** वर्ष 2021 तक कुल 5.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
	  ○ **अधिक हरित कौशल:** सरकार ने प्रदूषण निगरानी (वायु / जल / ध्वनि /मृदा), बहिःस्राव उपचार संयंत्र संचालन, वन प्रबंधन, जल बजटिंग आदि सहित 35 पाठ्यक्रमों की पहचान की है।
	• GSDP-ENVIS एक मोबाइल ऐप है जो देश के युवाओं में रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

VISION IAS

17.4. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

(National Clean Air Programme: NCAP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के उपायों का कठोरता से कार्यान्वयन; • संपूर्ण देश में वायु गुणवत्ता से संबंधित निगरानी तंत्र को संवर्द्धित करना तथा सुदृढ़ बनाना; • जन-जागरुकता और क्षमता निर्माण के उपायों को संवर्द्धित करना।	• यह **प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक पहल है जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रदूषक कणों (PM-10 व PM-2.5) की सांद्रता को 20 से 30 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य** रखा गया है। • इसमें वर्ष **2017 को तुलना के लिए आधार वर्ष के** रूप में और वर्ष 2019 को प्रथम वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। • इस कार्यक्रम को 102 **नॉन-अटेनमेंट (non-attainment) शहरों** (जो लगातार पाँच वर्ष तक PM10 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिये **राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों** को पूरा करने में विफल रहते हैं) में कार्यान्वित किया जाएगा। इन शहरों का चयन राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (वर्ष 2011-2015) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट वर्ष 2014/2018 के आधार पर किया गया है। • **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB),** NCAP फ्रेमवर्क के भीतर वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं शमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा। • NCAP को **संबंधित मंत्रालयों द्वारा संस्थागत** रूप प्रदान किया जाएगा और अंतर-क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से संगठित किया जाएगा। • यह कार्यक्रम अपने परिणामों को प्राप्त करने हेतु **बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, परोपकारी संस्थाओं** तथा अग्रणी तकनीकी संस्थानों के साथ भागीदारी करेगा। • MoEF&CC में एक शीर्ष समिति इसकी प्रगति की आवधिक समीक्षा करेगी। वार्षिक प्रदर्शन के संबंध में समय-समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यवाहियों से प्राप्त होने वाले उत्सर्जन न्यूनीकरण लाभों का आकलन करने के लिए उपयुक्त संकेतकों को विकसित किया जाएगा।

17.5. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान

(India Cooling Action Plan)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• समाज के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित करते हुए सभी के लिए सतत कूलिंग (शीतलन) तथा ऊष्मा से राहत प्रदान करने की व्यवस्था करना।
• प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले उत्सर्जन को कम करना।
	• इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) सतत शीतलनको बनाए रखने के लिए आवश्यक **20 वर्षीय दृष्टिकोण और कार्रवाई की रूपरेखा** प्रदान करता है।
	• **ICAP का लक्ष्य:**
	  ○ वर्ष 2037-38 तक **विभिन्न क्षेत्रों में शीतलन की मांग** को 20% से 25% तक कम करना,
	  ○ वर्ष 2037-38 तक **रेफ्रिजरेंट की मांग को** 25% से 30% तक कम करना,
	  ○ वर्ष 2037 38 तक **शीतलन हेतु ऊर्जा आवश्यकताओं** को 25% से 40% तक कम करना,
	  ○ राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत "शीतलन और संबंधित क्षेत्रों" के अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान करना तथा
	  ○ कौशल भारत मिशन के साथ समन्वय स्थापित कर वर्ष 2022-23 तक इस क्षेत्र में 1,00,000 सर्विसिंग टेक्निशियन को प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना।

VISION IAS

17.6. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजनाएँ	प्रमुख विशेषताएं
परिवेश (आपसी परामर्श, गुणकारी और पर्यावरण एकल खिड़की के माध्यम से अग्र-सक्रिय और जवाबदेह सुविधा) (Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub)	• यह **एक वेब आधारित, भूमिका आधारित कार्यप्रवाह अनुप्रयोग** है जिसे केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्र की स्वीकृतियों के लिए प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के **ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और निगरानी** हेतु विकसित किया गया है। • इस प्रणाली को **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, (NIC) की तकनीकी सहायता के साथ** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFC) द्वारा डिज़ाइन, विकसित एवं आयोजित किया गया है। • इस प्रणाली में नियामकीय निकाय या निरीक्षण अधिकारियों द्वारा स्थल की जियो-टैग इमेजों सहित **अनुपालन रिपोर्ट की निगरानी** (यहां तक कि मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अनुपालन रिपोर्टों की निगरानी) सम्मिलित है। • **यह विगत पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्टों** तक भी पहुँच प्रदान करता है।

वन्यजीव पर्यावासों का समेकित विकास	• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जहां **भारत सरकार वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से गतिविधियों के लिए राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है।**
	• इस योजना के तीन घटक हैं:
	  ○ संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, आरक्षित रिज़र्वों एवं सामुदायिक रिजर्वों) को सहायता प्रदान करना।
	  ○ संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का संरक्षण
	  ○ क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों एवं पर्यावासों के संरक्षण हेतु पुनरूत्थान कार्यक्रम।

हिमालयन रिसर्च फेलोशिप स्कीम	• इसका उद्देश्य **प्रशिक्षित पर्यावरण प्रबंधकों, पारिस्थितिकविदों और सामाजिक आर्थिक संगठनों के एक युवा पूल का सृजन** करना है। • यह समूह **हिमालयी पर्यावरण एवं विकास के भौतिक, जैविक, प्रबंधकीय और मानवीय पहलुओं पर सूचना उत्पन्न करने** में सहायता करेगा। • इस फेलोशिप स्कीम को **भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में कार्यरत विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के माध्यम से निष्पादित** किया जाएगा तथा **पूर्वोत्तर राज्यों के संस्थानों** को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। • **इसे राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन** (NMHS) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा फेलोशिप अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। • यह अनुसंधान NMHS के किसी भी पहचान किए गए व्यापक थीम आधारित क्षेत्रों जैसे-जल स्रोतों एवं जलग्रहण क्षेत्रों का कायाकल्प सहित जल संसाधन प्रबंधन, जलविद्युत विकास, जल-प्रेरित आपदाओ के आकलन एवं भविष्यवाणी, इको टूरिज्म के अवसरों सहित आजीविका के विकल्प, संकटग्रस्त प्रजातियों की पुनर्बहाली सहित जैव विविधता प्रबंधन और कौशल विकास में किया जा सकता है।
पर्यावरण सूचना प्रणाली (Environmental Information System: ENVIS)	• ENVIS (केंद्रीय क्षेत्रक योजना) को MoEF&CC द्वारा वर्ष 1982-83 से कार्यान्वित किया जा रहा है। • विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर वैज्ञानिक, तकनीकी और अर्ध-तकनीकी जानकारी प्रदान करके ENVIS ने सरकार के सभी स्तरों पर नीति निर्माण और पर्यावरण प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ सभी जीवित प्राणियों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता बनाए रखने के

VISION IAS

	लिए पर्यावरण संरक्षण तथा इसके सुधार के उद्देश्य से निर्णय-निर्माण किया है। • ENVIS विभिन्न केंद्रों का एक विकेन्द्रीकृत नेटवर्क है जिसे सामान्यतः निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: ○ **ENVIS हब:** ये "पर्यावरण और संबंधित मुद्दों की स्थिति" के क्षेत्र में कार्य करने वाले केंद्र हैं तथा इनकी मेजबानी राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा की जाती है। ○ **ENVIS रिसोर्स पार्टनर्स (RPs):** ऐसे केंद्र जिनकी मेजबानी पर्यावरण से संबंधित सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों/व्यावसायिक उत्कृष्टता वाले संस्थानों द्वारा की जाती है। • इसे **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** के वैश्विक पर्यावरण सूचना नेटवर्क **"INFOTERRA"** के लिए राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में नामित किया गया है।
NGC इको-क्लब कार्यक्रम	• **'पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (EEAT)'** एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। • इसके उद्देश्यों को **चार कार्यक्रमों** के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है: ○ राष्ट्रीय हरित कोर (NGC), ○ राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, ○ सेमिनार/कार्यशालाएँ, तथा ○ राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम। • **NGC इको-क्लब कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को उनके आसपास के पर्यावरण के बारे में अनुभव के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना, पर्यावरण और उसके विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में बच्चों के प्रति करुणा एवं संवेदनशीलता का सृजन करना है। • हाल ही में, **GEF फाउंडेशन (गुजरात)** के सहयोग से MoEF&CC के शिक्षा प्रभाग द्वारा NGC- इको-क्लब कार्यक्रम को लागू करने वाली राज्य नोडल एजेंसियों की प्रथम वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी।
'लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन' पहल	• इसे **'संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन'** में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व के **हार्ड-टू-डिकार्बोनाइज़** और **ऊर्जा-गहन क्षेत्रों/उद्योगों** को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। • यह भारत और स्वीडन द्वारा कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर सार्वजनिक-निजी सहयोग आधारित किया गया एक प्रयास है। • यह **विश्व आर्थिक मंच**, एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन, मिशन इनोवेशन, स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट और यूरोपीयन क्लाइमेंट फाउंडेशन आदि द्वारा समर्थित है।
सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर 'कोलंबो घोषणा-पत्र'	• संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने नाइट्रोजन चुनौतियों पर कार्रवाई के लिए एक प्रस्तावित रोडमैप का समर्थन किया है, जिसे सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर "कोलंबो घोषणा-पत्र" कहा जाता है। • इस घोषणा-पत्र का उद्देश्य वर्ष 2030 तक नाइट्रोजन अपशिष्ट में 50 प्रतिशत की कमी करना है। • 'कोलंबो घोषणापत्र-पत्र' को 'अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन प्रबंधन प्रणाली (INMS)' के तकनीकी समर्थन से विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि INMS, UNEP और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा समर्थित **अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल** की एक संयुक्त पहल है।

18. विदेश मंत्रालय

(Ministry of External Affairs)

18.1. भारत को जानो कार्यक्रम

(Know India Programme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारतीय मूल के युवाओं (18-30 वर्ष) को उनकी भारतीय जड़ों और समकालीन भारत के साथ परिचित कराना।	• यह प्रवासी युवाओं के लिए तीन सप्ताह का एक अभिविन्यास कार्यक्रम है। यह भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं और देश द्वारा आर्थिक, औद्योगिक, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति पर जागरुकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। ○ **गिरमिटिया देशों** के PIOs को वरीयता दी गयी है। गिरमिटिया वस्तुतः फिजी, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मलय प्रायद्वीप, कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका (गुयाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और सूरीनाम) के चीनी बागानों में कार्य करने हेतु लाए गए क़रारबद्ध भारतीय मज़दूरों के वंशज हैं।

18.2. छात्र और विदेश मंत्रालय का सहभागिता कार्यक्रम

(Students and MEA Engagement Programme: SAMEEP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश भर के छात्रों को भारतीय विदेश नीति और इसकी वैश्विक गतिविधियों से अवगत कराना। • एक करियर विकल्प के रूप में कूटनीति में रुचि बढ़ाना।	• सभी मंत्रालय के अधिकारियों जैसे-उप सचिव और उच्च अधिकारियों को उनके गृह नगर, विशेष रूप से उनके मातृ शिक्षा संस्थानों (alma maters) में जाने के लिए कहा जाएगा। • उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों के साथ विदेश मंत्रालय के कार्य के बारे में, उसकी नीति के बुनियादी तत्वों के बारे में संवाद करेंगे। साथ ही वे यह भी बताएँगे कि कूटनीति कैसे संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त वे विद्यार्थियों को MEA में करियर की संभावनाओं के बारे में परामर्श प्रदान करेंगे।

18.3. प्रवासी कौशल विकास योजना

(Pravasi Kaushal Vikas Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
विदेशी रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने हेतु अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चयनित क्षेत्रों और नौकरियों में विदेश में रोजगार प्राप्त करने के लिए इच्छुक भारतीय श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना।	• यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की साझेदारी के साथ विदेश मंत्रालय की एक कौशल विकास पहल है। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा किया जाएगा। • यह अल्पावधिक कार्यक्रम (2 सप्ताह से 1 माह) उम्मीदवारों को विभिन्न देशों में आत्मविश्वास के साथ चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट लेने और अंतर्राष्ट्रीय कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से तैयार करेगा। • इसमें उन्हें उपयुक्त कौशल समूह में प्रशिक्षण देना सम्मिलित है जो सांस्कृतिक अभिविन्यास के साथ संचार, व्यापार विशिष्ट ज्ञान और कौशल में आवश्यकताओं का समाधान करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे।

VISION IAS

18.4. भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग

(Indian Technical & Economic Cooperation:ITEC) कार्यक्रम

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• यह एक मांग-आधारित व प्रतिक्रिया-उन्मुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत और भागीदार राष्ट्र के मध्य नवीन तकनीकी सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की आवश्यकताओं को संबोधित करना है।	• यह पूर्णत: भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे वर्ष 1964 में **विदेश मंत्रालय** द्वारा प्रारंभ किया गया था। • यद्यपि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) **वास्तव में एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है,** परन्तु इसके संसाधनों का उपयोग इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और G-77 जैसे त्रिपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के वित्तपोषण के लिए भी किया गया है। • ITEC कार्यक्रम ने विकासशील देशों के मध्य भारत की सॉफ्ट पॉवर में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। • यह **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।

ई-सनद (e-SANAD)	• **ई-सनद परियोजना** का उद्देश्य भारतीय नागरिकों और विदेशियों को, जिन्होंने भारत में प्राधिकरण द्वारा जारी कोई दस्तावेज़ (शैक्षिक या वाणिज्यिक आदि) प्राप्त किया है, को फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस दस्तावेज़ सत्यापन सुविधा (ऑनलाइन) आधारित एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना है।
प्रोजेक्ट (e-VBAB): ई-विद्याभारती (टेली-एजुकेशन) और ई-अरोग्यभारती (टेली-मेडिसीन) **{Project (e-VBAB): e-VidyaBharti (Tele education) and e-ArogyaBharti (Tele medicine)}**	• ई-विद्याभारती (टेली-एजुकेशन) और ई-अरोग्यभारती (टेली-मेडिसीन) परियोजना, ये दो पृथक मंच एक वेब-आधारित तकनीक के माध्यम से भारत और भागीदार अफ़्रीकी देशों के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों तथा अस्पतालों को परस्पर संबद्ध करेंगें। • यह परियोजना पूर्ण रूप से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। • e-VBAB परियोजना अफ़्रीकी चिकित्सकों, चिकित्सा-सहायकों (पैरामेडिक्स) और रोगियों के लिए टेली मेडिसीन तथा निरंतर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करती है। • यह परियोजना भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली और भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की वैश्विक स्वीकृति हेतु एक अवसर भी प्रदान करती है।

19. वित्त मत्रांलय

(Ministry of Finance)

19.1. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना

(Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana)

प्रमुख विशेषताएं			
इस योजना के घटक	**लाभार्थी**	**लाभार्थियों की कुल संख्या**	**लाभ**
कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना	इसमें केंद्रीय/राज्य सरकारी अस्पतालों या स्वास्थ्य/ कल्याण केंद्रों में कार्यरत सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मी, जैसे- सफाई कर्मचारी, वार्ड-ब्वॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, सहायक स्वास्थ्य कर्मी (पैरामेडिक्स), टेक्निशियन, डॉक्टर और विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि शामिल हैं।	लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मी	• COVID-19 रोगियों का उपचार करते समय यदि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ दुर्घटना होती है या COVID-19 से प्रभावित होने की कुछ संभावना होती है, तो इस योजना के तहत उसे **90 दिनों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर** प्रदान किया जाएगा। • COVID-19 से संबंधित बचाव उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है। • यह लाभ लाभार्थी द्वारा प्राप्त किए जा रहे किसी भी अन्य बीमा कवर से अतिरिक्त और अधिक होगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से लाभ प्राप्त करने वाले गरीब परिवार	80 करोड़	• PDS के तहत वर्तमान पात्रता (5 कि.ग्रा. गेहूं या चावल) से अतिरिक्त और अधिक **प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 कि.ग्रा. गेहूं या चावल** मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, **प्रति परिवार 1 कि.ग्रा. दाल** मुफ्त प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री-किसान (PM-Kisan)	किसान	8.7 करोड़	वर्ष 2020-21 में देय 2,000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल 2020 में ही 'PM किसान योजना' के तहत किसानों के खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नकद राशि का हस्तांतरण	मनरेगा के तहत श्रमिक	13.62 करोड़ परिवार	1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की बढ़ोतरी (अर्थात् वेतन 182 रूपए से बढ़कर 202 रूपए हो जाएगा) की जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने से प्रत्येक श्रमिक को वार्षिक 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

VISION IAS

	उज्जवला योजना के तहत महिला लाभार्थी	8.3 करोड़ परिवार	अप्रैल-जून माह (तीन माह) तक के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर।
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की महिला खाताधारक,	20.40 करोड़ महिलाएं	अप्रैल-जून माह (तीन माह) तक के लिए प्रति माह 500 रूपये की अनुग्रह राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
	सुभेद्य वरिष्ठ नागरिक, विधवा व दिव्यांगजन	3 करोड़	अनुग्रह (Ex-gratia) अदायगी, अप्रैल-जून (तीन माह) के दौरान प्रति माह 1000 रूपये।
	वे प्रतिष्ठान जिनमें कामगारों की संख्या 100 तक हो तथा जिनमें से 90% प्रति माह 15,000 रुपये से कम पारिश्रमिक प्राप्त करते हों।	80 लाख कर्मचारी	सरकार ने आगामी तीन माह के दौरान उनके PF खातों में उनके मासिक पारिश्रमिक का 24 प्रतिशत भुगतान करने का प्रस्ताव किया है।
स्वयं सहायता समूह (SHGs)	**स्वयं सहायता समूह**	63 SHGs के माध्यम से 6.85 करोड़ परिवार लाभान्वित।	जमानत (कोलैटरल) मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्य घटक	कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत पंजीकृत कर्मचारी	4.8 करोड़ कर्मचारी	कर्मचारी भविष्य निधि नियमनों में संशोधन कर 'महामारी' को भी उन कारणों में शामिल किया जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को **अपने खातों से कुल राशि के 75 प्रतिशत का गैर-वापसी योग्य अग्रिम या तीन माह का पारिश्रमिक, इनमें से जो भी कम हो, प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।**
	भवन और अन्य निर्माण श्रमिक	3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिक	• सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) कल्याण बोर्डों द्वारा **BOCW उपकर अधिनियम, 1996** के तहत एकत्रित और गठित उपकर कोष से प्रत्यक्ष नकद अंतरण (DBT) विधि के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की सलाह दी गई है। • लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को **'भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण कोष'** (उपकर निधि) के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के तहत आने वाले श्रमिक	---	**जिला खनिज कोष (DMF)** के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा परीक्षण (टेस्टिंग), स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यकताओं की पूरक एवं संवर्धित या बढ़ी हुई सुविधाओं की

VISION IAS

			व्यवस्था करने के साथ-साथ इस महामारी से प्रभावित रोगियों के उपचार हेतु किया जाएगा।

19.2. नेशनल पेंशन स्कीम

(National Pension Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं

• सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति के उपरांत आय प्रदान करना।
• पेंशन सुधारों को संस्थागत करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति संबंधी बचत की आदत डालना।
	NPS निम्नलिखित के लिए लागू है:
	• **65 वर्ष की आयु तक के सभी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी भारतीय तथा OCIs;** NPS में शामिल होने हेतु पात्र हैं।
	• केंद्र सरकार की सेवाओं (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी नए कर्मचारी, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं।
	• राज्य सरकारों और राज्य स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारी, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि के उपरांत सेवाओं में शामिल हुए हैं।
	• कोई भी अन्य सरकारी कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से NPS के तहत शामिल नहीं है, वह भी NPS से जुड़ सकता है।
	• सभी नागरिक, अर्थात् निजी कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी।
	• भारत में बैंक खाता धारी NRIs (नॉन रेजिडेंट इंडियन)।
		• इसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority: PFRDA) द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
		• NPS के तहत, एक व्यक्ति अपने सेवानिवृत्ति खाते में योगदान देता है और उसका नियोक्ता भी सह-योगदान दे सकता है।
		• इसे परिभाषित अंशदान के आधार पर तैयार किया गया है, जहाँ अभिदाता (subscriber) अपने खाते में योगदान देता है। इसके तहत किसी भी परिभाषित हितलाभ का वर्णन नहीं किया गया है जो इससे (NPS) बाहर निकलने के समय उपलब्ध होगा। इसके अंतर्गत संचित धन वस्तुतः अभिदाताओं के योगदान और ऐसे धन के निवेश से सृजित आय पर निर्भर करता है।
		• NPS के लिए किए गए अंशदान, 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती के लिए पात्र हैं। यह NPS के तहत योगदान करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध 80CCD(1) या कर कटौती के तहत उपलब्ध कटौती की 1,50,000 रुपये की सीमा से अधिक है।
		• सरकार ने **NPS से आहरण पर आयकर छूट सीमा को 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया है,** अर्थात् NPS से निकाली गई 60% राशि पर कर आरोपित नहीं किया जाएगा, जो प्रभावी रूप से पेंशन योजना से आहरण को 100% तक कर-मुक्त बनाएगा।
		• NPS के सभी अभिदाताओं के लेखा-जोखा, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो NPS के लिए एक केंद्रीय रिकॉर्डकीपर (लेखा-जोखा रखने वाला) के रूप में कार्य कर रहा है।
		• अभिदाता को एक अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number: PRAN) आवंटित किया जाएगा, जो कि पोर्टेबल है और इसका उपयोग भारत के किसी भी स्थान से किया जा सकता है।
		• PRAN निम्नलिखित दो व्यक्तिगत खातों तक पहुँच प्रदान करेगा:
		  ○ **टियर I खाता (Tier I Account):** यह एक गैर-आहरण योग्य (non-withdrawable) खाता है, अर्थात् यह सेवानिवृत्ति के लिए की गई बचत होती है।
		  ○ **टियर II खाता (Tier II Account):** साधारण भाषा में कहें तो यह एक प्रकार की स्वैच्छिक बचत सुविधा है। जब भी अभिदाता चाहे तो वह इस खाते से बचत को आहरित करने

VISION IAS

		के लिए स्वतंत्र है। इस खाते पर कोई भी कर लाभ उपलब्ध नहीं है। • NPS रिटर्न्स (प्रतिफल) बाजार से जुड़े हुए हैं। यह अभिदाताओं को निम्नलिखित 3 प्रकार के फंड प्रदान करता है: इक्विटी (शेयर), कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां। • अभिदाता NPS में शामिल होने (खाता खोलने) के 10 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के उपरांत इससे बाहर निकल सकता है। • हाल ही में कैबिनेट ने NPS के लिए इच्छित EEE कर स्थिति (प्रवेश, निवेश और परिपक्वता के समय कर छूट) को मंजूरी प्रदान कर दी है (पहले यह EET था)। • स्वास्थ्य, विवाह, घर एवं शिक्षा जैसी अनिवार्यताओं के लिए आंशिक रूप से धन निकासी के अतिरिक्त, **अभिदाता कौशल विकास गतिविधियों, जैसे- स्टार्ट-अप, नए उपक्रम आदि हेतु NPS में शामिल होने के तीन वर्ष पश्चात्, अपने अंशदान के 25 प्रतिशत धन की निकासी कर सकता है।**

19.3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

(Pradhan Mantri MUDRA Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक वित्त की पहुँच बढ़ाना। • अंतिम वित्तपोषकों (last Mile Financers) से अनौपचारिक क्षेत्रक के अधिकांश सूक्ष्म/लघु उद्यमों को प्रदत्त वित्त की लागत में भी कमी लाना।	• कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग या सेवा क्षेत्रक जैसे गैर-कृषि क्षेत्रक के लिए एक व्यवसाय की योजना हो और जिसकी ऋण संबंधी आवश्यकताएं 10 लाख रुपये से कम हों।	• इस योजना को लागू करने के लिए, सरकार ने सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड: MUDRA) नामक एक नई संस्था की स्थापना की है। • बैंकों, NBFCs, MFIs और MUDRA लिमिटेड द्वारा अधिसूचित अन्य अर्ह वित्तीय मध्यस्थों को मुद्रा (MUDRA) ऋण प्रदान करने की अनुमति है। • MUDRA द्वारा निम्नलिखित दो प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: ○ MFI के माध्यम से 1 लाख रूपये तक के ऋण के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना (MCS)। ○ वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs)/लघु वित्त बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए पुनर्वित्त योजना। • 1675.93 करोड़ रुपये की पेड-अप कैपिटल (प्रदत्त पूंजी) के साथ MUDRA की वर्तमान अधिकृत पूंजी 5,000 करोड़ रुपये है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (PSL) प्रदान करने में असफल रहने वाले बैंकों से पैसा लेकर RBI ने 20,000 करोड़ रुपये की एक पुनर्वित्त कॉर्पस फंड का गठन किया है। • मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस

		एजेंसी) बैंक द्वारा निम्नलिखित 3 प्रकार के ऋण आबंटित किए जाएंगे: ○ **शिशु**: 50,000 रुपये तक के ऋण; ○ **किशोर**: 50,000 से 5 लाख रुपये तक के ऋण; और ○ **तरुण**: 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के ऋण। • PMMY योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। हालाँकि, वर्तमान में MUDRA महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान कर रहे MFIs/NBFCs हेतु अपनी ब्याज दरों में 25 आधार अंकों (bps) की छूट प्रदान कर रहा है। • RBI ने बैंकों को सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्रक की इकाइयों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए कोलैटरल (जमानत) हेतु दबाव न डालने का आदेश दिया है। • संपार्श्विक संबंधी मुद्दे का समाधान करने और ऋण संस्थानों को सुविधा प्रदान करने के लिए, क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट को **"क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स फंड" (CGFMU)"** नामक एक फंड की स्थापना के साथ विस्तृत किया गया है। • इस योजना का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एजेंसी **'राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)'** द्वारा किया जा रहा है। • MUDRA कार्ड एक **डेबिट कार्ड** है, जिसे MUDRA ऋण खाते के विरुद्ध जारी किया गया है। उधारकर्ता लागत-प्रभावी तरीके से कार्यशील पूंजी की सीमा को बनाये रखने और ब्याज के बोझ को न्यूनतम बनाए रखने हेतु विभिन्न आहरण और ऋण प्राप्त करने हेतु MUDRA कार्ड का उपयोग कर सकता है।

19.4. अटल पेंशन योजना

(Atal Pension Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• अभिदाता (subscribers) 60 वर्ष की आयु के उपरांत अपने अंशदान (contributions) के आधार पर निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेंगे।	• यह बैंक या डाकघर में बचत खाता रखने वाले 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसलिए, APY के तहत किसी भी अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष अथवा उससे अधिक होगी। • यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के नागरिकों पर केंद्रित है।	• केंद्र सरकार 1 जून, 2015 और 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के बीच NPS से जुड़ने वाले प्रत्येक पात्र अभिदाता, जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं तथा करदाता नहीं हैं, उनको 5 वर्ष तक की अवधि के लिए उसके (प्रत्येक अभिदाता) कुल अंशदान का 50% अथवा प्रति वर्ष 1,000 रुपये, जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी।· • APY के तहत अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु

VISION IAS

		प्राप्त करने पर, उनके योगदान के आधार पर प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये की निश्चित न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। अभिदाताओं के योगदान APY में उनके शामिल होने की उम्र के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। • यह योजना स्वावलंबन योजना का स्थान लेगी। • सरकारी सहयोग में कमी और प्रतिफल/ब्याज में कटौती होने पर, अभिदाता कुछ शर्तों के अधीन 60 वर्ष की आयु से पूर्व स्वेच्छा से APY को छोड़ सकते हैं। • अभिदाता की आकस्मिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पूर्व) के मामले में, अभिदाता के APY खाते में उस समय तक जब तक कि उसकी आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती तब तक अभिदाता के पति/पत्नी द्वारा शेष निवेश अवधि के लिए योगदान जारी रखा जा सकता है। • इस योजना के तहत अभिदाता को न्यूनतम 20 वर्षों या अधिक के लिए योगदान करना होगा। • अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में उसका जीवन साथी समान राशि की पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा/होगी। • अभिदाता और उसके जीवन साथी, दोनों की मृत्यु के उपरांत जमा/संचित राशि (जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी) अभिदाता के द्वारा नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। • इसे पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। APY के अंतर्गत अभिदाता को नामांकित करने (enrol) हेतु NPS की संस्थागत संरचना का उपयोग किया जाएगा।

19.5. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• यह एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत (रिन्यू) कराना होगा। यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है।	• 18 से 70 वर्ष की आयु समूह के बचत बैंक खाता धारक नागरिकों (NRIs सहित) के लिए उपलब्ध।	• इस हेतु प्रति सदस्य प्रति वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम देय है। • दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज उपलब्ध होगा। • 1 लाख रूपये स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए। • कोई भी व्यक्ति जो इस योजना से किसी भी समय खुद को अलग कर लेता है, वह भविष्य में वार्षिक प्रीमियम चुकाकर कभी भी इससे जुड़ सकता है। • यह योजना पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज (PSGICs) तथा अन्य जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से प्रदान/प्रशासित की जा रही है। • सरकार ने हाल ही में असंगठित श्रमिकों को उनकी पात्रता

		के आधार पर जीवन और विकलांगता कवरेज प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना (AABY) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के साथ अभिसरित किया है।

19.6. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

(Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है। इसे प्रति वर्ष नवीनीकृत (रिन्यू) किया जा सकता है। • यह किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज उपलब्ध कराता है।	• 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के नागरिकों (NRIs सहित) के लिए उपलब्ध। • इसके अंतर्गत प्रदत्त लाभ 55 वर्ष की आयु तक ही उपलब्ध हैं। हालांकि, 50 वर्ष की आयु के उपरांत इस योजना से जुड़ने की अनुमति नहीं है।	• यह योजना किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करती है। इसके तहत 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम की राशि चार्ज की जाती है। • PMJJBY के तहत जोखिम कवर नामांकन के प्रथम 45 दिनों के पश्चात् ही लागू होता है। • इसे LIC तथा अन्य भारतीय निजी जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रदान/प्रशासित किया जा रहा है।

19.7. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

(Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana: PMVVY)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण वृद्ध व्यक्तियों की ब्याज आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना।	• 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति	• यह योजना 10 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत की गारंटी दर के रिटर्न के आधार पर निश्चित मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन का विकल्प चुनने का विकल्प उपलब्ध कराएगी। • हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने के साथ-साथ इसकी सदस्यता की समय सीमा को 4 मई, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। • इसे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। • LIC द्वारा सृजित रिटर्न और प्रति वर्ष 8 प्रतिशत के आश्वासित रिटर्न में अंतर को LIC को प्रदत्त सब्सिडी से वहन किया जाएगा। • इस योजना में स्वयं या पति/पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के उपचार के लिए समयपूर्व निकासी की अनुमति भी है। • 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा। • तीन पॉलिसी वर्ष के पश्चात् ऋण लेने की सुविधा उपलब्ध होगी। क्रय मूल्य के अधिकतम 75% तक ऋण दिया जा सकता है।

VISION IAS

		• कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं है।

19.8. प्रधान मंत्री जन धन योजना

(Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana: PMJDY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करके देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना।	• खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। • यह गांवों को कवरेज प्रदान करने पर संकेंद्रित पूर्व की योजना के विपरीत परिवारों के कवरेज पर केंद्रित है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कवरेज पर केंद्रित है। 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (BSBDA) खोल सकता है। • PMJDY योजना के तहत विशेष लाभ में सम्मिलित हैं: ○ खाते में न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य नहीं। ○ यह योजना लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर 30,000 रुपये का जीवन बीमा उपलब्ध कराती है जो सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। ○ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त होगा। ○ **10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट** की सुविधा (6 माह तक खाते के संतोषजनक संचालन के पश्चात्) प्रति परिवार हेतु केवल एक ही खाते (मुख्यतः घर की महिला खाताधारक) के लिए उपलब्ध है। 2,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्तें लागू नहीं होंगी। ○ राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (PMJDY) 14.8.2018 से आगे तक जारी रहेगा। ○ OD सुविधा का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा को 18-60 वर्ष से संशोधित कर 18-65 वर्ष किया जाएगा। ○ कवरेज को हर परिवार से बढ़ा कर हर वयस्क व्यक्ति तक कर दिया गया है, जिसके तहत 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए PMJDY खातों के अंतर्गत नए रुपे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा।

19.9. स्टैंड अप इंडिया योजना

(Stand up India scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।	• 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले SCs/STs और/अथवा महिला उद्यमी।	• यह कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) अथवा एक अनुसूचित जनजाति (ST) उधारकर्ता तथा कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र किसी से भी संबद्ध हो सकता है। • गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी (controlling stake) SC/ST अथवा महिला उद्यमी द्वारा धारित होनी चाहिए। • उधारकर्ता को किसी बैंक/वित्तीय संस्थान के मामले में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए।

		• इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। • उधारकर्ता को अपने योगदान के रूप में परियोजना लागत का कम से कम 10% निवेश करने की आवश्यकता होगी। • ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर होगा, जो आधार दर {(MCLR) + 3% + आशय (tenor) प्रीमियम)} से अधिक नहीं होगा। • उधारकर्ता के एक प्रशिक्षु उधारकर्ता होने की स्थिति में इस योजना के तहत हैंडहोल्डिंग समर्थन का प्रावधान उपलब्ध है। सिडबी और नाबार्ड के कार्यालयों को **स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर** के रूप में नामित किया गया है, जो आवश्यक समर्थन प्रदान करेंगे। सिडबी एक पुनर्वित्त एजेंसी है। • बैंकों के निर्णय के अनुसार, प्राथमिक जमानत (primary security) के अतिरिक्त, ऋण को संपार्श्विक जमानत (collateral security) द्वारा अथवा स्टैंड-अप इंडिया ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (ऋण गारंटी निधि योजना) की गारंटी से प्रत्याभूत किया जाएगा। • अधिकतम 18 माह की ऋण स्थगन (moratorium) की अवधि सहित ऋण की वापसी 7 वर्षों में की जाएगी। • यह नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी तंत्र के सृजन का भी प्रावधान करता है।

19.10. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना

(Gold Monetization Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश के परिवारों और संस्थानों के पास उपलब्ध सोने को एकत्रित करना और इसके उपयोग को उत्पादक उद्देश्यों हेतु सुगम बनाना। • भविष्य में सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना। • बैंकों से ऋण पर कच्चे माल के रूप में सोने को उपलब्ध करवा कर देश में रत्न और आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना।	• **इस** योजना के तहत बैंक ग्राहक निष्क्रिय पड़े सोने को निश्चित अवधि के लिये जमा करा सकते हैं। इस पर उन्हें 2.25 से 2.50 फीसदी ब्याज प्राप्त होता है। • हाल ही में RBI ने इसमें कुछ संशोधन किए, **अब व्यक्तिगत और संयुक्त जमाकर्ताओं के अलावा, चैरिटेबल संस्थान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार** के स्वामित्व वाली कोई अन्य संस्था इत्यादि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। • यह लोगों को पहले से ही मौजूदा दो योजनाओं, अर्थात् **संशोधित स्वर्ण जमा योजना (GDS) और संशोधित स्वर्ण धातु ऋण (GML)** को संशोधित करके सोने का मौद्रीकरण करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करती है। • **सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** (RRBs को छोड़कर) को इस योजना का क्रियान्वयन करने की अनुमति प्रदान की गई है। • **किसी भी समय न्यूनतम जमा 30 ग्राम कच्चा सोना** (पत्थरों और अन्य धातुओं को छोड़कर आभूषण, छड़ें, सिक्के) होगा। इस योजना के तहत जमा के लिए **कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं** की गई है • संशोधित योजना के तहत स्वर्ण 1 से 3 वर्ष की अल्पावधि, 5 से 7 वर्षों की मध्यकालीन अवधि और 12 से 15 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि के लिए जमा किया जा सकता है। (न्यूनतम कार्यकाल एक वर्ष है) • अल्पावधि जमा पर मूलधन और ब्याज सोने में अंकित किया जाएगा। मध्यम और दीर्घकालिक जमा के मामले में, मूलधन सोने में अंकित किया जाएगा। हालांकि, जमा के समय सोने के मूल्य के संदर्भ में MLTGD पर ब्याज की गणना भारतीय रुपये में की जाएगी। ○ **स्वर्ण भंडार निधि:** मध्यम/दीर्घकालीन जमा के अंतर्गत सरकार की मौजूदा उधार

VISION IAS

	लागत और सरकार द्वारा देय ब्याज दर के मध्य अंतर को स्वर्ण भंडार निधि में जमा किया जाएगा। ○ GMS के अंतर्गत कर छूट में सोना जमा करने पर अर्जित ब्याज की छूट और व्यापार या छूट के माध्यम से पूंजीगत लाभ से छूट सम्मिलित है। • इससे पूर्व, ग्राहकों को सबसे पहले संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्र (CPTCs) पर जाना पड़ता था, जो जमाकर्ताओं को जमा किए जाने वाले सोने पर शुद्धता प्रमाण पत्र जारी करता था। RBI ने हाल ही में इस नियम को उदार बनाया है और बैंक अपने विवेकानुसार नामित शाखाओं में सोना जमा करना स्वीकार कर सकते हैं।

19.11. सार्वभौमिक स्वर्ण बॉण्ड योजना

(Sovereign Gold Bond Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रतिवर्ष 300 टन सोने (अनुमानित) की छड़ों और सिक्कों की खरीदारी के लिए किए जाने वाले निवेश को स्वर्ण बॉण्ड में **लगाकर** भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करना।	• सार्वभौमिक स्वर्ण बॉण्ड नकद भुगतान पर जारी किया जाएगा और ग्राम आधारित सोने के वजन के अनुरूप होगा। • भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक बॉण्ड जारी करेगा। बॉण्ड की सार्वभौमिक गारंटी होगी। • ये बॉण्ड्स अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (RRBs, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग सदस्यों, नामित डाकघरों और स्टॉक-एक्सचेंजों के माध्यम से विक्रय किए जाते हैं। • बॉण्ड, सोने की एक ग्राम की इकाइयों में और इसके गुणक इकाइयों में होंगे। • बॉण्ड की बिक्री केवल भारत में रहने वाले नागरिकों को की जाएगी। • निवेश सीमा में प्रति वित्तीय वर्ष में व्यक्तियों के लिए 4 कि.ग्रा, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए 4 कि.ग्रा और ट्रस्ट के लिए 20 कि.ग्रा तथा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित समान स्थिति में वृद्धि हुई है। • सरकार एक ब्याज दर पर बॉण्ड जारी करेगी जिसे निवेश के समय सोने के मूल्य के अनुरूप तय किया जाएगा। • बॉण्ड डीमैट या कागज दोनों रूपों में उपलब्ध होंगे। • बॉण्ड की अवधि न्यूनतम 5 से 7 वर्षों की होगी । • ऐसे बॉण्ड्स का ऋण के लिए कोलैटरल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। • ऐसे बॉण्ड्स को एक्सचेजों में सरलता से बेचा जा सकेगा और उसका कारोबार किया जा सकेगा जिससे निवेशक अपनी इच्छा से बाजार से निकल सकें। • बॉण्ड के परिपक्व हो जाने पर उसका प्रतिदान केवल रुपये में होगा। यह निश्चित राशि नहीं होगी, किंतु सोने की कीमतों से जुड़ी होगी। • जमा को रोक कर नहीं रखा जाएगा तथा सोने की कीमत और मुद्रा से सम्बद्ध जोखिम को सरकार द्वारा स्वर्ण भंडार निधि से वहन किया जाएगा।

VISION IAS

19.12. स्वच्छ भारत कोष

(Swachh Bharat Kosh: SBK)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कॉर्पोरेट क्षेत्र से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड और व्यक्तियों व परोपकारी लोगों के योगदान को आकर्षित करना।	• इसे व्यय विभाग सचिव की अध्यक्षता में एक शासी परिषद् द्वारा प्रशासित किया जाएगा। • "स्वच्छ भारत कोष" के लिए दी गई राशि के अतिरिक्त "कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी" के मद में खर्च की गई रकम, दान आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80G के तहत 100% कटौती हेतु पात्र हैं। यह निर्धारण वर्ष 2015-16 और आगामी वर्षों पर लागू है।

20. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(Ministry of Food Processing Industries)

20.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना

(Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• इस योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना (supplement), प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है।	• यह पहले **संपदा (कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना) (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters: SAMPADA) के नाम से जानी जाती** थी, जिसे "प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना" (PMKSY) के रूप में पुनर्नामकरण कर दिया गया है। 14वें वित्त आयोग की समयावधि में इस केंद्रीय क्षेत्रक की योजना को वर्ष 2016-20 की समयावधि हेतु अनुमोदित किया गया है।
	• यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्तमान में चल रही योजनाओं को शामिल करने के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। इसके परिणामस्वरूप फार्म गेट (कृषि स्थल) से लेकर रिटेल आउटलेट (खुदरा विक्री केंद्र) तक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक आधारभूत संरचना के सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
	• PMKSY के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएँ शामिल हैं:
	  ○ मेगा फूड पार्क;
	  ○ एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना (Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure);
	  ○ खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी सुविधा (Food Safety and Quality Assurance Infrastructure);
	  ○ खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार;
	  ○ कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए बुनियादी सुविधा;
	  ○ बैकवार्ड तथा फॉरवार्ड लिंकेज का सृजन; तथा
	  ○ मानव संसाधन और संस्थान।
	• इस योजना के तहत अंतिम तीन योजनाएँ नई शुरू की गई हैं, जबकि शुरू की 4 योजनाएँ पहले से चल रहीं थी।

20.2. मेगा फूड पार्क

(Mega Food Park)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आधुनिक अवसंरचना प्रदान करना तथा हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर डेयरी, मत्स्य पालन इत्यादि सहित कृषि उत्पादों का मूल्यवर्द्धन सुनिश्चित करना। • क्लस्टर के अंतर्गत धारणीय कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना। • प्लग एंड प्ले (त्वरित रूप से कार्य आरम्भ करना) सुविधाएं प्रदान कर छोटे एवं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।	• यह योजना एक **"क्लस्टर" दृष्टिकोण** पर आधारित है तथा इसमें सुगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर सुपरिभाषित कृषि/बागवानी क्षेत्र में अत्याधुनिक अवसंरचना के सृजन की परिकल्पना की गई है। • आपूर्ति श्रृंखला में विशेषतः संग्रहण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र,केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, कोल्ड चेन एवं लगभग 30-35 पूर्ण विकसित भू-खंड सम्मिलित हैं ताकि उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जा सके। • मेगा फूड पार्क में एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के लिए आवश्यक

	न्यूनतम भूमि 50 एकड़ और कार्यान्वयन की अवधि 30 माह होती है। • **वित्तपोषण:** इस स्कीम के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों को परियोजना लागत का 50% तथा दुर्गम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र को 75% परंतु अधिकतम 50 करोड़ रुपये/प्रति परियोजना का अनुदान प्रदान किया जाएगा। • **क्रियान्वयन एजेंसी:** इस परियोजना का कार्यान्वयन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) द्वारा किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कॉर्पोरेट निकाय है।

20.3. ऑपरेशन ग्रीन्स

(Operation Greens)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• टमाटर, प्याज और आलू (TOP) उत्पादन क्लस्टरों और उनके किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत बनाना तथा उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा TOP उत्पादक किसानों को प्राप्त होने वाली कीमतों में वृद्धि करना।
• TOP उत्पादन क्लस्टरों में उत्पादन की व्यवस्थित योजना और दोहरे उपयोग की किस्मों की शुरुआत द्वारा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण।
• खेत स्तर पर अवसंरचना के सृजन द्वारा फसल कटाई के उपरांत होने वाली क्षति को कम करना, उपयुक्त कृषि-लॉजिस्टिक्स का विकास, शेल लाइफ में वृद्धि के लिए उपभोग केंद्रों से जोड़ते हुए यथोचित भंडारण क्षमता का सृजन ।
• उत्पादन क्लस्टरों से सुदृढ़ लिंकेज के साथ TOP की मूल्य श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता एवं मूल्यवर्धन में बढ़ोतरी ।
• मांग और आपूर्ति तथा TOP फसलों के मूल्य के संबंध में सही आंकड़े एकत्र करने और उन्हें समानुक्रमित करने के लिए एक बाजार आसूचना नेटवर्क की स्थापना।
	• 2018-19 के बजट भाषण में **टमाटर, प्याज और आलू (TOP) की आपूर्ति को स्थिर करने तथा पूरे देश में वर्ष भर मूल्य अस्थिरता के बिना इन फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए** 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी।
	• केंद्र ने इस पहल के प्रथम चरण के लिए **8 राज्यों** (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) में **17 शीर्ष उत्पादन क्लस्टरों** की पहचान की है।
	• उत्पादन प्रक्रिया में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति करने तथा किसानों के क्षमता निर्माण हेतु सरकार इस योजना के अंतर्गत भारत-इज़राइल सहयोग के तहत सृजित 28 उत्कृष्टता केंद्रों का उपयोग करने के लिए भी प्रयासरत है।
	• सरकार ने TOP फसलों के संवर्धित उत्पादन को सुनिश्चित करने और मूल्य श्रृंखला में वृद्धि करने के लिए इस योजना के तहत **विशेष रणनीति और अनुदान सहायता** निर्धारित की है।
	• **ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए रणनीति:**
	  o **अल्पावधि मूल्य स्थिरीकरण उपाय:** मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED)** नोडल एजेंसी होगी। MoFPI (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) निम्नलिखित दो घटकों पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगी:
	    ▪ उत्पादन से भंडारण तक TOP फसलों का परिवहन;
	    ▪ TOP फसलों के लिए उचित भंडारण सुविधाओं को किराये पर प्राप्त करना;
	  o **दीर्घकालीन एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं,** जैसे- FPOs और उनके संघ का क्षमता निर्माण, गुणवत्ता उत्पादन, फसल-कटाई पश्चात् प्रसंस्करण सुविधाएं, एग्री-लॉजिस्टिक्स, विपणन/उपभोग बिंदु और TOP फसलों की मांग और आपूर्ति प्रबंधन के लिए ई-प्लेटफॉर्म का निर्माण और प्रबंधन।
	• **सहायता अनुदान**
	  o सहायता का प्रतिरूप (पैटर्न): सभी क्षेत्रों में पात्र परियोजनाओं की कुल लागत का 50% भाग (अधिकतम सीमा - 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना)

VISION IAS

	सहायता अनुदान के तौर पर प्रदान किया जाएगा (हालांकि, FPOs को 70% की दर से सहायता अनुदान प्रदान की जाएगी)। ○ पात्र संगठनों में सम्मिलित हैं: राज्य कृषि और अन्य विपणन संघ, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), सहकारी समितियां, कंपनियां, स्वयं-सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स, सेवा प्रदाता, आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटर्स, खुदरा और थोक श्रृंखला, केंद्र एवं राज्य सरकारें तथा इस कार्यक्रम में भाग लेने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र उनकी संस्थाएं/संगठन। ○ **मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम (MIEWS) पोर्टल:** इसे हाल ही में MoFPI द्वारा लॉन्च किया गया था। यह टमाटर, प्याज और आलू (TOP) की कीमतों की 'वास्तविक समय पर निगरानी' प्रदान करेगा और साथ ही, ऑपरेशन ग्रीन्स (OG) योजना की शर्तों के संबंध में हस्तक्षेप के लिए अलर्ट भी जारी करेगा। यह सरकार को अत्यधिक उपलब्धता के दौरान आकस्मिक मूल्य में गिरावट होने पर समय पर बाजार हस्तक्षेप और मूल्य स्थिरीकरण के लिए आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। यह पोर्टल TOP फसलों से संबंधित जानकारी, जैसे- कीमतों और आवक, क्षेत्र, उपज और उत्पादन, फसल कैलेंडर और फसल कृषि-विज्ञान आदि को प्रसारित करेगा।

20.4. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजनाएँ	प्रमुख विशेषताएं
निवेश बंधु	• यह एक निवेशक सुगमता पोर्टल है जो केंद्र और राज्य सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियों, कृषि-उत्पादक संकुलों, अवसंरचना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में निवेश के संभावित क्षेत्रों के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा।
शीत श्रृंखला, मूल्य वर्द्धन और परिरक्षण अवसंरचना योजना	• इस योजन का उद्देश्य बागवानी और गैर-बागबानी कृषि उत्पादों की पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों को कम करने हेतु खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी बाधा के एकीकृत शीत श्रृंखला एवं परिरक्षण अवसरंचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है। • **घटक-** खेत के स्तर पर प्रसंस्करण केंद्र, बहुविध उत्पादों और विभिन्न परिवेशी वितरण केंद्र, सचल प्री-कूलिंग वैन और प्रशीतित ट्रक तथा विकिरण सुविधा (irradiation facility) आदि। • एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजना की स्थापना भागीदारी/स्वामित्व फर्मों, कंपनियों, निगमों, सहकारिताओं, स्व-सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के द्वारा की जाती है।

VISION IAS

21. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(Ministry Of Health And Family Welfare)

21.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

(National Health Mission: NHM)

उद्देश्य	घटक

• बाल मृत्यु-दर और मातृ मृत्यु-दर में कमी करना
• संचारी तथा गैर-संचारी रोगों (जिनमें स्थानीय स्तर के स्थानिक रोग भी शामिल हैं) की रोकथाम एवं नियंत्रण
• एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करना
• जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक एवं जनांकिकीय संतुलन स्थापित करना
• स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं को पुनर्जीवित करना तथा आयुष (AYUSH) को मुख्यधारा में लाना
• भोजन और पोषण, स्वच्छता एवं आरोग्य हेतु सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना; महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को संबोधित करने वाली सेवाओं पर विशेष बल देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच स्थापित करना तथा सार्वभौमिक टीकाकरण
• स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहन
	• यह सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्रों और स्वास्थ्य देखभाल के वितरण को सशक्त बनाने के लिए राज्यों के वित्तपोषण और समर्थन का एक प्रमुख साधन है। राज्यों के लिए यह वित्तपोषण राज्य की **कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान: PIP) पर आधारित होता है।**
	• इसके अंतर्गत 2 उप-योजनाएँ हैं:
	  ○ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
	  ○ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
	• जो राज्य मुख्य परिणामों/आउटपुट यथा IMR, MMR, टीकाकरण, गुणवत्ता प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं आदि में उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित करते हैं, उन्हें **प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त वित्त प्रदान किया जाता है।**
	• यह "प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य (RMNCH+A)" एवं संचारी तथा गैर-संचारी रोगों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

21.2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

(National Rural Health Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• विशेष रूप से जनसँख्या के गरीब और कमजोर वर्गों को सुलभ, सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। • सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण (inter-	**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत किए गए पहल:** • मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा कार्यकर्ता) • जननी सुरक्षा योजना • राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ

sectoral convergence) के साथ एक संपूर्ण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थापना • जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करना	• जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम(RBSK) • माँ और शिशु स्वास्थ्य खंड (MCH wings) • RMNCH+A - प्रजननशील मातृ नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य (Reproductive Maternal Newborn Child and Adolescent Health)। • नि:शुल्क दवाएं और मुफ्त नैदानिक सेवा • जिला अस्पताल और ज्ञान केंद्र (District hospital and knowledge center: DHKC) • स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुन: जीवित करके **आयुष को मुख्य धारा में लाना** NRHM के अंतर्गत 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहर एवं कस्बों को सम्मिलित किया जाना जारी रहेगा।

21.3. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

(National Urban Health Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर शहरी आबादी (विशेष रूप से शहरी गरीब और झुग्गी-झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों) की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना। • उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर किये जाने वाले व्यय को कम करना।	• यह 50,000 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और शहरों/कस्बों को शामिल करेगा। • आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट **शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली** • समुदाय, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी • जिला स्वास्थ्य कार्य योजना • सभी राज्यों के लिए केंद्र-राज्य फंडिंग पैटर्न 75:25 एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 रहेगा। • कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ संकेतकों से संबंधित प्रगति के आधार पर एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। • सेवा वितरण बुनियादी ढांचे के लिए यह शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHC) तथा रेफरल हॉस्पिटल और आउटरीच सेवाएं प्रदान करता है। • सामुदायिक प्रक्रिया हेतु इसमें महिला आरोग्य समिति और आशा/लिंक कर्मचारी (Link Worker) शामिल हैं।

21.4. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

(Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram)

लक्ष्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश के किशोरों (10-19 वर्ष) की स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करना एवं उन्हें पूरा करना।	• विद्यालय में छात्रों की जांच की जाती है तथा उसके तत्पश्चात बीमारियों के शुरुआती दौर में विशेष रूप से गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) का पता लगाने हेतु स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में भेजा जाता है। • RKSK के अंतर्गत निर्धारित छह प्रमुख क्षेत्रों- पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य , नशाखोरी (ड्रग्स), गैर-संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और हिंसा। • इस योजना के तहत सहकर्मी शिक्षक (साथिया) सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप योजना संबंधी जानकारी किशोरों को उपलब्ध कराएंगे। • **साथिया रिसोर्स किट:** सहकर्मी शिक्षक को सहयोग प्रदान करने हेतु, विशेष रूप से

VISION IAS

	गांवों में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने तथा सूचित तरीके (informed manner) से अपने समुदाय के किशोरों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु साथिया रिसोर्स किट उपलब्ध कराई जाएगी। • इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करने हेतु, MOHFW ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के सहयोग से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति विकसित की है। • **मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS)** ○ इसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ○ इसके तहत प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों को सब्सिडी प्राप्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाता है। ○ लक्ष्य: 10 से 19 वर्ष की 15 मिलियन किशोरियों और 20 राज्यों के 152 जिलों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

21.5. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

(Rashtriya Bal Swasthya Karyakram: RBSK)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• 4 D - जन्म के समय बच्चों में किसी प्रकार के विकार (**D**efects at birth), बीमारी (**D**iseases), न्यूनता (**D**eficiencies) और विकलांगता सहित बच्चों के विकास में आने वाली रूकावट (**D**evelopment **D**elays) की शुरुआती पहचान तथा इस दिशा में शुरुआती हस्तक्षेप करना • नि:शुल्क उपचार तथा चिकित्सीय सहायता।	• ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 0-6 वर्ष आयु समूह तक के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। • 18 वर्ष तक के बच्चे जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/छात्रा हैं।	• यह प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पहल {NRHM के तहत बच्चे की स्वास्थ्य जांच और *अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज* (प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं)} का एक घटक है। • बीमार बच्चों को तृतीयक स्तर पर सर्जरी सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निः शुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएगी। • RBSK के तहत बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में स्क्रीनिंग, प्रारंभिक पहचान और मुफ्त प्रबंधन के लिए 30 चयनित स्वास्थ्य परिस्थितियों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। • RBSK के तहत बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग के दो स्तर हैं: समुदाय एवं सुविधा।

21.6. जननी सुरक्षा योजना

(Janani Suraksha Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना	• गर्भवती महिला • नवजात शिशु	• यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • पात्र गर्भवती महिलाएं सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में बच्चे को जन्म देने पर **नकद सहायता** की हकदार हैं। इस योजना में माँ की आयु और बच्चों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाता है। • घर पर ही प्रसव को प्राथमिकता देने वाली गर्भवती BPL महिलाओं

VISION IAS

		को उनकी आयु और बच्चों की संख्या से निरपेक्ष, प्रति प्रसव 500 रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाती है। • निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था के तहत गरीब गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान। • गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा कार्यकर्ता के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। • घर पर होने वाले प्रसव की स्थिति में कुछ नकद सहायता भी प्रदान की जाती है।

21.7. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

(Janani Shishu Suraksha Karyakram)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• संस्थागत प्रसव में अधिक खर्च की समस्या को कम करना, जो गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव न कराने का प्रमुख कारण है। • गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।	• गर्भवती महिलाएं जिनकी प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच हैं।	• **मुफ्त प्रसव:** इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक संस्थानों में (अधिकार आधारित दृष्टिकोण) मुफ्त दवाएँ एवं खाद्य पदार्थ, मुफ्त इलाज, आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त रक्त आधान, सामान्य प्रसव के मामले में तीन दिनों एवं सी-सेक्शन के मामले में सात दिनों तक मुफ्त पोषाहार दिया जाता है। सभी बीमार नवजात और शिशुओं के लिए समान पात्रताएं हैं। • इसमें घर से स्वास्थ्य केंद्र तक जाने एवं वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है। • यह जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत गर्भवती महिला को दी जाने वाली नकद सहायता के पूरक के रूप में कार्य करती है। इसमें नकद सहायता हेतु कोई घटक नहीं है।

21.8. प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना

(Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyaan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना	• सभी गर्भवती महिलाएं जो अपनी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी त्रैमासिक अवधि में हैं।	• प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को नि: शुल्क सार्वभौमिक रूप से सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करना। • इस अभियान के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान एवं उनकी जांच करना है। • निजी क्षेत्र के डॉक्टर भी सरकार की इस पहल में सहयोग प्रदान करेंगे। • यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।

21.9. लक्ष्य - लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव

(Laqshya- Labor Room Quality Improvement Initiative)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रसूति गृह तथा मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की	• इस पहल का क्रियान्वयन जिला अस्पतालों (DHs),

गुणवत्ता में सुधार करना। • प्रसूति गृह तथा मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल से सम्बंधित, रोकथाम योग्य मातृ और नवजात मृत्यु, रुग्णता तथा मृत जन्मे शिशुओं की संख्या में कमी लाना। साथ ही सम्मानपूर्ण मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना।	अत्यधिक प्रसव भार वाले उप-जिला अस्पतालों (SDHs) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) के साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों (MCs) में भी किया जाएगा। • इस पहल के अंतर्गत प्रसूति गृहों का गुणवत्ता प्रमाणन करने तथा रेखांकित लक्ष्यों को पूरा करने वाले सुविधा केंद्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना भी बनाई गयी है।

21.10. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) पहल

{Surakshit Matritva Aashwasan (Suman) Initiative}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भुगतान रहित गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करना। • सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर जाने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशुओं को सेवाएँ प्रदान करने से मना करने के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाना। • प्रिवेंटेबल मातृ और नवजात मृत्यु (जिन्हें उपचार द्वारा बचाया जा सकता था) को शून्य करना। • माता और शिशु दोनों को प्रसव/जन्म हेतु बेहतर सुविधा प्रदान करना।	• गर्भवती महिलाओं, प्रसव के 6 माह उपरांत तक माताओं और सभी रुग्ण नवजात शिशुओं को नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित हैं: ○ प्रसव पूर्व कम से कम चार जांच (checkup) करना; ○ प्रथम तिमाही अवधि के दौरान एक बार जांच करना; ○ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कम से कम एक बार जांच करना; ○ आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण; ○ टिटनेस डिप्थीरिया का टीकाकरण तथा ○ व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल (ANC) पैकेज के अन्य घटक और घर पर नवजात शिशु की देखभाल हेतु छह बार घर पर जाकर जांच करना। • गर्भावस्था के दौरान और उपरांत जटिलताओं की पहचान और प्रबंधन करने हेतु **भुगतान रहित पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा**। • सरकार गर्भवती **महिलाओ को घर से स्वास्थ्य संस्थान तक नि:शुल्क परिवहन की सुविधा** भी प्रदान करेगी। • किसी भी गंभीर मामले की आपात स्थिति के दौरान एक घंटे के भीतर अस्पताल तक पहुँचाने तथा डिस्चार्ज (न्यूनतम 48 घंटे) के पश्चात अस्पताल से घर वापस पहुँचाने की सुविधा सहित रेफरल सेवाएँ प्रदान की जाएगी। • इस योजना के तहत, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को भुगतान रहित प्रसव और जटिलता की स्थिति में सिजेरियन सेक्शन (Caesarean-section) की सुविधा प्रदान की जाएगी। • इस पहल के साथ, वेबसाइट और शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है।

21.11. मदर्स ऐब्सल्यूट अफेक्शन

(Mother Absolute Affection: MAA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• यह आरंभिक अवस्था में कुपोषण की रोकथाम के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने तथा इससे संबंधित परामर्श प्रदान करने हेतु एक राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम है।	• सामुदायिक जागरुकता उत्पन्न करना; • आशा (ASHA) के माध्यम से अंतर-वैयक्तिक संचार को मजबूत करना; • सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के वितरण बिंदुओं पर स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु विशेषज्ञ सहायता प्रदान करना; • विभिन्न स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की निगरानी करना तथा इस स्वस्थ परंपरा के लिए उन्हें पुरस्कार अथवा मान्यता प्रदान करना।

VISION IAS

21.12. परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना

(Umbrella scheme for Family Welfare and Other Health Interventions)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• बीमार लोगों की देखभाल से आरोग्य (वेलनेस) की अवधारणा को बढ़ावा देना; • आधुनिक गर्भ-निरोधक प्रसार दर (mCPR) को बेहतर करना; • परिवार नियोजन में सहायता करना और जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना तथा • शिशुओं एवं माताओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।	गर्भ-निरोधकों के सामाजिक प्रसार और गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति जैसे घटकों को विशेष रूप से निम्न आय वाले समूह के लोगों हेतु लक्षित किया गया है। हालांकि, कुल मिलाकर यह योजना किसी विशेष समूह या श्रेणी तक ही सीमित नहीं है और इसमें संपूर्ण देश की आबादी को समाहित करने का प्रावधान किया गया है।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है और इसके सभी घटक **100 प्रतिशत** केंद्र द्वारा वित्त पोषित हैं। • इसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप-योजनाएं समाविष्ट हैं: ○ **स्वस्थ नागरिक अभियान (SNA):** इसका उद्देश्य लोगों के मध्य जागरूकता में वृद्धि करना, बेहतर जीवनशैली को बढ़ावा देना और नागरिकों का सशक्तीकरण करना है। यह **7 मुख्य क्षेत्रों पर** आधारित है, जैसे कि: स्वच्छ भारत अभियान, संतुलित/स्वस्थ आहार, किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों के सेवन का निषेध, यात्री सुरक्षा (यातायात संबंधी मृत्युओं को रोकना), निर्भय नारी (लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध), कार्यस्थल पर सुरक्षा तथा इंडोर और आउटडोर प्रदूषण को कम करना। ○ **जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (PRC):** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा नीतियों से संबंधित अनुसंधान-आधारित इनपुट प्रदान करने के अधिदेश के साथ PRCs के एक नेटवर्क को स्थापित किया गया है। ○ **स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान (HSHR):** इसका उद्देश्य संपूर्ण देश और राज्यों के लिए जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आंकड़ों को समय-समय पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के माध्यम से प्राप्त करना है। NFHS जिला स्तर तक नीति एवं कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाता है। ○ **गर्भ-निरोधकों का सामाजिक प्रसार:** इसका उद्देश्य वहनीय मूल्यों पर निम्न आय वाले समूहों के लिए परिवार नियोजन से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं की ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग, विपणन एवं बिक्री करना है। ○ **गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति:** इसका उद्देश्य राज्यों को गर्भ-निरोधक गोलियों, गर्भावस्था परीक्षण किट सहित अन्य गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति करना है।

VISION IAS

21.13. मिशन परिवार विकास

(Mission Parivar Vikas)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• एक अधिकार आधारित फ्रेमवर्क (ढांचे) के अंतर्गत सूचना, विश्वसनीय सेवा और आपूर्ति आधारित उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों तक पहुंच को त्वरित करना। • वर्ष 2025 तक 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी (प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता अर्थात् TFR) लक्ष्य को प्राप्त करना।	• इस पहल का मुख्य रणनीतिक फोकस सुनिश्चित सेवाओं की प्रदायगी, नई प्रोत्साहन योजनाओं के साथ जुड़ना, कमोडिटी सुरक्षा की सुनिश्चितता, सेवा प्रदाताओं के क्षमता निर्माण, कारगर वातावरण के सृजन के साथ कड़ी निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से गर्भनिरोधकों तक पहुंच में सुधार करना है। • इसके तहत नव-विवाहित दम्पतियों के बीच परिवार नियोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता के उत्पादों वाले किट (नई पहल) का भी वितरण किया जाएगा। • यह बंध्याकरण सेवाओं में वृद्धि करेगा, विभिन्न उपकेंद्रों पर इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक उपलब्ध करायेगा और कंडोम एवं गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जागरुकता पैदा करेगा। • इसके तहत सात उच्च कुल प्रजनन दर (TFR) वाले राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम) के 145 उच्च प्रजनन जिलों पर फोकस होगा।

21.14. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

(Universal Immunization Programme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश भर के सभी बच्चों को 12 टीका निवारण योग्य रोगों (Vaccine Preventable Diseases: VPD) से सुरक्षित रखने हेतु निःशुल्क टीके उपलब्ध कराना। • प्रतिरक्षण कवरेज में तीव्रता से वृद्धि करना। • स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना करना। • टीका उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। • VPD और **ऐडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन (AEFI)** के लिए निगरानी प्रणाली को सशक्त करना और उसे बनाए रखना। • UIP में नए और अप्रयुक्त टीकों व प्रौद्योगिकी की शुरुआत एवं और उनके उपयोग में वृद्धि करना।	• केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित। • UIP के अंतर्गत, भारत सरकार 12 VPD के लिए निःशुल्क टीकाकरण प्रदान कर रही है। ये हैं: • **डिप्थीरिया, परट्यूसिस (Pertussis), टिटनेस, पोलियो;** • **खसरा** {खसरा-रूबेला (Measles-Rubella: MR) टीका - खसरा और रूबेला के विरुद्ध दोहरी सुरक्षा के लिए एकल टीका}; • बाल्यावस्था **TB** के गंभीर रूप; • **हेपेटाइटिस बी;** • संपूर्ण देश में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाला **मेनिनजाइटिस और निमोनिया;** • रोटावायरस डायरिया (हाल ही में इसे पूरे राष्ट्र को कवर करते हुए विस्तारित किया गया था) को रोकने के लिए रोटावायरस वैक्सीन (RVV)। • दो रोगों, यथा- जापानी एन्सेफलाइटिस और न्यूमोकोकल न्यूमोनिया के लिए टीके केवल चयनित राज्यों में ही उपलब्ध हैं। **न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन** विस्तार की प्रक्रिया में है जबकि JE वैक्सीन को केवल स्थानिक जिलों में ही प्रदान किया जाता है।

21.15. मिशन इंद्रधनुष

(Mission Indradhanush)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• 90% से अधिक लक्षितों के लिए पूर्ण टीकाकरण।	• निम्न टीकाकरण कवरेज वाले स्थानों तथा उन क्षेत्रों	• सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी टीके नि:शुल्क उपलब्ध हैं।

• एक बच्चे का टीकाकरण तब पूर्ण माना जाता है यदि बच्चा 1 वर्ष की आयु के भीतर राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार सभी उचित टीका प्राप्त कर लेता है। • इसका मुख्य लक्ष्य दो वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है।	पर बल दिया जाता है जहाँ पहुँचना कठिन होता है और जहाँ ऐसे बच्चों का अनुपात उच्चतम है अर्थात् जिनका या तो पूर्ण रूप से टीकाकरण नहीं हुआ है या आंशिक रूप से ही टीकाकरण हुआ है। • गर्भवती महिलाएं, जिन्हें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं किया गया है।	• इस कार्यक्रम को सुदृढ़ और पुनः सक्रिय करने तथा सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए तीव्र गति से पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने के लिए वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। • सरकार ने देश के उन 201 जिलों को लक्षित किया जहाँ आंशिक टीकाकरण वाले अथवा टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी। • मिशन इन्द्रधनुष के कुल छह चरणों को पूरे देश में 554 जिलों को कवर करते हुए पूर्ण किया गया है। • इस हेतु WHO, UNICEF, रोटरी इंटरनेशनल इत्यादि द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। • जहाँ बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है वहां पूर्ण टीकाकरण के लिए “कैच अप” अभियान। • **सघन मिशन इंद्रधनुष (Intensified Mission Indradhanush: IMI) 2.0:** ○ हाल ही में, IMI 2.0 को "निम्न" टीकाकरण वाले क्षेत्रों में कवरेज में सुधार पर विशेष ध्यान देने हेतु शुरू किया गया था। ○ IMI 2.0 का उद्देश्य 27 राज्यों के 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करना है और इसे उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ब्लॉक स्तर (652 ब्लॉकों) पर लागू किया जाएगा। छुटे हुए (लेफ्ट-आउट), ड्रॉपआउट्स और प्रतिरोधी परिवारों एवं कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों तक कवरेज को बढ़ाया जाएगा। • यह शहरी, उपेक्षित आबादी और जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। • इसमें टीकाकरण के 4 राउंड शामिल हैं जो चयनित जिलों और शहरी क्षेत्रों में दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य आयोजित किए जाएंगे। • IMI, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रदर्शित विश्वभर के 12 सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों में से एक था।

21.16. इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क

(Electronic Vaccine Intelligence Network: EVIN)

लक्ष्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसका प्रमुख लक्ष्य राज्य सरकारों को अवसंरचना, निगरानी और मानव संसाधन जैसी बाधाओं पर विजय पाने में सहायता कर टीका कवरेज में निहित व्यापक असमानताओं को समाप्त करना है।	• इसका उद्देश्य भारत सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का समर्थन करना है। • यह भारत में विकसित एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रणाली है जो वैक्सीन भण्डार का डिजिटलीकरण करती है और स्मार्टफोन एप्लिकेशन के जरिए कोल्ड चेन के तापमान पर निगरानी रखती है। यह सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टॉक और प्रवाह तथा भंडारण तापमान से लेकर मोबाइल और वेब आधारित डैशबोर्ड का उपयोग करते हुए राज्य, जिला और स्वास्थ्य केन्द्रों में वैक्सीन स्टोरेज पॉइंट्स के सन्दर्भ में रियल टाइम जानकारी प्रदान करती है। • eVIN सिस्टम को प्रथम चरण में 12 राज्यों में पूरा किया जा चुका है। 9 राज्यों में

	दूसरा चरण जारी है। eVIN के तहत संपूर्ण देश को कवर किया जाना है।

21.17. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति पहल (राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस)

{National Deworming Initiative (National Deworming Day)}

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• मृदा संचरित हेल्मिन्थ (Soil Transmitted Helminths: STH) या आंतों के परजीवी कीड़े की व्यापकता को कम करने हेतु, ताकि वे अब सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या न बन सकें।	• 1-19 वर्ष तक की आयु के सभी प्री-स्कूल तथा स्कूल योग्य आयु के (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत) बच्चों को कृमि मुक्त करना।	• इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के समन्वित प्रयासों से क्रियान्वित किया जा रहा है। • यह स्कूलों और आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। • यह **अल्बेंडाज़ोल टैबलेट** के माध्यम से किये जाने वाले सबसे प्रभावी और कम लागत वाले STH उपचार के बारे में जन जागरुकता उत्पन्न करेगा। • इस पहल में स्वच्छता, साफ़-सफाई, शौचालयों के उपयोग, जूते/चप्पल पहनने, हाथ-धोने आदि से सम्बंधित **व्यवहार परिवर्तन प्रथाओं** का उपयोग किया जाता है। • STH की मैपिंग हेतु नोडल एजेंसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है। • 1-19 वर्ष तक के सभी बच्चों में, आँत के कृमि संक्रमण का उपचार करने हेतु इस कार्यक्रम को वर्ष में एक नियत तिथि (प्रतिवर्ष 10 फरवरी और 10 अगस्त) को आयोजित किया जाता है।

21.18. आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना

{Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)}

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक का चिकित्सा कवर प्रदान करना। • राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (NHA)- इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) के प्रबंधन हेतु स्थापित किया जाएगा।	• यह BPL परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। • लाभार्थियों की पहचान SECC-2011 के आधार पर की जाएगी।	• इस योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजनाओं, यथा- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) का विलय किया गया है। • **JAM का प्रयोग:** यह एक कैशलेस और आधार-सक्षम पहल होगी, ताकि लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। • यह **सम्पूर्ण देश में** वहनीय **(पोर्टेबल)** होगी तथा इस योजना के तहत कवर किये गए किसी लाभार्थी को पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक/निजी सूचीबद्ध अस्पताल से कैशलेस लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। • यह योजना प्रधान मंत्री आरोग्य मित्र (PMAM) नामक फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के एक कैडर का निर्माण कर

VISION IAS

		रही है। ये लाभार्थियों हेतु अस्पताल में उपचार कराने के लिए सुविधा प्रदान करने वाले प्राथमिक बिंदु होंगे और इस प्रकार, स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे। • NHPS के साथ ही आयुष्मान भारत कार्यक्रम का एक अन्य घटक, **स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर)** है। • स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की परिकल्पना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में की गयी है। इसके अंतर्गत 1.5 लाख केन्द्रों के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को लोगों के घरों के निकट लाया जाएगा। ये केंद्र व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगे जिनमें गैर-संचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। • **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना):** 10 करोड़ से अधिक गरीब और सुभेद्य परिवारों (SECC डेटा के आधार पर चुने गए लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल हेतु प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रति परिवार तक कवरेज प्रदान करती है। • NHPS का प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की स्थापना की जाएगी। • **नेशनल पोर्टेबिलिटी:** लाभार्थी, प्रदाता नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में संचरण करने और निर्बाध रूप से सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम होंगे। • राज्यों के पास ट्रस्ट मॉडल या बीमा कंपनी मॉडल के माध्यम से इस योजना को लागू करने का विकल्प होगा, हालांकि ट्रस्ट मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तक 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में योजना को लागू किया जा रहा है। • हाल ही में, इसके तहत **स्कूल हेल्थ एंबेसडर** पहल की शुरुआत की गई थी। इसके तहत, प्रत्येक स्कूल में दो शिक्षकों की पहचान **'स्वास्थ्य और कल्याण राजदूतों'** के रूप में की जाएगी, जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देकर स्कूल जाने वाले बच्चों की वृद्धि, विकास और शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ावा देंगे।

21.19. राष्ट्रीय आरोग्य निधि

(Rashtriya Arogya Nidhi: RAN)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। .	• जानलेवा रोगों से पीड़ित, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगी। • **अपात्र (Not included):** सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल परिवार।	• RAN को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। • वित्तीय सहायता **'वन टाइम ग्रांट'** (एकमुश्त अनुदान) के रूप में प्रदान की जाती है। • RAN के तहत सीधे रोगियों को सहायता प्रदान नहीं की जाती है, अपितु जिस अस्पताल में चिकित्सा की जा रही है उसके अधीक्षक को यह सहायता दी जाती है। **सरकारी अस्पताल** में इलाज करवाने पर ही सहायता का लाभ लिया जा सकता है।

		• निम्नलिखित 4 विंडो के माध्यम से इसे परिचालित किया जा रहा है - रिवॉल्विंग फंड, डायरेक्ट फाइनेंसियल असिस्टेंस (प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता), स्टेट इलनेस असिस्टेंस फंड और हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड। • निर्दिष्ट दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना को भी RAN के तहत शामिल किया गया है।

21.20. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम

(Integrated Diseases Surveillance Program: IDSP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसका मुख्य उद्देश्य महामारी-प्रवण रोगों (एपिडेमिक प्रोन डिज़ीज़) के लिए विकेंद्रीकृत, प्रयोगशाला आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी तंत्र को सशक्त बनाना/बनाये रखना है। इससे रोग के रुझानों की निगरानी की जा सकेगी तथा प्रशिक्षित रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT) द्वारा महामारी के प्रसार के प्रारंभिक चरण में ही उसका पता लगाकर उचित अनुक्रिया की जा सकेगी।	• यह एक **केंद्रीय रोग निगरानी इकाई** तथा प्रत्येक राज्य में राज्य निगरानी इकाई की स्थापना का प्रावधान करता है। इन इकाइयों में डेटा एकत्रित और विश्लेषित किया जाता है। • समय पर निवारक कदम उठाने के लिए एक **पूर्व चेतावनी प्रणाली** स्थापित की गई है। • IDSP के अंतर्गत साप्ताहिक आधार पर महामारी-प्रवण रोगों पर डाटा एकत्र किया जाता है। • किसी भी क्षेत्र में किसी रोग में वृद्धि के रुझान देखे जाने पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम द्वारा उसकी जाँच की जाती है ताकि उसका निदान (डायग्नोसिस) और उसके प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके। • यह कार्यक्रम संचारी तथा गैर-संचारी रोगों, दोनों को कवर करता है तथा पशुजन्य (ज़ूनोटिक) रोगों के लिए अंतर-क्षेत्रीय सहयोग पर मुख्य ध्यान केंद्रित करता है। • **IHIP (इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म) के एक भाग के रूप में IDSP का उद्देश्य** सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं से, सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर डेटा प्राप्त करना है।

21.21. सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा

(Intensified Diarrhea Control Fortnight : IDCF)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• सम्पूर्ण देश में डायरिया से प्रभावित बच्चों में ORS और जिंक के प्रयोग के सन्दर्भ में उच्च कवरेज सुनिश्चित करना। • पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम तथा प्रबंधन हेतु देखभालकर्ताओं में उचित व्यवहार का समावेश करना। • उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा सुभेद्य समुदायों पर विशेष ध्यान देना।	• 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे जिनमें उनकी सामुदायिक सहयोग के लिए देखभाल करने वाले/माताएँ शामिल हैं। • डायरिया से पीड़ित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे।	• इसमें तीन कार्यवाही फ्रेमवर्क शामिल हैं- ○ **एकजुट करना (Mobilize):** स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों (NGO) को एकजुट करना। ○ **निवेश को प्राथमिकता:** सरकार तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से इस प्रयोजन हेतु निवेश को प्राथमिकता में रखना। ○ **जन जागरुकता का प्रसार:** राज्य, जिला तथा ग्राम स्तर पर ORS तथा जिंक थेरेपी का प्रदर्शन (demonstration) किया जाएगा। • IDCF रणनीति के तीन पहलू हैं, जो इस प्रकार

		हैं: ○ समुदाय स्तर पर ORS और जिंक की बेहतर उपलब्धता तथा उपयोग। ○ डीहाइड्रेशन के मामलों को प्रबंधित करने के लिए सुविधा केंद्र स्तर पर सुदृढ़ीकरण। ○ IEC अभियान के माध्यम से डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण के समर्थन तथा इस सन्दर्भ में संचार में वृद्धि।

21.22. नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम

(National Viral Hepatitis Control Program)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
वायरल हेपेटाइटिस के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना।	• केंद्र में **राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई** की स्थापना करना, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हेपेटाइटिस सेल के रूप में कार्य करेगी। • **राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई** की स्थापना करना, जो प्रथम वर्ष में राज्य समन्वय इकाई भी होगी और मौजूदा राज्य स्वास्थ्य प्रशासन संरचना अर्थात् राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के अंतर्गत हैपेटाइटिस सेल के रूप में कार्य करेगी। • हेपेटाइटिस वायरल के परीक्षण के लिए आवश्यक नैदानिक कार्यों हेतु राज्य में **मौजूदा प्रयोगशालाओं का उन्नयन करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना**। इस कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस B और C के लिए **नि:शुल्क दवाएं और निदान** सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। • सार्वजनिक क्षेत्र में **665 परीक्षण केंद्रों की स्थापना करना** जो 3 वर्षों में गुणवत्तायुक्त विश्वसनीय परीक्षण तक पहुँच और हेपेटाइटिस के निदान की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। • सार्वजनिक क्षेत्र में कम से कम **100 उपचार स्थलों की स्थापना करना** जो 3 वर्षों में हेपेटाइटिस C के उपचार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ हेपेटाइटिस वायरल के गुणवत्तायुक्त विश्वसनीय प्रबंधन तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। इसका लक्ष्य तीन वर्ष की अवधि में हेपेटाइटिस C के कम से कम 3 लाख मामलों का उपचार करना है।

21.23. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल

(IT Initiatives in Health)

योजना	अपेक्षित लाभार्थी
ANM ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्थात् अनमोल (ANMOL)	• यह एक टेबलेट आधारित एप्लीकेशन है जो ANMs को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के डेटा को अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह आधार सक्षम होगा।
किलकारी	• इसके तहत सीधे परिवार के मोबाइल फोनों पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल से जुड़े 72 ऑडियो संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के एक वर्ष का होने तक भेजे जाते हैं।
ई -रक्तकोष पहल	• यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जो राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से जोड़ती है।

21.24. अन्य योजनाएँ

(Other schemes)

पहल	प्रमुख विशेषताएं
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम {National Program for Control of Blindness & Visual Impairment (NPCB&VI)}	• दृष्टिहीनता के प्रसार को 1.4% से घटा कर 0.3% के स्तर तक लाने के उद्देश्य से इसे वर्ष 1976 में 100% केंद्र प्रायोजित योजना (वर्तमान में उत्तर-पूर्व के राज्यों हेतु 90:10 तथा अन्य सभी राज्यों हेतु 60:40 के अनुपात में) के रूप में आरम्भ किया गया था। • वर्तमान में इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गैर-संचारी रोगों सम्बन्धी घटक का एक भाग बना दिया गया है। • NPCB का वर्तमान लक्ष्य 2020 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को कम करके 0.3 प्रतिशत तक लाना है। • वर्ष 2017 में, वैश्विक तुलना के लिए दृष्टिहीनता की परिभाषा को परिवर्तित कर इसे WHO द्वारा प्रयुक्त दृष्टिहीनता की परिभाषा के अनुरूप कर दिया गया।
प्रोजेक्ट सनराइज	• यह पूर्वोत्तर भारत के लिए AIDS की रोकथाम हेतु एक विशेष कार्यक्रम है। इसे आठ राज्यों के 20 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक 90% HIV ग्रस्त नशे के आदी व्यक्तियों की पहचान करना तथा उन्हें उपचार के अंतर्गत शामिल करना है। • यह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अंतर्गत वित्तपोषित है। इसे राज्य एड्स नियंत्रण संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-iv {National AIDS Control Programme-IV (NACP-IV)}	• आरम्भ में इसका उद्देश्य पांच वर्षों (2012-2017) में सजग और सुपरिभाषित एकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भारत में इस महामारी की व्युत्क्रमण प्रक्रिया को तीव्र करना तथा इसकी रोकथाम को और सुदृढ़ बनाना था।
	• इसके उद्देश्य थे :
	  ○ नए संक्रमण के मामलों में 50% की कमी करना (NACP III की आधार रेखा - 2007)
	  ○ HIV/एड्स से पीड़ित सभी व्यक्तियों की व्यापक देखभाल और सहायता सुनिश्चित करना और उन सभी के लिए उपचार सेवाएं प्रदान करना जिन्हें इसकी आवश्यकता है।
	• इसे **शून्य संक्रमण, शून्य कलंक और शून्य मृत्यु** के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था।
	• हाल ही में, कैबिनेट द्वारा NACP-IV को वर्ष 2017 से 2020 तक, तीन वर्ष की अवधि के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है।

मिशन सम्पर्क	• इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है, जिनका फॉलो-अप नहीं हो पाया है तथा जिन्हें एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी (ART) सेवाओं के अंतर्गत लाया जाना अभी शेष है। इसके तहत HIV ग्रस्त व्यक्तियों की शीघ्र पहचान हेतु समुदाय-आधारित परीक्षण किया जाएगा। **टारगेट 90-90-90 ट्रीटमेंट फॉर आल- यह UNAIDS की एक रणनीति है:** • वर्ष 2020 तक, HIV से प्रभावित लोगों में से 90 प्रतिशत को उनके HIV संक्रमण की जानकारी हो जाएगी।

VISION IAS

	• वर्ष 2020 तक, कुल व्यक्ति जिनके HIV संक्रमण की पहचान कर ली गयी है, उनमें से 90 % व्यक्ति को नियमित एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी प्रदान की जाएगी। • वर्ष 2020 तक, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी प्राप्त कर रहे लोगों में से 90 % व्यक्तियों में वायरल सप्रेशन (रक्त में मौजूद वायरसों की संख्या का इस स्तर तक गिर जाना कि परीक्षण के माध्यम से उसका पता न लगाया जा सके) हो जाएगा।
किफायती दवाएं एवं उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) योजना {Affordable Medicines And Reliable Implants For Treatment (AMRIT) Program}	• AMRIT फार्मेसी के नाम से स्थापित खुदरा दुकानों पर कैंसर तथा हृदय रोग से संबंधित दवाइयाँ प्रचलित बाजार दरों से 60 से 90 प्रतिशत तक कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। यह योजना सरकार के स्वामित्व वाली HLL लाइफकेयर लिमिटेड के सहयोग से संचालित की जा रही है। HLL लाइफकेयर लिमिटेड को सम्पूर्ण देश में अमृत फार्मेसियों की श्रृंखला स्थापित करने और उनके संचालन के लिए नियुक्त किया गया है। .यह उन क्षेत्रों में विशेषज्ञ देखभाल और जानकारी पहुँचाने में मदद करता है, जहां अभी तक इनकी उपलब्धता नहीं है।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	• यह योजना **किफायती स्वास्थ्य देखभाल में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर** करेगी। इसके साथ ही यह भारत के विभिन्न भागों में AIIMS स्थापित करके तथा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाकर अल्प-सेवित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाएगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल- 2018	• इस वार्षिक प्रकाशन का उद्देश्य **भारत की स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का एक डेटाबेस तैयार करना** है, जो व्यापक, अद्यतित और स्वास्थ्य क्षेत्रक के सभी हितधारकों के लिए आसानी से सुलभ हो। • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: जनसांख्यिकी संबंधी सूचना, सामाजिक-आर्थिक सूचना, स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य वित्त संकेतक, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचे पर व्यापक सूचना और स्वास्थ्य क्षेत्रक में मानव संसाधन। • इसे **सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस (CBHI)** द्वारा तैयार किया जाता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपॉजिटरी (National Health Resource Repository: NHRR)	• यह भारत के सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के प्रामाणिक, मानकीकृत और अद्यतित भू-स्थानिक डेटा (Geospatial data) की पहली स्वास्थ्य देखभाल सुविधा रजिस्ट्री है। इसके अंतर्गत अन्य पक्षों के साथ ही अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं, चिकित्सकों और फार्मेसियों आदि के डेटा को भी शामिल किया गया है। • NHRR की अवधारणा CBHI द्वारा दी गयी है। डेटा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ISRO इस परियोजना का तकनीकी भागीदार है। • सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत अस्पतालों, चिकित्सकों, क्लीनिकों, नैदानिक प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों और नर्सिंग होम जैसे स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को इस गणना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
निक्षय पोषण योजना (NKY)	• भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। • उपचारात्मक सुविधा प्राप्त कर रहे सभी मौजूदा टीबी रोगियों के साथ-साथ 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद दर्ज (अधिसूचित) सभी टीबी रोगी प्रोत्साहन प्राप्ति हेतु पात्र हैं। इस हेतु रोगी का निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। • प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी के लिए 500 रुपये प्रति माह नकद या अन्य किसी रूप में प्रोत्साहन, टीबी के उपचार की अवधि के दौरान लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में

VISION IAS

	DBT के माध्यम से प्रदान किया जाता है। • इसका कार्यान्वयन **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के तहत किया जाता है।
खाद्य सुरक्षा मित्र (FSM) योजना	• FSM योजना छोटे एवं मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायियों के लिए खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन करने और लाइसेंस एवं पंजीकरण, स्वच्छता रेटिंग तथा प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाने में सहायक होगी। • यह युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी और FSMs को FSSAI द्वारा प्रशिक्षण एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे संबंधित कार्य कर सकें तथा अपनी सेवाओं के लिए खाद्य व्यवसायियों से भुगतान प्राप्त कर सकें।
दक्षता प्रोग्राम	• इसका उद्देश्य आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता में सुधार करना और चिकित्सा अधिकारियों, स्टाफ नर्सों और ANMs सहित लेबर रूम के प्रदाताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना है। • इसमें लेबर रूम के प्रदाताओं के लिए क्लिनिकल अपडेट सह कौशल मानकीकरण प्रशिक्षण, पोस्ट ट्रेनिंग फॉलो-अप और मेंटरिंग सहायता, सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही में सुधार करना और वितरण केंद्रों पर MNH (मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य) टूल किट का कार्यान्वयन शामिल है।
राष्ट्रीय डेटा गुणवत्ता मंच (National Data Quality Forum: NDQF)	• इसे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान (ICMR) के राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान (ICMR - NIMS) द्वारा जनसंख्या परिषद की साझेदारी में लॉन्च किया गया था। • इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना है। • यह भारत में डेटा पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता में सुधार पर वार्ता करने हेतु सभी प्रासंगिक हितधारकों, विषय-वस्तु संबंधी विशेषज्ञों, उद्योग के नेतृत्वकर्ताओं, निर्णय निर्माताओं और डेटा वैज्ञानिकों/विश्लेषकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। • NDQF वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित पहलों से प्राप्त अधिगम को एकीकृत करेगा तथा डेटा संग्रह, भंडारण, उपयोग और प्रसार करने हेतु प्रोटोकॉल और बेहतर पद्धतियों को स्थापित करेगा। ज्ञातव्य है कि इसे स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय डेटा पर लागू किये जाने के साथ ही उद्योगों और क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है।

22. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises)

22.1. फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स II: फेम

(Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles II : FAME)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाजार निर्माण और स्वदेशीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तीव्र अंगीकरण को प्रोत्साहित करना है। • देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी वाले वाहनों को अपनाने और बाजार निर्माण करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना। • वर्ष 2030 तक 30% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य प्राप्त करना है (पूर्ववर्ती लक्ष्य 100% था)।	• FAME चरण 2 इस योजना के चरण 1 (जो वर्ष 2015 में आरम्भ हुआ था और जिसे मार्च 2019 तक विस्तारित किया गया था) के आधार पर निर्मित है। इसमें उपभोक्ता खंड की तुलना में सार्वजनिक परिवहन/वाणिज्यिक खंड में EVs को अपनाने पर बल देने के माध्यम से मांग-सृजन पर अधिक ध्यान दिया गया है । • **इसे वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2021-22 तक 3 वर्षों** की अवधि हेतु कार्यान्वित किया जाएगा। • **सार्वजनिक और साझा परिवहन का विद्युतीकरण: इसके तहत** 10 लाख e-2W (इलेक्ट्रिक-दोपहिया), 5 लाख e-3W (इलेक्ट्रिक-तीनपहिया), 55,000 4Ws (इलेक्ट्रिक-चारपहिया) और 7,000 बसों हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने की योजना है। • राज्य/शहर परिवहन निगमों (STU) के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों के लिए परिचालन संबंधी व्यय विधि पर मांग प्रोत्साहन (डीमांड इंसेंटिव) प्रदान किये जाएंगे। • सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत 3-पहिया/4-पहिया वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। • e-2W खंड में निजी वाहनों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा । • **स्थानीय विनिर्माण**: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण घटकों, विशेष रूप से लीथियम आयन बैटरियों के स्थानीय विनिर्माण के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। • योजना के तहत केवल उन्नत बैटरी और पंजीकृत वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। • **चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना:** सम्पूर्ण देश में महानगरों, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों और पहाड़ी राज्यों के शहरों में लगभग 2,700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। • ये दिशा-निर्देश शहरों में 3 कि.मी के ग्रिड में; और प्रत्येक 25 कि.मी पर बड़े शहर समूहों को जोड़ने वाले राजमार्गों के दोनों किनारों पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना प्रस्तावित करते है। • तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के मौजूदा खुदरा आउटलेट्स को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। • यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 के तहत है।

VISION IAS

22.2. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान

(National Electric Mobility Mission Plan: NEMMP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राष्ट्र स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना। • पर्यावरण पर वाहनों के प्रतिकूल प्रभाव का शमन करना। • ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण क्षमता का विकास करना।	• वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 6-7 मिलियन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। • सरकार का लक्ष्य इस नई प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिसे एक कुशल और प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली/पोर्टल के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा।

22.3. समर्थ उद्योग भारत 4.0

(SAMARTH Udyog Bharat 4.0)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• जागरूकता सृजन; • **उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकी** को अपनाकर भारतीय विनिर्माण उद्योग का समर्थन करना, जैसे : डेटा एनालिटिक्स, 3डी प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स आदि।	• **स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ/SAMARTH) उद्योग भारत 4.0,** भारी उद्योग विभाग की भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि आधारित योजना के अंतर्गत संचालित एक उद्योग 4.0 पहल है। • समर्थ उद्योग पहल के तहत जागरूकता प्रसार और ब्रांडिंग के लिए एक विशिष्ट पहचान युक्त **उद्योग 4.0 के चार केंद्रों** को स्वीकृति प्रदान की गई है। • यह सुनिश्चित करता है कि इन केंद्रों में संसाधन साझाकरण, उद्योग 4.0 का साझा मंच और परस्पर अंतर्संबंधित संसाधनों के नेटवर्क को स्थापित किया जा सके।

• भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना।	• यह भारतीय पूँजीगत वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य पर आधारित है।
	• यह योजना सामान्य औद्योगिक सुविधा केंद्रों के निर्माण के अतिरिक्त **पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में तकनीकी गहनता सृजन के मुद्दे** को संबोधित करती है।
	• इस योजना में **पाँच घटक** शामिल हैं, जो कि इस प्रकार हैं:
	  ○ उन्नत उत्कृष्टता केंद्र,
	  ○ एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधाएँ (IIFC),
	  ○ सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (CEFC),
	  ○ परीक्षण और प्रमाणन केंद्र (T&CC) तथा
	  ○ प्रौद्योगिकी अधिग्रहण कोष कार्यक्रम (TAFP)।

VISION IAS

23. गृह मंत्रालय

(Ministry of Home Affairs)

23.1. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम

(Crime and Criminal Tracking Network and Systems)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• एक वेब पोर्टल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करना। • राष्ट्रीय डेटाबेस के माध्यम से किसी व्यक्ति के अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड की अखिल भारतीय स्तर पर खोज की सुविधा प्रदान करना है। • राज्य तथा केंद्र के स्तर पर अपराध तथा अपराधियों की रिपोर्ट तैयार करना। • पुलिस प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण	• यह कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लिकेशन (CIPA) (वर्ष 2004-09) नामक गैर-नियोजन योजना के अनुभव के आधार पर तैयार की गई नियोजन योजना है। • इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस के सिद्धांत के माध्यम से पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना तथा 'अपराध की जांच और अपराधियों का पता लगाने' वाले IT सक्षम अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली के विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। • राज्यों के पुलिस नेतृत्व के सहयोग से गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), इस कार्यक्रम के नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। • **CCTNS परियोजना के अंतर्गत डिजिटल पुलिस पोर्टल आरम्भ किया गया है:** यह नागरिकों को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने में सक्षम बनाएगा। पोर्टल प्रारम्भ में 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 7 सार्वजनिक वितरण सेवाएं प्रदान करेगा, जैसे व्यक्ति और पते का सत्यापन, उदाहरण के लिए कर्मचारियों, किरायेदारों, नर्सों आदि का सत्यापन, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति, खोई तथा पायी गयी वस्तुओं से सम्बंधित कार्यवाहियां तथा वाहन की चोरी आदि। • इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) का लक्ष्य प्रथम चरण में CCTNS प्रोजेक्ट को ई-कोर्ट और ई-जेल डेटाबेस के साथ और तत्पश्चात् एक चरणबद्ध तरीके से इसे आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तम्भों जैसे फोरेंसिक, अभियोजन, बाल-सुधार गृह तथा अपराधियों के देशव्यापी फिंगर प्रिंट डाटाबेस के साथ एकीकृत करना है।

23.2. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(Border Area Development Programme: BADP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित, सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं की पूर्ति करना। • केंद्रीय/राज्य/ BADP/ स्थानीय योजनाओं का अभिसरण कर तथा सहभागी दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी आवश्यक अवसंरचनात्मक जरूरतों की पूर्ति करना।	• सीमा प्रबंधन हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में **गृह मंत्रालय** का **सीमा प्रबंधन प्रभाग** राज्य सरकारों के सहयोग से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) का कार्यान्वयन कर रहा है। • यह एक ओर **सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना में विद्यमान अंतर को कम करने के लिए राज्य योजना की निधि को अनुपूरित करने** तथा दूसरी ओर **सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षात्मक परिवेश को सुदृढ़ बनाने** के माध्यम से इन इलाकों (अर्थात् सीमावर्ती क्षेत्रों) का विकास करने हेतु केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल (हस्तक्षेप) है। • इसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं: जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सहित अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल। • इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

	• BADP का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं, स्वायत परिषदों तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से **भागीदारी एवं विकेन्द्रीकृत आधार** पर किया जाता है। **BADP में हालिया बदलाव** • सीमावर्ती गांवों के व्यापक और समस्त विकास के लिए, **61 मॉडल गांवों को विकसित** करने का निर्णय लिया गया है। • प्रत्येक मॉडल गांव सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत रूप से रहने में सक्षम बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक केंद्र, कनेक्टिविटी, जल निकासी, पेयजल इत्यादि जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा। • BADP के तहत विभिन्न परियोजनाओं के बेहतर नियोजन, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए **BADP ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली** प्रारंभ की गई है। • सीमावर्ती राज्य अपनी संबंधित **वार्षिक कार्य योजनाएँ ऑनलाइन प्रस्तुत** कर सकते हैं और **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम** से गृह मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा तथा योजना और कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

23.3. महिला एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम

(Cyber Crime Prevention Against Women And Children: CCPWC)

उद्देश्य	प्रमुख बिंदु

देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए एक प्रभावी तंत्र का निर्माण करना।	• योजना की प्रमुख विशेषताएं:
	  ○ ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म
	  ○ एक राष्ट्रीय स्तर की साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला
	  ○ पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों और अभियोजकों का प्रशिक्षण
	  ○ साइबर अपराध जागरुकता गतिविधियों का संचालन
	  ○ अनुसंधान एवं विकास
	• चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल लैंगिक उत्पीड़न सामग्री, दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म जैसी यौन सामग्री से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री के मामले में शिकायतें दर्ज करने हेतु **'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल'** लॉन्च किया गया है।
	• इस पोर्टल के माध्यम से साइबर अपराधों, जैसे- मोबाइल अपराधों, ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराधों, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी आदि से संबंधित शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं।

23.4. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजना	प्रमुख विशेषताएं
मादक द्रव्य नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता	• इसका उद्देश्य उन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना है, जो मादक द्रव्यों की अंतरराज्यीय और सीमा-पार तस्करी को नियंत्रित करने में योगदान कर रहे हैं। इसके तहत सभी एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • मादक पदार्थ प्रशासन के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) राज्य सरकारों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा।

VISION IAS

उड़ान (UDAAN)	• यह जम्मू-कश्मीर (J&K) के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक विशेष उद्योग पहल है। • यह J&K के उन युवाओं के लिए कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है जो स्नातक, स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियर हैं। • साथ ही, इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभा पूल तक कॉर्पोरेट भारत की पहुँच प्रदान करना भी है।
भारत के वीर	• यह एक आईटी आधारित प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य इच्छुक दानदाताओं को उस वीर सैनिक के परिवार की सहायता करने में सक्षम बनाना है जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। दान की गई राशि को उस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल/केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक बल के सैनिक के 'निकटतम संबंधी' के खाते में जमा किया जाएगा।
पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (MPF)	• मंत्रिमंडल ने 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF)' की वृहद अम्ब्रेला योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। • इस योजना का उद्देश्य राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना और उनके प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिससे **आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थितियों को नियंत्रित करने हेतु सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर राज्य सरकारों की निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा सके।**
'ई-सहज' (e-Sahaj) पोर्टल	• यह पोर्टल कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में संगठनों/व्यक्तियों को, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कंपनियों/बोली लगाने वालों/व्यक्तियों को लाइसेंस/परमिट, अनुमति, अनुबंध आदि जारी करने से पूर्व सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है।
बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन तकनीक (BOLD-QIT)	• केन्द्रीय गृह मंत्री ने अवैध घुसपैठ के विरुद्ध एक प्रभावी कार्यवाही के रूप में असम के **धुबरी जिले** में भारत-बांग्लादेश सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के तहत BOLD-QIT परियोजना का शुभारम्भ किया।

VISION IAS

24. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(Ministry of Housing And Urban Affairs)

24.1. प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी

{Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)- Urban}

<table>
<tr><td colspan="3">PMAY (शहरी) & PMAY (ग्रामीण) का मुख्य लक्ष्य → सभी के लिए वर्ष 2022 तक आवास मिशन</td></tr>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>अपेक्षित लाभार्थी</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr>
<td>

- सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों की लगभग 1.12 करोड़ घरों की मांग को ध्यान में रखते हुए घर उपलब्ध कराने हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना।

</td>
<td>

- इसके लाभार्थियों में निम्नलिखित शामिल हैं: आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (Economically weaker section: EWS), निम्न आय समूह (Low-Income Groups: LIGs) तथा मध्यम आय समूह (Middle Income Groups: MIGs)
- EWS के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये, LIGs के लिए 3-6 लाख रुपये तथा MIGs के लिए 6 लाख रुपये से अधिक किंतु 18 लाख रुपये कम निर्धारित की गयी हैं।
- देश के किसी भी हिस्से में लाभार्थी के परिवार के पास या लाभार्थी के नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।

</td>
<td>

- इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(UTs) के माध्यम से निम्नलिखित हेतु शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी:

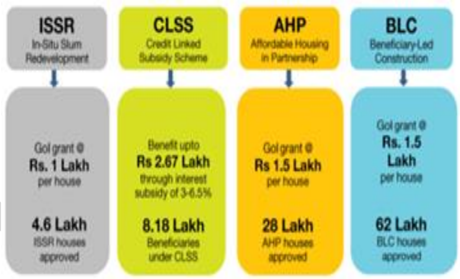

- जहाँ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) घटक एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme: CSS) के रूप में कार्यान्वित की जाएगी, वहीं अन्य तीनों घटकों का कार्यान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS) के रूप में किया जाएगा।
- जहाँ EWS श्रेणी के लाभार्थी इस मिशन के उपरोक्त चारों घटकों के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगे, वहीं LIG तथा MIG श्रेणी के लाभार्थी केवल मिशन के CLSS घटक के लिए ही पात्र होंगे।
- मिशन के तहत, लाभार्थी केवल एक घटक के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से निर्मित/अधिगृहित घर वस्तुतः परिवार की महिला मुखिया (head) अथवा घर के पुरुष मुखिया व उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। परिवार में किसी वयस्क महिला सदस्य के न होने की स्थिति में ही पुरुष सदस्य के नाम पर घर हो सकता है।
- अपने राज्यों में आवास की मांग को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है।
- झुग्गी पुनर्वासन कार्यक्रम के तहत प्रति घर औसतन एक लाख रुपये केंद्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
- CLSS के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) तथा आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) को केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।
- इस योजना के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु जिओ-टैगिंग का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक

</td>
</tr>
</table>

VISION IAS

		पूंजी प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) को अपनाया गया है। निर्माण संबंधी नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाये जाने के लिए टेक्नोलॉजी सब-मिशन प्रारंभ किया गया है। • सरकार ने वहनीय आवास क्षेत्रक को "अवसंरचना का दर्जा" प्रदान किया है, इससे PMAY को बढ़ावा मिलेगा।

24.2. दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)

{Deen Dayal Antyodaya Yojana- Urban (National Urban Livelihoods Mission): (DAY-NULM)}

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• कौशल विकास के माध्यम से सतत आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबों की स्थिति में सुधार लाना।	• शहरी गरीब: ○ स्ट्रीट वेंडर, ○ झुग्गीवासी, ○ बेघर, ○ कूड़ा उठाने वाले, • बेरोजगार, • निःशक्तजन।	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को वर्ष 2013 में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (MHUPA) द्वारा मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) को प्रतिस्थापित करके आरंभ किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: • **कौशल प्रशिक्षण और नियोजन (Placement) के माध्यम से रोजगार:** इसे शहरी आजीविका केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। • **सामाजिक गतिविधि और संस्थागत विकास:** इसे सदस्यों के प्रशिक्षण तथा उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) के गठन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इसमें प्रत्येक समूह को 10,000 रुपये का प्रारंभिक समर्थन दिया जाता है। • **शहरी गरीबों को सब्सिडी:** 2 लाख रुपये तक के ऋण वाले व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों (माइक्रो-इंटरप्राइजेज) तथा 10 लाख रुपये तक के ऋण वाले समूह उद्यमों (ग्रुप-इंटरप्राइजेज) की स्थापना हेतु 5-7% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। • **शहरी बेघरों के लिए आश्रय:** इस योजना के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रयों के निर्माण की लागत पूर्णतः वित्त पोषित है। • **अन्य साधन:** वेंडर्स के लिए बाज़ारों का विकास करना तथा अवसंरचना की स्थापना के माध्यम से वेंडर्स के कौशल को बढ़ावा देना। साथ ही, कूड़ा उठाने वालों और दिव्यांगों आदि के लिए विशेष परियोजनाएं। • हाल ही में आवास मंत्रालय द्वारा PAiSA (पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस) नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के तहत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सबवेंशन) को संसाधित (प्रोसेसिंग) करने के लिए एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

24.3. स्मार्ट सिटी मिशन

(Smart Cities Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है, जो मूल	• मिशन में **100 शहरों को सम्मिलित** किया जाएगा और इसकी अवधि

अवसंरचनाएँ (core infrastructure) उपलब्ध कराएँ और अपने नागरिकों को पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करें, एक स्वच्छ व संधारणीय पर्यावरण का विकास करें तथा 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग को प्रोत्साहन दें। • इसका उद्देश्य संधारणीय एवं समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऐसे उदाहरण स्थापित करना भी है जिनका स्मार्ट सिटी के अंदर और बाहर, दोनों जगह अनुकरण किया जा सके ताकि देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्मार्ट सिटीज़ के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके। • विशेष रूप से निर्धनों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए जीवन को सरल बनाना।	पांच वर्ष होगी (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019- 20 तक)। • स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र-आधारित विकास के **रणनीतिक घटक हैं -** शहर में सुधार (रेट्रोफिटिंग), शहर नवीनीकरण (पुनर्विकास) और शहर विस्तार (ग्रीनफील्ड विकास) तथा एक शहर-व्यापी (पैन-सिटी) पहल है जिसमें शहर के अधिकांश भाग पर स्मार्ट समाधान लागू किए जाएंगे। • स्मार्ट सिटी मिशन को एक **केन्द्र प्रायोजित योजना** (CSS) के रूप में संचालित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मिशन को पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये अर्थात् प्रति वर्ष प्रति शहर लगभग 100 करोड़ रुपये की औसत **वित्तीय सहायता** देने का प्रस्ताव है। **इसमें राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (ULB) को, केंद्र द्वारा दी गयी राशि से संगत समान राशि का योगदान करना होगा।** • राज्यों को एक **'सिटी चैलेंज प्रतियोगिता'** हेतु अपने शहरों का नाम देने के लिए कहा जाता है। इसमें चयनित शहरों को केंद्रीय निधि प्राप्त होगी। • शहरों द्वारा अपने **स्मार्ट सिटी प्रस्ताव** (SCP) को तैयार किया जायेगा। इसमें संसाधन जुटाने की योजना तथा अवसंरचना के उन्नयन और स्मार्ट अनुप्रयोगों के सन्दर्भ में लक्षित परिणाम सम्मिलित होंगे। • SPV में निजी क्षेत्र या वित्तीय संस्थानों को इक्विटी शेयरधारिता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और ULB के 50:50 के शेयरधारिता पैटर्न को बनाए रखा जाए तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और ULB के पास SPV की अत्यधिक शेयरधारिता और नियंत्रण हो। • भारत सरकार द्वारा SPV को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदत्त निधियां सशर्त अनुदान के रूप में होंगी और इन्हें एक पृथक अनुदान कोष में रखा जाएगा। • **SCM के तहत, अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर 4 चक्रों में 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है। सभी 100 शहरों द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) स्थापित किए गए हैं।** • **20:20 मॉडल/अवधारणा:** हाल ही में, केंद्र ने एक '100-डेज चैलेंज' की शुरुआत की है, जिसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 20 स्मार्ट शहरों को निचले 20 सिस्टर सिटी के साथ संबद्ध किया जाएगा। वे तकनीकी ज्ञान और वित्तीय अध्ययनों को अपनाकर ख़राब प्रदर्शन करने वाले शहरों की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। • नागरिकों को कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में योगदान देने हेतु **एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (ICCC)** की स्थापना की जा रही है। इससे अपराध की रोकथाम, बेहतर निगरानी और महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी करने में भी सहायता मिलेगी।
स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत अन्य महत्वपूर्ण पहलें	• **"ईज़ ऑफ़ लिविंग"** सूचकांक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की एक पहल है जो शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उनमें रहने की सुगमता का आकलन करने में सहायता करता है तथा शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन के 'परिणाम-आधारित' दृष्टिकोण को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है। • **भारत शहरी वेधशाला (India Urban Observatory):** आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में एक अत्याधुनिक भारत शहरी वेधशाला

	का परिचालन आरंभ किया गया है। यह वेधशाला शहरों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत और सरकारों के लिए विश्लेषिकी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए वास्तविक समय और अभिलेखीय दोनों ही स्रोतों से शहरों से प्राप्त होने वाले डेटा के विभिन्न स्रोतों से जुड़ी होगी। यह साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करेगी।

24.4. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

(Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation: AMRUT)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

यह मिशन निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा:
• जलापूर्ति,
• सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन,
• बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले,
• पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल;
• विशेष रूप से बच्चों के लिए हरे-भरे स्थानों, पार्कों और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण तथा उनका उन्नयन करके शहरों की ऐमेनिटी वैल्यू को बढ़ाना अर्थात् उन्हें अधिक सुविधाजनक बनाना।
.
	• अमृत (AMRUT) को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इसने मार्च 2020 में अपने मिशन की अवधि पूर्ण कर ली है, किन्तु केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक मिशन की अवधि को 2 दो और वर्षों के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
	• अमृत के तहत पांच सौ शहरों को शामिल किया जाएगा। इनमें सम्मिलित हैं:
	  ○ छावनी बोर्ड (नागरिक क्षेत्र) सहित अधिसूचित नगर पालिकाओं वाले ऐसे सभी शहर और कस्बे जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है;
	  ○ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे सभी राजधानी शहर/कस्बे जो उपर्युक्त बिंदु में शामिल नहीं हैं;
	  ○ HRIDAY योजना के तहत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा विरासत शहरों के रूप में वर्गीकृत सभी शहर/कस्बे,
	  ○ मुख्य नदियों पर स्थित 13 शहर और कस्बे जिनकी आबादी 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम है; और
	  ○ पर्वतीय राज्यों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों से दस शहर (प्रत्येक राज्य से एक से अधिक नहीं)।
	• इसे **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में संचालित किया जाएगा।
	• यह परियोजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में राज्यों को समान भागीदार बनाता है। इस प्रकार MoHUA द्वारा परियोजना-दर-परियोजना स्वीकृति को वर्ष में एक बार राज्य वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति से प्रतिस्थापित कर, यह सहकारी संघवाद की भावना को वास्तविक स्वरुप प्रदान करता है। वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के उपरांत राज्य परियोजनाओं का अनुमोदन और उनकी स्वीकृति अपने स्तर से कर सकते हैं।
	• इसके अंतर्गत मिशन में शामिल शहरों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमता का निर्माण भी शामिल है
	• शहरी आबादी और सांविधिक शहरी स्थानीय निकायों की संख्या के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता आवंटित की जाती है। इस प्रकार यह किसी भी प्रकार की विवेकाधीन शक्ति के उपयोग करने से रोकता है।
	• वार्षिक बजट आवंटन का दस प्रतिशत पृथक रखा जाएगा और इसे प्रत्येक वर्ष राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सुधार करने पर प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा।
	• हाल ही में, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने AMRUT के अंतर्गत शामिल ULBs को म्यूनिसिपल बॉण्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है।

VISION IAS

24.5. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास व संवर्धन योजना (हृदय)

(National Heritage City Development and Augmentation Yojana: HRIDAY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। सुंदरतापूर्ण, सुलभ, शिक्षाप्रद और सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहित करके शहर के अद्वितीय चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए विरासत शहर की विशिष्टता को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। • इसे 12 शहरों अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल में लागू किया जा रहा है। यह योजना मिशन मोड के रूप में लागू की गई है। • यह योजना व्यापक रूप से चार विषयगत क्षेत्रों (theme areas) अर्थात भौतिक अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना, आर्थिक अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करेगी। • चिह्नित किये गये शहरों/कस्बों को योजना के तहत सहायक सहायता प्राप्त करने हेतु शहर/कस्बे के लिए विरासत प्रबंधन योजना (HMP) तैयार करनी होगी तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को विकसित और निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

24.6. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

{Swachh Bharat Mission (URBAN)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• खुले में शौच से मुक्ति।
• अस्वास्थ्यकर शौचालयों का फ्लश शौचालयों में रूपांतरण,
• हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्केवेंजिंग) का उन्मूलन,
• नगर निगम के ठोस अपशिष्ट का 100% संग्रहण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण/निपटान, पुन: उपयोग /पुनर्चक्रण।
• स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में लोगों में एक व्यवहारिक परिवर्तन लाना।
• स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर स्वच्छता प्रभावों के बारे में नागरिकों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना।
• डिजाइन, निष्पादन और व्यवस्था को संचालित करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाना।
• पूंजीगत व्यय और संचालन एवं रखरखाव (O&M) लागत में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु समर्थकारी वातावरण का सृजन।
	• **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U)** को भारत में स्वच्छता परिदृश्य को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को पांच वर्ष की अवधि (वर्ष 2014-2019) के लिए शुरू किया गया था। खुले में शौच मुक्त (ODF) 35 राज्यों के शहरी क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल के 52 ULBs को छोड़कर) के साथ भारत ने ODF भारत की परिकल्पना को साकार किया है।
	• मिशन के निम्नलिखित घटक हैं:
	  ○ घरेलू शौचालयों का निर्माण,
	  ○ समुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय,
	  ○ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,
	  ○ सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) तथा जन जागरूकता,
	  ○ क्षमता निर्माण एवं प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (A&OE)
	• केंद्र सरकार और राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के बीच फंडिंग पैटर्न है- 75%: 25% (उत्तर पूर्वी और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90%: 10%)।
	• उक्त घटकों के वित्त पोषण में अंतराल की भरपाई लाभार्थी योगदान, निजी वित्त पोषण, कॉर्पोरेट सामाजिक उतरदायित्व (CSR) के तहत निजी कंपनियों से प्राप्त धन और **वित्त मंत्रालय के स्वच्छ भारत कोष** से की जा सकती है।
	• इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा ठोस अपशिष्ट के 100% प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान, पूर्ण मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन तथा अपशिष्ट जल उपचार और पुन: उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।
	• इस उद्देश्य हेतु वाटर प्लस, SBM ODF+ और SBM ODF ++ प्रोटोकॉल को तैयार किया गया है।

अन्य संबंधित पहलें	
स्वच्छ सर्वेक्षण 2019	• स्वच्छता संबंधी कार्यों में सेवा स्तर के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी के साथ शहरों के वास्तविक प्रदर्शन को बनाए रखने के उद्देश्य से **स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020** की शुरुआत की गई थी। • **"सतत सर्वेक्षण": स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020** का आयोजन 3 तिमाहियों, अर्थात् अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर और अक्टूबर-दिसंबर 2019 में किया गया था। • आउटबाउंड कॉल के माध्यम से यह मूल्यांकन SBM-U की ऑनलाइन MIS (प्रबंधन सूचना प्रणाली) मासिक नवीनतम जानकारी तथा 12 सेवा स्तर प्रगति सूचकों के नागरिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा (SS लीग 2020 के तहत कोई प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया गया है।) ○ हाल ही में, SBM(U) MIS परियोजना को ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। • **रैंकिंग:** यह दो श्रेणियों में, अर्थात् एक लाख व उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को प्रदान की जाएगी। • जनवरी 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण में शामिल किए जाने वाले तिमाही आकलन के 25% भारांक के कारण स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में शहरों का प्रदर्शन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उनकी रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण होगा।
SBM ODF + और ODF ++ प्रोटोकॉल	• मार्च 2016 में जारी किए गए मूल ODF प्रोटोकॉल में वर्णित किया गया है, "यदि दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है तो उस शहर/वार्ड को ODF शहर/वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। देश में अब तक 18 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 3223 शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया है। • ODF + प्रोटोकॉल के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि एक शहर, वार्ड या कार्यक्षेत्र को ODF+ के रूप में घोषित किया जा सकता है यदि, "दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच और/या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है, और सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक और सुव्यवस्थित हैं।" • ODF ++ प्रोटोकॉल इस शर्त को जोड़ता है कि "मानव अपशिष्ट गाद/सेप्टेज और सीवेज सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाए; साथ ही अनुपचारित मानव अपशिष्ट गाद/सेप्टेज को नालियों, जल निकायों या खुले क्षेत्रों में प्रवाहित/डंप न किया जाए।"
वाटर प्लस प्रोटोकॉल	• इसका उद्देश्य शहरों और कस्बों के लिए एक दिशा-निर्देश प्रदान करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुपचारित अपशिष्ट-जल को पर्यावरण में प्रवाहित न किया जाए, जिससे स्वच्छता मूल्य श्रृंखला की संधारणीयता को प्रोत्साहित किया जा सके।

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र (SSS)-शहरी	• इसे MoHUA और MoHFW के मध्य सहयोग से लागू किया जाएगा।
	• **गतिविधियों का दायरा:**
	  ○ ODF बनने/बनाए रखने हेतु वार्डों/शहरों (जहां कायाकल्प शहरी-जन स्वास्थ्य केंद्र/U-CHCs अवस्थित हैं) को सक्षम बनाना और उनका समर्थन करना।
	  ○ उच्च स्कोर की प्रगति के लिए ODF वार्ड/शहरों में 70% से कम के कायाकल्प स्कोर वाले U-PHCs/U-CHCs को सुदृढ़ करना।
	• स्वास्थ्य सुविधाओं और ULBs के नामितों को जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH) में प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण करना।

MOHUA द्वारा शुरू की गई कचरा	• **स्टार-रेटिंग पहल** के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 25 प्रमुख मापदंडों के आधार पर

मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग	7-स्टार रेटिंग सिस्टम के आधार पर शहरों की रेटिंग की जाती है जिसके अंतर्गत घर-घर जाकर संग्रहण करना (डोर-टू-डोर कलेक्शन), अत्यधिक अपशिष्ट उत्पादन करने वालों के द्वारा अनुपालन करना (बल्क जनरेटर कंप्लायंस), स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, सफाई, अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, वैज्ञानिक भूमि भराव, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण और विध्वंस प्रबंधन, डंप उपचार और नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली आदि शामिल होंगे। • शहरों को एक निश्चित स्टार रेटिंग प्राप्त करने हेतु स्व-मूल्यांकन और स्व-सत्यापन करने की आवश्यकता होती है। नागरिकों को भी इसमें शामिल होना होगा। इस स्व-घोषणा को 1-स्टार, 3-स्टार, 5-स्टार और 7-स्टार कचरा मुक्त रेटिंग के लिए MoHUA द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से भी सत्यापित किया जाएगा।
ई-धरती ऐप और ई-धरती जियो पोर्टल	• **भूमि और विकास कार्यालय (L&DO),** मुख्य रूप से लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड तक संपत्ति का रुपांतरण (कन्वर्जन), कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम का प्रतिस्थापन (सबस्टीट्यूशन) और क्रेता के नाम में परिवर्तन (म्यूटेशन) आदि से संबंधित सार्वजनिक आवेदनों का निस्तारण करता है। • इस ऐप के तहत, सभी तीन मॉड्यूल अर्थात कन्वर्जन, सबस्टीट्यूशन और म्यूटेशन को इनसे संबंधित आवेदन करने के लिए लोगों के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है। • पोर्टल पर L&DO के तहत प्रत्येक सरकारी संपत्ति (आवंटित या गैर-आवंटित) का GIS मानचित्र उपलब्ध है।

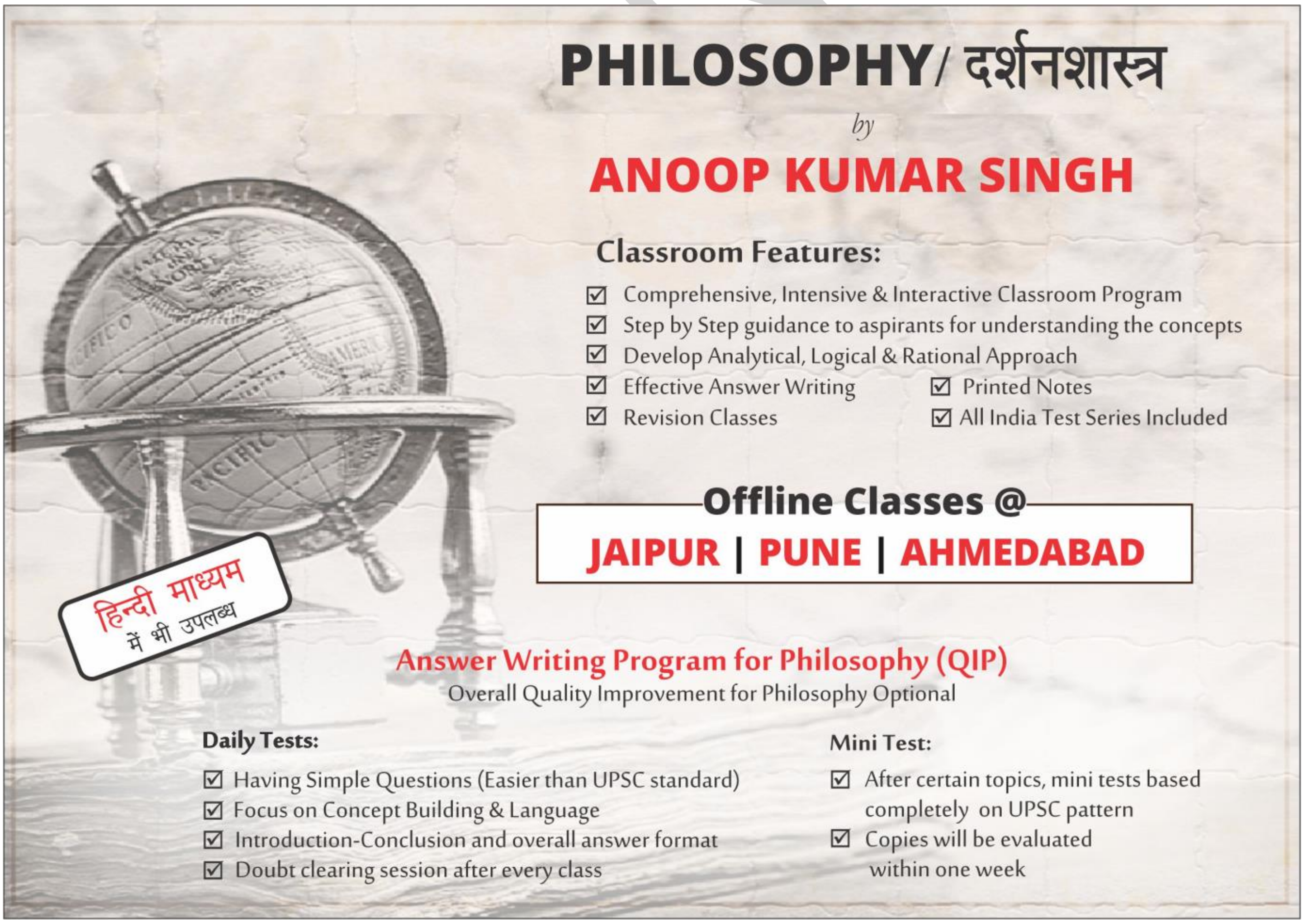

25. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(Ministry Of Human Resource Development)

25.1. राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल (निष्ठा)

(National Initiative For School Heads And Teachers Holistic Advancement: NISHTHA)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
विद्यार्थियों में गहन चिंतन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने हेतु, शिक्षकों को विभिन्न स्थितियों को संभालने एवं उन्हें प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित तथा प्रशिक्षित करना।	• इसके तहत सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर के सभी स्कूली शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (State Councils of Educational Research and Training: SCERTs) व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (District Institutes of Education and Training: DIETs) के संकाय सदस्यों और सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रखंड संसाधन समन्वयकों तथा क्लस्टर संसाधन समन्वयकों को कवर किया जाएगा।	• इसे समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रारंभ किया गया था और इसके तहत देश भर के 42 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। • इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न मापदंड में निम्नलिखित शामिल हैं: ○ **मानक मॉड्यूल:** राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए विकसित किए गए हैं। ○ **गतिविधि-आधारित मॉड्यूल:** इसमें निम्नलिखित शामिल हैं- शैक्षिक खेल और क्विज़, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षण, प्रेरक वार्ता, टीम निर्माण, स्कूल-आधारित मूल्यांकन के लिए तैयारी, आंतरिक सतत प्रतिक्रिया तंत्र, ऑनलाइन निगरानी और समर्थन प्रणाली, प्रशिक्षण की आवश्यकता तथा प्रभाव विश्लेषण। ○ **पोस्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल:** इस एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण-उपरांत मार्गदर्शन (मेंटरिंग) को भी शामिल किया गया है। ○ **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment: MOODLE) पर आधारित एक मोबाइल ऐप और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (Learning Management System: LMS) विकसित किया गया है। • LMS का उपयोग मानव संसाधन और शिक्षकों के पंजीकरण, संसाधनों के प्रसार, प्रशिक्षण अंतराल तथा प्रभाव विश्लेषण, निगरानी, सलाह एवं प्रगति का ऑनलाइन आकलन करने के लिए किया जाएगा। • शिक्षक की सहायता के लिए सुगम सुविधा, डिजिटल सामग्री की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी

VISION IAS

		सक्षम शिक्षण विधियों को सुनिश्चित करने के लिए NCERT द्वारा MOODLE को विकसित किया गया है।

25.2. प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम - ध्रुव

(Pradhan Mantri Innovative Learning Programme: DHRUV)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए उनकी पहचान व उन्हें प्रोत्साहित करना तथा समाज में उनका योगदान सुनिश्चित करना।	• इस कार्यक्रम का **नाम 'ध्रुव तारे' के नाम पर** रखा गया है तथा इसके तहत प्रत्येक चयनित छात्र 'ध्रुव तारा' कहलाएगा। • इस कार्यक्रम में **दो क्षेत्र यथा - विज्ञान और प्रदर्शन कलाएं** शामिल हैं। आगे इस कार्यक्रम का विस्तार उत्तरोतर रचनात्मक लेखन जैसे क्षेत्रों में भी किया जाएगा। • इस कार्यक्रम का शुभारम्भ **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** से किया गया था। • यह एक **14-दिवसीय शिक्षण कार्यक्रम** है, जिसमें देश भर में 9वीं से कक्षा 12वीं तक लगभग 60 छात्रों का चयन किया जाता है तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं शिक्षण प्रदान किया जाएगा।

25.3. नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी

(National Educational Alliance for Technology: NEAT)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ

• उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणामों के लिए अधिगम की प्रक्रिया को अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बनाने हेतु **कृत्रिम बुद्धिमता** का उपयोग करना।	• **एडटेक (EdTech) कंपनियों** के रूप में विकसित तकनीकी समाधान हेतु अनेक स्टार्ट-अप कंपनियों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी।
	• एक **राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी (NEAT) प्लेटफ़ॉर्म** का सृजन और प्रबंधन किया जाएगा, जो इन तकनीकी समाधानों के लिए एकल बिंदु पहुँच प्रदान करेगा।
	  ○ एडटेक कंपनियां NEAT पोर्टल के माध्यम से **शिक्षार्थियों के पंजीकरण का प्रबंधन** करेंगी और अपनी नीति के अनुसार शुल्क अधिरोपित करने के लिए स्वतंत्र होंगी।
	• मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), यह सुनिश्चित करने के लिए एक **सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य** करेगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की एक बड़ी संख्या को स्वतंत्र रूप से समाधान उपलब्ध हो सके।
	  ○ राष्ट्रीय हित के लिए उनके योगदान के रूप में, उन्हें NEAT पोर्टल के माध्यम से समाधान के लिए कुल पंजीकरण का **25%** तक मुफ्त कूपन वंचित समुदाय के छात्रों को उपलब्ध कराने होंगे।
	• शिक्षकों और छात्रों के मध्य NEAT समाधान के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए **MHRD द्वारा सूचीबद्ध की गई एडटेक कंपनियों के साथ समझौता-ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
	• एडटेक समाधानों के मूल्यांकन और चयन के लिए **स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियों**

VISION IAS

	का गठन किया जाएगा। • **MHRD के अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)**, NEAT कार्यक्रम हेतु **कार्यान्वयन एजेंसी** होगी। ज्ञातव्य है कि AICTE देश में तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक नियामक निकाय है।

25.4. स्कीम फॉर ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकॉनामी (स्ट्राइड/STRIDE)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• युवा प्रतिभा की पहचान करने, अनुसंधान संस्कृति को सुदृढ़ करने, क्षमता निर्माण, नवाचार प्रोत्साहन और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रासंगिक ट्रांस-विषयी अनुसंधान का समर्थन करने तथा समाज के समग्र कल्याण को बढ़ावा देना। • मानविकी और मानव विज्ञान तथा भारतीय ज्ञान प्रणालियों में पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाली राष्ट्रीय नेटवर्क परियोजनाओं को निधि प्रदान करना।	• स्ट्राइड (STRIDE) नामक इस नई पहल की घोषणा **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** द्वारा की गई है। • इस योजना के 3 घटक हैं: ○ **घटक 1:** इस घटक के अंतर्गत स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के नवोन्मेषी व्यावहारिक समाधान हेतु युवा प्रतिभा को सहायता, शिक्षण और परामर्श के माध्यम से विविध विषयों (अनुशासन) में अनुसंधान क्षमता निर्माण उपलब्ध कराना है। इसमें सभी विषयों पर अनुसंधान के लिये 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ○ **घटक 2:** इस घटक के तहत भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए तथा स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के नवोन्मेषी व्यावहारिक समाधानों के लिए समावेशी नवाचार एवं कार्य अनुसंधान की सहायता से **समस्या समाधान कौशल संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।** इसमें सभी विषयों पर अनुसंधान के लिये 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। ○ **घटक 3:** इसमें बहुसंस्थागत नेटवर्क के माध्यम से मानविकी और मानव विज्ञान में पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में **उच्च प्रभाव वाली अनुसंधान परियोजनाओं को निधि प्रदान की जाएगी।** इस घटक के तहत उपलब्ध अनुदान एक उच्च शैक्षणिक संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपये तक तथा एक बहु संस्थागत नेटवर्क के लिए 5 करोड़ रूपए तक है।

25.5. समग्र शिक्षा- स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना

(Samagra Siksha- An Integrated Scheme for School Education)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान** और छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार करना; • स्कूली शिक्षा में **सामाजिक और लैंगिक अंतराल को समाप्त करना**; • स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना; • शिक्षा संबंधी प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना; • व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना; • नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (RTE) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों	• हाल ही में, इस योजना (1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह निम्नलिखित **तीन योजनाओं** को सम्मिलित करती है- ○ सर्व शिक्षा अभियान (SSA); ○ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और ○ शिक्षक शिक्षा (TE) पर केंद्र प्रायोजित योजना- प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के प्री-सर्विस (सेवा पूर्व) एवं इन-सर्विस (सेवाकाल) प्रशिक्षण हेतु तथा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को शैक्षणिक संसाधन सहायता के प्रावधान के लिए एक ठोस संस्थागत अवसंरचना तैयार करना। • **समग्र शिक्षा** में 'स्कूल' को प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों के क्रम के रूप में स्वीकार किया गया है।

VISION IAS

की सहायता करना; • शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERTs (Social Communication, Emotional Regulation and Transactional Support)/राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट (DIET) का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।	○ इस योजना को केंद्र द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एकल राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (SIS) के माध्यम से **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में लागू किया जाएगा। ○ **स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर योजना के तहत प्रस्तावित प्रमुख हस्तक्षेपों में अग्रलिखित सम्मिलित हैं:** (i) अवसंरचना विकास तथा सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण; (ii) लैंगिक समता, (iii) समावेशी शिक्षा (iv) गुणवत्ता; (v) शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता; (vi) डिजिटल पहल; (vii) स्कूल यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तकों आदि सहित RTE के तहत प्राप्त अन्य लाभ; (viii) प्री-स्कूल शिक्षा, (ix) व्यावसायिक शिक्षा (x) खेल एवं शारीरिक शिक्षा; (xi) शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना; (xii) निगरानी; (xiii) कार्यक्रम प्रबंधन तथा (xiii) राष्ट्रीय घटक। ○ **क्षेत्रीय संतुलन पर बल:** योजना के तहत हस्तक्षेपों में, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों, नक्सल प्रभावित जिलों, विशेष फोकस जिलों, सीमावर्ती क्षेत्रों और 115 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। ○ **रक्षा (RAKSHA):** यह एक प्रकार का आत्म-रक्षा प्रशिक्षण है, जिसमें लड़कियों को मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे संकट के समय स्वयं की रक्षा कर सकें।

25.5.1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

(Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan: RMSA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि सुनिश्चित करना तथा गुणवत्ता में सुधार करना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाना, लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक और दिव्यांगता संबंधी बाधाओं का निवारण तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच आदि लक्ष्यों को पूरा करना।	• इस योजना के तहत प्रदान की गई महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएं हैं: अतिरिक्त क्लास रूम, प्रयोगशालाएं, शौचालय खंड, दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय होस्टल आदि। • 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने और वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इस योजना में किसी भी आवासीय क्षेत्र से 5-7 किमी के भीतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के माध्यम से नामांकन में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। • इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण गुणात्मक प्रयासों में शामिल है: छात्र-शिक्षक अनुपात को 30:1 तक कम करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति; विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की शिक्षा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि पर ध्यान केंद्रित करना। • इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण समतामूलक प्रयास हैं: उन्नयन के लिए आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता, विद्यालय स्थापित करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों के संकेंद्रण वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता आदि।

	• सुभेद्य समूहों (ST/SC समूहों, अल्पसंख्यक बालिकाओं इत्यादि) पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त, यह दिव्यांग बच्चों के लिए भी समावेशी शिक्षा का लक्ष्य रखता है।

25.5.2. सर्व शिक्षा अभियान

(Sarva Shiksha Abhiyaan)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• प्रारंभिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और शिक्षा से जोड़े रखना। • शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक वर्ग अंतरालों को भरना तथा • बच्चों के सीखने के स्तर का संवर्धन करना।	• 6-12 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे।	• एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न हस्तक्षेपों को सम्मिलित किया गया है, जैसे- नए विद्यालय की स्थापना, शौचालयों का निर्माण (स्वच्छ विद्यालय योजना- सभी विद्यालयों में बालिकाओं और बालकों के लिए पृथक-पृथक शौचालय), समय-समय पर शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक संसाधन सहायता आदि। • SSA के अंतर्गत उप-कार्यक्रम: ○ 'पढ़े भारत बढ़े भारत' (PBBB) ○ राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (RAA) ○ विद्यांजली ○ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय- शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।

25.5.3. पढ़े भारत बढ़े भारत

(Padhe Bharat Badhe Bharat)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• भाषा विकास में सुधार लाने और गणित में रुचि उत्पन्न करने पर विशेष ध्यान। • घर से विद्यालय के अवस्थांतर में सामाजिक परिप्रेक्ष्य को मान्यता प्रदान करना।	• अधिगम निष्पादन (लर्निंग परफॉरमेंस) में सुधार करने के लिए कक्षा 1 और 2 के बच्चों पर ध्यान। • रीडिंग इनिशिएटिव: कक्षा 8 तक	• इसे वर्ष 2014 में आरंभ किया गया था और यह संपूर्ण देश में लागू है। • 'पढ़े भारत बढ़े भारत' के दो घटक हैं: (प्रारंभिक कक्षाओं में समझ के साथ प्रारंभिक पठन एवं लेखन तथा प्रारंभिक गणित कार्यक्रम)। • आगे की कार्रवाई के रूप में: नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव को प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के मध्य पढ़ने की आदत विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था, जिससे यह कार्यक्रम कक्षा 8 तक विस्तारित किया जा सके। • सभी सरकारी स्कूलों में वार्षिक पुस्तकालय अनुदान प्रदान किया गया है

25.5.4. विद्यांजली

(Vidyanjali)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• ऐसे परिवेश का सृजन करना, जहां शिक्षा का	• सरकारी विद्यालयों, तथा सरकारी	• सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक विद्यालयों में सामुदायिक भागीदारी को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाएगा (स्वयंसेवक के रूप में

उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना और अधिगम परिणाम (लर्निंग आउटपुट) में सुधार करना हो।	सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी आदि। (कक्षा 1 से 8)	कार्य करने के इच्छुक NRIs, सेवानिवृत्त शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों, रक्षा कर्मियों, पेशेवरों आदि को सम्मिलित करके)। साथ ही बच्चों को सह-शैक्षिक गतिविधियों जैसे पठन, रचनात्मक लेखन, पब्लिक स्पीकिंग, नाटकों में अभिनय, कहानी की पुस्तकें तैयार करने आदि में संलग्न करना। • प्रायोगिक स्तर पर इस कार्यक्रम को 21 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

25.5.5. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

(Rashtriya Avishkar Abhiyan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• कक्षा से बाहर के परिवेश में विज्ञान, गणित एवं तकनीक सीखने की क्षमता को बढ़ाना। • स्कूलों को नवाचार के प्राथमिक केन्द्र बनने के लिए प्रोत्साहित और पोषित करना।	• 6-18 आयु वर्ग के छात्र। • सरकारी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, विशेष स्कूल, विशेष ट्रेनिंग केंद्र इत्यादि। • विज्ञान विषय के कक्षा I से XII तक के स्कूल जाने वाले विद्यार्थी।	• अन्वेषणात्मक कार्यक्रमों, छात्र आदान-प्रदान, छात्र भ्रमण, प्रदर्शनी आदि के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने के प्रति एक प्राकृतिक भावना का विकास करने हेतु **विभिन्न संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों** (IITs)/ भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs)/ भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (IISERs) एवं अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व प्रतिष्ठित संगठनों से परामर्श प्राप्त करना। • यह **अनुच्छेद 51(A) के अंतर्गत वर्णित मूल कर्तव्य** "वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना के विकास" को बढ़ावा देने हेतु एक कदम है।

25.6. मध्याह्न भोजन योजना

(Mid-Day Meal Scheme)

MDM के उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• स्कूल जाने वाले बच्चों के **नामांकन, प्रतिधारण एवं उपस्थिति** को बढ़ाना तथा साथ ही साथ उनके **पोषण स्तर में सुधार** करना।	• **सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (STC) और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक** के स्कूली बच्चे। • **शिक्षा गारंटी स्कीम (EGS) और वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा** (AIE) के तहत संचालित केन्द्र **एवं देश भर के सभी क्षेत्रों के राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)** स्कूल MDM के तहत सम्मिलित हैं।	• इसके तहत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन के साथ तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन के साथ पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करना निर्धारित किया गया है। • इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान **सूखा प्रभावित क्षेत्रों में** प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित है। • यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है और इसकी लागत केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य साझा की जाती है। ○ केंद्र सरकार राज्यों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। ○ खाना पकाने, अवसंरचना विकास, खाद्यान्नों के परिवहन और रसोइयों एवं सहायकों को पारिश्रामिक का भुगतान केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य साझा किया जाता है। केंद्र सरकार इस राशि का अधिकतम हिस्सा वहन करती है।

		○ राज्य सरकारों के योगदान में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता होती है। • **राष्ट्रीय स्तर पर**, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली एक **उच्चाधिकार समिति** और एक **राष्ट्रीय स्तर की संचालन-सह-निगरानी समिति (NSMC)** के साथ-साथ **कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (PAB)** द्वारा इस योजना की निगरानी की जाती है और साथ ही ये इसके सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों का सुझाव देते हैं। • राज्य स्तर पर **राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति** और जिला स्तर पर **लोकसभा के वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति,** योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती है।

हाल ही में संशोधित मानदंड

- **कुकिंग लागत में मुद्रास्फ़ीति सूचकांक से संबद्ध** वार्षिक बढ़ोतरी, यह मिड-डे-मील योजना के तहत खाद्य वस्तुओं पर मुद्रास्फ़ीति के प्रभाव को समाप्त करेगी।
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में PDS दर में 75 रुपये क्विंटल से परिवहन कर में संशोधन (अधिकतम 150 रुपये प्रति क्विंटल की शर्त पर) किया गया है।
- **प्रबंधन निगरानी और आंकलन (MME) दर** को संशोधित करके कुल ग्राह्य पुनरावर्ती केंद्रीय सहायता का 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया गया है। यह राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को योजना के बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए सक्षम बनाएगा।
- **रसोई उपकरणों के लिए सहायता** को 5,000 रुपये प्रति स्कूल से **बढ़ाकर** छात्रों की संख्या के आधार पर 10 हजार से 25 हजार रुपए किया गया है। इससे स्कूल रसोई उपकरणों की ख़रीददारी / उनका प्रतिस्थापन करने में समर्थ होंगे।
- **दो नए घटकों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है यथा:**
    - **रसोई-सह भंडारगृहों की मरम्मत:** 10 वर्ष से अधिक पुराने रसोई घरों की मरम्मत के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य सहभाजन के आधार पर 10 हजार रुपये प्रति रसोई का एक नया घटक शुरू किया गया है।
    - भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से चावल के साथ शुरू करके एक **व्यवस्थित रीति से खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन**। साथ ही स्कूलों में किचन गार्डनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति को मौजूदा दिशा-निर्देशों में अत्यल्प संशोधन के साथ योजना लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है।**
    - इसके अतिरिक्त, राज्य और संघ शासित प्रदेशों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूर्व अनुमति से अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के 5 प्रतिशत का नए हस्तक्षेपों में उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।
- **अन्य मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - **बफर स्टॉक से दालों का उपयोग-** राज्य और संघ शासित प्रदेश भारत सरकार द्वारा निर्मित बफर स्टॉक से स्थानीय पसंद के अनुसार मिड-डे-मील के लिए दाल खरीद सकते हैं।
    - **उपस्थिति की निगरानी-** सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि 100% स्कूलों के दैनिक डेटा को ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम (AMS) के माध्यम से अपलोड किया जाए।
    - **MDM के तहत व्यंजन सूची-** राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक व्यंजन सूची विकसित करने के ऐसे तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है, जो स्थानीय स्वाद एवं स्थानीय उपज को दर्शाता हो तथा जो दिवसों के अनुसार भिन्न-भिन्न होता हो।
    - **तिथि भोजन-** इसके तहत समुदाय के लोगों को मिड-डे-मील योजना में योगदान करके बच्चों के जन्म दिन, विवाह जैसे मुख्य दिवसों के आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तिथि भोजन मिड-डे-मील का विकल्प नहीं है, बल्कि यह मिड-डे-मील का पूरक है।
- **मिड-डे-मील के लिए जेलों, मंदिरों और गुरूद्वारों आदि का उपयोग:** सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को समुदाय और अन्य

VISION IAS

संरचनाओं जैसे जेलों, मंदिरों, गुरुद्वारों आदि को मिड-डे-मील योजना में शामिल करने की सलाह दी जा रही है।

25.7. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

(Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan: RUSA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• राज्य स्तर पर योजना निर्माण और मॉनीटरिंग के लिए सुविधाजनक संस्थानिक ढांचे का निर्माण करके, राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को प्रोत्साहित करके और संस्थाओं के अभिशासन में सुधार करके, **राज्य की उच्चतर शिक्षा प्रणाली** में **रूपांतरणकारी सुधार** करना।
• उच्चतर शिक्षा में पहुंच बनाने में क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करना।
• ऐसे परिवेश का निर्माण करना जिसमें उच्चतर शैक्षिक संस्थान स्वयं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित कर सकें।
• विद्यमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर तथा नए संस्थानों की स्थापना के द्वारा संस्थानिक आधार को विस्तार प्रदान करना।
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में वृद्धि करना।
	• यह वर्ष 2013 में प्रारम्भ की गई एक केंद्र प्रायोजित फ्लैगशिप योजना है।
	• इसका केंद्रीय वित्त पोषण मापदंड आधारित और परिणामों के अधीन होगा।
	• सकल नामांकन अनुपात को **वर्तमान 19% से वर्ष 2020 तक 30%** लाने का लक्ष्य।
	• यह योजना नीति आयोग द्वारा चिह्नित 'आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) को प्राथमिकता प्रदान करेगी।
	• राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में **परिवर्तनकारी सुधार**:
	  ○ मानदंडों एवं मानकों तथा **मान्यता** को एक अनिवार्य गुणवत्ता निर्धारण फ्रेमवर्क के रूप में अपनाना।
	  ○ राज्य विश्वविद्यालयों में **स्वायत्तता** को बढ़ावा देना।
	  ○ संबद्धता (affiliation), शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना।
	  ○ उच्च गुणवत्ता प्राप्त शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

25.8. 'स्टडी इन इंडिया'

(Study In India)

उद्देश्य	विशेषताएं
• भारत में अंतर्गामी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आगमन को प्रोत्साहित करना; • भारत को विदेशी छात्रों के लिए एक अधिमानित शैक्षिक गंतव्य स्थल / शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना; • पड़ोसी देशों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ भारत के सॉफ्ट पॉवर क्षमता को बेहतर बनाना और इसको कूटनीति में एक साधन के रूप में उपयोग करना; • वैश्विक शिक्षा निर्यात में भारत की बाजार भागीदारी को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत तक करना। • उच्च शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना;	• यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। • मिनी रत्न श्रेणी-1 के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) EdCIL (इंडिया) लिमिटेड, इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। • यह कार्यक्रम दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य-पूर्व और अफ्रीका के **चयनित 30 से अधिक देशों से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों** को आकर्षित करने पर केंद्रित है। • यह कार्यक्रम छात्रों के लिए वहनीय दरों पर अंतर्राष्ट्रीय सीटों को प्रदान कर, चयनित प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों / विश्वविद्यालयों की भागीदारी की परिकल्पना करता है। साथ ही, मेधावी विदेशी छात्रों के लिए (25% से 100% तक) प्रस्तावित शुल्क माफ़ी का प्रावधान (संस्थान द्वारा निर्धारित) करता है। • इसके अंतर्गत विदेशी छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करने वाले एक केंद्रीकृत प्रवेश वेब पोर्टल (centralised admission web portal) को भी लॉन्च किया गया है।

VISION IAS

• अंतर्राष्ट्रीय छात्र-छात्राओं की संख्या में आवागमन संबंधी असंतुलन को कम करना; • शैक्षिक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की वैश्विक रैंकिंग में वृद्धि करना।	• कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित पहलों की स्थापना की परिकल्पना की गई है ○ सहायता के लिए कॉल सेंटर; ○ मेधावी उम्मीदवारों को सीटों के आवंटन के लिए एल्गोरिदम; ○ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा श्रेणीकरण और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग के आधार पर शीर्ष 100 भागीदार संस्थानों का चयन करना; ○ लक्षित देशों में ब्रांडिंग गतिविधियों को प्रोत्साहन; ○ विदेशों में भारतीय मिशनों और भारत में विदेशी मिशनों के साथ घनिष्ट समन्वय स्थापित करना।

25.9. शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम

(Education Quality Upgradation And Inclusion Programme: EQUIP)

उद्देश्य	विशेषताएं
• उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को दोगुना करना और देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यमान भौगोलिक एवं सामाजिक विषमताओं का समाधान करना। • शिक्षा की गुणवत्ता का वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नयन करना। • कम से कम 50 भारतीय संस्थानों का शीर्ष-1000 वैश्विक विश्वविद्यालयों में स्थान सुनिश्चित करना।	• यह एक विजन योजना है जिसका उद्देश्य पांच वर्षों (2019-2024) में रणनीतिक कार्यक्रम लागू करके भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना है। • **शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम (EQUIP)** को उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार-विमर्श करने हेतु गठित दस विशेषज्ञ समूहों की रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है। • इसके अंतर्गत निम्नलिखित रणनीतियां और पहल सम्मिलित हैं: ○ विस्तृत पहुंच हेतु रणनीतियां; ○ वैश्विक सर्वश्रेष्ठ शिक्षण/अधिगम की प्रक्रियाओं को लागू करना; ○ उत्कृष्टता को बढ़ावा देना; ○ शासन सुधार; ○ मूल्यांकन, प्रत्यायन और रैंकिंग प्रणाली में सुधार करना; ○ अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना; ○ रोज़गारपरकता और उद्यमशीलता का सृजन; ○ बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना; ○ उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा ○ उच्च शिक्षा का वित्तपोषण।

25.10. माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष

(Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh: MUSK)

उद्देश्य	कोष के बारे में	कोष का उपयोग
• इसका उपयोग संपूर्ण देश में माध्यमिक और उच्च शिक्षा की योजनाओं के लिए किया जाएगा।	• "माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर" से प्राप्त संपूर्ण आय इसमें जमा की जाएगी। वित्त अधिनियम, 2007 के माध्यम से केंद्रीय करों पर 1% उपकर (जिसे "माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर" कहा जाता है) आरोपित किया गया था। • स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्च	**माध्यमिक शिक्षा के लिए** • राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना; • राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता (मीन्स कम मेरिट) छात्रवृत्ति; तथा • राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा की प्रोत्साहन योजना **उच्च शिक्षा के लिए**

	शिक्षा विभाग की योजनाओं पर व्यय, आरम्भ में सकल बजटीय समर्थन (Gross Budgetary Support: GBS) से किया जाएगा और GBS के समाप्त होने के उपरांत आने वाले व्यय को MUSK से वित्तपोषित किया जाएगा। • यह कोष प्रारंभिक शिक्षा कोष (PSK) के तहत मौजूदा व्यवस्था के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सर्व शिक्षा अभियान (SSA) तथा मध्याह्न भोजन (MDM) योजनाओं के लिए उपकर की आय का उपयोग किया जाता है। • MUSK को भारत की लोक लेखा के गैर-ब्याज वाले अनुभाग में एक आरक्षित कोष के रूप में रखा जाएगा।	• ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधियों में योगदान, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की वर्तमान में संचालित योजनाएं; • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान तथा • छात्रवृत्ति (ब्लॉक अनुदान से संस्थानों तक) और राष्ट्रीय शिक्षक एवं प्रशिक्षण मिशन।

25.11. उड़ान- गिविंग विंग्स टू गर्ल्स

(UDAAN-Giving Wings To Girls)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• इंजीनियरिंग कॉलेजों में बालिकाओं के निम्न नामांकन की समस्या का समाधान करना। • विद्यालयी शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा प्रवेश प्रणाली के मध्य व्याप्त अंतराल को कम करना। • शिक्षा के तीन आयामों यथा- पाठ्यक्रम अभिकल्पन, संपादन तथा आकलन को संबोधित करके उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित के शिक्षण एवं अध्ययन को समृद्ध और उन्नत करना।	• भारत में केंद्रीय विद्यालय (KVs)/ नवोदय विद्यालय (NVs) / किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों / CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों की केवल कक्षा XI में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए। • कार्यक्रम केवल भारत में निवासी भारतीय नागरिकों के लिए है। • वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।	• मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आरम्भ की गई है। • यह शीर्ष संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्राओं को प्रशिक्षित करता है और उन्हें ट्यूटोरियल, वीडियो क्लास आदि के माध्यम से प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता है। ○ देश के विभिन्न प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा XI और कक्षा XII में अध्ययन के दौरान छात्रों को वर्चुअल वीकेंड संपर्क कक्षाओं और प्री-लोडेड टैबलेट पर अध्ययन सामग्री के माध्यम से निःशुल्क ऑफ़लाइन/ऑनलाइन संसाधन प्रदान किए जाते हैं। • प्रति वर्ष 1,000 चयनित वंचित बालिकाओं को सहायता प्रदान करता है।

25.12. उन्नत भारत अभियान

(Unnat Bharat Abhiyan)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• उच्च शिक्षण संस्थानों को संधारणीय विकास की गति बढ़ाने हेतु विकास चुनौतियों की पहचान करने और	• राष्ट्रीय आवश्यकताओं, विशेष रूप से ग्रामीण भारत हेतु प्रासंगिक अनुसंधान और प्रशिक्षण में उच्च शिक्षण संस्थानों में **संस्थागत क्षमता का निर्माण** करना।

उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करने में ग्रामीण भारत के लोगों के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाना।	• **IIT दिल्ली** को उन्नत भारत अभियान (UBA) के लिए समन्वय संस्थान (CI) के रूप में नामित किया गया है। • **ग्रामीण भारत को उच्च शिक्षण संस्थानों से पेशेवर संसाधन समर्थन** प्रदान करना, विशेष रूप से विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने वालों को। • उन्नत भारत अभियान (2.0) के दूसरे संस्करण के अंतर्गत संस्थानों का चयन एक चुनौती मोड पर किया गया है और इस योजना का विस्तार देश के 750 प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों (सार्वजनिक और निजी दोनों) तक कर दिया गया है। • इन शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा गांवों को अंगीकार किया जाएगा और ये छात्र वहाँ लोगों की जीवनशैली एवं उनके समक्ष आने वाली समस्याओं से परिचित होने के लिए उनसे वार्ता करेंगे।

25.13. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम

(Ek Bharat Shrestha Bharat programme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निवास करने वाले विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के मध्य अधिक पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने के लिए उनके मध्य अंतर्क्रियाओं को सक्रिय रूप से बढ़ाना।	• इस कार्यक्रम के अनुसार, प्रति वर्ष, प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश को पारस्परिक अंतर्क्रिया हेतु भारत में किसी अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेश के साथ युग्मित किया जाएगा। • युग्मित राज्य/संघ शासित प्रदेश 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत उभयनिष्ठ गतिविविधियों के लिए एक-दूसरे के साथ MoU पर हस्ताक्षर करेंगे। • केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता शिविरों का आयोजन किया जाता है।

25.14. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

(Technical Education Quality Improvement Programme: TEQIP)

उद्देश्य	कार्यक्रम के बारे में
• निम्न आय वाले राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों (SCS) में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। • तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP) चरण 3 के एक भाग के रूप में 3 वर्षों की अवधि के लिए पिछड़े जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने हेतु IIT, NIT आदि प्रमुख कॉलेजों से स्नातकों को नियोजित करना।	• केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की गई यह परियोजना, 10-12 वर्षों का एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। इसे विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ किया गया है। • योजनाओं के वर्तमान तीसरे चरण में केंद्रीय, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा पर्वतीय राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। TEQIP के अंतर्गत किए जा रहे उपायों में शामिल हैं: • संस्थान आधारित: राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के माध्यम से पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन, प्रशासन सुधार, प्रक्रियाओं में सुधार, डिजिटल पहल तथा महाविद्यालयों के लिए स्वायत्तता सुनिश्चित करना। • छात्र आधारित: शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षाओं को साधन सुसज्जित बनाना; पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण, उद्योगों के साथ अंतर्क्रिया, छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप, छात्रों को उद्योगों के लिए प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षण देना, छात्रों को GATE परीक्षा आदि के लिए तैयार करना।

VISION IAS

25.15. उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल योजना: श्रेयस

(Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills: SHREYAS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• उच्च शिक्षा व्यवस्था की अधिगम प्रक्रिया में रोज़गार प्रासंगिकता को शामिल करते हुए **छात्रों की रोज़गार क्षमता में सुधार** करना।
• **शिक्षा और उद्योग/ सेवा क्षेत्रों के मध्य** सतत आधार पर **क्रियात्मक सम्पर्क** स्थापित करना।
• छात्रों को एक गत्यात्मक रीति से **बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करना।**
• उच्च शिक्षा में '**अधिगम के दौरान अर्जन**' को संभव बनाना।
• बेहतर गुणवत्तायुक्त श्रमबल प्राप्त करने में व्यापार/ उद्योगों की सहायता करना।
• सरकार के प्रयासों को सरल बनाने हेतु छात्र समुदाय को रोज़गार से जोड़ना।
	• श्रेयस एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें तीन केंद्रीय मंत्रालयों की पहलें शामिल हैं, जिनमें सम्मिलित हैं:
	  ○ **मानव संसाधन विकास मंत्रालय:** उच्च शिक्षा संस्थाओं में बीए / बीएससी / बीकॉम (व्यावसायिक) पाठ्यक्रमों की शुरुआत।
	  ○ **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय:** राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (NAPS)।
	  ○ **श्रम और रोजगार मंत्रालय:** राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS)।
	• इस कार्यक्रम का **क्रियान्वयन क्षेत्र कौशल परिषदों (SSCs)** द्वारा किया जाएगा।
	• इस कार्यक्रम का उद्देश्य **वर्ष 2022 तक 50 लाख विद्यार्थियों को शामिल करना है।**
	• इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन तीन ट्रैक पर साथ-साथ किया जाएगा:
	  ○ **एड-ऑन अप्रेंटिसशिप (डिग्री अप्रैंटिसशिप):** जो छात्र वर्तमान में डिग्री प्रोग्राम पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा दी गई अप्रेंटिसशिप रोजगार भूमिका की चयनित सूची में से अपनी रूचि की भूमिका के चयन हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
	  ○ **एंबेडेड अप्रेंटिसशिप:** मौजूदा B.Voc कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया जाएगा, जिसमें 6 से 10 माह की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप भी शामिल होगी जो कौशल की आवश्यकता पर निर्भर होगी।
	  ○ **राष्ट्रीय करियर सेवा को कॉलेजों से जोड़ना:** इसके तहत श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) पोर्टल को उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा।
	• **वित्त-पोषण:** कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार प्रशिक्षुता अवधि के दौरान प्रति माह 25% वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) का वहन करेगी जो अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह होगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार 7,500 रुपये मूल प्रशिक्षण लागत के तौर पर भी प्रदान किए जाएंगे।

25.16. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

वित्तीय साक्षरता अभियान: विसाका (VISAKA)	• इसका उद्देश्य धनराशि हस्तांतरण के लिए डिजिटल रूप से सक्षम कैशलेस आर्थिक प्रणाली का उपयोग करने के लिए सभी प्रदाताओं और प्राप्तकर्ताओं को प्रोत्साहित, प्रेरित एवं जागरूक करना है। • इसके तहत कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया है और उच्च शिक्षण संस्थानों के संकाय से अपने परिसर को कैशलेस बनाने की अपील की गयी है। • NCC/NSS के स्वयंसेवकों द्वारा निकटतम बाजारों में दुकानदारों एवं वेंडरों को लेनदेन के डिजिटल माध्यमों के संबंध में जागरूक करने का कार्य अधिदेशित किया गया है।
इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT) इंडिया 2.0	• इसका उद्देश्य देश के लिए प्रासंगिक 10 प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों (जैसे स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, उन्नत संसाधनों, स्थायी आवास, आदि) में प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों का समाधान करने हेतु अनुसंधान के लिए एक रोड मैप विकसित करना है। • यह संबद्ध मंत्रालय के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) और भारतीय विज्ञान संस्थानों (IISc) की एक **संयुक्त पहल** है।

	• हाल ही में, **सरकार द्वारा संशोधित रणनीति के साथ IMPRINT-2 को स्वीकृति प्रदान की गई है,** जिसके तहत इस राष्ट्रीय पहल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। IMPRINT-II की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं- ○ प्रमुख उद्देश्य ज्ञान को व्यवहार्य तकनीक में परिवर्तित करना है। ○ MHRD और DST योजना में समान रूप से भागीदार होंगे ○ यह MHRD द्वारा वित्त पोषित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) / केंद्र से वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (CFTM) के लिए उपलब्ध होगा। निजी संस्थानों तक भी इसका विस्तार किया गया है। ○ औद्योगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ○ इसके अतिरिक्त **उच्चतर आविष्कार योजना'** भी IMPRINT-2 के साथ प्रारंभ की जाएगी।
उत्कृष्ट संस्थान योजना	• **'इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस'** के रूप में चयनित प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान को इस योजना के तहत पांच वर्षों की अवधि के लिए 1,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • IOE एक प्रकार का टैग है, जो संस्थानों को दिया जाता है, जो ○ नेशनल इंस्टीटूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क (उनकी श्रेणी में) में शीर्ष 50 संस्थानों में या टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदत्त रैंकिंग जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल हैं; ○ विदेशी और घरेलू छात्रों एवं संकाय का बेहतर समन्वय है; ○ जिनके पास अंतरराष्ट्रीय मानक अवसंरचना है और जो अपने दृष्टिकोण में बहु-विषयक हैं।

भारत में बालिका शिक्षा की प्रगति के लिए डिजिटल जेंडर एटलस	• विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग जैसे हाशिए पर स्थित समुदायों की बालिकाओं के संदर्भ में,निम्नस्तरीय प्रदर्शन करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करना। यह पहचान विशिष्ट लैंगिक संकेतकों के आधार पर की जाती है। • डिजिटल जेंडर एटलस के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: ○ **कंपोजिट जेंडर रैंकिंग** ○ लैंगिक संकेतकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण ○ शैक्षिक संकेतकों पर आधारित सुभेद्यताएं • यह भिन्न समयावधियों में भिन्न लैंगिक मापदंडों की प्रवृतियों के विश्लेषण एवं निरीक्षण को संभव बनाती है। • इसे UNICEF के सहयोग द्वारा विकसित किया गया है।
शाला गुणवत्ता (शगुन) पोर्टल	यह SSA (सर्व शिक्षा अभियान) के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पद्धतियों को चिन्हित करने और साझा करने के लिए एक ट्विन ट्रैक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। **पोर्टल में दो भाग हैं:** • ऑनलाइन मॉनिटरिंग कार्यान्वयन की प्रगति को निर्धारित करेगी। • SSA रिपॉजिटरी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारम्भ की गई नवीन पद्धतियों, सफल उदाहरणों, मूल्यांकन रिपोर्ट और हस्तक्षेपों का एक संग्रह है।
विद्वान पोर्टल	• **'विद्वान (VIDWAN)'** भारत में शिक्षण और अनुसंधान से संबंधित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य अनुसंधान एवं विकास R&D संगठन में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल से संबंधित एक प्रमुख डेटाबेस है। • इस डेटाबेस को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (INFLIBNET) द्वारा सूचना और संचार

VISION IAS

	प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (NMEICT) के वित्तीय सहयोग से विकसित और पोषित (maintained) किया गया है।

दीक्षा (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) पोर्टल	• यह शिक्षकों के लिए **राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना** के रूप में कार्य करेगा। • यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपायों को सक्षम, तीव्र और विस्तारित करेगा। यह शिक्षकों की सीखने और प्रशिक्षित होने में सहायता करेगा जिसके मूल्यांकन हेतु संसाधन भी उपलब्ध होंगे। • यह शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री, रूपरेखा, इन-क्लास रिसोर्स, मूल्यांकन सहायता, समाचार एवं घोषणा और शिक्षक समुदाय से जुड़ने में सहायता करेगा।
ईशान विकास	• छात्रों को प्रमुख संस्थानों जैसे- [IITs, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISERs) से जुड़ने के अवसर प्रदान करना। • उपर्युक्त शीर्ष स्तर के संस्थानों के सामान्य पाठ्यक्रम, तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों (मेडिकल और पैरा-मेडिकल कोर्स सहित) के अंतर्गत पूर्वोत्तर (8 राज्यों) के स्कूली छात्रों हेतु एक विशेष छात्रवृत्ति योजना।

ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना	• देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार करना • इस योजना में उत्तर पूर्वी क्षेत्र (8 राज्यों) के ऐसे छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम हो, को प्रति वर्ष 10,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी। • यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रशासित है।
शाला अस्मिता (ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस) योजना	• निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों की शैक्षिक प्रगति की निगरानी। • अस्मिता एक ऑनलाइन डेटाबेस है, जिसमें अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त निजी और सरकारी स्कूलों के छात्रों की उपस्थिति एवं नामांकन, लर्निंग आउटकम, मध्यान्ह भोजन और आधारभूत सुविधाओं की जानकारी शामिल होगी। • छात्रों को उनकी आधार संख्या के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा।
स्वयं (SWAYAM)	• उन विद्यार्थियों के लिये डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना जो डिजिटल क्रांति के प्रभाव से वंचित रह गए हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने में सफल नहीं रहें हैं। • एक स्वदेशी रूप से विकसित IT प्लेटफार्म जो कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले 9वीं कक्षा से स्नातकोतर तक के सभी पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है, जिसे कोई भी विद्यार्थी किसी भी समय किसी भी स्थान से नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है। • **स्वयं प्रभा:** यह 24x7 आधार पर संपूर्ण देश में DTH चैनलों के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने वाली एक पहल है।
साक्षर भारत कार्यक्रम	इसके **4 व्यापक** उद्देश्य हैं, यथा- • गैर-साक्षर और गैर-संख्यात्मक साक्षर वयस्कों को **कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान** प्रदान करना। • नव साक्षर वयस्कों (neo-literate adults) को बुनियादी शिक्षा के बाद भी अपनी शिक्षा जारी रखने और 10 वर्ष की औपचारिक शिक्षा के समकक्ष बुनियादी शिक्षा हासिल करने में सक्षम बनाना। • अपने जीवन-स्तर और आजीविका की स्थिति में सुधार हेतु वयस्कों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना। • नव साक्षर वयस्क को आजीवन अध्ययन करने हेतु अवसर प्रदान करके एक अध्ययनरत

VISION IAS

	समाज की स्थापना करना। **योग्यता मानदंड:** वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, एक जिला (इसमें किसी पूर्व जिले से पृथक होकर बना एक नया जिला भी शामिल है) जिसमें वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत या उससे कम हो। इसके अतिरिक्त, सभी वामपंथी चरमपंथ प्रभावित जिले (उनकी साक्षरता दर के बावजूद) कार्यक्रम के तहत योग्य हैं। • इच्छुक लाभार्थी - 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर-साक्षर वयस्क।
शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान: GIAN)	• यह स्थानीय छात्रों/संकाय और अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के मध्य अधिक सहयोग एवं ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है। • GIAN के तहत दिए गए व्याख्यानों को देश भर के छात्रों हेतु SWAYAM, MOOCs मंच और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (NAD)	• यह अकादमिक संस्थानों/बोर्डों/पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा जारी एवं सत्यापित सभी अकादमिक अवार्ड्स जैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्क शीट इत्यादि का एक 24x7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। • यह अकादमिक पुरस्कारों तक सरल पहुंच और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करता है साथ ही इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि तथा गारंटी और सुरक्षित भंडारण प्रदान करता है।
नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)	• देश भर के संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए एक प्रणाली का प्रारूप तैयार करने हेतु इस फ्रेमवर्क को वर्ष 2015 में प्रारम्भ किया गया था। • अपनाए गए मापदंड में सामान्यतया "शिक्षण, अधिगम व संसाधन", "अनुसंधान और पेशेवर कार्यप्रणाली", "स्नातक परिणाम", "पहुँच एवं समावेशिता", तथा "अवधारणा" सम्मिलित हैं।
सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान (IMPRESS)	• इस योजना के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने और नीति निर्माण में अनुसंधान का लाभ उठाने के लिए दो वर्ष की अवधि की 1500 अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी। • भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद (ICSSR) परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
स्पार्क- अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना	• **उद्देश्य:** विश्व के 28 देशों के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता प्राप्त करना, भारतीय छात्रों को सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित करना, शैक्षणिक सहभागिता में वृद्धि करना तथा भारतीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करना। • **पात्रता:** नेशनल इंस्टीटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के शीर्ष 100 में शामिल सभी भारतीय संस्थान डॉक्टरल और पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ताओं को लक्षित करने वाली इस योजना के लिए पात्र होंगे। 28 लक्षित देशों में वैश्विक शैक्षणिक रैंकिंग के अंतर्गत शीर्ष 100 से 200 विदेशी संस्थान पात्र होंगे। • प्रत्येक भाग लेने वाले देश की सहायतार्थ भारत से कुछ नोडल संस्थानों को, भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी भारतीय (PI) संस्थानों के साथ सहयोग करने तथा उनका प्रबंधन और समन्वय करने के लिए चिन्हित किया गया है। इसे शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग के लिए सम्बद्ध प्रतिभागी देशों के संस्थानों के साथ गठबंधन करने हेतु विकसित किया गया है। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** IIT खड़गपुर इसके लिए राष्ट्रीय समन्वयकारी (NC) संस्था होगी।
ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड	• इसका उद्देश्य वर्ष **2022 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की** प्रत्येक कक्षा में एक डिजिटल और इंटरैक्टिव बोर्ड स्थापित करना है। • स्कूलों में इसकी शुरुआत **9वीं कक्षा से की जाएगी साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों** में भी इसे

	आरम्भ किया जाएगा। • इसका उद्देश्य शिक्षण के साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया को संवादात्मक बनाना है तथा शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में फ्लिप्ड लर्निंग को लोकप्रिय बनाना है। • उच्च शिक्षा के लिए **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
स्टार्स (स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल और एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस: STARS)	• इस योजना के तहत **500 वैज्ञानिक परियोजनाओं** को फंडिंग प्रदान की जायेगी। • इस योजना का समन्वय **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु** द्वारा किया जाएगा। • इसका उद्देश्य अंतर्विषयक और अनुवाद संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देना है तथा इसके अंतर्गत सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान का समर्थन प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ, अग्रलिखित **6 प्रमुख क्षेत्रों** की पहचान की गई है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, नैनो विज्ञान, डेटा विज्ञान एवं गणित तथा पृथ्वी विज्ञान।
'एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा निधि' (Integrated National School Education Treasury: INSET)	• INSET की परिकल्पना देश में छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों से संबंधित सभी मापदंडों के लिए पूर्ण रूप से एकीकृत, त्वरित रूप से सुलभ और निर्बाध सूचना नेटवर्क के रूप में की गई है। • इसका उद्देश्य सहजता से स्कूलवार, ब्लॉकवार, जिलेवार, निर्वाचन क्षेत्रवार, राज्यवार और क्षेत्रवार-सुलभ सूचनाओं के बहुस्तरीय परिवेश का निर्माण करना है।

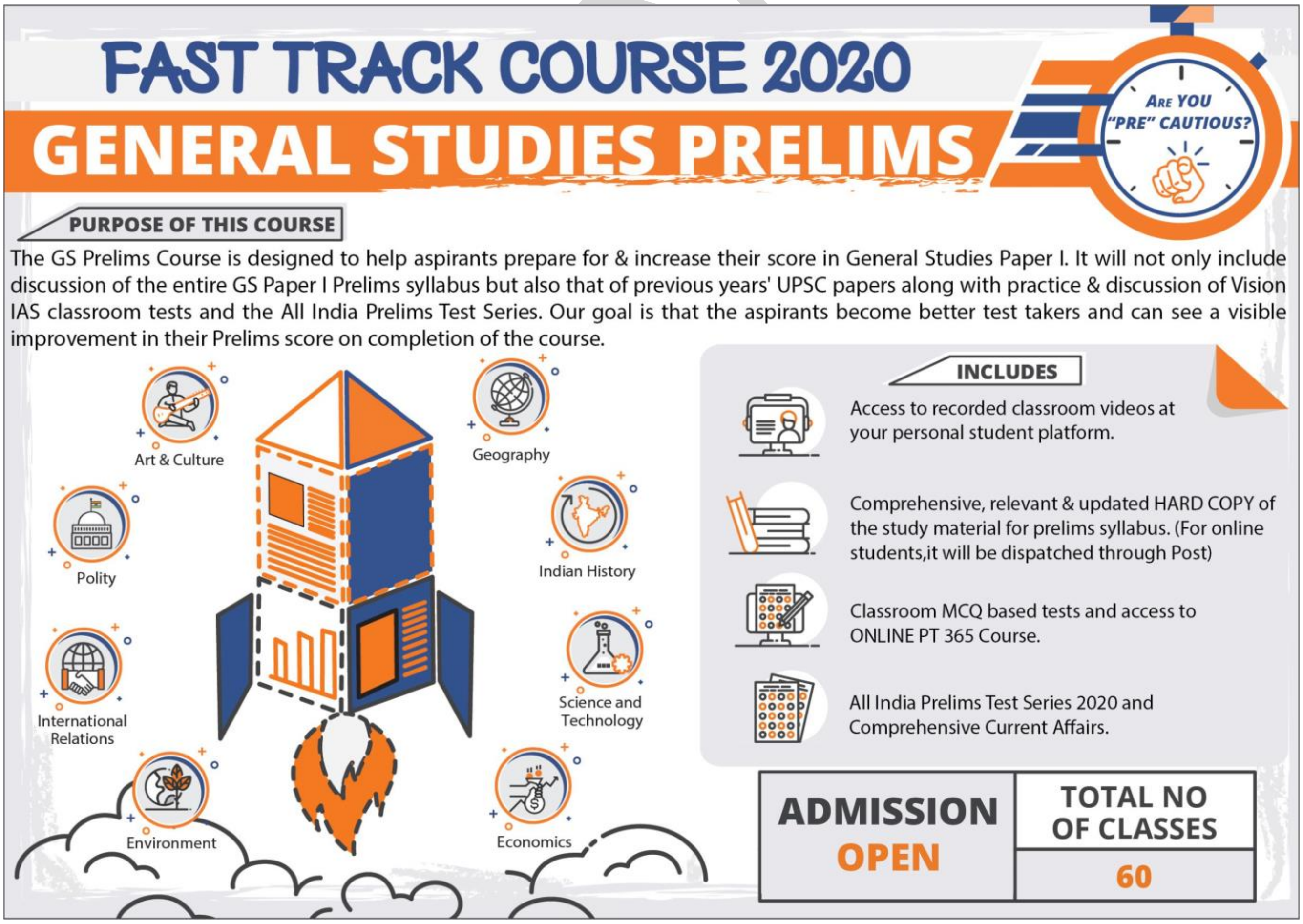

26. श्रम और रोजगार मंत्रालय

(Ministry of Labour And Employment)

26.1. दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

(Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Karyakram)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• श्रम कानूनों में सुधार, अनुपालन में सुधार करना। • भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना। • औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना। .	• **एक समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल:** ○ लगभग 6 लाख इकाईयों को श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number: LIN) आवंटित करना और उन्हें 44 कानूनों में से 16 के अनुपालन को ऑनलाइन फाईल करने की अनुमति प्रदान करना। • **निरीक्षण के लिए इकाइयों (units) के यादृच्छिक चयन हेतु पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना** ○ निरीक्षण के लिए इकाईयों के चयन में मानव विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ○ निरीक्षण के 72 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। • **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर:** ○ भविष्य निधि खाता पोर्टेबल है और सार्वभौमिक रूप से अभिगम्य है • **प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना:** ○ **प्रशिक्षुओं की संख्या में वृद्धि करना।** ○ प्रशिक्षण के पहले दो वर्षों की अवधि में प्रशिक्षु को दिए गये वेतनमान के 50% की प्रतिपूर्ति करना। • **पुनर्निर्मित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना:** ○ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्मार्ट कार्ड प्रारम्भ करना जिसमें दो और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना) के विवरण को सम्मिलित किया जायेगा।

26.2. प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

(Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ (सोशल सिक्यूरिटी बेनिफिट्स) प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EFPO) के साथ पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान लाभ प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतिष्ठानों के पास एक वैध LIN (श्रम पहचान संख्या) होनी चाहिए।	• इसका क्रियान्वयन **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। • भारत सरकार अब सभी क्षेत्रकों के उन नए कर्मचारियों हेतु, उनके पंजीकरण की तिथि से प्रथम तीन वर्षों के लिए नियोक्ता के 12% के पूर्ण स्वीकार्य अंशदान **(कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना, दोनों में किया जाने वाला)** का भार वहन करेगी जो 1 अप्रैल 2016 को या उसके पश्चात् EPFO में पंजीकृत हो चुके हैं तथा उनका वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक है। • योजना के क्रियान्वयन में मानव हस्तक्षेप के बिना, **सम्पूर्ण व्यवस्था ऑनलाइन तथा आधार (AADHAR) आधारित है।**

		• PMRPY एक दोहरे लाभ वाली योजना है - अर्थात् एक ओर वेतन के 12% EPF योगदान (जो अन्यथा नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता) के भुगतान के माध्यम से प्रतिष्ठान में **कर्मचारी आधार में वृद्धि करने हेतु नियोक्ता को प्रोत्साहित किया गया है।** इसके विपरीत, दूसरी ओर **ऐसे प्रतिष्ठानों में बड़ी संख्या में कर्मचारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं।**

26.3. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक योजना

(Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को उनके निवास स्थान से बाहर निकाले जाने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। • मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास प्रदान करना।	• यह मुक्त किये गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ○ प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी **1 लाख रुपये;** ○ महिलाओं और बच्चों जैसे विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए **2 लाख रुपये;** तथा ○ दिव्यांगों, तस्करी एवं यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाओं एवं बच्चों और ट्रांसजेंडर जैसे सर्वाधिक वंचित, हाशिए पर स्थित व्यक्तियों को (या ऐसी परिस्थितियों में, जहां जिलाधिकारी इसे उपयुक्त मानते हो) **3 लाख रुपये**। • पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता **100% है,** जिसकी **प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।** • **जिला प्रशासन को** अधिदेशित किया गया है कि जितना शीघ्र व्यवहार्य हो सके **बंधुआ मजदूरों को** ऐसी अधिकृत वासभूमियों या अन्य आवासीय परिसरों का स्वामित्व **प्रदान किया जाए**। • यह प्रत्येक राज्य द्वारा कम से कम रु 10 लाख के स्थायी कोष के साथ जिला स्तर पर **बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि** के निर्माण का प्रावधान करता है। ○ बंधुआ मजदूरी करवाने के मुख्य आरोपियों की दोषसिद्धि पर उनसे प्राप्त किये गए सम्पूर्ण अर्थदंड को इस विशेष कोष में जमा किया जा सकता है। ○ इस निधि का उपयोग बंधुआ मजदूरों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

26.4. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

(National Child Labour Project Scheme)

उद्देश्य	इच्छुक लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• बाल श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन करना • खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं से सभी किशोर श्रमिकों को बाहर निकालने, उनके कौशल निर्माण एवं उचित व्यवसायों में उनके एकीकरण में योगदान करना। • हितधारकों और लक्षित समुदायों के बीच जागरुकता बढ़ाना • बाल श्रम निगरानी, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्माण	• पहचाने गए लक्षित क्षेत्र में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बाल श्रमिक • खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में संलग्न 18 वर्ष से कम आयु के किशोर श्रमिक • बाल श्रमिकों के परिवार	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • परियोजना का समग्र दृष्टिकोण **लक्षित क्षेत्र में एक समर्थकारी परिवेश का सृजन करना है,** जिसमें बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने तथा श्रम न करने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित और सशक्त किया जाएगा तथा परिवारों को उनकी आय स्तरों में सुधार करने हेतु विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे। • यह योजना राज्य, जिला प्रशासन और सिविल सोसायटी के साथ समन्वित रूप से क्रियान्वित की जाती है।

करना		• इस योजना के अंतर्गत बाल श्रम में संलग्न बच्चों की पहचान की जाती है और उन्हें पहचाने गए क्षेत्रों से मुक्त कराया जाता है। • तत्पश्चात उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ मुख्यधारा की शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है तथा बच्चों एवं परिवार के लाभ के लिए सेवाओं का अभिसरण सुनिश्चित किया जाता है। • बच्चों को न्यूनतम तीन माह तक मॉड्यूलर आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) का भुगतान किया जाएगा। • इस योजना के तहत खतरनाक व्यवसायों और गतिविधियों में कार्य करने वाले बच्चों की पहचान करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए सर्वेक्षण करने हेतु कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के तहत **जिला परियोजना समितियों (DPS)** की स्थापना की जाती है।

26.5. प्लेटफ़ॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर (पेंसिल) पोर्टल

{Platform for Effective Enforcement for No Child Labour (PENCIL) Portal}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• बाल श्रम मुक्त भारत के निर्माण को प्रोत्साहित करना जो **विधायी प्रावधानों** के प्रवर्तन **तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) के प्रभावी क्रियान्वन,** दोनों के लिए कार्यान्वयन और निगरानी तंत्रों को अविच्छिन्न रूप से एकीकृत करेगा।	• यह एक **ऑनलाइन पोर्टल है** जो बाल श्रम और तस्करी के संकट का सामना करने हेतु **केंद्र सरकार को राज्य सरकारों, जिलों और सभी परियोजना संस्थाओं से जोड़ता है।** • इसके 5 घटक हैं - **चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम** (बच्चों का पता लगानी की प्रणाली), **कंप्लेंट कार्नर (शिकायत तंत्र), राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) तथा सम्मिलन (कन्वर्जेन्स)।** • राज्य सरकार के स्तर पर राज्य श्रम विभाग में स्थापित राज्य संसाधन केंद्र द्वारा निगरानी की जानी है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारियों (DNO) को उनके जिलों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए नामांकित किया गया है।

26.6. नेशनल करियर सर्विस

(National Career Service)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
नौकरी तलाशने वालों एवं नौकरी देने वालों के मध्य तथा करियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की मांग करने वालों एवं परामर्श एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वालों के मध्य व्याप्त अंतराल को भरना।	• यह रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली विविध रोजगार संबंधी सेवाओं जैसे कि रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यवसायिक निर्देशन, कौशल विकास पाठ्यक्रम पर सूचना इत्यादि उपलब्ध करवाने हेतु राष्ट्रीय रोजगार सेवा का कायाकल्प है। • नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल रोजगार संबंधित सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने हेतु नियोक्ताओं, नौकरी की तलाश करने वालों, नियोजन संगठनों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के पंजीकरण का प्रावधान करता है।

VISION IAS

26.7. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

(Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna)

उद्देश्य	इच्छुक लाभार्थी	प्रमुख बिंदु
"बदलते रोजगार पैटर्न" के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान।	कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम, 1948 के तहत कवर किए गए कर्मचारी (ESI अधिनियम 10 या अधिक श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू होता है और यह दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सिनेमा और सड़क परिवहन उपक्रमों पर भी लागू होता है)	• यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा अनुमोदित एक योजना है जिसका उद्देश्य अपने अभिदाताओं को लाभान्वित करना है, जो मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक हैं जो किसी भी कारण से बेरोजगार हो गए हैं, **उन्हें उनके बैंक खातों के माध्यम से नकद हस्तांतरण प्रदान करना है।** • यह नए रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार व्यक्तियों को दिया जाने वाला नकद लाभ है, जो विगत चार अंशदान अवधि (लगभग 2 वर्ष) के दौरान अर्जित प्रतिदिन की औसत आय का अधिकतम 25 प्रतिशत होगा। यह बीमित व्यक्ति को बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों (जीवनकाल में एक बार) के लिए दिया जाएगा। • यह भुगतान ESI योजना के लिए उनके स्वयं के योगदान में से किया जाएगा।

26.8. प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन योजना

(PM Shram-Yogi Maandhan Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं

असंगठित क्षेत्र को पेंशन प्रदान करना।	• असंगठित क्षेत्र के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है और **जिनकी आयु प्रवेश के समय 18 से 40 वर्ष** है, इस योजना हेतु पात्र हैं।
	• वे **नई पेंशन योजना** (NPS), **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** (ESIC) **या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन** (EPFO) के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होने चाहिए।
	• इसके अतिरिक्त वह आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
		• **पेंशन:** उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात **3,000 रुपये प्रति माह** की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
		  ○ **पेंशन प्राप्त करने के दौरान मृत्यु की स्थिति में,** उसके पति/पत्नी को लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा।
		  ○ **60 वर्ष से पहले मृत्यु की स्थिति में** उसके पति/पत्नी नियमित रूप से योगदान का भुगतान करते हुए योजना में सम्मिलित होकर उसे जारी रखने या प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने के अधिकारी होंगे। पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही लागू होगी।
		• **अभिदाता द्वारा योगदान:** उसे PMSYM योजना में सम्मलित होने की आयु से लेकर 60 वर्ष तक की आयु तक निर्धारित योगदान राशि जमा कराना आवश्यक है। **केंद्र सरकार द्वारा समान राशि का योगदान:** PMSYM, 50:50 आधार पर एक स्वैच्छिक योगदान पेंशन योजना है जिसमें लाभार्थी द्वारा निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान किया जाएगा और उतना ही योगदान केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाएगा।
		• **श्रमिकों का प्रति माह योगदान आवेदक की आयु पर निर्भर करते हुए परिवर्तित होगा।**

26.9. व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना (प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना)

{National Pension Scheme For Traders And Self Employed Persons (Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana)}

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• इस योजना के अंतर्गत **छोटे व्यापारियों को मासिक न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन** प्रदान की जाएगी अर्थात स्वरोजगार व्यापारियों और दुकानदारों, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कार्यशाला मालिक, कमीशन एजेंट्स, रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, छोटे होटलों एवं रेस्त्रां के मालिक तथा अन्य छोटे व्यापारी।	**पात्र व्यापारी:** • 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यापारी। • जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए। • उनके नाम और आधार नंबर संलग्न एक बचत बैंक खाता होना चाहिए। • किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)/कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)/प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PMSYM) आदि के अंतर्गत शामिल कोई व्यक्ति या आयकर दाता इस योजना हेतु पात्र नहीं है।	• यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित केंद्रीय क्षेत्रक योजना है तथा यह **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना** का विस्तार है। • केंद्र सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा प्रशासित होने वाली एक **पेंशन निधि** की स्थापना करेगी। • इस योजना के तहत, **लाभार्थी द्वारा 60 वर्ष की आयु तक 50% मासिक योगदान करना होगा।** इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के समय उनकी आयु के आधार पर यह राशि भिन्न-भिन्न हो सकती है, वहीं केंद्र सरकार द्वारा भी समान राशि का भुगतान किया जाएगा। • अभिदाता द्वारा 60 वर्ष की आयु के उपरांत, 3,000 रूपए की प्रतिमाह न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। • योजना में नामांकन सामान्य सुविधा केंद्रों (Common Service Centres) के माध्यम से किया जाता है, जो देश भर में 3.50 लाख केंद्रों के नेटवर्क के रूप में विस्तारित है। • योजना के तहत वर्ष 2019-20 के लिए लगभग 50 लाख नामांकन दर्ज करने की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, **पेंशन सप्ताह/पेंशन शपथ** के आयोजन सहित विभिन्न उपाय किए गए हैं। • सेवा-निवृत्ति (superannuation) आयु से पूर्व लाभार्थी की स्थायी नि: शक्तता के मामले में, उसका जीवनसाथी परिदाय अवधि पूरी होने तक शेष राशि का भुगतान करके योजना को जारी रख सकता है। ○ यदि कोई जीवनसाथी नहीं है, तो लाभार्थी को ब्याज के साथ कुल अंशदान का भुगतान किया जाएगा।

PT 365 - सरकारी योजनाएं

VISION IAS

26.10. कर्मचारी राज्य बीमा योजना

(Employees' State Insurance Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के तहत परिभाषित है:- बीमारी, दिव्यांगता, नियोजन क्षति, प्रसूति की दशा में कर्मचारियों के लिए कतिपय संरक्षण तथा बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों हेतु चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध कराना।	• यह एक स्व-वित्तपोषित योजना है जो कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करती है। • इस योजना को **नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा वित्त पोषित** किया जाता है, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा कोष में विप्रेषित किया जाएगा। • इस कोष को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 द्वारा विनियमित तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा प्रशासित किया जाता है। ESIC श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सांविधिक रुप से गठित किया गया एक स्वायत्त निकाय है। • ESI अधिनियम, 1948, **10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों** पर लागू होता है। इसके तहत **21,000 तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी** शामिल हैं। • **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** के माध्यम से भारत सरकार ESI अधिनियम के तहत अंशदान की दर निर्धारित करती है। • अंशधारकों की अंशदान की दर 4% निश्चित की गई है, जिसमें नियोक्ताओं की हिस्सेदारी 3.25% और कर्मचारियों की हिस्सेदारी 0.75% है। • यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मौसमी कारखानों, चाय या कॉफी के मिश्रण, पैकिंग या पुन: पैकिंग या किसी भी अन्य प्रक्रियाओं में संलग्न कारखानों के लिए प्रयोज्य नहीं है।

26.11. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

समाधान पोर्टल (सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल, हैंडलिंग ऑफ़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट)	• यह औद्योगिक विवादों के समाधान, मध्यस्थता और अधिनिर्णयन हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल है। • यह सरकार, उद्योग और श्रमिकों तथा औद्योगिक विवादों में शामिल सभी हितधारकों को एकल एकीकृत मंच प्रदान करता है। • यदि किसी विवाद को ऑनलाइन दर्ज करने के 45 दिनों के भीतर भी उस पर कार्रवाई आरम्भ नहीं की जाती है, तो श्रमिकों के पास सीधे श्रम न्यायालय में जाने का विकल्प होता है। इस प्रकार, यह विवाद निपटान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय-सीमा अधिरोपित करता है, जो कि वर्तमान में विद्यमान नहीं थी।

27. विधि और न्याय मंत्रालय

(Ministry of Law And Justice)

27.1. प्रो बोनो लीगल सर्विस

(Pro Bono Legal Service)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• अधिवक्ताओं और कानूनी पेशेवरों को प्रो बोनो लीगल सर्विस (निःशुल्क एवं स्वैच्छिक विधिक सेवा) प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। • इसका उद्देश्य अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण जानकारी को संग्रहित कर एक डेटाबेस का निर्माण करना है ताकि प्रासंगिक क्षेत्र में आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होने पर इनका प्रयोग किया जा सके।	• यह एक **वेब आधारित प्लेटफ़ॉर्म** है, जिसके माध्यम से वंचित वर्गों के याचिकाकर्ताओं (जो वहन करने में असमर्थ हैं) को स्वैच्छिक रूप से प्रो बोनो सर्विस प्रदान करने के लिए इच्छुक अधिवक्ता स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। • इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से **हाशिए पर स्थित समुदाय के वादी प्रो बोनो अधिवक्ताओं से विधिक सहायता और परामर्श प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।**

27.2. न्याय मित्र

(Nyaya Mitra)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• 10 से अधिक वर्षों से लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए चयनित जिलों में लंबित मामलों की संख्या को कम करना।	• **इस परियोजना को "न्याय मित्र" के रूप में नामित एक सेवानिवृत्त न्यायिक या कार्यकारी अधिकारी (विधिक अनुभव के साथ) के माध्यम से कार्यात्मक बनाया जाएगा।** यह परियोजना **सामान्य सेवा केन्द्रों (CSCs) में स्थित जिला सुविधा केन्द्रों** से परिचालित होगी। • अन्य उत्तरदायित्वों के साथ ही जाँच और सुनवाई में विलंब होने से पीड़ित होने वाले वादियों को विधिक सहायता प्रदान करना न्याय मित्र के उत्तरदायित्वों में शामिल होगा। इसके लिए वह नेशनल जूडिशल डाटा ग्रिड के माध्यम से ऐसे वादों की सक्रियता से पहचान करेगा, विधिक परामर्श प्रदान करेगा तथा वादियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), सामान्य सेवा केन्द्र टेली लॉ (CSC Tele Law) एवं अन्य सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों से जोड़ेगा। • न्याय मित्र **हाशिये पर स्थित समुदाय के आवेदकों को विवाद समाधान हेतु लोक अदालतों के लिए संदर्भित करेगा तथा** जिला न्यायपालिका और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में जिले के अंतर्गत **जेल सुधारों में सहायता भी प्रदान करेगा।**

27.3. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजना	विवरण
ई- कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट	• यह देश के उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लागू **ई-गवर्नेंस परियोजनाओं** में से एक है। • इस परियोजना की परिकल्पना 'भारतीय न्यायपालिका में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय नीति-2005' के आधार पर की गई। • यह पोर्टल याचिकाकर्ताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं -जैसे मुकदमे के पंजीकरण, कारण सूची (Cause List), केस स्टेटस, दैनिक आर्डर और अंतिम निर्णय-के विवरण प्रदान करता है।
टेली-लॉ इनिशिएटिव	• यह एक पोर्टल है जिसका शुभारम्भ हाशिये पर स्थित समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले

	नागरिकों तक कानूनी सहायता की पहुँच को सुलभ बनाने के लिए किया गया है। • इसका उद्देश्य **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA)** में तैनात अधिवक्ताओं के विशेषज्ञ पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह देने की सुविधा प्रदान करना है। • यह CSC नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। यह लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों से कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाता है। • प्रत्येक CSC एक पैरा लीगल वालंटियर (PLV) को संलग्न करेगी, जो ग्रामीण नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगा।
लीगल इनफार्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS)	• यह विधि और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा सरकारी विभागों और मंत्रालयों के विभिन्न न्यायालयी मामलों की निगरानी और संचालन के लिए विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है। • इसका लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और भारत सरकार के अन्य निकायों द्वारा संचालित; न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के मामलों से संबंधित जानकारी को एक वेब-बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराना है। • इस प्रकार के विवादों के समाधान हेतु **सरकार हस्तक्षेप करेगी एवं ऑनलाइन विधिक सलाह प्रदान करेगी।**

VISION IAS

28. खान मंत्रालय

(Ministry pf Mines)

28.1. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

(Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana : PMKKKY)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। • खनन के दौरान और उसके पश्चात , खनन जिलों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करना; • खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों हेतु **दीर्घकालिक स्थायी आजीविका** सुनिश्चित करना।	• जिन क्षेत्रों में खुदाई, खनन, विस्फोट, अपशिष्ट निपटान जैसी प्रत्यक्ष गतिविधियाँ संचालित होती हैं, वहां निवास करने वाले तथा इन गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग। • खनन संबंधी गतिविधियों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण **परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र** • भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2013 के तहत परिभाषित **प्रभावित और विस्थापित व्यक्ति एवं परिवार**	• इसे संबंधित जिलों के **जिला खनिज फाउंडेशन (DMFs)** द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो DMF के अंतर्गत सृजित पूंजी का उपयोग करेगा। • DMF एक **गैर-लाभकारी ट्रस्ट** हैं और यह खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा प्रशासित किया जाता है। • इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक खदान धारक को जनवरी, 2015 के पश्चात् खनन पट्टे प्रदान किए जाने पर निधियों के प्रति अपनी रॉयल्टी का 10% योगदान करना होगा। • DMF का उद्देश्य 'व्यक्तियों के हित तथा लाभ के अतिरिक्त और खनन-संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कार्य करना है।' • **उच्च प्राथमिकता क्षेत्र-** PMKKKY निधि के कम से कम 60% भाग का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में करना होगा: ○ पेय जल आपूर्ति ○ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण उपाय ○ स्वास्थ्य देखभाल ○ शिक्षा ○ महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण ○ कौशल विकास ○ स्वच्छता • PMKKKY के तहत प्रदत्त राशि के 40% तक का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा: ○ भौतिक अवसंरचना ○ सिंचाई ○ ऊर्जा और वाटरशेड डेवलपमेंट ○ खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता के संवर्धन हेतु कोई अन्य उपाय • अनुसूचित क्षेत्रों के गांवों में PMKKKY के अंतर्गत लागू की जाने वाली सभी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ग्रामसभा की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

28.2. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

ताम्र (ट्रांसपरेंसी, ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रीसोर्स ऑग्मेन्टेशन: TAMRA)	• ताम्र (TAMRA) एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप है। इसे उत्खनन कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न सांविधिक मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विकसित किया गया है।यह नीलामी में शामिल किये जाने वाले ब्लॉकों के लिए ब्लॉक-वार, राज्यवार और खनिज-वार जानकारी प्रदर्शित करता है।
प्रोजेक्ट सुदूर दृष्टि	• यह IBM (भारतीय खान ब्यूरो) और अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) के मध्य एक समझौता ज्ञापन है।

29. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(Ministry of Minority Affairs)

29.1. साइबर ग्राम

(Cyber Gram)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को कंप्यूटर का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें आधारभूत ICT कौशल प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना ताकि उन्हें निम्नलिखित कार्यों हेतु सशक्त बनाया जा सकें- • डिजिटल रूप से साक्षर बनने हेतु • ज्ञान आधारित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु • वित्तीय, सामाजिक और सरकारी सेवाओं तक पहुंच हेतु • संचार के लिए इंटरनेट का उपयोग करने हेतु 30 घंटे के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर प्रशिक्षित लाभार्थियों के अधिगम (लर्निंग) को सुदृढ़ बनाना।	• मान्यता प्राप्त मदरसों/स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र, जिन्हें कंप्यूटर शिक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हैं। • ऐसे संस्थानों के कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्र • कोई भी अन्य छात्र जो अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों में रहता है एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है।	• साइबर ग्राम पहल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) का एक घटक है। • इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान 75:25 के अनुपात में होगा (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10)। • सामान्य सेवा केंद्र ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC SPV) प्रशिक्षण हेतु 39 घंटे का बेसिक कंप्यूटर कांसेप्ट (BCC) पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा। • इस पहल के अंतर्गत क्रियान्वयन संरचना के निम्नतम स्तर पर मदरसों/स्कूलों के समीप स्थित ग्राम स्तर के उद्यमी (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स) अर्थात VLE (जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट उपलब्ध हो) अवस्थित होंगे। ये VLEs इस पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर करना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में असंतुलन को कम करने हेतु बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।

29.2. जियो पारसी

(Jiyo Parsi)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• एक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेप (इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट) को अपनाकर भारत में पारसी आबादी की गिरावट की प्रवृत्ति को व्युत्क्रमित करना, पारसी आबादी को स्थिर करना और भारत में पारसी आबादी में वृद्धि करना।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • वर्ष 2017 में जियो पारसी पब्लिसिटी फेज-2 आरंभ किया गया था (वर्ष 2013 में चरण-1)। • इस योजना के घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं- ○ **समर्थन:** परामर्श, कार्यशालाएं आदि। ○ **समुदाय का स्वास्थ्य:** क्रेच/बाल संरक्षण समर्थन, बच्चों की देखभाल के लिए वरिष्ठ नागरिक मानदेय, बुजुर्गों को सहायता। ○ **चिकित्सीय सहायता:** IVF और सरोगेसी सहित सहायक प्रजनन तकनीक के लिए वित्तीय सहायता ○ गोपनीयता ○ आउट-रीच प्रोग्राम/सूचना, शिक्षा और संचार

VISION IAS

29.3. नई रोशनी

(Nai Roshni)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• अल्पसंख्यक महिलाओं तथा उनके गांव/ क्षेत्र में रहने वाले अन्य समुदायों की, उनकी पड़ोसी महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना। • प्रशिक्षु महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।	• सभी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाएं • समान इलाके/क्षेत्र की गैर-अल्पसंख्यक महिलाएं (परियोजना के 25% से अधिक नहीं) • इसके अतिरिक्त, एक प्रतिनिधिमूलक मिश्रण (जिसमे अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक महिलाओं का उचित अनुपात हो) के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। • SC/ST/OBC /PH महिलाएं (समूह का 25%) • पंचायती राज संस्थाओं (पंचायत) की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि	• स्थानीय निकायों के स्तर पर गांव/शहरी इलाकों में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण। • प्रशिक्षण गैर-आवासीय और आवासीय, दोनों प्रकार का होगा। • यह समस्त देश में चयनित गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से लागू किया जाता है। • प्रशिक्षण, विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूलों पर प्रदान किया जाता है जिसमें महिलाओं से संबंधित मुद्दे जैसे निर्णयन में भागीदारी के माध्यम से महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल तथा सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन हेतु समर्थन; आदि शामिल होंगे।

29.4. उस्ताद - अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स-क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट

(USTTAD- Upgrading the Skill and Training in Traditional Art craft for Development)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• विशेषज्ञ शिल्पकारों/कारीगरों का क्षमता निर्माण और उनके माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण देना। • अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला/शिल्प की समृद्ध विरासत का संरक्षण और परंपरागत शिल्पकारों/कारीगरों का क्षमता निर्माण करना। • अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ पारंपरिक कौशल का संबंध स्थापित करना • मौजूदा श्रमिकों की नियोजनीयता में सुधार करना। • श्रम की गरिमा सुनिश्चित करना। • बढ़ते बाजार के लाभों को प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों को सक्षम बनाना।	• अल्पसंख्यक समुदाय • गैर-अल्पसंख्यक समुदाय (25% BPL) • शारीरिक विकलांगता (PH) श्रेणी से संबंधित अल्पसंख्यक (3% आरक्षण) • अल्पसंख्यक महिलाएं (33% सीटें) • गैर-PH (निःशक्तता की श्रेणी के बाहर के) लाभार्थियों के लिए आयु 14-45 वर्ष की और न्यूनतम योग्यता 5वीं कक्षा तक होनी चाहिए।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पारंपरिक कला/शिल्प में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम द्वारा कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण। • सॉफ्ट स्किल, स्पोकन इंग्लिश और IT पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। • इस योजना में परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। • R&D के लिए उस्ताद अप्रेंटिसशिप प्रदान की जाएगी। • हुनर हाट और शिल्प उत्सव के माध्यम से उनके उत्पादों का प्रदर्शन/विपणन किया जाएगा। • प्रतिभाशाली विशेषज्ञ शिल्पकार/कारीगर को चिह्नित और सम्मानित किया जाएगा।

हुनर हाट (HUNAR HAAT)	• उस्ताद योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। ये हाट अल्पसंख्यक समुदायों के विशेषज्ञ कारीगरों, शिल्पकारों और पाककला विशेषज्ञों के उत्पादों हेतु विपणन के लिए मंच प्रदान करते हैं। इस प्रकार, ये अल्पसंख्यक समुदायों के रोजगार और आय उत्पादन के अवसरों को बढ़ाते हैं। मंत्रालय देश के सभी राज्यों में "हुनर हब" स्थापित करने हेतु इच्छुक है, जहां वर्तमान आवश्यकता के अनुसार कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

29.5. नई मंजिल

(Nai Manzil)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• इसका उद्देश्य **अल्पसंख्यक समुदायों के,पढाई पूरी किये बिना बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले (ड्रॉप-आउटस) युवाओं को संगठित करना** और उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) या अन्य स्टेट ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से 8वीं या 10वीं तक औपचारिक शिक्षा और प्रमाणीकरण प्रदान करना है। • बाजार संचालित कौशल में युवाओं को एकीकृत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना • प्रशिक्षित युवाओं के कम से कम 70% को नियोजित (प्लेसमेंट प्रदान) करना • स्वास्थ्य और जीवन कौशल में जागरूकता और सक्रिय बनाना।	• 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक BPL युवा, जिन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया या मदरसे जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की है। • अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाएं	• यह शिक्षा और कौशल की एक एकीकृत योजना है। • इसके अंतर्गत बेसिक ब्रिज प्रोग्राम (कक्षा आठवीं या दसवीं के लिए) सहित 9-12 महीने की अवधि का एक गैर-आवासीय कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। • अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए न्यूनतम 30% सीटें निर्धारित की गई हैं। • यह योजना समस्त देश को कवर करती है। • विश्व बैंक, इस योजना का समर्थन करता है। • नई रोशनी योजना, जो कि अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना है, के अंतर्गत प्रशिक्षित अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इस योजना के लिए संगठनकर्ता (mobilizers) के रूप में शामिल किया जाएगा।

29.6. पढ़ो परदेश

(Padho Pardesh)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करना। इससे उन्हें विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे तथा उनकी नियोजनीयता में वृद्धि की जा सकेगी।	• मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के वे छात्र जो विदेशों में उच्च अध्ययन अर्थात परास्नातक, एम.फिल और पीएच-डी स्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • यह एक ब्याज सब्सिडी योजना है और उम्मीदवार को ही अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि) के पश्चात मूल राशि की किश्तों एवं ब्याज को वहन करना होगा।

VISION IAS

		• ब्याज सब्सिडी को भारतीय बैंक संघ (IBA) की मौजूदा शैक्षणिक ऋण योजना से जोड़ा जाएगा। • छात्राओं के लिए 35% सीटें निर्धारित की जाएंगी। • यह योजना योग्य छात्र-छात्राओं को केवल एक बार या तो परास्नातक या एम.फिल अथवा पीएचडी के लिए उपलब्ध होगी।

29.7. नई उड़ान

(Nai Udaan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। • सिविल सेवा और ग्रुप A और B सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाना।	• UPSC, SPSC या SSC द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले केवल वे अभ्यर्थी जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हों। • आय आधारित पात्रता मानदंड (6 लाख रुपये/वर्ष)।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष देश भर में पात्रता मानदंड प्राप्त करने पर अधिकतम 2,000 अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता तब तक प्रदान की जाएगी जब तक कि इस योजना हेतु उपलब्ध बजटीय आवंटन समाप्त न हो जाए। • अभ्यर्थी को वित्तीय सहायता केवल एक बार प्रदान की जाएगी। • अभ्यर्थियों का चयन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा। • विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए स्लॉट का वितरण जनगणना, 2011 के आंकड़ों पर आधारित है।

29.8. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी

(Maulana Azad National Academy for Skills: MANAS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसका उद्देश्य स्किल इंडिया के विजन को पूरा करना तथा सबका साथ-सबका विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना है। • अल्पसंख्यकों को लाभकारी रोजगार/स्व-रोजगार प्रदान करना।	• यह एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल और एक अभिनव योजना (समुदाय के कर्ज को चुकाने जैसी) है। इसके अंतर्गत कौशल विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न कौशल समूहों में अग्रणी हस्तियों के प्रभाव का प्रयोग उनके संबंधित क्षेत्रों में मुख्य बल के रूप में किया जाएगा। • इसने विभिन्न मदरसों और अन्य पारंपरिक शैक्षिक संस्थानों (TEI) की पहचान कर कौशल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। • यदि प्रशिक्षित उम्मीदवार स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक हैं तो उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) से वित्तीय

VISION IAS

	सहायता प्रदान की जाएगी। • मानस, वैश्वीकरण के कारण मृतप्राय होते जा अल्पसंख्यक समुदाय के कला और शिल्प को सहायता प्रदान करने के लिए 'रिसर्च चेयर्स' स्थापित करेगा। इस प्रक्रिया में 'हमारी धरोहर' के संरक्षण को सहायता मिलेगी।

29.9. हमारी धरोहर

(Hamari Dharohar)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के तहत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना।	• **फैलोशिप के लिए:** 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अल्पसंख्यक अभ्यर्थी और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लड़की/महिला उम्मीदवार।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • संस्कृति मंत्रालय की सहायता से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। • इस योजना के अंतर्गत मौखिक परम्पराओं और कला रूपों का दस्तावेज़ीकरण, नृजातीय संग्रहालयों, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/प्रदर्शनियों को सहयोग तथा अनुसंधान एवं विकास आदि के लिए फैलोशिप प्रदान की जाएगी। • इसका वित्तपोषण, परियोजना आधारित है, राज्य/जिलावार नहीं। • गणित और चिकित्सा संबंधी मध्ययुगीन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है।

29.10. सीखो और कमाओ

(Learn And Earn)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं

• अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं को रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
• अल्पसंख्यक समुदायों की बेरोजगारी दर को कम करना।
• अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशलों का संरक्षण एवं उन्नयन करना तथा उन्हें बाजार के साथ जोड़ना।
• मौजूदा कर्मियों रोजगारपरकता को बेहतर बनाना तथा उनका नियोजन (प्लेसमेंट) सुनिश्चित करना तथा बीच में पढाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना।
	• न्यूनतम कक्षा 5 की योग्यता के साथ 14-35 वर्ष के आयुवर्ग के अल्पसंख्यक व्यक्ति।
	• अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं (33%)।
	• दिव्यांग व्यक्ति और गैर-अल्पसंख्यक BPL भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
		• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
		• इसके दो घटक हैं:
		  ○ आधुनिक व्यापार हेतु प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।
		  ○ पारंपरिक कला शैलियों / शिल्प / व्यापार के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।
		• आधुनिक कौशल के लिए कौशल प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप 75% प्लेसमेंट होना चाहिए, जिनमें से 50% संगठित क्षेत्र में होने चाहिए।
		• यह एक PPP आधारित योजना है और इसमें प्राथमिकता उन संस्थानों को दी जाएगी जो 75% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं।
		• स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का सृजन किया जायेगा।

VISION IAS

29.11. महिला समृद्धि योजना

(Mahila Samriddhi Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रशिक्षु महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना ताकि वे अंततः आत्मनिर्भर बने	• इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) द्वारा किया जा रहा है। • लगभग 20 महिलाओं के समूह को किसी भी उपयुक्त महिला अनुकूल शिल्प गतिविधि जैसे सिलाई, कटाई और कढ़ाई आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है। • इस समूह को एक SHG का गठन करना पड़ता है। • प्रशिक्षण के पश्चात्, निर्मित SHG के सदस्यों को सूक्ष्म ऋण (7% ब्याज पर अधिकतम 1 लाख रुपये) प्रदान किया जाता है।

29.12. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम

(Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram: PMJVK)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

स्वीकृत और संचालित परियोजनाओं की समाप्ति हेतु पूर्ववर्ती बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करना।	• अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत संचालित **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP)** का पुनर्गठन कर इसे **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)** के रूप में पुनर्नामित किया गया है।
	• इसमें अल्पसंख्यक बहुल कस्बों (MCTs) तथा गाँवों के संकुल (क्लस्टर) की **पहचान हेतु मानदंडों** को युक्तिसंगत बनाया गया हैं। ये 2011 की जनगणना पर आधारित हैं।
	  ○ इससे पूर्व, केवल **आधारभूत आवश्यकताओं तथा सामाजिक-आर्थिक मापदंडों** के संदर्भ में पिछड़े कस्बों को ही MCTs के रूप में चिह्नित किया जाता था। परन्तु अब वे कस्बे जो **किसी एक अथवा दोनों** मानदंडों में पिछड़े पाए जाते हैं, MCTs के अंतर्गत सम्मिलित किये गए हैं।
	  ○ अब गाँवों के संकुल के चयन हेतु जनसंख्या मानदंड को कम कर अल्पसंख्यक समुदाय की **25% जनसंख्या तक कर** दिया गया है (जो पूर्व में न्यूनतम 50% था)।
	• **योजना का वित्त-पोषण,** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजटीय प्रावधान से किया जाएगा। साथ ही आवधिक रूप से होने वाले व्यय/अनुरक्षण व्यय का वहन राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/संगठनों द्वारा किया जायेगा।
	  ○ **80% भाग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास** से संबंधित परियोजनाओं हेतु निश्चित किया गया है।
	  ○ जिसमें से **33 से 40%** विशेष रूप से **महिला केन्द्रित परियोजनाओं** हेतु आवंटित किया जाएगा।
	• PMJVK **में अब चार और राज्यों** हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड एवं गोवा

	तथा **एक संघ शासित प्रदेश** पुडुचेरी (कुल 32 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों) को शामिल किया गया है। ○ PMJVK के तहत 115 आकांक्षी जिलों में से 61 जिलों के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। ○ अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक, कस्बों तथा गाँवों के संकुल के अतिरिक्त **अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालयों** को शामिल करते हुए क्रियान्वयन की क्षेत्रीय इकाई का और अधिक विस्तार किया गया है। • PMJVK के तहत मौजूदा MsDP (196 जिले) क्षेत्रों की तुलना में **57% अधिक क्षेत्र (308 जिले)** कवर किए गए हैं। • **निगरानी तन्त्र:** ○ **जियो-टैगिंग** के साथ एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी शामिल किया गया है। ○ सभी क्रियान्वयन एजेंसियों को **सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली** (Public Finance Management System:PFMS) के अंतर्गत लाया गया है और PMJVK में निधि उपयोग की निगरानी सुनिश्चित करने हेतु इसके प्रभावी उपयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं।

29.13. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

गरीब नवाज़ कौशल विकास केंद्र	• ये केंद्र देश के 100 जिलों में स्थापित किए जाएंगे तथा अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के रोजगार उन्मुख कौशल विकास को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करेंगे। ये वस्तु एवं सेवा कर लेखा/प्रोग्रामिंग और अन्य संबंधित विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रदान करेंगे। ऐसा प्रथम केंद्र हैदराबाद में खोला गया था।
तहरीक-ए-तालीम योजना	• इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा सरकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों की अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुँच सुनिश्चित करने और मदरसों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों को मुख्यधारा में लाने के लिए देश के 100 जिलों में प्रारम्भ किया गया। इन संस्थानों के शिक्षकों को गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही महिला शिक्षकों (50%) को भी इस योजना से लाभ मिलेगा।
नया सवेरा योजना	• नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना जिसका उद्देश्य तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रतिष्ठित संस्थानों में अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट स्तर पर प्रवेश तथा निजी संस्थानों में रोजगार, सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार प्राप्त करने हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों तथा उम्मीदवारों के कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देना है।

VISION IAS

30. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises)

30.1. शहद मिशन

(Honey Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• मधुमक्खी पालन कौशल विकास के लिए आद्योपान्त (एंड टू एंड) कार्यान्वयन संबंधी संरचना का सृजन करना, जो ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करे। • उत्तम मधुमक्खी पालन प्रथाओं (GPB) के राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों को लागू करना। • गुणवत्ता दक्ष प्रशिक्षकों का एक नेटवर्क विकसित करना। • मधुमुखी के छत्ते द्वारा निर्मित उत्पादों हेतु विदेशी बाजार तक पहुँच प्रदान करना। • ऋण के संयोजन द्वारा आरम्भिक मधुमक्खी पालनकर्ताओं से व्यवहार्य वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन तक के मार्ग को सक्षम बनाना। • भारत में मधुमक्खी पालन के सभी हितधारकों के बीच अभिसरण और समन्वय को बढ़ावा देना।	• गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में बनास शहद परियोजना का प्रारंभ करते हुए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री के आह्वान पर 'स्वीट रिवॉल्यूशन' ('मीठी क्रांति') के लिए 'शहद मिशन' को अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था। • KVIC मधुमक्खी पालन करने वालों को मधुमक्खी के निवास स्थान के परीक्षण, मधुमक्खी का भक्षण करने वाले कीटों एवं पक्षियों व रोगों, शहद निष्कर्षण और मोम शोधन आदि की पहचान और प्रबंधन के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। • KVIC प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की केन्द्रीय एजेंसी है, जो शहद के संबंध में प्रसंस्करण, पैकेजिंग और लेबल लगाने वाली इकाइयों की स्थापना हेतु ऋण प्रदान करती है। • अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत शहद एक लघु वनोपज (MFP) है। • हाल ही में **'एपियरी ऑन व्हील्स'** (Apiary on Wheels) को KVIC द्वारा जीवित मधुमक्खी कालोनियों वाले मधुमक्खी बक्से के आसान रखरखाव और स्थानान्तरण के लिए डिजाइन किया गया था। • इसे आसानी से ट्रैक्टर या ट्रॉली के साथ जोड़ा जा सकता है और इसे किसी भी उपयुक्त गंतव्य तक ले जाया जा सकता है। • इसे संपूर्ण भारत में मधुमक्खी बॉक्स और जीवित मधुमक्खी कालोनियों के रखरखाव एवं अनुरक्षण की लागत तथा श्रम को कम करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

30.2. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम

(Credit Linked Capital Subsidy Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **इस योजना के तहत अनुमोदित विशिष्ट उप-क्षेत्र / उत्पादों से सम्बन्धित आवश्यक प्रौद्योगिकियों (सुस्थापित एवं प्रमाणित) को अपनाए जाने हेतु संस्थागत वित्त प्रदान कर** MSEs को प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता प्रदान करना है।	• यह योजना लघु, खादी, ग्रामीण और कॉयर उद्योग सहित **51 उप-क्षेत्रों में MSMEs इकाइयों को 1 करोड़ रुपए तक के संस्थागत ऋण पर 15 प्रतिशत की अग्रिम सब्सिडी प्रदान करती है।** • यह **एक मांग-संचालित योजना है जिसमें** सब्सिडी संवितरण संबंधी समग्र वार्षिक व्यय पर **ऊपरी सीमा आरोपित नहीं की गई है।** • **SC-ST उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की गई है,** जबकि 117 'आकांक्षी' जिलों, पहाड़ी राज्यों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। • **यह सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित MSME के योगदान में वृद्धि करने के साथ-साथ** इस क्षेत्र के उत्पादों के **निर्यात को भी बढ़ावा देगी।** • **इसमें बेहतर पैकेजिंग तकनीक के साथ-साथ प्रदूषण-रोधी उपाय,**

VISIONIAS

	ऊर्जा संरक्षण मशीनरी, इन-हाउस परीक्षण और ऑन-लाइन आधार पर गुणवत्ता नियंत्रण करना भी शामिल है। • इस योजना को **बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा MSEs को प्राप्त होने वाले सावधि ऋण** से भी संबद्ध किया गया है। इसे **SIDBI और** NABARD सहित 12 नोडल बैंकों / एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • **CLCSS के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए,** पात्र MSEs को उस प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (PLIs) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता होती है, जिसके तहत MSEs द्वारा प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए सावधि ऋण प्राप्त किया जा सकता है। • यह **क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी अप-ग्रेडेशन (CLCS-TUS)** योजना का एक घटक है। • क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS) को **वर्ष 2000 में प्रारम्भ किया गया था** और वर्ष 2005 में सब्सिडी की दर को 12% से बढ़ाकर 15% करने के साथ ऋण की सीमा को 40 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक करने संबंधी संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

30.3. शून्य दोष एवं शून्य प्रभाव योजना

(Zero Defect and Zero Effect Scheme : ZED)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर भारत में **'शून्य दोष एवं शून्य प्रभाव' (ZED) संस्कृति** को विकसित और कार्यान्वित करना: ○ **शून्य दोष (ग्राहक केंद्रित) :** शून्य गैर-समनुरूपता/ गैर-अनुपालन और शून्य अपशिष्ट। ○ **शून्य प्रभाव (समाज केंद्रित):** शून्य वायु प्रदूषण/तरल निस्सरण (ZLD) / ठोस अपशिष्ट और प्राकृतिक संसाधनों का शून्य अपव्यय। • **भारतीय उद्योग की उन्नति** को वैश्विक बाजार में अग्रणी स्थिति में लाना और भारत को 'मेड इन इंडिया' पहचान के माध्यम से वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने में सक्षम बनाना।	• ZED परिपक्वता मूल्यांकन मॉडल (Maturity Assessment Model) के तहत ZED रेटिंग के लिए 50 मापदंड और ZED रक्षा रेटिंग के लिए अतिरिक्त रूप से 25 मानदंडों का प्रावधान किया गया है। • **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs)** को ZED प्रमाणन के लिए की जाने वाली गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है अर्थात, मूल्यांकन/रेटिंग, रक्षा आयाम के लिए अतिरिक्त रेटिंग, अंतराल विश्लेषण, हैंडहोल्डिंग, परामर्शदाताओं द्वारा MSMEs की रेटिंग में सुधार के लिए परामर्श प्रदान करना तथा पुनर्मूल्यांकन/पुनः रेटिंग। • भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI), ZED के कार्यान्वयन के लिए एक **राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (NMIU)** है। • 22,288 से अधिक **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) द्वारा इस योजना के तहत अपना पंजीकरण** करवाया गया है।

30.4. सौर चरखा मिशन

(Solar Charakha Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• ग्रामीण क्षेत्रों में सौर चरखा कलक्टरों के माध्यम से विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए रोज़गार सृजन	• यह ग्रामीण लोगों को बुनाई/कताई में प्रशिक्षित करने हेतु एक **रोज़गार सृजक कार्यक्रम** है।

द्वारा **समावेशी संवृद्धि** एवं **संधारणीय विकास** सुनिश्चित करना।
• **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा** देना और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में **हो रहे पलायन को रोकने** में सहायता करना।
• आजीविका सम्बन्धी उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु **निम्न लागत की नवाचारी प्रौद्योगिकियों** और प्रक्रियाओं का लाभ उठाना।
	• इस मिशन के तहत 50 क्लस्टरों को शामिल किया जाएगा और प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2,042 बुनकरों को रोज़गार प्रदान करेगा।
	• **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है।
	• करघे और धुरी (spindles) पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होंगे।
	• इस योजना में **तीन प्रकार के हस्तक्षेप** शामिल हैं -
	  ○ व्यक्तिगत और विशेष प्रयोजन साधन (SPV) के लिए पूंजीगत सब्सिडी।
	  ○ कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज अनुदान।
	  ○ क्षमता निर्माण।
	• **सौर चरखा इकाइयों** को **ग्रामोद्योग** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

30.5. पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष योजना (स्फूर्ति)

(A Scheme of Fund for Regeneration of Traditional: SFURTI)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• पांच वर्षों की अवधि में देश में **पारंपरिक उद्योगों के क्लस्टर विकसित करना।** • **पारंपरिक उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी,** बाजार संचालित, उत्पादक और लाभप्रद बनाना। • स्थानीय हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ, उद्योग क्लस्टरों की **स्थानीय शासन प्रणाली को सुदृढ़ करना,** ताकि वे विकासात्मक पहलों के लिए सक्षमकारी बन सकें। • नवाचारी और पारंपरिक कौशल, उन्नत प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रक्रिया, मार्किट इंटेलिजेंस और सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधारित एक नया मॉडल निर्मित करना, ताकि चरणबद्ध रूप में समान प्रतिमानों को क्लस्टर-आधारित पुनर्जीवित पारंपरिक उद्योगों में दोहराया जा सके।	• कारीगर, श्रमिक, मशीनरी निर्माता, कच्चा माल प्रदाता, उद्यमी, संस्थागत और निजी व्यवसाय विकास सेवाप्रदाता (BDS)। • कारीगर, शिल्पी संघ, सहकारी समितियां, कॉन्सॉर्टियम, उद्यमों के नेटवर्क, स्वयं सहायता समूह (SHG), उद्यम संघ आदि। • पारंपरिक उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न कार्यान्वयन एजेंसियों, सरकारी संस्थानों/संगठनों के फील्ड अधिकारी और नीति निर्माता।	• **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC),** खादी और ग्रामोद्योग क्लस्टरों के लिए एक नोडल एजेंसी (NA) है तथा कयर (नारियल के रेशे) आधारित क्लस्टरों के लिए **कयर बोर्ड (CB)** एक नोडल एजेंसी (NA) के रूप में कार्य करेगा। • योजना में **तीन प्रकार के हस्तक्षेप** को शामिल किया जाएगा, जैसे सरल हस्तक्षेप', कठोर हस्तक्षेप' और 'विषयगत हस्तक्षेप' • **कठोर हस्तक्षेपों** के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र (CFC), रॉ मटेरियल बैंक (Raw material banks: RMB), उत्पादन अवसंरचना का उन्नयन, उपकरण और तकनीकी उन्नयन आदि शामिल हैं। • **सरल हस्तक्षेपों** में परामर्श, विश्वास निर्माण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं। • **विषयगत हस्तक्षेप** के अंतर्गत ब्रांड निर्माण और प्रचार अभियान, न्यू मीडिया मार्केटिंग, ई-कॉमर्स पहल, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास पहल तथा मौजूदा व प्रस्तावित क्लस्टरों के साथ संस्थागत संपर्क विकसित करना शामिल हैं।

30.6. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

(PM Employment Generation Programme: PMEGP)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• गैर-कृषि क्षेत्र में नवीन स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में **रोज़गार के अवसर सृजित करना।**	• 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति। • विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख और सेवा क्षेत्र में 5 लाख	• केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना को वर्ष 2008 में आरंभ किया गया था। • यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसे प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (PMRY)

VISIONIAS

• देश में पारंपरिक और भावी कारीगरों तथा ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े हिस्से को सतत व स्थायी रोज़गार प्रदान करना, ताकि ग्रामीण युवाओं के **शहरी क्षेत्रों में प्रवास को रोकने में सहायता प्राप्त हो सके।** • कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ाना तथा ग्रामीण और शहरी रोज़गार की दर में वृद्धि करना। • सूक्ष्म क्षेत्र में उच्च ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने हेतु **वित्तीय संस्थानों की भागीदारी** को सुविधाजनक बनाना।	से अधिक की परियोजना के लिए न्यूनतम योग्यता **आठवीं कक्षा उत्तीर्ण** करना आवश्यक है। • स्वयं सहायता समूह और धर्मार्थ ट्रस्ट। • सोसायटीज़ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान। • उत्पादन आधारित सहकारी समितियां।	और ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (REGP) नामक दो योजनाओं के विलय द्वारा सृजित किया गया है। • कार्यान्वयन कर्ता : ○ राष्ट्रीय स्तर पर **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** तथा ○ राज्य स्तर पर राज्य KVIC निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), जिला उद्योग केंद्र (DIC) और बैंक। • प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। • योजना के अंतर्गत सहायता **केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए ही उपलब्ध** है। ○ मौजूदा इकाइयां या ऐसी इकाइयां, जिन्होंने पहले से ही राज्य/केंद्रीय सरकार के अधीन सहायता या सब्सिडी के रूप में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त किया है, इसके तहत पात्र नहीं हैं। • इस योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी को KVIC द्वारा चिन्हित बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों/उद्यमियों को उनके बैंक खातों में वितरित किया जाता है। • **प्रति व्यक्ति निवेश**, मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। • **योजना के लक्ष्यों** को राज्य के पिछड़ेपन का स्तर; बेरोजगारी का स्तर; विगत वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ति का स्तर; राज्य / संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या तथा पारंपरिक कौशल और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए हैं। • समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए देश के सभी जिलों को **75 परियोजनाओं/जिले का न्यूनतम लक्ष्य** प्रदान किया जाता है। • ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, NER आवेदकों के लिए सब्सिडी की उच्च दर (25-35 प्रतिशत) लागू होगी। • इस योजना के तहत, लाभार्थी **विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख**

		रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। • वर्ष 2008-09 में इस योजना की शुरुआत से वर्ष 2019-20 तक अनुमानित **47 लाख व्यक्तियों को रोज़गार** प्रदान कर, लगभग 5.70 लाख सूक्ष्म उद्यमों की सहायता की जा चुकी है।

30.7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ब्याज अनुदान योजना

(Interest Subvention Scheme For MSMEs)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए और GST (वस्तु एवं सेवा कर) प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग के लिए MSMEs को प्रोत्साहन प्रदान करना, जो कि ऋण की लागत को कम करते हुए अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण में सहायता करता है।	• वर्ष 2018 में प्रारम्भ, यह योजना वैध **उद्योग आधार संख्या** (Udyog Aadhar Number: UAN) वाले सभी **GST पंजीकृत MSMEs** के लिए नए और वृद्धिशील ऋण पर **2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करती है।** • इसका उद्देश्य विनिर्माण और सेवा उद्यमों, दोनों को प्रोत्साहित करना है। • इसे वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2020 दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। • वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2020 के दौरान विस्तारित अवधि के लिए सावधि ऋण / कार्यशील पूंजी, कवरेज के लिए पात्र होगी। • सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी को **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** द्वारा विस्तारित किया जाएगा। • **अधिकतम कवरेज और पहुँच** सुनिश्चित करने हेतु, सभी पात्र कार्यशील पूंजी या सावधि ऋण इस योजना की अवधि के दौरान **100 लाख रुपये तक** की कवरेज के लिए पात्र होंगे। • **अपवाद:** जो MSMEs राज्य / केंद्र सरकार की किसी भी योजना के तहत पहले से ही ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इस प्रस्तावित योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। • क्लेम दायर करने की तिथि तक विद्यमान ऋण खातों को NPA घोषित नहीं किया जाना चाहिए। • **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** इस योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। **हालिया संशोधन:** • UAN रहित व्यापारिक गतिविधियों को भी योजना के लिए पात्र बनाया गया है। GST हेतु पात्र इकाइयों के लिए UAN की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

उद्योग आधार ज्ञापन (Udyog Aadhaar Memorandum)	• इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बनाने हेतु। • यह MSME क्षेत्रों में उद्यमियों को पंजीकरण की सुविधा प्रदान हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल है। • पंजीकरण के पश्चात्, उपयोगकर्ता को एक विशिष्ट उद्योग आधार संख्या (UAN) आवंटित की जाएगी।

VISION IAS

MSME के कार्यों का विनियमन:	• **MSME समाधान (SAMADHAAN) पोर्टल:** इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को अपने विलंबित भुगतान से संबंधित मामलों को प्रत्यक्ष रजिस्टर करने के लिए सशक्त बनाना है। • **MSME संबंध (SAMBANDH) पोर्टल:** इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने में सहायता प्रदान करना है। • **MSME संपर्क (SAMPARK) पोर्टल:** यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे रोजगार के इच्छुक (MSME प्रौद्योगिकी केंद्रों के प्रशिक्षु/छात्र) और नियोक्ता परस्पर संबद्ध होते हैं।
एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए योजना) (A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship: ASPIRE)	• उद्यमशीलता को त्वरित गति प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों, इन्क्यूबेशन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करना तथा ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योग में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना। • **'एस्पायर'** के कुछ परिणाम निम्नलिखित हैं: प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर (TBI), आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर (LBI) और SIDBI के पास इस तरह की पहल के लिए एक फंड ऑफ़ फंड्स का सृजन।
'उद्यमी मित्र' पोर्टल	• इसे SIDBI द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए ऋण और हैंड होल्डिंग सेवाओं तक सुलभ पहुँच प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया था। • यह संपर्क रहित ऋण, राज्य/केंद्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ अभिसरण, सह-उधार (co-lending), SIDBI के साथ-साथ MUDRA से उधारदाताओं की व्यापक पूंजी तक पहुंच आसान पहुँच को सक्षम बनाएगा। • MSMEs के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाने हेतु अब आधुनिक फिनटेक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और लघु वित्त बैंकों को इस प्लेटफार्म पर जोड़ा जा रहा है।
आपातकालीन प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए सिडबी की सहायता (SIDBI Assistance to Facilitate Emergency: SAFE)	• SIDBI द्वारा इस नई योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से MSMEs के विनिर्मित उत्पादों को सहायता प्रदान की जा रही है और साथ ही, कोरोनावायरस का मुकाबला करने हेतु संबंधित सेवाएं प्रदान की जा रही है। • इस योजना के तहत, 48 घंटों के भीतर 5% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। • SIDBI के वर्तमान और नए ग्राहक, दोनों बिना संपार्श्विक संपत्ति की आवश्यकता के या तो टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के रूप में 50 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। • **कवरेज:** अनुमत दवाओं, सैनिटाइजर, मास्क आदि के उत्पादन या सेवा से संबंधित व्यय को कवर किया गया है। हालांकि, इसके तहत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और वस्तुएं (जो सीधे Covid19 से संबंधित नहीं हैं), व्यापारी आदि को कवर नहीं किया गया है।

31. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(Ministry of New And Renewable Energy)

31.1. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन

(Jawaharlal Nehru National Solar Mission: JNNSM)

उद्देश्य	लक्ष्य	प्रमुख विशेषताएं
• सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना, इसके लिए देश भर में सौर ऊर्जा के प्रसार संबंधी नीतिगत शर्तों को त्वरित रूप से निर्मित करना।	• मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट (पुराना लक्ष्य 20 गीगावाट) सौर ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। इसके तहत कुल 6,00,000 करोड़ रुपयों का निवेश किया जाएगा। • इस लक्ष्य में मुख्य रूप से 40 गीगावाट ऊर्जा रूफटॉप और 60 गीगावाट ऊर्जा *लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स* के माध्यम से प्राप्त करना सम्मिलित है। • इसके लक्ष्य में प्रतिवर्ष सौर सेलों की लगभग 2 गीगावाट क्षमता का निर्माण करने के लिए पॉली सिलिकॉन मैटेरियल हेतु समर्पित विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना भी सम्मिलित है। • ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा वर्ष 2022 तक 20 मिलियन सोलर लाइटिंग सिस्टम सहित 2,000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना। • वर्ष 2022 तक 2 करोड़ वर्गमीटर का सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र सुनिश्चित करना। • ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 20 मिलियन सौर प्रकाशीय प्रणालियों को स्थापित करना।	• मिशन में 3 चरण हैं: चरण 1 (2010-13), चरण II (2013-15) और चरण III (2017-22)। • यह पूँजी सब्सिडी विभिन्न शहरों और कस्बों में रूफटॉप सौर परियोजनाओं; भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) के माध्यम से विकसित व्यवहार्यता अंतराल निधि (VGF) आधारित परियोजनाओं; और लघु सौर परियोजनाओं के माध्यम से विकेन्द्रीकृत उत्पादन के लिए प्रदान की जाएगी। • इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं के साथ-साथ ग्रीन क्लाइमेट फंड से संपर्क कर सकती है।

31.2. सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना

(Scheme for Development of Solar Parks and Ultra Mega Power Project)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रोजेक्ट डेवलपर्स और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन सुविधा (डेमन्स्ट्रेशन फैसिलिटी) के	• यह सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक अवसंरचना का सृजन करने के उद्देश्य से देश में **विभिन्न स्थानों पर सौर पार्कों की स्थापना हेतु राज्यों को समर्थन प्रदान करने की**

रूप में कार्य कर, **सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित** करना। • राज्यों को इनके सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व अधिदेश को पूरा करने और स्थानीय जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने हेतु **प्रोजेक्ट डेवलपर्स से महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त करने** में सक्षम बनाना। • सौर पार्क की स्थापित क्षमता एवं उत्पादन के समकक्ष उत्सर्जन में कटौती करते हुए **कार्बन फुटप्रिंट में कमी** करना। • परंपरागत विद्युत् संयंत्रों के लिए महंगे **जीवाश्म ईंधनों की खरीद को रोककर** राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देना।	**परिकल्पना करता है।** ○ सौर पार्क, भिन्न-भिन्न फर्मों द्वारा सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूलों के रूप में एक निर्धारित स्थान पर स्थापित प्रतिष्ठापन हैं, जो सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करते हैं। • सौर पार्क सभी प्रकार की मंजूरियां, पारेषण प्रणाली, जल उपलब्धता, सड़क कनेक्टिविटी, संचार नेटवर्क आदि सहित सुविधाओं से युक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। • यह योजना वृहत पैमाने पर विद्युत उत्पादन हेतु ग्रिड से जुड़ी हुई सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ उसमें तीव्रता लाएगी। • इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 तक **40 GW सौर ऊर्जा क्षमता** का निर्माण किया जाएगा। • यह देश के विभिन्न भागों में **500 मेगावॉट** और इससे अधिक की क्षमता वाले कम से कम **50 सौर पार्कों** की स्थापना को सुनिश्चित करेगी। • हिमालय क्षेत्र में छोटे पार्कों और दुर्गम क्षेत्रों वाले अन्य **पहाड़ी राज्यों** को भी इस योजना के अंतर्गत माना जाएगा। • इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु **सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र** पात्र हैं। • MNRE के निर्देशन में **भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)** योजना को प्रशासित करेगा। अनुमोदित अनुदान SECI द्वारा जारी किया जाएगा। • राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लिए सौर पार्कों के विकास और रखरखाव के लिए सोलर एनर्जी पार्क डेवलपर (SPPD) का चयन करना आवश्यक है।

31.3. अटल ज्योति योजना - अजय

(Atal Jyoti Yojana - Ajay)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
सार्वजनिक उपयोग हेतु **सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम** प्रदान करना जैसे कि सड़कों, बस स्टॉप आदि पर प्रकाश की सुविधा प्रदान करना तथा बेहतर प्रकाश के माध्यम से रक्षा और सुरक्षा में सुधार करना।	• **उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, ओडिशा एवं असम** जैसे राज्य • **जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड** जैसे पहाड़ी राज्य तथा **सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य** • **अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप** जैसे द्वीप समूह • अन्य राज्यों के **आकांक्षी ज़िले**	• यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की **ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोग योजना** के तहत एक उप-योजना है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (**EESL**) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। • यह **योजना ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों** को कवर करेगी। • MNRE के निर्देशानुसार **जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध नहीं** होती है, वहां **12 वाट की क्षमता वाली LED सोलर स्ट्रीट लाइट** उपलब्ध कराई जाएगी। • **MNRE बजट** के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था की लागत का 75%, और शेष 25% MPLADS निधि, पंचायत निधि या नगर

		पालिकाओं और अन्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की निधि से प्रदान किया जाएगा। • रखरखाव और सुरक्षा संबंधी व्यापक प्रसार हेतु तथा सौर प्रौद्योगिकी को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए **प्रशिक्षण कार्यक्रम** का आयोजन करना। • वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान चरण II लागू किया जा रहा है।

31.4. सौर शहरों के विकास की योजना

(Development of Solar Cities Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **नगर निगमों को** अपने शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु एवं उसे क्रियान्वित करने हेतु सहायता प्रदान कर **शहरी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।**	• सौर शहरों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा आपूर्ति में वृद्धि करके और ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से पाँच वर्षों (2012-17) के अंत तक **परम्परागत ऊर्जा की अनुमानित माँग में न्यूनतम 10% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।** • यह कार्यक्रम **प्रत्येक शहर/कस्बा को 50 लाख से अधिक वित्तीय सहायता** और तकनीकी सहायता प्रदान करके शहरी स्थानीय सरकारों की सहायता करता है। • कुल 60 शहरों/कस्बों को सौर शहर के रूप में विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है। • शहरों की पहचान हेतु मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड के अंतर्गत **50,000 से 50 लाख के मध्य जनसंख्या वाला शहर** (इस सन्दर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों को छूट प्रदान की गई है) शामिल है, साथ ही ऊर्जा दक्षता एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता के साथ पहलें आरम्भ की गई हैं एवं नियामक उपाय किए गए हैं।

31.5. सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम

(Suryamitra Skill Development Programme)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• भारत और विदेशों में बढ़ती सौर ऊर्जा परियोजना के संस्थापन, संचालन और रखरखाव में रोजगार के अवसरों पर विचार करते हुए युवाओं का कौशल विकास करना।	• ग्रामीण और शहरी युवा- **मार्च 2020 तक 50,000 सोलर फोटोवोल्टिक टेकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाएगा।**	• MNRE इसका प्रायोजक (100%) है, और **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE)** इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। • यह **600 घंटे या 90 दिनों** की अवधि वाला एक कौशल विकास कार्यक्रम है। • SC/ST/OBC श्रेणियों से संबंधित युवाओं के कौशल पर विशेष बल दिया जाता है। • इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता **ITI (इलेक्ट्रिकल एंड वायरमैन)/इंजीनियरिंग में डिप्लोमा** (इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल)

		है। B.Tech आदि जैसे उच्चतर योग्यता प्राप्त प्रतिभागी इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं। • इसके अतिरिक्त इसमें लघु जल विद्युत, उद्यमिता विकास, सौर ऊर्जा उपकरणों के संचालन और रखरखाव तथा सह-उत्पादन संयंत्रों में बॉयलर संचालन के लिए **अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** भी आयोजित किए जाते हैं।

31.6. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट

(Green Energy Corridor Project)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पादन बिंदु से लोड सेंटर तक पहुँचाना अर्थात् नेशनल ग्रिड नेटवर्क में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवाह को सक्षम बनाना।	• ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवाह हेतु ग्रिड कनेक्टेड नेटवर्क है। • इस गलियारे में दो ग्रीन कॉरिडोर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स की परिकल्पना की गयी है: ○ **ग्रीन कॉरिडोर I**: नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों को जोड़ने के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क का निर्माण किया गया है। इसका कार्यान्वयन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (PGCIL) द्वारा किया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने इस हेतु ऋण सहायता प्रदान की है। ○ **ग्रीन कॉरिडोर II**: यह संबंधित राज्यों द्वारा कार्यान्वित इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क है और विभिन्न राज्यों में सौर पार्कों को जोड़ता है। • इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क **आठ नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों** (तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 33 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को स्थापित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है जबकि द्वितीय चरण 22 गीगावाट क्षमता को जोड़ेगा। • इसके लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता जर्मनी द्वारा प्रदान की जा रही है।

31.7. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना

{Kisan Urja Surksha evam Utthaan Mahaabhiyan (KUSUM) Scheme}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• किसानों को वित्तीय एवं जल सुरक्षा प्रदान करना • बजट 2020-21 में इसके कवरेज को विस्तारित किया गया है: ○ इस योजना का लक्ष्य किसानों को उनकी ऊसर/बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने के लिए सक्षम बनाना है। ○ 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित	• इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना है। प्रस्तावित योजना के तीन घटक हैं: ○ **घटक-A**: नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से 10,000 मेगावाट के भूमि के ऊपर निर्मित विकेन्द्रीकृत ग्रिडों को जोड़ना। ▪ 500 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय विद्युत् संयंत्र व्यक्तिगत किसानों / सहकारी समितियों / पंचायतों / किसान उत्पादक संगठनों (FPO) द्वारा अपने बंजर या कृषि योग्य भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। ▪ DISCOMs द्वारा उत्पादित विद्युत् को संबंधित SERC द्वारा निर्धारित टैरिफ/डॉ पर खरीदा जाएगा। ▪ यह योजना ग्रामीण भू स्वामियों के लिए आय का एक स्थिर एवं सतत स्रोत प्राप्त होगा। प्रदर्शन के आधार पर DISCOM को पाँच वर्षों के लिए 0.40

करने हेतु सहयोग किया जाएगा। ○ अन्य 15 लाख किसानों को अपने ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सोलर स्वरूप प्रदान करने में सहायता प्रदान की जाएगी।	रुपए की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। ○ **घटक-B:** स्वचालित सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना। ▪ 7.5 हॉर्सपावर (HP) तक की क्षमता के स्वचालित सोलर पंप स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। ▪ स्वदेशी सौर सेल और मॉड्यूल के साथ स्वदेशी रूप से निर्मित सौर पैनलों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ▪ केंद्र और राज्य द्वारा पंप की लागत का 30-30 प्रतिशत योगदान किया जाएगा; शेष 40 प्रतिशत का वहन किसान (लागत का 30 प्रतिशत तक बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं) द्वारा किया जाएगा। ○ **घटक-C:** ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सौरकरण। ▪ व्यक्तिगत रूप से किसानों को 7.5HP तक की क्षमता वाले सोलराइज पंपों की सहायता दी जाएगी। ▪ योजना के तहत सोलर PV क्षमता को किलोवाट (kW) में पंप क्षमता के दो गुने तक की अनुमति दी गई है। ▪ किसान सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादित ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगा और अतिरिक्त उपलब्ध ऊर्जा को DISCOM को बेचा जाएगा । ▪ यह किसानों को अतिरिक्त आय हेतु स्रोत सृजित करने और राज्यों को अपने RPO लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा। • **CO_2 उत्सर्जन की बचत के संदर्भ में** इस योजना का पर्याप्त पर्यावरणीय प्रभाव होगा।

31.8. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजना	प्रमुख विशेषताएं
बायोमास पावर और सह उत्पादन कार्यक्रम (Scheme For Biomass Based Cogeneration Projects)	• इसका उद्देश्य देश में विद्युत उत्पादन के लिए चीनी मिलों तथा अन्य उद्योगों में बायोमास आधारित सह-उत्पादन (कोजेनरेशन) परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करना है। • यह खोई, कृषि आधारित औद्योगिक अवशेष, फसल अवशेष, ऊर्जा वृक्षारोपण के माध्यम से उत्पादित लकड़ी, औद्योगिक कार्यों में उत्पादित लकड़ी के कचरे,आदि बायोमास सामग्री का उपयोग करने वाली परियोजनाओं हेतु **केंद्रीय वित्तीय सहायता** (CFA) प्रदान करेगा। • **इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।** • योजना के अंतर्गत संयंत्र के वाणिज्यिक उत्पादन एवं प्रदर्शन परीक्षण के सफलतापूर्वक स्थापित एवं संचालित होने के पश्चात 25 लाख रूपये / मेगावाट (बैगास सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए) और 50 लाख रूपये/ मेगावाट (गैर-बैगास सह-उत्पादन परियोजनाओं) की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। • इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, प्रोपराइटरशिप फर्म, सहकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सरकारी स्वामित्व वाली फर्म, उपलब्ध वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। • बायोमास आधारित सह-उत्पादन परियोजनाएँ जो मौजूदा संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करना चाहती है, उन्हें भी CFA के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा।

VISION IAS

32. पंचायती राज मंत्रालय

(Ministry of Panchyati Raj)

32.1. ग्राम स्वराज अभियान

(Gram Swaraj Abhiyan)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, गरीब ग्रामीण परिवारों तक पहुंच स्थापित करना, ज़ारी कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना, नई पहल में नामांकन करना, किसानों की आय दोगुनी करने पर केन्द्रित होना, आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और स्वच्छता जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर बल देना तथा पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।	• यह अभियान "सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास" के नाम से आरम्भ किया गया है। • यह पिछड़े जिलों में सात योजनाओं का एक विशेष केंद्रित हस्तक्षेप है। • **ये सात योजनाएँ हैं:** प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सौभाग्य, उजाला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष।

32.2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

(Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan: RGSA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs)को वितरित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के शासन क्षमताओं का विकास करना	• हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की **केंद्र प्रायोजित योजना** के पुनर्गठन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। • यह **राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान** का संशोधित संस्करण है। • इसका विस्तार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक होगा और इसमें गैर अधिसूचित(non-Part) IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के ऐसे संस्थान भी सम्मिलित होंगे, जहां पंचायतें विद्यमान नही हैं। • इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्व-संधारणीय, वित्तीय रूप से स्थिर और अधिक कुशल बनाना है। • यह पंचायतों की क्षमताओं और प्रभावशीलता तथा शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण को बढ़ावा देकर उन महत्वपूर्ण अंतरालों के समाधान का प्रयास करता है जो पंचायतों की सफलता में बाधक हैं। • ग्राम सभा को पंचायत प्रणाली के अंतर्गत लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए सुदृढ़ बनाना। • RGSA के तहत "आकांक्षी जिले" और मिशन अंत्योदय क्लस्टर के तहत शामिल पंचायतों के लिए प्रमुख भूमिका की परिकल्पना की गयी है। ○ 'मिशन अंत्योदय' के तहत पूलिंग संसाधनों के द्वारा स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सैचुरेशन एप्रोच (saturation approach) को अपनाकर नियोजन के लिए बुनियादी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के साथ सरकार के हस्तक्षेपों का एकीकरण करने का प्रयास किया गया है।

VISION IAS

33. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions)

33.1. इंडक्शन ट्रेनिंग पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल

(Comprehensive Online Modified Modules on Induction Training: COMMIT)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में सुधार करना और नागरिकों से दैनिक संवाद करने वाले अधिकारियों के क्षमता निर्माण के माध्यम से नागरिक केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करना।	• यह राज्य सरकार के नए अधिकारियों के लिए वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किए गए मौजूदा 12-दिवसीय प्रेरण/प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूरक की भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन अधिकारियों में सामान्य और क्षेत्र विशिष्ट दक्षताओं का विकास करना है। • इसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा विकसित किया गया है। • इसे प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ATIs) के **माध्यम से लागू** किया जाएगा।

पोर्टल	विवरण

केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)	• यह वेब प्रोद्योगिकी पर आधारित एक प्लेटफार्म है जिसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित नागरिकों को कहीं भी और कभी भी शिकायतों दर्ज कराने में सक्षम बनाना है।
	• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DAR&PG) इस पोर्टल में शिकायतों के निपटान हेतु नोडल एजेंसी है।
	• इस पोर्टल पर प्रणालीजनित विशिष्ट पंजीकरण संख्या के जरिए शिकायतों की निगरानी करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।
	• **शिकायतें जिन पर निवारण हेतु विचार नहीं किया जाता**
	  ○ न्यायाधीन मामले अथवा ऐसे मामले जो किसी न्यायालय के अधिनिर्णय से संबंधित हों।
	  ○ व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद।
	  ○ सूचना के अधिकार (RTI) से संबंधित मामलें।
	  ○ ऐसी कोई अन्य शिकायत जिससे देश की क्षेत्रीय अखंडता अथवा अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित हों।
	  ○ सुझाव

VISION IAS

34. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(Ministry of Petroleum and Natural Gas)

34.1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

(Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: PMUY)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
8 करोड़ (पहले लक्ष्य 5 करोड़ था) BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन प्रदान करना।	• **गरीबी रेखा से नीचे स्थित कोई भी परिवार** जिसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा तैयार जिला BPL सूची में सम्मिलित हो। • इस योजना का शुभारंभ **'मेक इन इंडिया'** अभियान को भी प्रोत्साहित करेगा क्योंकि सिलेंडरों, गैस स्टोव, रेगुलेटरों और गैस पाइप आदि का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जायेगा। • **असामयिक मौतों** में कमी होगी चूंकि युवाओं और महिलाओं में **तीव्र श्वसन रोगों** (acute respiratory illness) की एक बड़ी संख्या के लिए इनडोर वायु प्रदूषण उत्तरदायी है।	• हाल ही में, सरकार द्वारा लाभार्थियों के लाभ के दायरे का विस्तार किया गया है, अब यह देश के सभी निर्धन परिवारों को कवर करेगा। इसके तहत, नए लाभार्थी के रूप में उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो राशन कार्ड और आधार दोनों धारण करते हों तथा जिनकी पहचान स्व-घोषणा के माध्यम से निर्धन के रूप में हुई है। • **LPG कनेक्शन BPL परिवार की वयस्क महिला के नाम पर** जारी किया जाएगा; बशर्ते घर के किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर कोई LPG कनेक्शन मौजूद न हो। • केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए **1600 रुपये** की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • **उपभोक्ताओं** के पास LPG सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त **गैस स्टोव और रिफिल को EMI** (शून्य ब्याज) पर खरीदने का विकल्प उपलब्ध होगा। प्रारंभिक 6 रिफिल के लिए ऋण की वसूली प्रभावी नहीं होती है।

34.2. प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल)

(Pratyaksh Hanstantrit Labh: PAHAL)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• व्यपवर्तन (diversion) को कम करना और नकली या फर्जी LPG कनेक्शन को समाप्त करना। • उपभोक्ताओं हेतु पात्रता को संरक्षित रखना और सब्सिडी सुनिश्चित करना। • वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए LPG सिलेंडर की उपलब्धता/ वितरण में सुधार करना। • सब्सिडी में स्व-चयन की अनुमति प्रदान करना।	• LPG सिलेंडरों का उपयोग करने वाले उपभोक्ता। • चूँकि सरकार द्वारा लीकेज में कमी की जाएगी जिससे सार्वजनिक धन की बचत होगी। • तेल विपणन कंपनियां, क्योंकि मध्यस्थ समाप्त हो जायेंगे।	• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत यह **विश्व की सबसे बड़ी नकद सब्सिडी** (गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल) है। • LPG उपभोक्ताओं को पूरे देश में घरेलू LPG सिलेंडरों को बाजार निर्धारित मूल्य (सब्सिडी के बिना) पर बेचा जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा पहला सिलेंडर बुक करते ही अतिशीघ्र अग्रिम भुगतान किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके पास बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। • इस प्रकार LPG सिलेंडर पर लागू कुल नकद लाभ CTC (नकद हस्तांतरण अनुपालक) उपभोक्ता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह उपभोक्ता की पात्रता के अनुसार प्रदत्त प्रत्येक सब्सिडी वाले सिलेंडर (निश्चित सीमा तक) के लिए मान्य होगा। • वे LPG उपभोक्ता जो LPG सिलेंडरों के लिए LPG सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, सब्सिडी छोड़ने का विकल्प चुन

		सकते हैं। • **उपभोक्ताओं** के पास सब्सिडी प्राप्त करने के लिए बैंक खाता होना आवश्यक है। यह सुविधा जन धन द्वारा प्रदान की जाती है। लाभ प्राप्त करने के लिए आधार के साथ खाते को जोड़ना भी अनिवार्य है।

34.3. पी.डी.एस. केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBTK) योजना

{Direct Benefit Transfer In PDS Kerosene (DBTK) Scheme}

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• PDS के आबंटन और वितरण में सुधार लाना। • बेहतर सब्सिडी प्रबंधन करना। • सब्सिडी वाले केरोसिन के व्यपवर्तन (diversion) को रोककर सब्सिडी व्यय को कम करना।	9 राज्य सरकारों यथा छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और गुजरात द्वारा पहचाने गए 33 जिलों के **केरोसीन उपभोक्ता।**	• PAHAL के समान उपभोक्ता, खरीद के समय केरोसिन की गैर-सब्सिडी वाली कीमत का भुगतान करेगा। • सब्सिडी की राशि प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। • प्रारंभिक गैर-सब्सिडी वाली खरीद के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी की प्रारंभिक राशि जमा कराई जाएगी। • यह योजना लागू करने वाले राज्यों को पहले दो वर्षों में बची सब्सिडी के 75%, तीसरे वर्ष में बची सब्सिडी के 50% और चौथे वर्ष में बची सब्सिडी के 25% के बराबर **राजकोषीय प्रोत्साहन** प्रदान किया जायेगा। • इसके अतिरिक्त, सभी परिवारों को LPG के दायरे में लाकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को **'केरोसिन मुक्त' बनने के लिए प्रोत्साहित** किया जाता है। • अब तक 5 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली एवं पुदुचेरी तथा **तीन राज्य-** हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पंजाब 'केरोसिन मुक्त' बन गए हैं। **दिल्ली के बाद, चंडीगढ़ केरोसिन मुक्त होने वाला दूसरा शहर था।**

34.4. प्रधान मंत्री LPG पंचायत योजना

(Pradhan Mantri LPG Panchayat Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के क्रियान्वयन हेतु पंचायतों का उपयोग बैकअप प्रदान करने के रूप में किया जाएगा। • उन ग्रामीण क्षेत्रों में LPG कनेक्शन वितरित करना जहाँ घरेलू उद्देश्यों हेतु पारंपरिक ईंधन का उपयोग किया जाता है। • तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों तथा NGOs,आशा कार्यकर्ताओं	• यह ग्रामीण LPG उपयोगकर्ताओं के लिए LPG के सुरक्षित उपयोग, पर्यावरण सम्बन्धी लाभ, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों से सम्बन्धित एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अतिरिक्त इस प्लेटफॉर्म का उपयोग उपभोक्ताओं को नियमित रूप से स्वच्छ ईंधन के रूप में LPG के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। • अगले एक से डेढ वर्ष में देश भर में ऐसी करीब एक लाख LPG पंचायतें आयोजित होंगी। एक पंचायत के अंतर्गत आस-पास के क्षेत्रों के लगभग 100

एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से लोगों में विद्यमान शंकाओं और पारंपरिक भ्रांतियों का निवारण करना।	LPG ग्राहक सम्मिलित होंगे। • इस मंच का उद्देश्य ऐसी चर्चाओं को आरम्भ करना है जिसमे लोग पारंपरिक ईंधन जैसे-गोबर, चारकोल, या लकड़ी की तुलना में स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लाभों के व्यक्तिगत अनुभव एक दूसरे से साझा कर सकें और इसके उपयोग के लिए प्रेरित हों।

34.5. प्रधानमंत्री JI-VAN (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना

(Pradhan Mantri Ji-Van (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awashesh Nivaran) Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

देश में द्वितीय पीढ़ी (2G) की एथेनॉल क्षमता का सृजन करना तथा इस नवीन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना।	• **यह लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का प्रयोग करते हुए एकीकृत जैव-एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करेगी।**
	• 12 वाणिज्यिक पैमाने और 10 प्रदर्शन पैमाने की दूसरी पीढ़ी (2G) की एथेनॉल परियोजनाओं को **दो चरणों में अगले छह वर्षों के दौरान व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण सहायता** प्रदान की जाएगी।
	• यह योजना दूसरी पीढ़ी (2G) के एथेनॉल क्षेत्रक को प्रोत्साहित करने तथा इस क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना और अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने हेतु एक उपयुक्त परिवेश का निर्माण कर इस शिशु उद्योग (nascent industry) का समर्थन करने पर केंद्रित है।
	• MoP&NG के तत्वावधान में तकनीकी संस्था, **सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (CHT)**, इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
	• इस योजना के लाभार्थियों द्वारा उत्पादित **एथेनॉल** की एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत अग्रिम वृद्धि हेतु **तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को अनिवार्य आपूर्ति** की जाएगी।
	  ○ जैविक ईंधनों के दहन के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करने, कृषकों को भुगतान करने, कच्चे तेल आयातों को सब्सिडीकृत करने तथा विदेशी मुद्रा बचतों को प्राप्त करने हेतु पेट्रोल में एथेनॉल को मिश्रित करने के लिए वर्ष 2003 में EBP कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया था।
	  ○ EBP कार्यक्रम के तहत **OMCs पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रित कर सकती हैं।**
	  ○ वर्तमान नीति **शीरा और** पेट्रो-रसायन रूट (route) सहित सेल्यूलोस और लिग्नोसेल्यूलोजिक पदार्थों से उत्पादित एथेनॉल की खरीद को अनुमति प्रदान करती है।

34.6. राष्ट्रीय गैस ग्रिड

(National Gas Grid)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्राकृतिक गैस की पहुंच के संबंध में देश में	• वर्तमान में, लगभग 16,000 किलोमीटर लम्बा गैस पाइपलाइन नेटवर्क परिचालन

VISION IAS

क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और समस्त देश में स्वच्छ और हरित ईंधन उपलब्ध कराना। • गैस स्रोतों को प्रमुख मांग केंद्रों से जोड़ना और विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • CNG और PNG की आपूर्ति के लिए विभिन्न शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विकास।	में है और इसने देश के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण-पूर्वी गैस बाजारों को जोड़कर एक आंशिक गैस ग्रिड का निर्माण किया है। ○ हाल के बजट में इसके 27,000 कि.मी. तक विस्तार की योजना निर्धारित की गयी है। • गैस आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने और ऊर्जा बॉस्केट (एनर्जी बास्केट) में गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6.5% से बढ़ाकर 15% करने हेतु, सरकार द्वारा अतिरिक्त 15,000 कि.मी. गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विकास की परिकल्पना की गई है। • देश के पूर्वी भाग में स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना आरंभ की गई है। • **नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड:** ○ यह **इंद्रधनुश गैस ग्रिड लिमिटेड** की एक परियोजना है जिसमें व्यवहार्यता अंतराल निधि (VGF)/कैपिटल ग्रांट, अनुमानित परियोजना लागत का 60% है। ○ पाइपलाइन की कुल लंबाई 1,656 कि.मी. है और इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में विकसित किया जाएगा। ○ **यह "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030" का एक भाग है।** ○ बरौनी (बिहार) से गुवाहाटी (असम) तक लगभग 750 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन पूर्वोत्तर राज्यों को मौजूदा गैस ग्रिड के साथ जोड़ने के लिए मुख्य द्वार होगी।

34.7. सिटी गैस वितरण नेटवर्क

{City Gas Distribution (CGD) Network}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जैसे गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सम्पूर्ण देश में ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहन।	• यह एक निर्दिष्ट **भौगोलिक क्षेत्र (GA)** में स्थित घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसरों और CNG स्टेशनों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु पाइपलाइनों का परस्पर संबद्ध नेटवर्क है। • CGD नेटवर्क एक भौगोलिक क्षेत्र में ट्रंक गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी या गैस स्रोतों की उपलब्धता तथा प्रौद्योगिक-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विकसित किए जा रहे हैं। • इसने देश के नागरिकों हेतु स्वच्छ भोजन बनाने के ईंधन (अर्थात् PNG) तथा परिवहन ईंधन (अर्थात् CNG) की उपलब्धता में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। • CGD नेटवर्क का विस्तार प्राकृतिक गैस की अबाधित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के द्वारा औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों हेतु भी लाभप्रद होगा।

VISION IAS

34.8. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

स्टार्ट-अप संगम पहल (START-UP SANGAM INITIATIVE)	• इस योजना का उद्देश्य **वैकल्पिक ईंधनों में नवाचार द्वारा ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करना है।** • **इसके अंतर्गत नए बिजनेस मॉडल एवं मार्केटिंग प्लान** विकसित किए जाएंगे तथा 30 स्टार्ट-अप्स के सहयोग से तेल और गैस जैसे महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्रक में नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा/ राष्ट्रीय गैस ग्रिड (PRADHAN MANTRI URJA GANGA/ NATIONAL GAS GRID)	• इसे जगदीशपुर - हल्दिया एवं बोकारो- धामरा पाइपलाइन परियोजना (JHBDPL) के रूप में भी जाना जाता है, इसकी लम्बाई 2,655 किमी है। इस पाइपलाइन परियोजना का उद्देश्य गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ऊर्जा बॉस्केट में गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाना है। • यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पांच राज्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। • पाइपलाइन का मुख्य ट्रंक **हल्दिया (पश्चिम बंगाल) और धामरा (ओडिशा)** तक जाकर समाप्त हो जाता है। • इस परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी GAIL द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
सक्षम (संरक्षण क्षमता महोत्सव)-2018	• यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ **(PCRA) का वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम** है। • एक माह तक चलने वाले **इस अभियान का उद्देश्य इस दौरान नागरिकों को पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण एवं उनके बेहतर उपयोग के प्रति जागरुक बनाने के प्रयासों में सक्रियता लाना है।** • ईंधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही इसका लक्ष्य वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, यातायात प्रवाह (traffic flow) में सुधार करना एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नागरिकों को जागरूक बनाना है।
किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation: SATAT)	• इसका उद्देश्य विकास के प्रयास के रूप में किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प प्रदान करना है। वाहन-उपयोगकर्ता के साथ-साथ किसान और उद्यमी भी इससे लाभान्वित होंगे। • इस महत्वपूर्ण पहल में **अधिक किफायती परिवहन ईंधन की उपलब्धता में वृद्धि करने, कृषि अवशेषों, मवेशियों के गोबर और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के बेहतर उपयोग** के साथ-साथ किसानों को अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्रदान करने की क्षमता विद्यमान है।

VISION IAS

35. विद्युत मंत्रालय

(Ministry of Power)

35.1. उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना)

{UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• उदय का लक्ष्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सुधार एवं उनका पुनरूत्थान करना,
• दीर्घ काल में सभी के लिए सस्ती और सुलभ 24x7 विद्युत आपूर्ति।
	• उदय का लक्ष्य विद्युत् वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सुधार एवं उनका पुनरूत्थान करना और विद्युत् वितरण के समक्ष विद्यमान वित्तीय समस्या का एक टिकाऊ और स्थायी समाधान भी सुनिश्चित करना है।
	• इस योजना का उद्देश्य ब्याज के बोझ को कम करना, बिजली की लागत को कम करना, वितरण क्षेत्र में बिजली के नुकसान को कम करना और डिस्कॉम की परिचालन क्षमता में सुधार करना है।
	• राज्य सरकारों को कुल ऋण के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण करना होता है और वे बॉन्ड बेचकर उधारदाताओं को भुगतान करती हैं तथा शेष 25 प्रतिशत के लिए डिस्कॉम बॉन्ड जारी करती हैं।
	• 2018-19 तक सभी वितरण कंपनियों को लाभदायक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। परिणाम दो संकेतकों के माध्यम से मापे जायेंगे अर्थात 2018-19 तक AT&C हानि में 15% की कमी और 2018-19 तक शून्य के लिए वास्तविक आपूर्ति और औसत राजस्व की औसत लागत के मध्य अन्तराल में कमी।
	• इस लक्ष्य की प्राप्ति चार पहलों के माध्यम से होगी:
	  ○ डिस्कॉम्स की परिचालन क्षमता में सुधार;
	  ○ ऊर्जा लागत में कमी करना;
	  ○ डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कटौती करना;
	  ○ राज्य वित्त के समान डिस्कॉमों में भी वित्तीय अनुशासन लागू किया जाए।
	• डिस्कॉम के 75% ऋण का भुगतान 30 सितम्बर, 2015 से दो वर्षों के लिए किया जाएगा। इसके तहत 2015-16 में डिस्कॉम ऋण का 50% और 2016-17 में 25% का भुगतान किया जाएगा।
	• भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में संबंधित राज्यों के राजकोषीय घाटे (FRBM के लिए) की गणना में उपरोक्त योजना के अनुसार राज्यों द्वारा उठाए गए ऋण शामिल नहीं करेगी। योजना 31-03-2017 से अप्रभावी हो गई है।
	• राज्य, बाजार में या सीधे संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्थानों (जिनका डिस्कॉम पर कर्ज है) को SDL सहित गैर –SLR बॉन्ड जारी करेंगे।
	• डिस्कॉम के जिस ऋण का भुगतान राज्य नहीं करेंगे उसे बैंक / वित्तीय संस्थानों (FIs) द्वारा लोन या बॉन्ड में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
	• पश्चिम बंगाल और ओडिशा केवल दो राज्य हैं जो इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं। ओडिशा पहले शामिल हो गया था किन्तु फिर इस योजना से बाहर निकल गया। समग्र रूप से 27 राज्य इस योजना में शामिल हो चुके हैं।

अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना (Atal Distribution System Improvement Yojana: ADITYA)

• यह उदय योजना की ही एक एक्सटेंशन स्कीम है।

VISION IAS

- इस योजना के अंतर्गत राज्यों को 3 वर्ष के भीतर प्रीपेड स्मार्ट मीटर को अपनाकर डिस्कॉम को व्यवहार्य बनाने हेतु एक रोडमैप को मंजूरी देना होगा और साथ ही डिस्कॉम्स के बकाया का भी भुगतान करना होगा।
- 18% से अधिक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे (AT&C losses) वाले राज्य अवसंरचना विकास हेतु सुधार पैकेज का विकल्प चुन सकते हैं।
- यह योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ राज्यों में विद्युत वितरण से संबंधित हानि बढ़कर 50% तक हो गई है।

35.2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

(Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana: DDUGJY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• वर्ष 2022 तक देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 24×7 निर्बाध बिजली की आपूर्ति। • नई परिभाषा के अनुसार सभी गांवों एवं बस्तियों का विद्युतीकरण। • गरीबी रेखा के नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान करना।	• **DDUGJY वेबसाइट के अनुसार, मार्च, 2019 तक 99.99% जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।** • **DDUGY के घटक:** ○ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग को सुविधाजनक बनाने हेतु **कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को पृथक** करना; ○ ग्रामीण क्षेत्रों में **ट्रांसफार्मर / फीडरों / उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित उप-पारेषण एवं वितरण (ST&D) अवसंरचनाओं** का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्द्धन; ○ **ग्रामीण विद्युतीकरण,** आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) के अनुमोदन के अनुसार RGGVY (राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) को DDUGJY में सम्मिलित करना तथा RGGVY के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना। इसके अतिरिक्त DDUGJY के अंतर्गत RGGVY के लिए अनुमोदित परिव्यय को अग्रेषित करना; • केंद्र सरकार परियोजना लागत का 60% अनुदान के रूप में प्रदान करती है, राज्य बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) धन के 10% की उगाही करती हैं, और 30% वित्तीय संस्थानों और बैंकों से उधार लिया जाता है। • **माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण** नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया जाएगा। • DDUGJY के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन एक नोडल एजेंसी है। • देश के सभी गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में रियल टाइम डेटा प्रदान करने हेतु मंत्रालय ने **GARV-II ऐप** भी लॉन्च किया है।

35.3. राष्ट्रीय एल.ई.डी. कार्यक्रम

(National LED Programme)

इस कार्यक्रम को वर्ष 2005 में, सस्ती दरों पर अत्यधिक कुशल लाइटिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं:

- उन्नत ज्योति बॉय अफ़ोर्डेबल LED फॉर ऑल (UJALA) और
- राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम (Street Lighting National Program: SLNP)

VISION IAS

35.3.1. उजाला

{UJALA (Unnat Jyoti By Affordable LEDs For All)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना। • बिजली के बिल को कम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करना।	• इसका उद्देश्य ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने के लाभ के बारे में **उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना** तथा उच्च प्रारंभिक लागतों को कम करने की मांग में वृद्धि करना, **इस प्रकार आवासीय उपयोगकर्ताओं द्वारा LED लाइट्स के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग को सुविधाजनक बनाना।** • यह योजना LEDs के माध्यम से भारत में 77 करोड़ इन्केन्डेसन्ट बल्बों को प्रतिस्थापित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। • EESL (एनर्जी इफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड) परिवारों को 10 रुपये की सस्ती दर पर LED लाइट्स खरीदने में सक्षम बनाता है। यह योजना शेष राशि का उनके बिजली बिल से आसान किस्तों पर भुगतान करने की व्यवस्था करता है। • **बचत लैंप योजना** (इस योजना ने इन्केन्डेसेन्ट बल्ब की कीमत पर CFL बल्ब प्रदान करने का प्रस्ताव किया) को DELP योजना (घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम - जिसके तहत LED बल्ब प्रदान किए जा रहे हैं) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस योजना को वर्तमान में उजाला नाम से जाना जाता है।

35.3.2. राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम

(Street Lighting National Program: SLNP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसका उद्देश्य मार्च 2020 तक भारत की 14 मिलियन (1.34 करोड़) पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को ऊर्जा दक्ष LEDs से प्रतिस्थापित करना है।	• यह विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। • ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL), नगर पालिकाओं को पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर LED को बिना किसी अग्रिम लागत (अपफ्रंट कॉस्ट) पर उपयोग करने में सक्षम बनाता है। • ऊर्जा बचत का मौद्रीकरण कर नगर पालिकाओं के माध्यम से शेष लागत वसूल की जाती है। • ULB अनुबंध की अवधि सामान्यतः 7 वर्ष होती है, जिसमें न्यूनतम ऊर्जा बचत (आमतौर पर 50%) सुनिश्चित की जाती है। • इसके अतिरिक्त, EESL द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत पर इन लाइट्स का निः शुल्क प्रतिस्थापन एवं रखरखाव किया जाता है।

35.4. प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

{Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (SAUBHAGYA)}

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• 31 मार्च 2019 तक देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण लक्ष्य को प्राप्त करना। • सुदूर और दुर्लभ क्षेत्रों में अविद्युतीकृत आवासों के लिए सोलर	• निम्नलिखित क्षेत्रों में गैर-विद्युतीकृत आवास: ○ ग्रामीण क्षेत्रों, ○ सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों, तथा ○ शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से निर्धन परिवारों के गैर-विद्युतीकृत आवास (गैर-निर्धन	• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी है। • यह योजना लास्ट माइल कनेक्टिविटी और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना करती है। • **वित्त पोषण प्रारूप:** केंद्रीय अनुदान द्वारा 60%, बैंक एवं ऋण द्वारा 30%, और राज्यों द्वारा 10%।

फोटोवोल्टिक (SPV) आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम प्रदान करना।	शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है)। • निजी क्षेत्र की विद्युत् वितरण कंपनियों (DISCOMs) सहित सभी DISCOMs • कुशल मानवशक्ति (Skilled manpower)	• सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के अंतर्गत कम से कम एक वंचित व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से निर्धन परिवारों सहित सभी को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराएगी। यद्यपि अन्य लोगों से, बिल के साथ दस बराबर किस्तों में प्रति परिवार 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। • लाभार्थी परिवारों को पांच LED लाइट, एक DC फैन और एक DC पावर प्लग प्रदान किया जाएगा। इसमें 5 वर्ष के लिए मरम्मत और रखरखाव (R&M) की सुविधा भी शामिल है। • सुदूर और दुर्लभ क्षेत्रों में स्थित अविद्युतीकृत आवासों के लिए सोलर फोटोवोल्टिक (SPV) आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के साथ LED लाइट, फैन, पावर प्लग इत्यादि प्रदान किया जाएगा। • हाल ही में, सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत घरेलू विद्युतीकरण को निर्धारित समय से पूर्व पूर्ण करने वाले **राज्यों के लिए 100 करोड़ रुपये के पुरस्कार** की घोषणा की है। डिस्कॉम के अतिरिक्त, **कर्मचारियों को भी सामूहिक रूप से विद्युतीकरण के कार्य को पूर्ण करने के लिए 50 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।**

35.5. एकीकृत विद्युत विकास योजना (शहरी क्षेत्रों के लिए)

{Integrated Power Development Scheme (For Urban Areas)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय 24x7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना।	• यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आरम्भ की गई है- ○ शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना। ○ शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर / फीडर्स / उपभोक्ता के लिए मीटर लगाना। ○ वितरण क्षेत्र को IT सक्षम बनाना और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना। • सभी DISCOMs (इसमें निजी क्षेत्र के DISCOMs भी सम्मिलित हैं) को **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी। • इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान किया गया अधिकतम अनुदान 75% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90%) है। • इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं केवल शहरी क्षेत्रों (वैधानिक नगरों) के लिए तैयार की जाएंगी। • इस योजना हेतु PFC (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) एक नोडल एजेंसी है।

35.6. सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ़ इफिशन्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्माल इंडस्ट्रीज (साथी)

{Sustainable and Accelerated Adoption of efficient Textile technologies to Help small Industries (SAATHI)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
ऊर्जा एवं लागत बचत द्वारा लघु और मध्यम पॉवरलूम इकाइयों की क्षमता में	• **वस्त्र मंत्रालय एवं विद्युत् मंत्रालय की एक संयुक्त पहल।** • **EESL ऊर्जा सक्षम पॉवरलूम, मोटर तथा रैपियर किट का थोक में** क्रय करेगी तथा

वृद्धि करना।	उन्हें लघु और मध्यम पॉवरलूम इकाइयों को **बिना किसी अग्रिम कीमत** के उपलब्ध कराएगी। • दक्ष उपकरणों का उपयोग इकाई के स्वामी के लिए ऊर्जा और लागत की बचत के रूप में सामने आएगा और यह 4 से 5 वर्षों की अवधि के दौरान EESL को किश्तों के रूप में पुनर्भुगतान किया जायेगा।

35.7. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

ऊर्जा (अर्बन ज्योति अभियान) ऐप URJA (Urban Jyoti Abhiyan) APP	• इस ऐप को विद्युत मंत्रालय की ओर से **पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।** इसको विकसित करने का मुख्य उद्देश्य शहरी विद्युत वितरण क्षेत्र से उपभोक्ताओं को जोड़कर बेहतर संपर्क स्थापित करना है। • यह **सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कस्बों के उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती सूचना, कनेक्शनों का समयोचित निर्गमन, शिकायतों का निवारण, विद्युत विश्वसनीयता आदि से संबंधित महत्वपूर्ण मानदंडों पर सूचना उपलब्ध करवाने** के लिए विकसित किया गया है। • यह पारदर्शी तरीके से उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मापदंडों के आधार पर कस्बों की "रैंकिंग" के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित है।
मेरिट (आय एवं पारदर्शिता के कायाकल्प के लिए बिजली का मेरिट ऑर्डर डिस्पैच) वेब पोर्टल	• इसे विद्युत् मंत्रालय द्वारा पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (POSOCO) तथा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। • यह राज्य/राज्यों द्वारा खरीदी गई विद्युत् के मेरिट ऑर्डर के संदर्भ में सूचनाओं की एक विस्तृत सारणी को प्रदर्शित करता है यथा- सभी विद्युत् जनित्रों की दैनिक राज्यवार सीमांत परिवर्तनीय लागत, स्रोतवार निश्चित और परिवर्तनीय लागतों, ऊर्जा की मात्रा एवं खरीद मूल्यों के साथ संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की दैनिक स्रोतवार विद्युत् खरीदें आदि। • यह राज्यों को अपने विद्युत् खरीद पोर्टफोलियो में सुधार करने का अवसर भी प्रदान करता है।
इको निवास संहिता	• **यह रिहायशी इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण इमारत कोड (ECBC-R) है।** • इसका उद्देश्य ऐसे घरों, अपार्टमेंट और टाउनशिप का डिजाइन तैयार करना और उनके निर्माण को बढ़ावा देना है जिससे उनमें रहने वाले लोगों और पर्यावरण को ऊर्जा की बचत के लाभ प्राप्त हो सके।
नेशनल पावर पोर्टल (NPP)	• यह भारत में विद्युत् उत्पादन, पारेषण और वितरण हेतु GIS सक्षम नेविगेशन और विज़ुअलाइजेशन चार्ट विंडोज के माध्यम से भारतीय विद्युत् क्षेत्र की सूचनाओं के एकत्रीकरण और प्रसारण हेतु एक केंद्रीकृत मंच है। • NPP डैशबोर्ड, सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए पूर्ववर्ती विद्युत् क्षेत्र के ऐप्स यथा तरंग (TARANG), उजाला (UJALA), प्रवाह (PRAVAH), गर्व (GARV), उर्जा (URJA) और मेरिट (MERIT) हेतु एक एकल बिंदु इंटरफ़ेस के रूप में भी कार्य करेगा।

VISION IAS

36. रेल मंत्रालय

(Ministry of Railways)

36.1. किसान रेल योजना

(Kisan Rail Scheme)

उद्देश्य	विशेषताएँ
• दुग्ध, मांस और मछली आदि जैसे शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों (perishable) के लिए **बाधा रहित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला** का निर्माण करना।	• इसे **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) व्यवस्था** के माध्यम से भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। • इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख पहलें शामिल हैं: ○ **प्रशीतित पार्सल वैन (Refrigerator Parcel Van):** अतिशीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के परिवहन हेतु रेफ्रिजरेटर कोच की खरीद कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री से की गई है। एक प्रशीतित पार्सल वैन की क्षमता 17 टन है। ○ **रीफ़र (वेंटिलेटेड इंसुलेटेड) रेल कंटेनर:** देश के विभिन्न भागों में फलों और सब्जियों के परिवहन हेतु इनकी खरीद भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (CONCOR) के माध्यम से की गई है। ○ **शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए शीत श्रृंखला में सुविधाएं:** तापमान नियंत्रित पेरिशेबल कार्गो केंद्रों को गाज़ीपुर घाट (उत्तर प्रदेश), न्यू आज़ादपुर (आदर्श नगर, दिल्ली), राजा का तालाब (उत्तर प्रदेश) लासलगाँव, नासिक (महाराष्ट्र) में निर्मित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ○ एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में भी प्रशीतन डिब्बे जोड़े जाएंगे।

36.2. अवतरण

(Avataran)

उदेश्य	प्रमुख विशेषताएं
सात मिशन मोड गतिविधियों के माध्यम से भारतीय रेल का रूपांतरण।	इसे 2016-17 के बजट में आरम्भ किया गया था तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित मिशन शामिल हैं: • **मिशन 25 टन-** इसका लक्ष्य ढुलाई क्षमता में वृद्धि के द्वारा राजस्व में बढ़ोत्तरी करना है। इसकी प्राप्ति हेतु 2016-17 में 25 टन एक्सल लोड वैगनों (डब्बों) द्वारा 10 से 20% माल (वस्तुओं की) ढुलाई की जाएगी। वित्त वर्ष 2019-20 तक 70% माल ढुलाई परिवहन को उच्च एक्सल लोड वाले वैगनों में स्थानांतरित किया जाएगा। • **मिशन जीरो एक्सीडेंट:** इसमें दो उप-मिशन शामिल होंगे- ○ मानवरहित लेवल क्रासिंग्स को समाप्त करना: इस मिशन के तहत आगामी 3-4 वर्षों में बड़ी लाईन (ब्रॉड गेज) के सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग्स को समाप्त कर दिया जाएगा। ○ TCAS (रेल टक्कररोधी प्रणाली): गाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर की रोकथाम हेतु तथा एवरेज सेक्शनल स्पीड बढ़ाकर थ्रूपुट (throughput) में सुधार हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। • **मिशन PACE (खरीद और खपत में कुशलता):** इस मिशन का लक्ष्य वस्तु एवं सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर कर हमारी खरीद और खपत कार्यप्रणालियों में सुधार करना है। • **मिशन रफ्तार:** इस मिशन के तहत माल गाड़ियों की औसत रफ्तार दोगुनी की जाएगी तथा सुपरफ़ास्ट

	मेल/एक्सप्रेस आदि गाड़ियों की रफ्तार को अगले 5 वर्षों में 25 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाया जाएगा। आगामी पांच वर्षों में लोको चालित पैसेंजर गाड़ियों को DEMU/MEMU द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह रेल प्रणाली की आवागमन क्षमता में वृद्धि हेतु मिशन 25 टन की पूरक होगी। • **मिशन हंड्रेड:** इस मिशन के अंतर्गत रेलवे द्वारा अगले 2 वर्षों में कम से कम 100 साइडिंग्स (रेल की दूसरी छोटी पटरी) को प्रारम्भ किया जायेगा। • **मिशन बियॉन्ड बुक कीपिंग:** इसके अंतर्गत एक लेखाकंन प्रणाली का उपयोग किया जायेगा जहाँ परिणामों से आगतों (inputs) तक पहुंचा जा सकता है। यह भारतीय रेलवे में बदलाव लाएगा क्योंकि सही लेखांकन से उचित लागत निर्धारित होगी और इस प्रकार उचित मूल्य निर्धारण एवं सही परिणाम प्राप्त होंगे। • **मिशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन:** इसका उद्देश्य नवीन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु एक रूपरेखा का निर्माण करना है जिसको दिल्ली-मुंबई तथा दिल्ली-कोलकाता के मध्य दो समर्पित फ्रेट गलियारों के माध्यम से विकसित किया जायेगा। इन गलियारों को 2019 तक चालू कर दिया जाएगा।

36.3. मिशन सत्यनिष्ठा

(Mission Satyanishtha)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता और मूल्य को समझने के लिए प्रशिक्षित करना। • जीवन एवं लोक शासन में नैतिक दुविधाओं से निपटना।	• इस मिशन का उद्देश्य सभी रेलवे कर्मचारियों को नैतिकता का पालन करने और कार्य के दौरान सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता के संदर्भ में **संवेदनशील बनाना है।** • **वर्तमान में इस प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण भारतीय रेलवे में इस विषय पर वार्ताएं एवं व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं।**

36.4. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजनाएँ	प्रमुख विशेषताएं
स्फूर्ति (SFOORTI)	• स्फूर्ति या स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मैशन माल प्रबंधकों हेतु एक ऐप है जो GIS व्यूज और डैशबोर्ड का प्रयोग करते हुए माल ढुलाई व्यवसाय की निगरानी और प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है।
प्रोजेक्ट सक्षम	• इस योजना के तहत प्रत्येक रेलवे जोन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को अगले एक वर्ष में उनके कार्य-क्षेत्र के अनुरूप कौशल एवं ज्ञान अर्जन हेतु साप्ताहिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
प्रोजेक्ट स्वर्ण	• इस योजना को राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की स्थिति में उन्नयन हेतु प्रारंभ किया गया है। • प्रोजेक्ट स्वर्ण का उद्देश्य महत्वपूर्ण रूप से यात्री अनुभवों में सुधार करना है जिसमें 9 आयाम शामिल हैं। इसके अंतर्गत कोच की आन्तरिक साजसज्जा, शौचालय,ऑनबोर्ड सफाई, कर्मचारी व्यवहार, खानपान, लिनेन, समय-पाबंदी, सुरक्षा तथा ऑनबोर्ड मनोरंजन शामिल हैं।
निवारण- शिकायत पोर्टल	• रेलक्लाउड पर आरम्भ किया गया यह पहला आईटी (IT) ऐप है। यह सेवारत तथा पूर्व रेलवे कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु एक प्लेटफार्म है।

विकल्प योजना	• प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को निश्चित सीट/बर्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'अल्टरनेट ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम – विकल्प' की शुरूआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। • इस योजना के अंतर्गत एक ट्रेन की प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को अन्य ट्रेनों में निश्चित सीट/बर्थ का विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है। • इसे सभी **प्रकार की ट्रेनों और क्लास के यात्रियों के लि**ए लागू किया गया है।
राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष	• इसका गठन 2017-18 के बजट में महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 1 लाख करोड़ रुपये की राशि के साथ किया गया है।
समन्वय पोर्टल	• इसे **विभिन्न रेलवे एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ढांचागत विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित राज्य सरकारों के साथ लंबित मुद्दों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए** विकसित किया गया है।
श्रेष्ठ	• रेलवे की भावी तकनीकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु नया R&D संगठन।
इंडियन रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (IREPS)	• यह **ई-टेंडर, ई-ऑक्शन या रिवर्सऑक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से वस्तुओं, विनिर्माण और सेवाओं, सामग्री की बिक्री, और संपत्ति के पट्टे के लिए ऑनलाइन गतिविधियों** हेतु भारतीय रेलवे का आधिकारिक पोर्टल है। • **रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS)** द्वारा इसका विकास और रखरखाव किया जाता है। • यह सबसे बड़ा **G2B पोर्टल है**। • केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इसे **'सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार 2017'** से सम्मानित किया गया। • हाल ही में, इसका **मोबाइल एप्लिकेशन, आपूर्ति लॉन्च** किया गया था।
रेल मदद	• **यात्रियों की शिकायतों का त्वरित निवारण करने के उद्देश्य से** भारतीय रेलवे ने एक नया 'रेल मदद 'ऐप लॉन्च किया है।
रेल सहयोग वेब पोर्टल	• भारतीय रेलवे ने **रेल सहयोग** वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह वेब पोर्टल निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए **CSR (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व)** कोष के जरिए रेलवे स्टेशनों पर एवं इनके निकट सुविधाओं के सृजन में योगदान के लिए एक प्लेटफॉर्म सुलभ कराएगा।
समर्पित माल-भाड़ा गलियारा	• इस परियोजना के अंतर्गत में पूरे देश में **छह माल-भाड़ा गलियारों का निर्माण** शामिल है। • प्रारंभ में, पश्चिमी और पूर्वी ट्रंक मार्गों पर समर्पित रेल माल गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। • शेष चार गलियारे अर्थात उत्तर-दक्षिण (दिल्ली-तमिलनाडु), पूर्व-पश्चिम (पश्चिम बंगाल-महाराष्ट्र), पूर्व-दक्षिण (पश्चिम बंगाल-आंध्र प्रदेश) और दक्षिण-दक्षिण (तमिलनाडु- गोवा) योजना के चरण में हैं। • वर्ष 2006 में, भारत सरकार ने परियोजना को लागू करने हेतु एक समर्पित संस्था, **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (DFCCIL)** की स्थापना की थी। • एक बार परिचालन के पश्चात, पश्चिमी और पूर्वी गलियारे रेलवे की माल-भाड़ा क्षमता को वर्तमान की 1,200 मिलियन टन से बढ़ाकर लगभग 2,300 मिलियन टन तक कर देंगे और **माल-भाड़ा की लागत को कम करने में सहायक होंगे।** • **पश्चिमी गलियारे** का निर्माण प्रमुख रूप से **जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है** और **पूर्वी गलियारे** को **विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप** से वित्त पोषित किया जा रहा है।

VISION IAS

37. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(Ministry of Road Transport and Highways)

37.1. भारतमाला परियोजना

(Bharatmala Pariyojna)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
राजमार्ग क्षेत्रक (हाईवे सेक्टर) हेतु यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों को समाप्त कर सम्पूर्ण देश में माल और यात्री आवागमन क्षमता के बेहतर उपयोग पर केन्द्रित है।	• भारतमाला के चरण-1 में लगभग 24,800 कि.मी. सड़क निर्माण प्रस्तावित है, जिसे 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्षों की अवधि में क्रियान्वयित किया जाएगा। • इसके अतिरिक्त भारतमाला परियोजना चरण-1 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) के तहत 10,000 कि.मी. के शेष सड़क कार्य भी शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 34,800 कि.मी. है। • भारतमाला परियोजना श्रेणी: o आर्थिक गलियारा o शाखापथ (feeder) मार्ग या आन्तरिक गलियारा o राष्ट्रीय गलियारा क्षमता सुधार o सीमा सड़क तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क o बन्दरगाह सम्पर्क तथा तटीय सड़क o हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे o शेष NHDP कार्य • मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास और चोक प्वाइंट के उन्मूलन के माध्यम से मौजूदा गलियारों की दक्षता में सुधार करना • उत्तर-पूर्व में कनेक्टिविटी सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के सहयोग से लाभ प्राप्त करना। • पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों, आर्थिक गतिविधि वाले क्षेत्रों, धार्मिक और पर्यटन रुचि के स्थलों, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार मार्गों आदि कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना। • भारतमाला परियोजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा **लॉजिस्टिक्स इफिशिएन्सी एन्हैन्स्मेंट प्रोग्राम (LEEP)** प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अवसंरचना, प्रक्रियात्मक और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हस्तक्षेपों के माध्यम से वस्तुओं की कंसाइनमेंट लागत, समय, ट्रैकिंग एवं स्थानान्तरणीयता में सुधार करना तथा भारत में माल ढुलाई में वृद्धि करना है। • राजमार्ग परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से NHAI द्वारा एक **राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्द्धन प्रकोष्ठ (National Highways Investment Promotion Cell: NHIPC)** का गठन किया गया है। o इस परियोजना का क्रियान्वयन सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) और राज्य लोक निर्माण विभाग (PWDs) के माध्यम से किया जाएगा। o प्रकोष्ठ, सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश सहभागिता के निर्माण हेतु वैश्विक संस्थागत निवशकों, निर्माण कंपनियों, विकासकर्ताओं तथा निधि प्रबंधकों के साथ सहयोग प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। यह भारतमाला

VISION IAS

	परियोजना के अंतर्गत आवश्यक 5,35,000/- करोड़ रूपए के निवेश हेतु निधि जुटाने में भी सहयोग प्रदान करेगा।

37.2. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

सेतु भारतम	• राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा हेतु सेतुओं (पुलों) का विकास और सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करना। • इस कार्यक्रम के अंतर्गत 20,800 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर 208 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB)/रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण किया जाएगा। • साथ ही लगभग 30,000 करोड़ रुपये की लागत से करीब 1,500 पुराने और जीर्ण-शीर्ण पुलों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित करके/चौड़ा करके या मजबूत करके सुधारा जायेगा।
इन्फ्राकॉन (INFRACON)	• यह इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी फर्मों और प्रमुख कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। • यह सड़क इंजीनियरिंग तथा निर्माण क्षेत्र में काम कर रही कंसल्टेंसी फर्मों तथा परियोजना तैयार करने और पर्यवेक्षण हेतु तैनात किए गए डोमेन विशेषज्ञों एवं प्रमुख कर्मियों के बीच एक प्रकार के सेतु का कार्य करता है।
इनाम प्रो+ INAM PRO +	• प्रारंभिक रूप से INAM-Pro के अंतर्गत केवल सीमेंट विक्रेता एवं खरीदार शामिल थे। हाल ही में, **अन्य निर्माण सामग्री, उपकरणों / मशीनरी तथा सेवाओं को शामिल करने हेतु पोर्टल को INAM-Pro + के रूप में अपग्रेड किया गया है**, जिसमें नए / उपयोग किए गए उत्पादों तथा सेवाओं को खरीदना / किराए पर लेना / लीज शामिल होंगे। • इस वेब पोर्टल को **राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL)** द्वारा डिज़ाइन किया गया है। NHIDCL, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक CPSE है। • यह पोर्टल मूल्य की तुलना, सामग्री की उपलब्धता आदि को सुविधाजनक बनाता है और संभावित खरीददारों के लिए पारदर्शी तरीके से उचित दरों पर निर्माण सामग्री, उपकरण, मशीनरी आदि की खरीद को अत्यधिक सुलभ बनाता है। • हाल ही में, **"INAMPRO"** परियोजना को श्रेणी-I के तहत 'स्वर्ण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुन: अभियांत्रिकी श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए ई-गवर्नेंस में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।
बिडर सूचना प्रबंधन प्रणाली (BIMS)	• **इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अनुबंधों के EPC मोड पर बोली लगाने वालों की प्री - क्वालिफिकेशन प्रक्रिया को** सुव्यवस्थित, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित करना है। • यह पोर्टल बोलीदाताओं के सभी बुनियादी ब्यौरों जैसे सिविल कार्य अनुभव, नकद राशि प्राप्तियां और नेटवर्क, वार्षिक कारोबार आदि के डेटा बेस के रूप में कार्य करता है। • भूमि राशि सिस्टम के माध्यम से सभी लाभार्थियों को सीधे भूमि अधिग्रहण हेतु क्षतिपूर्ति से सम्बंधित भुगतान करने के लिए भूमिराशि पोर्टल एवं पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) का एकीकरण इसके प्रमुख कार्यों में से एक है।
भूमि राशि पोर्टल	• इसमें देश के समग्र राजस्व रिकॉर्डों को एकीकृत किया गया है। • राज्य सरकार द्वारा मसौदा अधिसूचना जमा करने से लेकर RT&H और ई-गजट में प्रकाशन हेतु राज्य मंत्री द्वारा इसकी मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। • भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना प्रक्रिया मे तेजी लाने के लिए भूमि राशि पोर्टल का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है।

VISION IAS

38. ग्रामीण विकास मंत्रालय

(Ministry of Rural Development)

38.1. सांसद आदर्श ग्राम योजना

{Saansad Adarsh Gram Yojana (SAANJHI)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• उन प्रक्रियाओं में तेजी लाना जो चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को बढ़ावा देती हैं। • निम्नलिखित उपायों के माध्यम से जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार- ○ उन्नत बुनियादी सुविधाएँ ○ उच्चतर उत्पादकता ○ संवर्द्धित मानव विकास ○ बेहतर आजीविका के अवसर ○ असमानता में कमी ○ अधिकारों और दावों तक पहुंच ○ व्यापक सामाजिक गतिशीलता ○ समृद्ध सामाजिक पूंजी • स्थानीय स्तर के विकास और प्रभावी स्थानीय शासन के मॉडल को विकसित करना जो निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को सीखने और उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें।	• इसके तहत मार्च 2019 तक तीन आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य है।जिनमें से एक आदर्श ग्राम को वर्ष 2016 तक विकसित किया जाना था। तत्पश्चात, प्रति वर्ष एक का चयन करके वर्ष 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का विकास किया जाना है। • विकास के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई होगी। इसकी आबादी मैदानी क्षेत्रों में 3,000-5,000 और पहाड़ी, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में 1,000-3,000 होगी। • इसके तहत संसद के प्रत्येक सांसद एक ग्राम पंचायत को तत्काल चुनेंगे तथा दो अन्य को कुछ समय पश्चात् चुना जाएगा। • सांसद स्वयं या उनकी पत्नी से संबंधित गांवों का चयन नहीं कर सकते हैं। • लोकसभा सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र से और राज्यसभा सांसद को जहां से वह चुना गया है वहां अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण इलाके से ग्राम पंचायत का चयन करना होता है। • मनोनीत सांसद देश के किसी भी जिले के ग्रामीण इलाके से ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं। • शहरी निर्वाचन क्षेत्रों (जहां ग्राम पंचायत नहीं हैं) के मामले में, सांसद निकट के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत की पहचान करेंगे। • इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम विकास योजना के माध्यम से किया जाएगा जो प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत के लिए तैयार किया जाएगा। • विकास रणनीति का मॉडल आपूर्ति-संचालित न होकर मांग-संचालित होगा। • SAANJHI का लक्ष्य कुछ मूल्यों को बढ़ावा देना है, जैसे कि ○ जन भागीदारी, ○ अंत्योदय, ○ लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, ○ सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा की भावना, ○ स्वच्छता, पर्यावरण हितैषी, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, ○ शांति और सद्भाव, पारस्परिक सहयोग, ○ आत्मनिर्भरता, स्थानीय स्व-शासन , ○ सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही, आदि

38.2. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

(Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• ऐसे योग्य एवं असम्बद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में, **सभी मौसमों हेतु सड़कों की कनेक्टिविटी** उपलब्ध कराना, जिनकी	• प्रारम्भ में PMGSY के लक्ष्य मार्च 2022 तक प्राप्त किए जाने थे, हालांकि वर्धित निधि आवंटन और परिवर्तित निधियन प्रतिरूप के

VISION IAS

जनसंख्या: ○ मैदानी क्षेत्रों में **500 या उससे अधिक** हो। ○ पहाड़ी राज्यों, मरुस्थलीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों में **250 या उससे अधिक** हो। ○ चरम वामपंथ उग्रवाद (LWE) से प्रभावित 9 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किये गए हैं) के ब्लॉक्स हेतु 100 या उससे ऊपर की आबादी के साथ आवासों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त रियायत प्रदान की गई है।	साथ PMGSY-1 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि मार्च 2019 निर्धारित कर दी गई थी। केंद्र और राज्यों के मध्य निधि आवंटन आठ उत्तर-पूर्वी और 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) में 90:10 था तथा इन राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों हेतु यह अनुपात 60:40 था। • इस योजना के वित्तीयन हेतु हाई स्पीड डीजल पर प्रति लीटर 75 पैसे का उपकर (सेस) आरोपित किया गया है। • इस कार्यक्रम के लिए राजस्व गांव की जगह **अधिवास (habitation) को प्राथमिक इकाई बनाया** गया है। • इसका एक घटक उन्नयन (अपग्रेडेशन) भी है जिसका लक्ष्य खेत से बाजार की पूर्ण कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ग्रामीण सड़कों को उन्नत (अपग्रेड) करना है। • PMGSY-II का उद्देश्य सड़क नेटवर्क को जीवंत बनाने के लिए एक मानदंड के आधार पर मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों के उन्नयन को कवर करना है। • PMGSY के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। • PMGSY ग्रामीण सड़कों के निर्माण में "हरित तकनीक" और गैर-परंपरागत सामग्री जैसे अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जिओ-टेक्सटाइल, फ्लाई-ऐश, आयरन और कॉपर स्लैग इत्यादि को व्यापक रूप से प्रोत्साहित कर रही है। • राज्य सरकारों के लिए सीमेंट सुदृढ़ीकरण, चूना स्थिरीकरण, शीत मिश्रण, अपशिष्ट प्लास्टिक, सेल फिल्ड सीमेंट (Cell filled concrete), पैनल्ड सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, फ्लाई ऐश आदि जैसी **नवीन प्रौद्योगिकियों के तहत वार्षिक प्रस्तावों** (सड़क निर्माण से संबंधित) **की कुल लम्बाई के न्यूनतम 15%** प्रस्तावित करना आवश्यक है।

38.3. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

(Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर निर्मित करना	• इसका उद्देश्य देश भर में 300 ग्रामीण विकास समूहों (रूरल ग्रोथ क्लस्टर) का निर्माण करना है, जिसका लक्ष्य: ○ आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं से संबंधित **ग्रामीण-शहरी विभाजन** को समाप्त करना। ○ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का प्रसार। ○ ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना। ○ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी में कमी के साथ स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। • एक 'रुर्बन क्लस्टर', भौगोलिक दृष्टि से समीपवर्ती गांवों का समूह होगा। मैदानी और तटीय क्षेत्रों में इसकी जनसंख्या लगभग 25,000 से 50,000 तथा रेगिस्तान, पहाड़ी

	या जनजातीय क्षेत्रों में यह 5,000 से 15,000 होगी। • राज्य सरकारों द्वारा क्लस्टर का चयन किया जाएगा। • राज्य सरकार क्लस्टर के विकास के लिए प्रासंगिक वर्तमान केंद्रीय क्षेत्र की, केंद्र प्रायोजित और राज्य सरकार की योजनाओं की पहचान करेगी और एक एकीकृत और समयबद्ध तरीके से उनके कार्यान्वयन को अभिसरित (converge) करेगी। • केंद्र सरकार परिणामों को प्राप्त करने में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध वित्त पोषण में कमी की पूर्ति हेतु क्लस्टर को क्रिटिकल गैप फंडिंग (CGF) प्रदान करेगी। • यह योजना क्लस्टर के इष्टतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए 14 अनिवार्य घटकों के साथ कार्य करेगी। इसमें आर्थिक गतिविधियों से सम्बंधित कौशल विकास प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, पूरी तरह से सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य इकाई और अंतर-गांव सड़क संबद्धता शामिल हैं।

38.4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

{Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
MGNREGS के मुख्य उद्देश्य हैं: • मांग के अनुसार **ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को** वित्तीय वर्ष में एक गारंटीशुदा रोजगार के रूप में **कम से कम 100 दिनों का अकुशल मैन्युअल कार्य** उपलब्ध कराना, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक संपत्तियों का निर्माण हो; • गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना; • अग्रसक्रिय रूप से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना; तथा • पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ बनाना।	• प्रमुख लक्ष्य : ○ मजदूरी के माध्यम से रोजगार के अवसरों की गारंटी प्रदान कर **ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक सुभेद्य लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा।** ○ स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य को बढ़ावा देकर रोजगार अवसरों के निर्माण के माध्यम से **ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि।** ○ ग्रामीण क्षेत्रों के **प्राकृतिक संसाधन आधार का कायाकल्प।** ○ **एक स्थायी और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्ति आधार** का निर्माण। ○ अधिकार-आधारित कानूनों की प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, विशेष रूप से, महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) का सशक्तिकरण। ○ विभिन्न गरीबी और आजीविका पहलों के अभिसरण के माध्यम से **विकेन्द्रीकृत, सहभागितापूर्ण आयोजन को सुदृढ़** करना। ○ पंचायती राज संस्थानों को सशक्त कर जमीनी स्तर पर **लोकतंत्र को सुदृढ़ करना।** • ग्राम पंचायत जांच के बाद परिवारों (हाउसहोल्ड) को पंजीकृत करती है और जॉब कार्ड जारी करती है। • मनरेगा के कार्यों का **सामाजिक लेखापरीक्षा** अनिवार्य है। • **कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं** होंगी। • रोजगार 5 किमी के दायरे में प्रदान किया जाएगा और यदि दूरी 5 किमी से अधिक है तो अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। • जब तक कि केंद्र मजदूरी दर को अधिसूचित न करे,राज्य में कृषि मजदूरों को भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अनुसार किया जायेगा। • उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) के लिए मनरेगा मजदूरी सूचकांक के प्रस्ताव का सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। • यदि आवेदन करने या कार्य मांगे जाने के पंद्रह दिनों के अन्दर रोजगार

	प्रदान नहीं किया जाता है, तो **आवेदनकर्ता बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी** होता है। बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। • मजदूरी और निर्माण सामग्री (wage and material ratio) में 60:40 के अनुपात को बनाए रखा जाना चाहिए। कोई ठेकेदार और मशीनरी अनुमन्य नहीं है। • केंद्र सरकार कुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित अकुशल मैनुअल श्रम की 100 प्रतिशत मजदूरी लागत और भौतिक लागत के 75 प्रतिशत का वहन करती है। • सरकार ने विभिन्न राज्यों में अधिसूचित सूखा प्रभावित जिलों में 100 दिनों से अधिक दिनों (150 दिनों तक) के लिए अतिरिक्त रोजगार को मंजूरी दे दी है। • अब इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन के अतिरिक्त, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करना, उद्यमशीलता के लिए श्रमिकों का कुशल विकास और GIS मैपिंग तथा कार्य की ब्लॉक-स्तर निगरानी जैसे कार्यों हेतु युवाओं की नियुक्ति करना है। • GeoMGNREGA मनरेगा के तहत निर्मित संपत्तियों की जियोटैगिंग के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से MoRD का एक अनूठा प्रयास है।

38.5. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

{Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी बेघर गृहस्वामियों तथा कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों वाले परिवारों को एक पक्का घर उपलब्ध कराना। • **तात्कालिक उद्देश्य** 2016-17 से 2018 -19 तक तीन वर्षों में ऐसे **1 करोड़ परिवारों** को कवर करना है जो कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं। • **कुल निर्माण लक्ष्य– वर्ष** 2022 तक PMAY-G चरण- II के तहत 1.95 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। • यह योजना मूल रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS: वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं) और निम्न आय वर्ग (LIG: वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं) वर्गों में लोगों को कवर करने के लिए प्रारंभ की गई थी, किंतु वर्तमान में इसके तहत मध्य आय वर्ग (MIG) को भी कवर किया गया है।	• **लाभार्थियों की पहचान-** सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (SECC) का प्रयोग करते हुए 13 बिंदु अपवर्जन मानदंडों को अपनाया गया है। • **ग्राम सभा की भूमिका-** पूर्व में सहायता प्राप्त लाभान्वितों एवं अन्य कारणों से अयोग्य लोगों की पहचान के लिए सूची ग्राम सभा को दी जाएगी। • **लागत साझाकरण-** यूनिट सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है। • प्रौद्योगिकी का उपयोग- भू-संदर्भित(geo referenced) तस्वीरों की जांच और उन्हें अपलोड एक मोबाइल ऐप द्वारा किया जाएगा। • यह स्थानीय सामग्रियों और घरों के स्थानीय विशिष्टता आधारित डिजाइन का उपयोग करके निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। • **यूनिट सहायता-** मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और IAP जिलों में 1.30 लाख रुपये प्रति यूनिट की सहायता। लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से 7,000 रुपये तक के ऋण का लाभ भी उठा सकते हैं। • **शौचालयों के निर्माण के लिए** स्वच्छ भारत ग्रामीण,

VISIONIAS

	MGNREGS या वित्तपोषण के किसी अन्य स्रोत के अभिसरण के माध्यम से सहायता (12,000 रुपये)। • लाभार्थी, MGNREGS के माध्यम से **90/95 दिवस के अकुशल श्रम के हकदार** हैं। • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **राजगीरों के अखिल भारतीय प्रशिक्षण और प्रमाणन का एक कार्यक्रम शुरू** किया गया है। • कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी समुदाय भागीदारी (सामाजिक लेखा परीक्षा), संसद सदस्य (DISHA समिति), केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तरीय मॉनीटरिंग आदि के माध्यम से की जानी है। • **योजना के प्रशासनिक व्यय में निर्धारित राशि में से 4% से 2% की कटौती की गई है।**

38.6. मिशन अंत्योदय

(Mission Antyodaya)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से समयबद्ध रूप में गरीबी के विभिन्न आयामों को संबोधित करने के लिए, वित्तीय और मानवीय, दोनों तरह के परिवर्तनकारी बदलावों को अवसर प्रदान करना।	• यह वास्तविक ग्रामीण परिवर्तन के लिए मापनीय परिणाम पर आधारित **राज्य की अगुवाई वाला उत्तरदायित्व एवं अभिसरण (एकाउंटेबिलिटी एंड कंवर्जेंस) फ्रेमवर्क है,** जो 5,000 ग्रामीण क्लस्टर अथवा 50 हजार ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले 1 करोड़ परिवारों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए 1,000 दिनों का लक्ष्य निर्धारित करता है।
	• **ग्राम पंचायत (GP)** परिवर्तन की निगरानी और वस्तुनिष्ठ मानदंडों (objective criteria) के आधार पर रैंकिंग के लिए मूल इकाई है।
	• **अभिकल्पित किए गए प्रमुख परिणाम**
	  ○ ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDPs) / क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करके चयनित ग्राम पंचायतों/क्लस्टर्स के लिए सुदृढ़ अवसंरचनात्मक आधार प्रदान करना।
	  ○ GP/क्लस्टर में व्यापक हितधारकों को आकर्षित करने वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक पूंजी में वृद्धि हेतु सहभागितापूर्ण योजना निर्माण।
	  ○ गैर-कृषि क्षेत्र, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का कौशल विकास, मूल्य श्रृंखलाओं (वैल्यू चैन) का विकास और उद्यमों को प्रोत्साहन देने सहित विभिन्न आजीविकाओं के सृजन के माध्यम से आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना।
	  ○ पंचायती राज्य संस्थाओं (PRIs) की क्षमता के विकास, सार्वजनिक प्रकटीकरण, ग्राम पंचायत स्तर के औपचारिक और सामाजिक जवाबदेही उपाय (जैसे सामाजिक लेखापरीक्षा) के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना।
	• **मिशन अंत्योदय के तहत प्रमुख प्रक्रियाएँ**
	  ○ परिवारों का बेसलाइन सर्वेक्षण करना और समय-समय पर प्रगति की निगरानी करना।
	  ○ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु लक्षित कार्यक्रमों/योजनाओं के समेकन को सुनिश्चित करना।

	○ PRIs, सामुदायिक संगठनों, NGOs, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), संस्थानों और विभिन्न विभागों (जैसे ASHA कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि) के क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के मध्य ग्राम पंचायत/क्लस्टर साझेदारी को संस्थागत बनाना। ○ संस्थानों और पेशेवरों के साथ भागीदारी के माध्यम से उद्यमों को बढ़ावा देना। • राज्य सरकारों की साझेदारी के साथ, ग्रामीण विकास विभाग ने भौतिक अवसंरचना, मानव विकास और आर्थिक गतिविधियों के मानकों पर 50,000 ग्राम पंचायतों की रैंकिंग पूरी की है।

38.7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(National Social Assistance Programme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और एकमात्र अर्जक व्यक्ति की मृत्यु से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए।	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा **सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना** (Core of Core scheme) के रूप में प्रशासित किया जा रहा है। साथ ही इसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। वर्तमान में इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: • **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS): IGNOAPS** के लिए पात्रता आयु 60 वर्ष है। 60 वर्ष और 79 वर्ष के बीच के लोगों के लिए पेंशन 200 रुपये है तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए प्रति माह 500 रुपये है। • **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS):** पात्रता आयु 40 वर्ष है और पेंशन 300 रुपये प्रति माह है। 80 वर्ष की उम्र के बाद, लाभार्थी को प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे। • **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS):** पेंशन के लिए पात्रता आयु 18 वर्ष और उससे अधिक तथा विकलांगता का स्तर 80% होना चाहिए। पेंशन की राशि प्रति माह 300 रुपये है और 80 साल की उम्र के बाद लाभार्थी को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। इस पेंशन के लिए बौनापन भी एक योग्य पात्र श्रेणी होगी। • **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS):** परिवार के एकमात्र अर्जक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में प्रभावित परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि सहायता के रूप में दी जाएगी। • परिवार में एक महिला (जो कि एक गृहिणी भी है) को इस उद्देश्य के लिए आय-अर्जक के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। • **अन्नपूर्णा योजना**: प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज (गेहूं या चावल) दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन योग्य वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जो IGNOAPS के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं। **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा राज्य नीति के निदेशक तत्वों की प्राप्ति का प्रयास किया गया है।** विशेष रूप से, भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 निर्धारित करता है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में अपने नागरिकों को लोक सहायता प्रदान करने का उपबन्ध करेगा।

VISION IAS

38.8. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

{Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• गरीब परिवारों की लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी के रोजगार अवसरों तक पहुंच को सक्षम बना कर ग्रामीण गरीबी को कम करना • 2024-25 तक 10-12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूहों में संगठित करना। • सशक्त समुदाय संस्थानों के निर्माण के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सतत सुधार लाना। • ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत प्लेटफॉर्म स्थापित करना जो उन्हें आजीविका में वृद्धि तथा वित्तीय और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। • 7.0 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुँच स्थापित करना जिनमें से 4.5 करोड़ अभी भी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से जोड़े नहीं जा सके हैं।	• **यूनिवर्सल सोशल मोबिलाईज़ेशन-** प्रत्येक चिह्नित गरीब ग्रामीण परिवार में से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाना है। सुभेद्य समुदायों पर विशेष बल दिया जाता है। • **निर्धनों की पहचान के लिये सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण (PIP)** - NRLM द्वारा लक्षित परिवारों (NTH) की पहचान हेतु BPL के बजाय निर्धनों की पहचान के लिये सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण (Participatory Identification of Poor: PIP) अपनाया जाता है। PIP एक समुदाय संचालित प्रक्रिया है जहां CBOs स्वयं सहभागितापूर्ण ढंग से गांव में गरीबों को चिह्नित करते हैं। CBOs द्वारा पहचाने गए गरीबों की सूची का निरीक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। • यह **रिवॉलविंग फंड (RF)** और **सामुदायिक निवेश कोष (CIF)** के माध्यम से संसाधन प्रदान करता है, जिससे उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया जा सके और मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड निर्मित कर सकें। • **वित्तीय समावेशन-** यह गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है तथा SHGs और उनके संघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करता है • **आजीविका-** NRLM कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में गरीबों के मौजूदा आजीविका पोर्टफोलियो को स्थिर करने और प्रोत्साहित करने; बाह्य आजीविका बाजारों के लिए कौशल निर्माण; और स्व-नियोजित एवं उद्यमियों को पोषित करने (सूक्ष्म उद्यमों के लिए) पर ध्यान केंद्रित करता है। • यह **आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (ASDP)** को क्रियान्वित करता है। इस उद्देश्य के लिए NRLM कोष का 25% भाग निर्धारित है। ASDP ग्रामीण युवाओं के कौशल और अर्थव्यवस्था के बढ़ते क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च वेतन रोजगार में नियुक्ति की सुविधा प्रदान करता है। • NRLM, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को **ग्रामीण विकास स्व-रोजगार संस्थान (RUDSETI) मॉडल** के आधार पर देश के सभी जिलों में **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)** स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। • NRLM, **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) के माध्यम से** सफल, लघु-स्तरीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाती है। MKSP का लक्ष्य निर्धन तथा निर्धनतम के लिए घरेलू भोजन और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। • **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना** को NRLM के उप-समुच्चय (सब-सेट) के रूप में डिजाइन किया गया है। इससे **'अवधारणा का प्रमाण' (प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट)** बनाया जा सकेगा, केंद्र और राज्यों की क्षमताओं का निर्माण किया जा सकेगा तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को NRLM में स्थानांतरित (transit) करने हेतु एक सक्षम वातावरण बनाया जा सकेगा। NRLM को देश में लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों के लिए 13 उच्च निर्धनता वाले राज्यों में लागू किया जाएगा। • आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सुविधा को बढ़ावा देने तथा डिजिटल वित एवं आजीविका से संबंधित हस्तक्षेपों को प्रोत्साहित करने हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना अर्थात् **"राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (NRETP)"** को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

38.9. जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति

{District Development Coordination And Monitoring Committee (DISHA)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• जिलों के कुशल और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य विधान मंडलों और स्थानीय शासन (पंचायती राज संस्थानों / नगर निकायों) के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।	• DISHA का अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित, जिले से निर्वाचित **संसद सदस्य (लोकसभा)** होना चाहिए। • जहां जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले एक से अधिक सांसद (लोकसभा) हैं, वहां वरिष्ठ सदस्य (लोकसभा) को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। • जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सांसदों (लोकसभा) को सह-अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। • ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यसभा के एक सांसद, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और उस जिले की जिला स्तरीय समिति (पहले आओ पहले पाओ) के साथ सम्बद्ध होने का विकल्प चुनता है, को सह-अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। • इस समिति के पास समन्वय और निगरानी की शक्तियां होंगी। इसकी भूमिका अनुमोदित परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने की है। साथ ही इसके पास विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों के प्रभावी रूप से अनुपालन (follow-up) की शक्तियां भी होंगी। • जिलाधिकारी इसका सदस्य सचिव होगा तथा अनुशंसाओं पर समयबद्ध रूप से आगे की कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगा। • वरिष्ठता क्रम में **DISHA, जिला सतर्कता और निगरानी समिति से ऊपर** है। • DISHA के अंतर्गत भारत सरकार की सभी गैर-सांविधिक योजनाओं को शामिल किया जाएगा जिनका प्रशासन सामान्य रूप से किया जाता है। हालाँकि, किसी विधान के तहत विशेष रूप से आवंटित योजनाओं के कार्यों को निगरानी के लिए किसी अन्य समिति को नहीं सौंपा जा सकता है।
दिशा डैशबोर्ड	• इसका विकास डेटा आधारित निर्णयन को सुगम बनाने के लिए किया गया है। • डैशबोर्ड के तहत उन सभी 42 केंद्रीय योजनाओं को समेकित किया जायेगा जिनकी निगरानी पहले से ही DISHA या जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों द्वारा की जा रही हैं। • वर्तमान में, यह उपकरण विधायकों और सरकारी अधिकारियों के लिए उपलब्ध है। शीघ्र ही इसे जनता के लिए भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। • इसके द्वारा भौगोलिक विसंगतियों का समाधान करते हुए रियल टाइम में शासन की निगरानी करना सरल हो जाएगा।

38.10. DAY- NRLM के अंतर्गत अन्य योजनाएँ

(Other Schemes under DAY- NRLM)

38.10.1. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

(Aajeevika Grameen Express Yojana: AGEY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राज्यों द्वारा चिह्नित किये गए पिछड़े ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को संचालित करने की सुविधा देकर DAY-NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों	• कार्यक्रम के तहत, DAY-NRLM योजना के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) को प्रदान किए गए सामुदायिक निवेश कोष (CIF) का उपयोग SHG के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को संचालित करने के लिए किया जाएगा।

को आजीविका का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना। • DAY-NRLM के ढांचे के भीतर उपलब्ध साधनों का उपयोग करके प्रमुख सेवाओं और सुविधाओं के साथ दूरस्थ गांवों को जोड़ने के लिए सुरक्षित, किफायती और सामुदायिक निगरानी युक्त ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करना।	• यह कार्यान्वयन के लिए दो विकल्प प्रदान करता है। **विकल्प I:** • CBOs द्वारा वाहन को CIF कॉर्पस (CIF corpus) से वित्त पोषित किया जाएगा। CBO वाहन को खरीदेंगे और उसका स्वामित्व उनके पास ही होगा तथा SHG सदस्य को यह पट्टे पर दिया जायेगा। • लाभार्थी SHG सदस्य वाहन को चयनित मार्ग पर संचालित करेगा और CBO को पट्टे का मासिक किराया देगा। • पट्टा किराये के माध्यम से वाहन लागत के पूर्ण भुगतान के बाद वाहन के स्वामित्व के विषय में निर्णय CBO द्वारा लिया जाएगा। **विकल्प II:** • CBO वाहन की खरीद के लिए SHG सदस्य को अपने CIF कॉर्पस से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। • SHG सदस्य अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में ऋण का भुगतान करेगा और वाहन के संचालन से जुड़े सभी खर्चों का वहन करेगा, जिसमें बीमा की वार्षिक लागत, सड़क कर, परमिट लागत, रख-रखाव लागत और वाहन की अन्य सभी लागतें शामिल हैं (जैसे, ईंधन, तेल, आदि)। • ऋण चुकाने के पश्चात् ,वाहन का स्वामित्व SHG सदस्य को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

38.10.2. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

(Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• **कौशल अंतराल** को भरना। यह अंतराल भारत के ग्रामीण गरीबों को आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है, उदाहरणार्थ: औपचारिक शिक्षा और विपणन योग्य कौशल का अभाव।	• ग्रामीण युवा: 15 - 35 वर्ष • SC/ST/महिला/PCTG/PWD: 45 वर्ष तक	• **प्लेसमेंट से सम्बद्ध कौशल निर्माणकारी परियोजनाओं (placement linked skilling projects) के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान करता है। • ग्रामीण गरीबों को **मांग आधारित** निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण • **सामाजिक रूप से वंचित समूहों का अनिवार्य कवरेज** (SC/ST 50%; अल्पसंख्यक 15%; महिला 33%) • **नौकरी में बने रहने (job retention), करियर प्रगति और विदेशी नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान** करना। • कम से कम 75% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए **प्लेसमेंट की गारंटी** • **प्लेसमेंट के बाद समर्थन**, प्रव्रजन (माइग्रेशन) में समर्थन और एलुमिनाई नेटवर्क • नए प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को पोषित करना और उनके कौशल को विकसित करना • जम्मू-कश्मीर (हिमायत), उत्तर-पूर्व क्षेत्र और 27 वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित

VISION IAS

		जिलों (रोशनी) में गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक बल देना • **स्वतंत्र तृतीय पक्षीय मूल्यांकन और प्रमाणन को अनिवार्य** करता है। • **3-स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल:** ○ MoRD में DDU-GKY नेशनल यूनिट नीति निर्माण, तकनीकी सहायता और सुविधा प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ○ DDU-GKY राज्य मिशन कार्यान्वयन समर्थन प्रदान करते हैं; तथा ○ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (PIAs), कौशल निर्माणकारी (स्किलिंग) और प्लेसमेंट परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करती हैं।

38.11. नीरंचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट

(Neeranchal National Watershed Project)

उद्देश्य	प्रमुख बिंदु
• PMKSY के वाटरशेड घटक को तकनीकी सहायता प्रदान करने और मजबूती प्रदान करने के लिए। • हर खेत तक सिंचाई की पहुँच (हर खेत को पानी) और • जल का कुशल उपयोग (प्रति बूंद अधिक फसल)	• विश्व बैंक से सहायता प्राप्त • **परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA): भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय** **नीरांचल को मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याओं के समाधान हेतु निर्मित किया गया है:** • भारत में वाटरशेड और वर्षा आधारित कृषि प्रबंधन प्रथाओं में संस्थागत परिवर्तन करने हेतु। • ऐसे सिस्टम का निर्माण करने के लिए जो वाटरशेड प्रोग्राम और रेनफेड सिंचाई प्रबंधन प्रथाओं के केन्द्रित उद्देश्य, बेहतर समंवय, मात्रात्मक परिणाम को सुनिश्चित करते हों। • उन्नत जल-संभर और कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में प्रबंधन के तौर-तरीकों को बनाए रखने की रणनीतियां तैयार करने में सहायता करने तथा परियोजना को मिलने वाली सहायता को वापस लेने के बावजूद इस तरह की रणनीतियों के निर्माण हेतु। • वाटरशेड प्लस एप्रोच के माध्यम से, समन्वय और जनभागीदारी के मंच पर अनुसंधान लिंकेज के द्वारा निष्पक्षता, आजीविका और आय में सुधार हेतु।

39. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(Ministry of Science and Technology)

39.1. विज्ञान ज्योति

(Vigyan Jyoti)

उद्देश्य	विशेषताएं
• विज्ञान को अपनाने हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करना और उच्च शिक्षा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) जैसे विषयों को अपनाने हेतु हाई स्कूल में मेधावी बालिकाओं के लिए समान अवसर प्रदान करना।	• 500 से अधिक जिलों की चयनित महिलाओं को IIT, NIT और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के अन्य प्रमुख संस्थानों में विज्ञान शिविरों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे जहाँ महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। • विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) की शिक्षा में लैंगिक समानता का आकलन करने के लिए एक व्यापक चार्टर तथा एक रूपरेखा विकसित करने हेतु **जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI)** की स्थापना। • महिलाओं को सभी महिला-विशिष्ट सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, फ़ेलोशिप व करियर काउंसलिंग से संबंधित ई-संसाधन उपलब्ध कराने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी संसाधनों के लिए एक **ऑनलाइन पोर्टल** की शुरुआत करना।

39.2. स्वस्थ्य पुन: उपयोग सयंत्र के लिए शहरी सीवेज स्ट्रीम का स्थानीय उपचार

{Local Treatment of Urban Sewage for Healthy Reuseplant (Lotus-HR) Program}

उद्देश्य	विशेषताएँ

• यह समग्र अपशिष्ट जल प्रबंधन के एक नवीन दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो स्वच्छ जल का उत्पादन करेगा तथा जिसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए पुन: उपयोग किया जा सकता है।
• इसके साथ ही, शहरी अपशिष्ट जल से पोषक तत्व और ऊर्जा प्राप्त करना और इस प्रकार इस अपशिष्ट जल (drain) के लाभप्रद उपयोग को बढ़ावा देना।
	• हाल ही में, **स्वस्थ्य पुन: उपयोग सयंत्र के लिए शहरी सीवेज स्ट्रीम का स्थानीय उपचार (LOTUS-HR) के द्वितीय चरण** का शुभारंभ किया गया।
	• इस परियोजना को **वर्ष 2017** में प्रारंभ किया गया था और यह **जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार) तथा नीदरलैंड सरकार** द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित है।
	• नवाचारी पायलट स्केल मॉड्यूलर प्लांट प्रतिदिन 10,000 लीटर सीवेज जल का उपचार करेगा और इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर मेगासिटी हेतु उपयुक्त सार्वभौमिक जल प्रबंधन तथा जोखिम मूल्यांकन रणनीतियों को विकसित करना है।
	• LOTUS-HR परियोजना के द्वितीय चरण का क्रियान्वन बारापुल्ला नाला (नई दिल्ली) से किया गया तथा इस परियोजना में IIT-दिल्ली, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) भी भागीदार हैं।
	• इसके प्रथम चरण में बारापुल्ला नाले की सफाई के लिए वाइटल अर्बन फिल्टर (VUFs) की जटिल, मजबूत और प्रकृति-आधारित तकनीक का उपयोग किया गया।
	  ○ VUFs, परंपरागत लंबवत प्रवाह द्वारा निर्मित आर्द्रभूमि (vertical flow constructed wetland) के सिद्धांत पर आधारित हैं, जो सामान्यतया विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन में उपयोग किए जाते हैं।
	  ○ फिल्टर में सजावटी पौधों के साथ संलग्न हाइड्रोपोनिक फिल्टर सामग्री वाला एक सपाट तल होता है।

VISION IAS

	○ फिल्टर सामग्री अत्यधिक छिद्रित होती हैं, जो बायोमास के लिए अधिक सतही क्षेत्र प्रदान करती है। ज्ञातव्य है कि जैसे ही फिल्टर के माध्यम से अपशिष्ट जल प्रवाहित होता है, तो भारी धातुओं, रोगजनकों और सूक्ष्म प्रदूषकों को फिल्टर में स्थित पौधों, फिल्टर सामग्री तथा जीवाणुओं के साथ होने वाली अंतक्रिया के माध्यम से इन्हें हटा दिया जाता है।

39.3. उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गहन अनुसंधान

(Intensification of Research In High Priority Areas: IRHPA)

उद्देश्य	विशेषताएँ
• IRHPA कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उन प्रस्तावों का समर्थन करता है, जहां बहुविषयक/बहुसंस्थागत विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के क्षेत्र में भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी।	• **विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB),** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का एक स्वायत्त संस्थान है। यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव प्राप्त करता है। • इस योजना के माध्यम से चिन्हित उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लागू करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकताओं का समर्थन किया जाएगा। • हाल ही में, COVID-19 और संबंधित श्वसन तंत्र संबंधी विषाणु जनित संक्रमणों के लिए नए एंटीवायरल, टीके और वहनीय निदान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रयासों को गति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। • परियोजना की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष (COVID-19 के लिए 3 वर्ष) है। • इस परियोजना की स्थापना एक **प्रधान अन्वेषक (PI) के नेतृत्व में स्थापित अनुसंधान समूहों** के रूप में की गई है, जो विभिन्न विभागों / संस्थानों से पूरक विशेषज्ञता के कम से कम दो सह-अन्वेषकों के साथ कार्यक्रम को वास्तव में अंतर्विषयक और बहु-संस्थागत के रूप में रूपांतरित करने के लिए कार्य करेंगे। • विश्वविद्यालयों, उनके संबद्ध कॉलेजों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (IISERs), भारतीय विज्ञान संस्थान (IIS) तथा अन्य स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक एवं साथ ही भारत में औद्योगिक अनुसंधान व विकास क्षेत्र में संलग्न वैज्ञानिक इस योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

39.4. उम्मीद (वंशानुगत विकारों के उपचार एवं प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियां) पहल

{Unique Methods Of Management And Treatment Of Inherited Disorders (UMMID) Initiative}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• सरकारी अस्पतालों में परामर्श, प्रसव-पूर्व परीक्षण और निदान, प्रबंधन तथा बहु-विषयक देखभाल प्रदान करने के लिए **'राष्ट्रीय वंशानुगत रोग प्रबंधन केंद्र (निदान)'** (National Inherited Diseases Administration: NIDAN) स्थापित करना; • **मानव आनुवंशिकी के क्षेत्र में कुशल चिकित्सकों को तैयार करना;**	• यह पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के **जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)** द्वारा समर्थित है। • यह पहल **"परहेज, इलाज से बेहतर है"** (Prevention is better than Cure) की अवधारणा पर आधारित है। • इसके प्रथम चरण में (इस पहल के एक भाग के रूप में)

VISION IAS

• **आकांक्षी जिलों** के अस्पतालों में **गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं में** जन्मजात आनुवंशिक रोगों की जांच करना।	नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पांच नैदानिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। • यह कार्यक्रम सरकारी अस्पतालों में कार्यान्वित किया जा रहा है, इसलिए अनुवांशिक विकारों के लिए महंगा इलाज कराने में असमर्थ लोगों को इससे लाभ होगा।

39.5. नेशनल बायोफार्मा मिशन

(National Biopharma Mission)

उद्देश्य	योजना का फोकस	प्रमुख विशेषताएं
• बायो-फार्मास्यूटिकल्स में भारत की तकनीकी और उत्पाद विकास क्षमताओं को एक स्तर तक तैयार करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम और पोषित करना जो अगले एक दशक में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होगा तथा सस्ते उत्पाद विकास के माध्यम से भारत की आबादी के स्वास्थ्य मानदंडों को रूपांतरित करेगा। • इस क्षेत्रक में उद्यमिता और **स्वदेशी विनिर्माण** को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षमकारी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना। • **अन्य उद्देश्य** - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा प्रबंधन क्षमताओं का निर्माण एवं विकास करना, मानव पूंजी का निर्माण तथा उत्पाद खोज सत्यापन और विनिर्माण करना, दोनों के लिए साझा आधारभूत संरचना सुविधाएँ स्थापित करना।	• रोगों के बढ़ते बोझ को दूर करने के लिए नए टीकों, जैव-चिकित्सा शास्त्र, नैदानिकी और चिकित्सा उपकरणों को विकसित करना। • **उत्कृष्टता (अकादमिक) के** अलग-अलग केंद्रों को एक साथ लाने, **क्षेत्रीय क्षमताओं को बढ़ाने तथा क्षमता निर्माण के साथ-साथ संख्या और गुणवत्ता के संदर्भ में वर्तमान बायो-क्लस्टर नेटवर्क** को सुदृढ बनाना। • प्रारंभिक फोकस HPV, डेंगू के वैक्सीन तथा कैंसर, मधुमेह तथा रूमेटोइड गठिया के लिए बायोसिमिलर्स (biosimilars) और चिकित्सा उपकरणों तथा निदान प्रक्रियाओं का विकास करना। • यह मिशन **उत्पाद सत्यापन** के लिए प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकियों का विकास करेगा, **क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क** को सुदृढ करने के लिए संस्थाओं को जोड़ेगा, नवाचारी उत्पादों के लिए **जोखिम में कमी करेगा** और उभरते क्षेत्रों, जैसे- **ट्रांसलेशन बायो-इन्फार्मेटिक्स, बायो एथिक्स** आदि में क्षमता निर्माण करेगा।	• NBM **बायो-टेक्नोलॉजी विभाग** द्वारा प्रारम्भ किया गया एक उद्योग-अकादमिक सहयोगी मिशन है। • इस मिशन को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत के साथ पांच वर्ष के लिए मंजूरी दी गई है। इसकी कुल लागत का 50% वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। • इस मिशन को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम BIRAC (बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिसटेंट काउंसिल) द्वारा कार्यान्वयित किया जाएगा। • इस क्षेत्र के अंतर्गत उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए **विश्व बैंक** द्वारा सहायता प्राप्त **इनोवेट इन इंडिया (i3)** कार्यक्रम सम्मिलित होगा। • निजी क्षेत्र, सरकार और अकादमिक क्षेत्र (Academia) को एक साथ चिकित्सा नवाचार के ट्रिपल हेलिक्स के रूप में जाना जाता है। यह बायोफार्मा के विकास को बढ़ा सकता है जिस पर बल दिया जाना अति-आवश्यक है।

39.6. बायोटेक-किसान (कृषि अभिनव विज्ञान एपलिकेशन नेटवर्क)

{Biotech-KISAN (Krishi Innovation Science Application Network)}

उद्देश्य	योजना के घटक	प्रमुख विशेषताएं
• सर्वप्रथम स्थानीय किसानों की जल, मृदा, बीज और विपणन से संबंधित समस्याओं को समझने तथा उन समस्याओं का समाधान प्रदान करके **उपलब्ध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को खेतों से**	यह कार्यक्रम तीन घटकों को समर्थन प्रदान करेगा: • **हब: 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक चैंपियन के नेतृत्व में** बायोटेक-KISAN हब स्थापित किया जाएगा। यह **चैम्पियन एक सुविधा**	• समस्या को समझने और समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिक, किसानों के साथ **समन्वित रूप से कार्य** करेंगे। • **महिला KISAN बायोटेक-** महिला किसानों के लिए कृषि प्रथाओं में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए फ़ेलोशिप।

VISIONIAS

जोड़ना। • **वैज्ञानिकों और किसानों** के निकट संयोजन के साथ मिलकर कार्य करना जोकि छोटे और सीमांत किसानों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने का एकमात्र तरीका है। • **वैज्ञानिक हस्तक्षेप के माध्यम से** बेहतर कृषि उत्पादकता के लिए **लघु और सीमांत किसानों विशेष रूप से महिला किसानों** के साथ कार्य करना तथा **भारतीय संदर्भ में सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों** का विकास करना।	**प्रदाता के रूप में** कार्य करेगा। **इस क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक संस्थानों/कृषि विज्ञान केंद्रों** (KVKs)/अन्य किसान संगठनों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया जाएगा और अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विकसित किए जाएंगे। बायोटेक-KISAN हब में एक टिंकरिंग प्रयोगशाला (tinkering laboratory) होगी। • **अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण:** किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में DBT द्वारा लघु अवधि प्रशिक्षण (STT) कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। • **साझेदारी संस्थान:** वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की प्रयोगशालाओं में किसानों के लिए और कृषि क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। • **अनुसंधान परियोजनाएं:** अतिरिक्त वित्त पोषण हेतु।	• यह योजना छोटे उद्यमों के विकास में भी महिला किसानों का समर्थन करेगी। • यह वैज्ञानिकों और संस्थानों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए **हब्स एंड स्पोक्स मॉडल** का उपयोग करेगी। • **हब** (प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए 60 लाख रूपये प्रति वर्ष और अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए समीक्षा के आधार पर) **और साझेदारी संस्थानों** को (5 लाख रूपये प्रति वर्ष) **वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।**

39.7. मवेशी जीनोमिक्स योजना

(Cattle Genomics Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रदर्शन रिकॉर्ड के साथ DNA स्तर की जानकारी का उपयोग करके पशुओं के **प्रजनन मूल्यों का सटीक अनुमान** लगाने तथा प्रारंभिक आयु में पशुओं (विशिष्ट पशु) के **आनुवांशिक मूल्य की पहचान** करना। • भारत की सभी पंजीकृत पशु नस्लों से **स्वदेशी मवेशी नस्लों का जीनोम अनुक्रमण** (Genome sequencing)। • पशुधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पहचान करने और पशु खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग से लाभ प्राप्त करना।	• उच्च परिणाम, रोग प्रतिरोधी, लचीले पशुधन के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ पशुधन का जीनोमिक चयन करना। • **उच्च-उत्पादकता वाले DNA चिप** का विकास। यह भविष्य में प्रजनन कार्यक्रम की लागत और समय के अंतराल को कम करेगा तथा स्वदेशी पशुओं में (मवेशी की) उत्पादकता को बढ़ाएगा। • **राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान** इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

39.8. इंस्पायर योजना (इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च)

{INSPIRE SCHEME (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• युवा छात्रों को विज्ञान का अध्ययन करने और शोध क्षेत्र में करियर बनाने हेतु आकर्षित करना। • रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और बच्चों के मध्य नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना।	**INSPIRE के तीन घटक हैं:** • **प्रतिभाओं के प्रारंभिक आकर्षण की योजना (Scheme For Early Attraction Of Talent: SEATS)**: SEATS का लक्ष्य 5 हज़ार रुपये का इंस्पायर पुरस्कार प्रदान करने के माध्यम से 10-15 वर्ष की आयु वर्ग के 10 लाख प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान के अध्ययन की ओर आकर्षित करना है, ताकि वे नवाचारों के आनंद का अनुभव कर सकें।

• अनुसंधान एवं विकास की नींव और उसके आधार को सुदृढ बनाए रखने के लिए प्रतिभाशाली युवा मानव संसाधन को आकर्षित करना, संलग्न करना, बनाए रखना तथा उन्हें विकसित करना।	इंस्पायर इंटर्नशिप के माध्यम से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 50,000 विद्यार्थियों को विज्ञान क्षेत्र के वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं से संपर्क के उद्देश्य से 100 से अधिक स्थानों पर वार्षिक ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन शिविर आयोजित किये जाएंगे। • **उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (Scholarship for higher education: SHE):** SHE के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा के लिए, 17-22 वर्ष की आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं हेतु प्रत्येक वर्ष 0.80 लाख रुपये/वर्ष की 10,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इस योजना की मुख्य विशेषता प्रत्येक विद्यार्थी को प्रदान किया गया मेंटरशिप सपोर्ट (शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का व्यक्तिगत स्तर पर मार्गदर्शन) है। • **अनुसंधान में करियर बनाने के लिए निश्चित अवसर (Assured Opportunity For Research Careers: AORC)**: AORC के दो उप-घटक हैं। पहला घटक अर्थात **इंस्पायर फैलोशिप** (22-27 वर्ष का आयु समूह) प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग और चिकित्सा सहित बेसिक एवं एप्लाइड साइंस दोनों में शोध (डॉक्टरेट डिग्री) के लिए 1,000 फैलोशिप प्रदान करता है। दूसरा घटक, अर्थात **इंस्पायर फैकल्टी स्कीम,** प्रत्येक वर्ष बेसिक और एप्लाइड साइंस दोनों क्षेत्रों के 27-32 वर्ष के आयु वर्ग के 1,000 पोस्ट-डॉक्टरेट शोधकर्ताओं हेतु 5 वर्ष के लिए संविदात्मक और टेन्योर ट्रैक पदों के माध्यम से निश्चित अवसर प्रदान करता है। • यह **किसी भी स्तर पर प्रतिभा की पहचान के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने में विश्वास नहीं** करता है। यह प्रतिभा की पहचान के लिए मौजूदा शैक्षणिक संरचना की प्रभावकारिता पर विश्वास करता है और उसी पर निर्भर रहता है।

39.9. इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम्स प्रोग्राम

(Integrated Cyber Physical Systems Program)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• शैक्षणिक गतिविधियों में अंतर्विषयक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। • विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और उद्योगों के मध्य अधिक तालमेल को बढ़ावा देना।	• इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान के व्यापक विषयगत क्षेत्र निम्नलिखित हैं: ○ इंटरडिसीप्लीनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स रिसर्च (ICPSR) ○ डेटा साइंस रिसर्च (DSR) ○ इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स रिसर्च (IOTR) ○ साइबर सिक्योरिटी रिसर्च (CSR) ○ इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस (IHDS) ○ एपिडेमिक साइंस डेटा एंड एनालिटिक्स (EDA) • जल, स्वास्थ्य, कृषि, अवसंरचना, परिवहन तथा भौतिक प्रणालियों की सुरक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए तंत्र विकसित किए जाएंगे। • साइबर फिजिकल सिस्टम (CPS) एक अंतर्विषयक क्षेत्र है। यह भौतिक विश्व में कार्य निष्पादन के लिए कंप्यूटर-आधारित सिस्टम के अनुप्रयोग से संबंधित है। उदाहरणार्थ - स्व-चालित कार, स्वायत्त चालक रहित वाहन (AUVs) और एयरक्राफ्ट नैविगेशन सिस्टम। • IIT और विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता के केंद्र विकसित किए जाएंगे। • इस कार्यक्रम के तहत **"क्वांटम इनफार्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी" (QuST),** क्वांटम प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु एक मिशन मोड योजना है।

VISION IAS

39.10. बहुविषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन

{National Mission On Interdisciplinary Cyber-Physical Systems(CPS)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

CPS और इससे संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग आधारित विकास, मानव संसाधन विकास और कौशल वृद्धि, उद्यमिता एवं स्टार्ट-अप विकास की समस्या का समाधान करना।	• इस मिशन का लक्ष्य 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH), छह एप्लीकेशन इनोवेशन हब (AIH) और चार टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क (TTRP) की स्थापना करना है।
	• ये हब और TTRP समस्याओं के समाधान विकसित करने हेतु देश भर में प्रतिष्ठित शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास और अन्य संगठनों के तहत एक हब तथा स्पोक मॉडल के रूप में शिक्षाविदों, उद्योग, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार से संबद्ध होंगे।
	• **इस मिशन का कार्यान्वयन निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करेगा:**
	  ○ देश में ही साइबर-फिजिकल प्रणालियों (CPS) और संबंधित प्रौद्योगिकी तक पहुंच;
	  ○ भारत से संबंधित विशिष्ट राष्ट्रीय/क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए CPS प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण;
	  ○ CPS में अगली पीढ़ी की कुशल श्रमशक्ति का सृजन;
	  ○ प्रौद्योगिकी आधारित नव-अनुसंधान में तेजी लाना;
	  ○ CPS में उद्यमशीलता और स्टार्ट-अप परिवेश के विकास में तीव्रता लाना;
	• CPS में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास तथा विज्ञान, प्रोद्योगिकी व इंजीनियरिंग विषयों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना और
	• भारत को अन्य उन्नत देशों के समकक्ष लाना तथा इसके माध्यम से विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करना।

39.11. अटल जय अनुसंधान बायोटैक मिशन - राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम

(Atal Jai Anusandhan Biotech Mission- Undertaking Nationally Relevant Technology Innovation: UNATI)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• आगामी 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रक को रूपांतरित करना।	• विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने **अटल जय अनुसंधान बायोटैक मिशन- राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम** का शुभारम्भ किया है।
	• इस मिशन में शामिल हैं:
	  ○ **गर्भिणी (GARBH-ini):** मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और प्री-टर्म बर्थ (समय से पूर्व जन्म) के लिए पूर्वानुमान उपकरण विकसित करने के लिए एक मिशन।
	  ○ **इंडसेपी (IndCEPI):** स्थानिक रोगों के लिए वहनीय टीका विकसित करने हेतु एक मिशन।
	  ○ **पोषण अभियान** में योगदान हेतु बायोफोर्टिफाइड और प्रोटीन समृद्ध गेहूं का विकास।
	  ○ **अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स और थेरप्यूटिक्स के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मिशन।**
	  ○ **स्वच्छ ऊर्जा मिशन:** स्वच्छ भारत के लिए नवाचारी प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप।

VISION IAS

39.12. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑग्मेंटेशन - प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजेनस काऊ (SUTRA PIC)	• सूत्र पिक (SUTRA PIC) वस्तुतः 'स्वदेशी' गायों पर शोध करने हेतु अंतर-मंत्रालयी वित्त पोषण कार्यक्रम है। • इस योजना को **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के साथ-साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आदि के सहयोग से विकसित किया गया है। • इसमें स्वदेशी गायों की विशिष्टता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि अनुप्रयोग, खाद्य एवं पोषण के लिए स्वदेशी गायों से प्राप्त प्रमुख उत्पाद और स्वदेशी गायों पर आधारित उपयोगी वस्तुओं से संबंधित प्रमुख उत्पादों सहित विभिन्न विषय सम्मिलित हैं।
TARE (टीचर एसोसिएट्स फॉर रिसर्च एक्सीलेंस) मोबिलिटी स्कीम	• इसका उद्देश्य उन कॉलेज व राज्य विश्वविद्यालयों में **अप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास क्षमता** को सक्रिय करना है, जहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और संस्कृति की कमी है। TARE योजना विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में नियमित रूप से कार्य कर रहे **अध्यापकों को,** वर्तमान में कार्यरत शहरों में स्थित IIT, IISc, IISERs, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि जैसे अकादमिक संस्थानों से एकीकृत करके अंशकालिक शोध करने की अनुमति प्रदान करेगी।
अवसर: ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च (Augmenting Writing Skills for Articulating Research:AWSAR)	• इस योजना का उद्देश्य युवा शोधार्थियों और पोस्ट-डॉक्टरेट अभ्यर्थियों द्वारा अपने उच्च अध्ययन और शोध गतिविधियों के दौरान समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, ब्लॉगों, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से लोकप्रिय विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करना है।
पंडित दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना	• इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में **गांवों के कुछ क्लस्टर** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा गोद लिए जाएंगे और उन्हें **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) के उपकरणों के माध्यम से समयबद्ध तरीके** से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यह परियोजना पर्यावरण-अनुकूल तरीके से **कृषि, कृषि आधारित कुटीर उद्योगों और पशुपालन गतिविधियों** के संचालन पर बल देगी।
आवासीय ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु पहल (Initiative to Promote Habitat Energy Efficiency: I-PHEE)	• यह भवनों और शहरों के ऊर्जा निष्पादन में सुधार हेतु एक नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह भवनों के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन में ऊर्जा के संरक्षण हेतु ज्ञान तथा कार्यप्रणाली में वृद्धि का समर्थन करेगा।
निधि : नवाचार के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल (NIDHI:National Initiative for Development and Harnessing Innovations)	• निधि (NIDHI) द्वारा **ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित विचारों** एवं नवाचारों को सफल **स्टार्ट-अप** में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य किया जाता है। • इसका उद्देश्य **समाज की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए तकनीकी समाधान** प्रदान करना और पूंजी निर्माण तथा रोज़गार सृजन के लिए नए मार्ग प्रशस्त करना है। • निधि के घटक जो उभरते हुए स्टार्ट-अप के प्रत्येक चरण को समर्थन प्रदान करते हैं: ○ PRAYAS (युवा एवं महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना तथा उन्हें गति प्रदान करना) का उद्देश्य 10 लाख रुपए का अनुदान तथा फेब्रिकेशन लेबोरेटरी (फैब लैब) तक पहुंच प्रदान करने के द्वारा नवप्रवर्तकों को उनके विचारों के आद्यरूपों के निर्माण हेतु समर्थन प्रदान करना है। ○ **सीड सपोर्ट सिस्टम** जो प्रति स्टार्ट-अप एक करोड़ रुपये तक की राशि प्रदान करता है और इसे टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर्स के माध्यम से लागू किया जाता है।

वज्र (Visiting Advanced Joint Research: VAJRA) फैकल्टी योजना	• यह एक निर्दिष्ट अवधि हेतु भारतीय सरकारी वित्त-पोषित शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों में अनुबद्ध/आगंतुक संकाय सदस्यों के रूप में कार्य करने के द्वारा भारत में अनुसंधान और विकास (R&D) में भाग लेने व योगदान करने हेतु अनन्य रूप से विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है। ज्ञातव्य है कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO)/ प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) को लक्षित करता है। • इस विभाग का एक स्वायत्त निकाय **विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB)** इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। • वज्र संकाय राष्ट्र के उन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान को सम्पादित करेगा, जहां सामर्थ्य और क्षमता को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। वज्र संकाय सरकारी वित्त-पोषित संस्थानों में सहयोगात्मक अनुसंधान में संलग्न होंगे। • भारत में वज्र संकाय सदस्यों की निवास अवधि एक वर्ष में न्यूनतम 1 माह तथा अधिकतम 3 माह होगी। • यह योजना NRI और PIO/OCI सहित विदेशी वैज्ञानिकों/संकाय सदस्यों तथा अनुसंधान एवं विकास पेशेवरों हेतु उपलब्ध है।
नैनों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन)	• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक "समग्र क्षमता-निर्माण कार्यक्रम" के रूप में वर्ष 2007 में नैनों मिशन लॉन्च किया था। • इस मिशन के कार्यक्रम देश में सभी वैज्ञानिकों, संस्थानों और उद्योगों को लक्षित करेंगे। • यह मौलिक अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान अवसंरचना विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों, राष्ट्रीय संवादों के आयोजन और नैनो अनुप्रयोगों तथा प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने के द्वारा नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्रियाकलापों को भी सुदृढ़ करेगा। • इसे एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की अध्यक्षता में नैनो मिशन परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है। • हाल ही में, इस मिशन के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है।
परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान (Sophisticated Analytical and Technical Help Institute: SATHI) पहल	• विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा एक साझा, पेशेवर रूप से प्रबंधित व विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुविधा की स्थापना की जा रही है, जिसका उपयोग शैक्षणिक समुदाय, स्टार्ट-अप, विनिर्माण इकाइयों, उद्योगों तथा R&D प्रयोगशालाओं द्वारा किया जा सकता है। • इस प्रकार की S&T अवसंरचना को साथी कहा जायेगा। ये केंद्र प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरण और उन्नत विनिर्माण सुविधा से युक्त होंगे, जो सामान्यत: संस्थानों/संगठनों में उपलब्ध नहीं होते हैं।
वैज्ञानिक और उपयोगी गहन अनुसंधान उन्नति (Scientific and Useful Profound Research Advancement: SUPRA)	• विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जिसका उद्देश्य विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा वित्त पोषण प्रदान करना है। • इसका एकमात्र उद्देश्य, हमारी मूलभूत वैज्ञानिक समझ पर दीर्घकालिक प्रभाव के साथ-साथ **वैश्विक रूप से प्रभावी नए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग खोजों (नवाचार)**

	को बढ़ावा देने हेतु वित्त पोषण प्रदान करना है। ○ इस योजना को उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान प्रस्तावों को आकर्षित करने (जिनमें नई अवधारणाएं अथवा मौजूदा चुनौतियां शामिल हों) तथा आउट-ऑफ-द-बॉक्स समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ○ सामान्य रूप से तीन वर्ष की अवधि के लिए वित्तपोषण किया जाएगा, जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा आंकलन के पश्चात् 2 वर्ष (अधिकतम 5 वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।
किरण/KIRAN {नॉलेज इन्वाल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग (शिक्षण द्वारा अनुसंधान विकास में ज्ञान की भागीदारी)} योजना	• यह DST की महिला विशिष्ट कार्यक्रमों की एक अंब्रेला योजना है। KIRAN कार्यक्रम का अधिदेश महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के जरिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जेंडर समानता लाना है। • KIRAN के विभिन्न कार्यक्रम और घटक, जैसे- महिला वैज्ञानिक योजना-A (WOS-A), महिला वैज्ञानिक योजना-B (WOS-B) विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों (मुख्य रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियों, स्वरोजगार, अंशकालिक कैरियर, स्थानांतरण आदि के कारण कैरियर में अवरोध उत्पन्न होना) के कारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करते हैं।
इंडीजेन (IndiGen) जीनोम परियोजना	• इसका उद्देश्य विभिन्न नृजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय व्यक्तियों की संपूर्ण **जीनोम सीक्केंसिंग** तैयार करना और भारत में वहनीय रोग वाहक जाँच पद्धति के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु आनुवांशिक रोगों के वाहक से संबंधित आनुवंशिक महामारी विज्ञान को सक्षम बनाने के लिए एक पायलट डेटासेट निर्मित करना है। • **इंडीजिनोम कार्ड (IndiGenome card)** और **इंडिजेन मोबाइल एप्प** प्रतिभागियों एवं चिकित्सकों को उनके जीनोम क्षेत्र में नैदानिक रूप से कार्रवाई योग्य जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। • संपूर्ण जीनोम डेटा, **परिशुद्ध चिकित्सा** के उभरते क्षेत्र में आधारभूत डेटा और स्वदेशी क्षमता के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगा। इंडीजेन के तहत विभिन्न अनुप्रयोगों में शामिल निवारक और रोकथाम वाली औषधियों के माध्यम से दुर्लभ आनुवांशिक रोगों का शीघ्र तथा कारगर निदान संभव होगा। • भारतीय जनसंख्या हेतु थेरेपी के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रतिकूल घटनाओं को कम करने की दिशा में विशिष्ट फार्माकोजेनोमिक्स वेरिएंट को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए मानव जीनोम डेटा सेट का भी उपयोग किया जाएगा। • इंडीजेन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा वित्त पोषित है। CSIR द्वारा देश भर में 1,008 लोगों के होल जीनोम सीक्केंसिंग की शुरुआत की गई है।

VISION IAS

40. पोत परिवहन मंत्रालय

(Ministry of Shipping)

40.1. सागरमाला

(Sagarmala)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे तटीय समुद्र तट, 14,500 किलोमीटर के संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर रणनीतिक अवस्थिति का उपयोग करके देश में **बंदरगाह-उन्मुख विकास** को बढ़ावा देना है। • इसका लक्ष्य है: ○ मोडल-मिक्स (विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों के मिश्रित) प्रयोग को इष्टतम करके घरेलू कार्गो परिवहन की लागत को कम करना। ○ भावी औद्योगिक क्षमताओं को तट के निकट स्थापित करके थोक वस्तुओं की लॉजिस्टिक लागत को कम करना। ○ बंदरगाह के निकट विनिर्माण क्लस्टर विकसित कर, निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करना। ○ आयात-निर्यात हेतु प्रयुक्त कंटेनर की आवाजाही के समय / लागत को इष्टतम करना।	• **सागरमाला कार्यक्रम के घटक हैं:** ○ **बंदरगाह आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाहों का विकास:** बाधाओं को दूर करना और मौजूदा बंदरगाहों का क्षमता विस्तार करने के साथ नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का विकास करना। ○ **पोर्ट कनेक्टिविटी में वृद्धि:** भीतरी क्षेत्रों से बंदरगाहों की कनेक्टिविटी बढ़ाना, घरेलू जलमार्गों (अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय नौवहन) सहित मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक समाधानों के माध्यम से कार्गो परिवहन की लागत और समय को इष्टतम करना। ○ **बंदरगाह-संबद्ध औद्योगीकरण:** आयात-निर्यात और घरेलू माल की लॉजिस्टिक लागत व समय को कम करने के लिए पोर्ट के समीप औद्योगिक क्लस्टर्स और तटीय आर्थिक क्षेत्रों (CEZs) का विकास करना। ○ **तटीय सामुदायिक विकास:** कौशल विकास एवं आजीविका सृजन के माध्यम से तटीय समुदायों के सतत विकास को बढ़ावा देना। • सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण के लिए विचार की गयी परियोजनाओं को या तो **सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड** (राज्य/क्षेत्र स्तरीय स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स की सहायता के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित) से इक्विटी समर्थन (SPV मार्ग) प्रदान किया जाएगा अथवा जहाज़रानी मंत्रालय के बजट से वित्त पोषित (इक्विटी समर्थन के अतिरिक्त) किया जाएगा। • आतंरिक क्षेत्र तक अंतिम बिंदु कनेक्टिविटी हेतु रेल कनेक्टिविटी और बड़े बंदरगाहों की आंतरिक रेल परियोजनाओं को प्रभावी एवं कुशलतापूर्ण ढंग से निष्पादित करने के लिए एक SPV - **भारतीय पोर्ट रेल निगम (IPRC)** को **जहाज़रानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में** कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। • नौवहन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय **सागरमाला सर्वोच्च समिति** समग्र नीति मार्गदर्शन प्रदान करेगी और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाओं को मंजूरी देगी। • केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ शिपिंग, बंदरगाहों आदि से संबंधित निजी क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद एक **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना** तैयार की गई है। • **समुद्री और जहाज निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (CEMS):** यह सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत सीमेंस (Siemens) और भारतीय जहाज पंजीकरण (IRS) के सहयोग से जहाज़रानी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जा रहा है। • CEMS के परिसर विशाखापत्तनम और मुंबई में अवस्थित होंगे। यह

VISION IAS

	उद्योग-प्रासंगिक कौशल विकास प्रदान करेगा तथा छात्रों को बंदरगाह और समुद्री व्यापार में रोजगार प्राप्त करने योग्य इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल प्रदान करेगा। • **सागरमाला के तहत कोस्टल बर्थ स्कीम (तटीय घाट योजना):** इसका लक्ष्य बंदरगाहों या राज्य सरकारों को समुद्री अथवा राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कार्गो और यात्रियों के आवागमन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। • इस कार्यक्रम के तहत IIT, खड़गपुर में अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र (CICMT) की स्थापना की जा रही है। यह केंद्र, समुद्री क्षेत्र के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरण आधारित एक केंद्र होगा और विदेशी संस्थानों पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। यह पत्तन और सागरीय क्षेत्र में अनुसंधान की लागत को काफी हद तक कम करेगा जिससे लागत और समय की बचत होगी।

- इससे जुड़ी एक और परियोजना **सेतुसमुद्रम परियोजना** है। इसका उद्देश्य पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ना और इसके माध्यम से समुद्री व्यापार की सुविधा प्रदान करना है।

40.2. जल मार्ग विकास परियोजना

(Jal Marg Vikas Project)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (गंगा) के हल्दिया-वाराणसी खंड पर नौवहन (navigation) की क्षमता वृद्धि करना।	• यह परियोजना **गंगा नदी पर इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य जलमार्ग के विकास (वाणिज्यिक नौवहन के लिए)** की परिकल्पना करती है। इसकी लंबाई 1,620 किमी है। • इस परियोजना को विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग और निवेश समर्थन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। • इस परियोजना के अंतर्गत **उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल** राज्य सम्मिलित हैं। • NW1 पर वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया और गाजीपुर में इस योजना के तहत 4 मल्टी-मोडल टर्मिनलों का निर्माण किया गया है। • इस परियोजना के अंतर्गत **भारत में पहली बार नदी सूचना प्रणाली को अपनाया गया**, जो जलमार्ग परिवहन के संसाधन प्रबंधन का बेहतर उपयोग करने के लिए IT आधारित प्रणाली हैं। • हाल ही में, **गंगा नदी पर भारत के प्रथम अंतर्देशीय मल्टी-मॉडल टर्मिनल पत्तन का उद्घाटन किया गया था**।

VISION IAS

41. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)

41.1. प्रधान मंत्री युवा योजना

(Pradhan Mantri Yuva Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारितंत्र का निर्माण करना; उद्यमशीलता समर्थन नेटवर्क का पक्षसमर्थन और आसान पहुँच तथा समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना।	• यह 3,050 संस्थानों; उच्च शिक्षा के 2,200 संस्थानों (विश्वविद्यालय, कॉलेज, प्रीमियर संस्थान और पॉलिटेक्निक समेत AICTE संस्थान); 300 स्कूलों (10 + 2); 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और 50 उद्यमिता विकास केंद्रों (EDC) के माध्यम से 5 वर्षों (2020-21 तक) में 7 लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। **इसके अन्य उदेश्यों में शामिल हैं:** • वृहत ओपन ऑन-लाइन पाठ्यक्रम (MOOCs) और अन्य ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से सभी नागरिकों में उद्यमिता शिक्षा को विकसित और वितरित करके संभावित एवं **प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को शिक्षित करना तथा समर्थ बनाना।** • उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों का समन्वय और समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यमिता संसाधन तथा समन्वय केंद्र स्थापित करके **उद्यमिता केंद्र (ई-हब्स) के माध्यम से उद्यमियों को समर्थन देना।** • एक वेब आधारित ऑनलाइन बाजार के माध्यम से **सहकर्मियों, सलाहकारों, फंड और बिजनेस सेवाओं के समर्थनकारी नेटवर्क से उद्यमियों को संबद्ध** करना। • **उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम संस्कृति में परिवर्तन को उत्प्रेरित** करना।

41.2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

(Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana: PMKVY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• उत्पादकता बढ़ाने और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण और प्रमाणन को संरेखित करने के उद्देश्य से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। • वर्ष 2020 तक 10 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।	• **PMKVY (वर्ष 2016-20) के दो घटक हैं:** (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा कार्यान्वित और केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं प्रबंधित (CSCM) घटक और (ii) राज्य-संघटन घटक के नाम से जाना जाने वाला राज्यों/UTs के राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रबंधित (CSSM) घटक। • पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी मूल्यांकन और **पूर्व शिक्षा की पहचान (RPL)** के तहत प्रमाणित किया जाएगा। • PMKVY ट्रेनिंग सेंटर (TC) में दिए गए लघु-अवधि प्रशिक्षण से उन उम्मीदवारों को लाभ पहुंचने की अपेक्षा है **जो या तो स्कूल/कॉलेज बीच में ही छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं।** प्रशिक्षण **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)** के अनुसार प्रदान किया जाएगा। • उम्मीदवारों के मूल्यांकन के सफल समापन पर उन्हें **प्रशिक्षण भागीदारों (TP)**

	द्वारा नियुक्ति में सहायता प्रदान की जाएगी। • **प्रशिक्षण और मूल्यांकन का संपूर्ण शुल्क सरकार द्वारा भुगतान** किया जायेगा। • यह कौशल प्रमाणन योजना **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)** के माध्यम से लागू की जाएगी। • **पुनःप्रारंभ PMKVY** के तहत, **प्लेसमेंट ट्रैकिंग को अनिवार्य कर** दिया गया है। PMKVY, 2 अक्टूबर, 2016 में प्रारंभ की गयी थी। • जिलों में **प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK)** नामक मॉडल कौशल केंद्र स्थापित करने हेतु भी एक पहल की गई है। • **युवा (YUVA):** यह एक कौशल विकास कार्यक्रम है और PMKVY के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ मिलकर युवाओं की सामर्थ्य के अनुसार उनके कौशल को अपग्रेड करके युवाओं से जुड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की एक पहल है।

41.3. आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)

(Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion: SANKALP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर **संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ करना।**
• **कुशल प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के एक समूह का निर्माण करना।**
• **राज्य स्तर पर सभी कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना।**
• **वंचित वर्गों को कौशल प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाना** तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रासंगिक विनिर्माण क्षेत्र में कौशल आवश्यकताओं के सृजन द्वारा मेक इन इंडिया पहल की अनुपूर्ति करना।
	• यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित **परिणाम-उन्मुख परियोजना** है
	• यह परियोजना केन्द्र [कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDC), राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)] और राज्य दोनों स्तरों के अभिकरणों को शामिल करते हुए समग्र कौशल पारितंत्र पर केन्द्रित है तथा परिणामों का मापन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) तथा बैंक के मध्य सहमति के आधार पर स्थापित डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडीकेटर्स (DLIs) के माध्यम से किया जाएगा।
	• इसे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत उप-मिशनों को कार्यान्वित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
	• यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
	• इसमें निम्नलिखित को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है:
	  ○ राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन निकाय।
	  ○ राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDC) के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड तथा राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग।
	  ○ श्रम बाजार सूचना प्रणाली का विकास।
	  ○ **कौशल मार्ट** एक स्किलिंग रिसोर्स मार्केट प्लेस के रूप में विभिन्न प्रकार के कौशलयुक्त संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए एक विश्वसनीय मंच प्रदान करता है।
	  ○ **तक्षशिला:** प्रशिक्षकों और आंकलन कर्ताओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल।
	• उद्योग के मार्गदर्शन में और रोज़गार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से SANKALP के तहत एक **कौशल निधि** का प्रावधान किया गया है। इसे कम्पेटिटिव चैलेंज फंड (competitive challenge fund) के रूप में स्थापित किया जाएगा जो स्थानीय समुदाय/ प्रांत/ राष्ट्रीय स्तर पर एक दीर्घकालिक, सतत प्रभाव के लिए अनुदान (प्रति परियोजना अधिकतम सीमा के अधीन) का सत्यापन योग्य और विश्वसनीय उपयोग सुनिश्चित करेगा।
	• विदेशी प्लेसमेंट के लिए प्रशिक्षित करने हेतु **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र (IISC)** की स्थापना की जा रही है।

VISION IAS

41.4. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण

(Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement: STRIVE)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और प्रशिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता/गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना	• यह 2,200 करोड़ रुपये की एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है जिसमें योजना के आधे हिस्से की पूर्ति विश्व बैंक की ऋण सहायता के माध्यम से की जाएगी। • यह एक **परिणाम केंद्रित योजना** है जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वयन रणनीति में परिवर्तन को दर्शाती है। • यह निम्नलिखित चार परिणाम क्षेत्रों को कवर करता है: ○ ITI का संवर्धित प्रदर्शन; ○ ITIs और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को समर्थन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों की संवर्धित क्षमता; ○ संवर्धित शिक्षण एवं अधिगम; तथा ○ संवर्धित एवं विस्तारित प्रशिक्षुता प्रशिक्षण।

41.5. नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम

(National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• अप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षु) ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और उन नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना करना, जो प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना चाहते हैं। • 2020 तक प्रशिक्षुओं की संख्या को 2.3 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करना।	• NAPS में **प्रशिक्षु को प्रशिक्षण और वजीफा (stipend) प्रदान करने** में किए गए व्यय को साझा करने के लिए प्रावधान किया गया हैं। • इसके निम्नलिखित दो घटक हैं: ○ प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले सभी नियोक्ताओं को **निर्धारित वजीफे के 25% (अधिकतम 1500 रु प्रति माह प्रति प्रशिक्षु) की प्रतिपूर्ति** भारत सरकार द्वारा की जाएगी। ○ फ्रेशर प्रशिक्षुओं (जो बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के सीधे प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए आते हैं) के संबंध में **बुनियादी प्रशिक्षण की लागत साझा** की जाएगी जोकि 500 घंटे/3 माह की अधिकतम अवधि के लिए प्रति प्रशिक्षु 7500 रूपए होगी। • इसे **प्रशिक्षण महानिदेशक (DGT) द्वारा लागू** किया जाएगा।

41.6. जन शिक्षण संस्थान

(Jan Shikshan Santhans: JSS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
गैर-साक्षर, नव-साक्षर और स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।	• हाल ही में, सरकार द्वारा जन शिक्षण संस्थानों (JSS) को **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (National Skills Qualification Framework: NSQF)** के साथ संरेखित करने हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। • **जन शिक्षण संस्थानों (JSS) के कार्यक्षेत्र में** निम्नलिखित शामिल हैं: ○ व्यावसायिक कारकों, सामान्य जागरूकता और जीवन संपन्नता घटकों को शामिल करते हुए **उपयुक्त पाठ्यचर्या और प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास करना।** ○ JSS को प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान और रोजगार

	एवं प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा निरूपित पाठ्यक्रमों के **समतुल्य प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता** है। ○ प्रशिक्षुओं के उपयुक्त नियोजन के लिए **कर्मचारियों और उद्योगों के साथ नेटवर्क स्थापित करना**। • यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत था, **परंतु वर्ष 2018 में इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया**। • **नवीन दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:** ○ जिला प्रशासन को अधिक जवाबदेही और स्वतंत्रता प्रदान करने के द्वारा JSSs हेतु शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ○ कौशल सृजन और कौशल उन्नयन के माध्यम से जिले में परंपरागत कौशलों को चिन्हित एवं प्रोत्साहित करना। ○ पारितंत्र की पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए JSS को PFMS (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) से संयोजित करना। ○ आजीविका संयोजनों का सृजन करना। • NSTIs (राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों) के माध्यम से क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करना।

41.7. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

स्किल बिल्ड प्लेटफार्म (SkillsBuild Platform)	• यह पहल रोजगार के लिए तैयार श्रम बल तैयार करने तथा **'न्यू कॉलर करियर्स'** के लिए आवश्यक अगली पीढ़ी के कौशलों का निर्माण करने संबंधी IBM की वैश्विक प्रतिबद्धता का भाग है। • इसके तहत IBM द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) द्वारा **दो वर्षीय एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम** शुरू किया गया है। • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में कौशल निर्माण पर ITI और NSTI संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए प्लेटफॉर्म का विस्तार भी किया जाएगा। • स्किल बिल्ड प्लेटफार्म IBM और CodeDoor, Coorpacademy तथा Skillsoft जैसे भागीदारों से डिजिटल शिक्षण सामग्री प्रदान करता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय फ़ेलोशिप कार्यक्रम (MGNF)	• इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बेंगलूर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। • यह जिला स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के साथ ज़मीनी स्तर पर व्यावहारिक अनुभव के एक अंतर्निहित घटक के साथ **दो वर्ष का एक शैक्षणिक कार्यक्रम है।** • इन घटकों के पूर्ण होने पर, फ़ेलो (Fellows) को सार्वजनिक नीति और प्रबंधन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

42. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(Ministry of Social Justice and Empowerment)

42.1. स्वच्छता उद्यमी योजना

(Swachhta Udyami Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस योजना के दोहरे उद्देश्य हैं: स्वच्छता तथा सफाई कर्मचारियों एवं मुक्त कराए गए मैनुअल स्केवेंजर्स (हाथ से मैला ढ़ोने वाले लोगों) को आजीविका प्रदान करना।	• **2 अक्टूबर 2014 को आरम्भ हुई इस योजना का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)** द्वारा किया जा रहा है। • सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में भुगतान और उपयोग आधारित सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए तथा स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। • 'स्वच्छ भारत अभियान' के उद्देश्यों को साकार करने के लिए जारी प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए व्यावहारिक सामुदायिक शौचालय परियोजनाओं और कचरा एकत्रित करने वाले स्वच्छता से संबंधित वाहनों के लिए रियायती ऋण प्रदान किया जायेगा। • सफाई कर्मचारी और चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स के बीच में से निकलने वाले उद्यमी प्रति वर्ष 4% ब्याज की रियायती दर पर परिभाषित सीमा तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। महिला लाभार्थियों के मामले में ब्याज दर में 1% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

42.2. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (मैनुअल स्केवेंजर्स) के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना

(Self Employment Scheme for the Rehabilitation of Manual Scavengers: SRMS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास हेतु, विभिन्न सर्वेक्षणों के दौरान चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स की सहायता करना।	• संशोधित योजना के अनुसार, चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को **एक बार नकद सहायता** प्रदान की जाती है।
	• चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके आश्रितों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
	  ○ रियायती ब्याज दरों पर परियोजना लागत के लिए ऋण।
	  ○ क्रेडिट लिंक्ड बैक-एन्ड कैपिटल सब्सिडी।
	  ○ वजीफे (स्टाइपेन्ड) सहित दो वर्ष तक का कौशल विकास प्रशिक्षण।

42.3. सुगम्य भारत अभियान

(Accessible India Campaign)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• दिव्यांग जनों (PWD) के लिए सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य प्राप्त करना।	• दिव्यांग जनों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, अभियान को

VISION IAS

• इस योजना के तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को शामिल किया गया हैं: ○ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सभी राज्यों की राजधानियों के 50 प्रतिशत सरकारी भवनों को दिव्यांग जनों के लिए पूर्णतः सुलभ बनाना। ○ 50 प्रतिशत सरकारी भवनों की सुगम्यता ऑडिट करना तथा राज्यों के दस सबसे महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों में ऐसे भवनों को पूर्णतः सुगम्य बनाना। ○ देश के 50% रेलवे स्टेशन को पूर्ण रूप से सुगम्य रेलवे स्टेशनों में परिवर्तित करना। ○ सरकारी स्वामित्व वाले 25% सार्वजनिक परिवहन वाहनों को पूर्ण रूप से सुगम्य परिवहन वाहनों के रूप में परिवर्तित करना। ○ सभी सरकारी वेबसाइटों (केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों) के 50% की सुगम्यता ऑडिट को पूरा करना एवं उन्हें पूर्ण रूप से सुगम्य वेबसाइटों में परिवर्तित करना।	**तीन भागों में** विभाजित किया गया है: सुगम्य वातावरण तैयार करना; सुगम्य परिवहन प्रणाली तथा सुगम्य सूचना एवं संचार पारितंत्र। • **इस योजना के तहत अन्य पहलें** ○ सार्वजनिक और निजी दोनों संगठनों को सुगम अवसंरचना के निर्माण के लिए उनकी कार्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। ○ विभिन्न उद्योगों द्वारा अपने कार्यस्थल को दिव्यांग जनों (PWD) के लिए तैयार करने के प्रयासों का आकलन करने हेतु सरकार द्वारा **'समावेशी और सुगम्यता सूचकांक'** का उपयोग किया जाएगा। ○ **"सुगम्य पस्तकालय"** सुगम्य भारत अभियान के हिस्से के रूप में प्रिंट अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। • **दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप:** इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) से संबंधित विभिन्न उपयोगी जानकारियों जैसे विभिन्न नियमों, दिशा-निर्देशों, योजनाओं, रोजगार संबंधी अवसरों के बारे में दिव्यांगजनों को सरल प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराना है।

42.4. राष्ट्रीय वयोश्री योजना

(Rashtriya Vayoshri Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• वरिष्ठ नागरिकों की उनकी आयु से संबंधित शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करने तथा देखभाल करने वाले एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर उनकी निर्भरता को न्यूनतम करके एक गरिमापूर्ण और उत्पादक जीवन जीने में उनकी सहायता करना।	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपायुक्त/ज़िलाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के ज़रिए की जाएगी। • आयु संबंधी बीमारियों (निम्न दृष्टि, सुनने में कठिनाई, दांतों का टूट जाना एवं लोकोमोटर डिसेबिलिटी आदि) का सामना कर रहे **बीपीएल श्रेणी से संबद्ध बुज़ुर्गों को** शारीरिक सहायता और जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। • एक ही व्यक्ति में अनेक विकलांगता/दुर्बलता पाए जाने की स्थिति में, प्रत्येक विकलांगता/दुर्बलता के लिए अलग-अलग उपकरण प्रदान किए जाएंगे। • जहां तक संभव हो, प्रत्येक जिले में 30% लाभार्थी महिलाएं होंगी। • **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO)** बुज़ुर्गों को दी जाने वाली इस सहायता एवं जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरणों की एक वर्ष तक निःशुल्क देखरेख करेगा। • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुदान "वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष" से प्राप्त होगा।

VISION IAS

42.5. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

(Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana: PMAGY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

वर्ष 2024-25 तक ऐसे गाँव जिनकी जनसंख्या 500 या अधिक है और जिसमें 50% से अधिक अनुसूचित जातियों की आबादी विद्यमान है, उन सभी गांवों को "मॉडल गांवों" के रूप में परिवर्तित कर एकीकृत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसके माध्यम से निम्नलिखित सुनिश्चित किया जा सकेगा:
• उनके पास अपने सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचनाएं विद्यमान हों;
• सामान्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों (जैसे साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की दर, IMR/MMR, लाभप्रद संपत्तियों का स्वामित्व इत्यादि) के संदर्भ में अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बीच असमानता समाप्त करना;
• अनुसूचित जाति के विरुद्ध अस्पृश्यता, भेदभाव, अलगाव और अत्याचार समाप्त करना, तथा अन्य सामाजिक बुराई जैसे लड़कियों/महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, शराब की लत और मादक पदार्थों (ड्रग्स) के दुरुपयोग आदि को समाप्त करना।
	• **आदर्श ग्राम का विकास करना:** इन गांवों में गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
	• इस योजना के महत्वपूर्ण घटकों में - भौतिक अवसंरचना, स्वच्छता और पर्यावरण, सामाजिक अवसंरचना, मानव विकास तथा सामाजिक सामंजस्य और आजीविका सम्मिलित हैं।
	• **निम्नलिखित के माध्यम से अनुसूचित जाति (SC) बाहुल्य गांवों का** समेकित विकास:
	  ○ संगत केंद्रीय और राज्य योजनाओं का सम्मिलित कार्यान्वयन।
	  ○ चयनित प्रत्येक नए गांव के लिए, इस योजना में कुल 21 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से 20 लाख रूपए 'गैप-फिलिंग' घटक के लिए हैं तथा 1 लाख रुपए 1: 1: 1: 2 के अनुपात में केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर 'प्रशासनिक व्यय' के लिए हैं।

42.6. मादक पदार्थों की मांग में कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (वर्ष 2018-2023)

{National Action Plan for Drug Demand Reduction (2018-2023)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• इसका उद्देश्य एक **बहु-आयामी रणनीति** का नियोजन करना है जैसे:
  ○ निवारक शिक्षा, जागरूकता प्रसार, परामर्श, नशामुक्ति, उपचार और प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों का पुनर्वास।
  ○ केंद्र, राज्य और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
	• **प्रशासनिक तंत्र:**
	  ○ शामक, दर्द निवारकों और माँसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए **कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय** और साइबर सेल द्वारा कड़ी निगरानी से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को रोकना।
	  ○ सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास और कौशल मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित एक **बहु-मंत्रिस्तरीय संचालन समिति।**
	• **कुछ आवश्यक पहलें:**
	  ○ शिक्षण संस्थानों, कार्यस्थलों और पुलिस पदाधिकारियों आदि के लिए **जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित** करना।
	  ○ स्थानीय निकायों और अन्य स्थानीय समूहों जैसे महिला मंडल, स्व-सहायता समूह आदि को सम्मिलित कर मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने में **सामुदायिक भागीदारी और सार्वजनिक सहयोग को बढ़ाने की भी योजना** है।

	○ विविध श्रेणियों और आयु समूहों में **मादक पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्तियों के पुन:उपचार, चल रहे उपचार और उपचार के बाद के लिए माड्यूल तैयार करना।**

42.7. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना

(Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme: DDRS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **दिव्यांग जनों** को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए और उनके सशक्तीकरण हेतु समर्थकारी **परिवेश सृजित** करना। • **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए **स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा** देना।	• यह भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा क्रियान्वयित किया जा रहा है। • दिव्यांग जनों के पुनर्वास हेतु सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को **वित्तीय सहायता** प्रदान करना। **गैर सरकारी संगठनों (NGOs)** को अनुदान। • स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना: **माता-पिता/अभिभावकों और स्वैच्छिक संगठनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित** किया जाता है। • दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए आवश्यक **सभी सेवाएं उपलब्ध** कराने के लिए निम्नलिखित उपाय करना: ○ प्रारंभिक हस्तक्षेप; ○ दैनिक जीवन कौशल का विकास और शिक्षा; ○ रोजगार-प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करने वाला कौशल-विकास; एवं ○ प्रशिक्षण और जागरूकता विकसित करना।

42.8. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

पहल	प्रमुख विशेषताएं
वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	• **उद्देश्य:** आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। साथ ही सरकारी/गैर सरकारी संगठनों (NGO)/पंचायती राज संस्थानों (PRI)/स्थानीय निकायों और समग्र रूप से समुदाय की क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करके लाभप्रद और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना। • यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
समावेशी भारत पहल	• बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यधारा में तथा सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं यथा शिक्षा, रोजगार और समुदाय में शामिल करना। • समावेशी भारत पहल के **तीन मुख्य क्षेत्र** हैं: ○ समावेशी शिक्षा, ○ समावेशी रोजगार ○ समावेशी सामुदायिक जीवन

	• **नेशनल ट्रस्ट इस पहल हेतु नोडल एजेंसी** होगी।
अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण हेतु डॉ अंबेडकर योजना	• योजना के तहत, एक वर्ष में 500 दंपति आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक दंपति को 2.5 लाख रूपए प्राप्त होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है। शेष राशि को सावधि जमा के रूप में रखा जाता है और तीन वर्ष के बाद दंपति को जारी किया जाता है। • राज्य में योजना का लाभ प्राप्त करने वाले जोड़ों की संख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या पर निर्भर करती है। • लाभार्थी दंपति में से, पति/पत्नी में से एक अनुसूचित जाति से और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से होना चाहिए। • ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान करना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा डॉ अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष का विवेकाधिकार होगा।
वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना	• वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार की अनिश्चित परिस्थितियों के कारण वृद्ध व्यक्तियों को ब्याज से प्राप्त होने वाली आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा करना। • इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की रिटर्न की गारंटी दर पर एक निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। लाभार्थी मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।
अद्वितीय अक्षमता पहचान पत्र (UDID) परियोजना	• इसका उद्देश्य उनकी पहचान और अक्षमता विवरण के साथ दिव्यांग जनों के लिए **यूनिवर्सल आईडी (पहचान पत्र) और अक्षमता प्रमाणपत्र** जारी करने के लिए एक समग्र एंड-टू-एंड एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है। • इस परियोजना का उद्देश्य सरकार को विभिन्न मंत्रालयों और उनके विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है। इस कार्ड की वैधता संपूर्ण भारत में होगी।
भिखारियों के व्यापक पुनर्वास की योजना	• यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्थानीय शहरी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों, संस्थानों आदि की सहायता से भिखारियों की पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं संबंधी प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास को शामिल करने वाली एक व्यापक योजना है। • इस योजना की पायलट परियोजना 2019-20 के दौरान शुरू की जाएगी, बशर्ते कि राज्य सरकारों द्वारा शहर निर्दिष्ट कार्य योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। • इसके कार्यान्वयन के लिए योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% सहायता प्रदान की जाएगी।

VISION IAS

43. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

(Ministry of Statistics and Programme Implementation)

43.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

(Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों इत्यादि के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण कार्यों हेतु सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों को सक्षम बनाना।	• MPLADS पूर्णतया **भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना** है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु MPLADS निधि 5 करोड़ रुपये वार्षिक अधिकृत की गयी है। • आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति पर धनराशि (अव्यपगत) को अनुदान के रूप में प्रत्यक्ष रूप से जिला प्राधिकरणों को प्रदान किया जाता है। • **लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर कार्यों की संस्तुति** कर सकते हैं और **राज्यसभा** के निर्वाचित सदस्य **अपने निर्वाचन राज्य (कुछ अपवादों के अतिरिक्त) के भीतर कार्यों** की संस्तुति कर सकते हैं। • राज्यसभा और लोकसभा दोनों के **मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य** की संस्तुति कर सकते हैं। • सांसदों को प्रत्येक वर्ष **अधिकृत MPLADS** राशि का **कम से कम 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति द्वारा अधिवासित क्षेत्रों में और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST) द्वारा अधिवासित क्षेत्रों के लिए** व्यय करने की संस्तुति करनी होती है। • यदि **लोकसभा सदस्य के क्षेत्र में अपर्याप्त जनजातीय आबादी है,** तो वे अपने **निर्वाचन क्षेत्र के बाहर आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों के** निर्माण के लिए इस राशि की संस्तुति कर सकते हैं लेकिन अपने निर्वाचन राज्य के भीतर। • किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) अधिवासित क्षेत्र नहीं होने पर इस राशि का उपयोग अनुसूचित जाति अधिवासित क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसी प्रकार, किसी राज्य में अनुसूचित जाति (SC) अधिवासित क्षेत्र नहीं होने पर इस राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति अधिवासित क्षेत्रों में किया जा सकता है। • देश के किसी भी हिस्से में **"गंभीर प्राकृतिक आपदा"** की स्थिति में, सांसद प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की संस्तुति कर सकता है। आपदा गंभीर प्रकृति की है या नहीं, इसका निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। • यदि संसद के किसी निर्वाचित सदस्य को राज्य/संघ शासित प्रदेश के बाहर, या राज्य के भीतर परन्तु उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर, या दोनों ही में, MPLADS निधि का योगदान करने की आवश्यकता महसूस होती है,तो सांसद अधिकतम 25 लाख रुपये तक के उपयुक्त कार्यों की संस्तुति कर सकता है।

43.2. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

सांख्यिकी शक्तिकरण सहयोग (Support for Statistical Strengthening: SSS) **योजना**	• **यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** की प्रचालनरत क्षमता विकास योजना की एक उप-योजना है, जिसका उद्देश्य विश्वसनीय आधिकारिक सांख्यिकी के संग्रहण, संकलन और प्रसारण हेतु राज्य सांख्यिकी प्रणालियों की आंकड़ा संबंधी क्षमताओं एवं परिचालनों में सुधार करना है। • यह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विचारणीय महत्व की सांख्यिकीय गतिविधियों (जिनके लिए निधि उपलब्ध नहीं है) के निष्पादन में सक्षम बनाती है तथा साथ ही केंद्र द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाली सांख्यिकीय गतिविधियों को भी सुदृढ़ करती है। • इसे **राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

44. इस्पात मंत्रालय

(Ministry of Steel)

44.1. मिशन पूर्वोदय

(Mission Purvodaya)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• लागत और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में क्षमता वृद्धि तथा इस्पात उत्पादकों की समग्र प्रतिस्पर्धा में सुधार करना। • **एकीकृत स्टील हब की स्थापना** के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति प्रदान करना।	• एकीकृत स्टील हब में **ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश** राज्य शामिल होंगे। • पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय इस्पात नीति द्वारा परिकल्पित देश की वृद्धिशील इस्पात क्षमता के 75 प्रतिशत से अधिक को समाविष्ट करने की दक्षता विद्यमान है। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि वर्ष 2030-31 तक 300 मीट्रिक टन क्षमता में से, 200 मीट्रिक टन से अधिक केवल इस क्षेत्र से उत्पादित हो सकता है, जो उद्योग 4.0 द्वारा प्रेरित है। • एकीकृत स्टील हब 3 प्रमुख तत्वों पर केंद्रित होगा: o **क्षमता वृद्धि** हेतु ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों की स्थापना को सुगम बनाना। o एकीकृत इस्पात संयंत्रों एवं मांग केंद्रों के निकट **इस्पात क्लस्टरों का विकास करना।** o पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने हेतु **लॉजिस्टिक्स एवं उपयोगिता अवसरंचना का रूपान्तरण करना।**

44.2. भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन

(Steel Research And Technology Mission of India: SRTMI)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• लौह और इस्पात में **राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान एवं विकास** का नेतृत्व करना; • अनुसंधान में **अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण** करना और मानव संसाधन में वृद्धि करना सम्मिलित है • राष्ट्रीय उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुसार **उद्योग, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग** विकसित करना; • **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी** के साथ-साथ संधारणीय इस्पात उद्योग को विकसित करना।	• यह सोसाइटी के रूप मे एक संस्थागत तंत्र है, जिसे इस्पात मंत्रालय द्वारा सुविधा प्राप्त है एवं यह भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा संचालित किया जाता है, ताकि भारत में लौह एवं इस्पात क्षेत्र में संयुक्त सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाया जा सके। • यह एक **उद्योग आधारित पहल** है जिसे एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है। **इस्पात मंत्रालय इसका सुविधा प्रदाता** है। • इसके लिए आवश्यक निधि का 50% इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा और शेष राशि प्रतिभागी इस्पात कंपनियों द्वारा प्रदान की जाएगी। • इस मिशन के तहत स्वदेशी कच्चे माल से **गुणवत्तापूर्ण इस्पात के लागत प्रभावी उत्पादन के लिए** उचित प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। इसमें पर्यावरण अनुकूल विधि से **निम्न स्तरीय संसाधनों** का उपयोग किया जाना भी सम्मिलित है। • राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे तथा इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश को चरणबद्ध ढंग से कुल टर्नओवर के **1% तक बढ़ाया** जाएगा। • इस्पात प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु नेशनल **"इंस्टीट्यूट ऑन स्टील टेक्नोलॉजी"** की स्थापना की जाएगी।

45. वस्त्र मंत्रालय

(Ministry of Textile)

45.1. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना

(Scheme for Integrated Textile Park: SITP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• वस्त्र उद्योग को **वस्त्र इकाइयों की स्थापना हेतु** अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करना।
• अंतर्राष्ट्रीय परिवेश और सामाजिक मानकों को पूरा करने हेतु **वस्त्र इकाइयों को सहायता प्रदान करना।**
• **वस्त्र क्षेत्रक** में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना तथा रोजगार के नवीन **अवसर सृजित** करना।
	• वर्ष 2005 में अपैरल पार्क फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (APES) और द सेन्ट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (TCIDS) नामक **दो योजनाओं का विलय** करके इसे प्रारंभ किया गया था।
	• यह योजना **उच्च विकास क्षमता युक्त औद्योगिक समूहों और स्थानों को लक्षित** करती है, जहाँ विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
	• **एकीकृत वस्त्र पार्कों (ITPs)** को स्थापित करने हेतु **सार्वजनिक निजी भागीदारी** प्रणाली का अनुसरण किया जाता है।
	• यह एक **मांग आधारित योजना** है जिसमें दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर, निवेश के इच्छुक उद्यमी अपने प्रस्ताव को सरकार के पास भेज सकते हैं।
	• एक ITP में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे:
	  ○ **भूमि:** स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के तहत 20 एकड़ से अधिक भूमि होनी चाहिए;
	  ○ **सामान्य अवसंरचना:** सड़क, जल और विद्युत की आपूर्ति, आदि;
	  ○ **सामान्य सुविधाओं के लिए भवन:** प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण प्रयोगशाला, आदि;
	  ○ **कारखाने:** उत्पादन प्रयोजनों हेतु।
	• ITP को संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS), समर्थ (SAMARTH) इत्यादि से भी लाभ प्राप्त हो सकता है।
	• **वित्तपोषण: परियोजना लागत का 40%** (प्रत्येक विशेष श्रेणी राज्य में प्रथम दो परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90%) वित्तपोषण **भारत सरकार** द्वारा किया जाएगा, जिसकी **अधिकतम सीमा 40 करोड़ रुपये** होगी जिसका वहन तीन किश्तों के माध्यम से किया जाएगा।
	  ○ इस परियोजना की लागत का वहन वस्त्र मंत्रालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDC) और औद्योगिक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (IPMC) की अनुदान/इक्विटी तथा बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा किया जाता है।
	  ○ परियोजना लागत में ITP की आवश्यकताओं पर निर्भर टेक्सटाइल मशीनरी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सहायक उपकरण, पैकेजिंग आदि जैसी समर्थन गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा।
	• अप्रैल 2000 से सितंबर 2019 तक भारत के वस्त्र क्षेत्रक को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रूप में 19,398.71 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जोकि कुल अंतर्प्रवाह का मात्र 0.74% है।
	• अधिक FDI को आकर्षित करने के क्रम में, वस्त्र मंत्रालय **1,000 एकड़ के मेगा वस्त्र पार्कों** को स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो रणनीतिक औद्योगिक गलियारों के निकट अवस्थित होंगे।

VISION IAS

45.2. सिल्क समग्र - रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना

(Silk Samagra- Integrated Scheme for Development of Silk Industry)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• **अनुसंधान एवं विकास संबंधी परियोजनाओं** के माध्यम से प्रजनक स्टॉक और नस्ल गुणवत्ता में सुधार करना।
• यंत्रीकृत प्रथाओं का विकास।
• हितधारकों को बेहतर प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना और क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को अत्यधिक बढ़ावा देना।
• उन्नत रेशमकीट की नस्लों के मूल और वाणिज्यिक वंश (Seed) का उत्पादन करना।
• बीज क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
• अनुसंधान एवं विकास इकाइयों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना और उन्हें प्रमाणित करना।
• बेहतर संकर किस्म (crossbreed) के रेशम और आयात प्रतिस्थापन के लिये **बाइवोल्टाइन रेशम को बढ़ावा** देना ताकि भारत में बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन इस स्तर तक बढ़ाया जाए कि कच्चे रेशम का आयात 2022 तक शून्य हो जाए तथा भारत रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर बने।
• **2020 तक लाभकारी रोजगारों की संख्या 85 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करना।**
	• यह केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
	• इस योजना में **चार घटक** हैं
	  ○ अनुसंधान एवं विकास (R&D), प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और IT पहलें।
	  ○ बीज संगठन और किसान विस्तार केंद्र।
	  ○ बीज, धागे और रेशम उत्पादों के लिए बाजार विकास और समन्वय।
	  ○ गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (QCS)।
	• इसमें हितधारकों एवं बीज की गुणवत्ता की निगरानी हेतु **सेरीकल्चर इंफॉर्मेशन लिंकेज और नॉलेज सिस्टम (SILKS) पोर्टल एवं मोबाइल एप्लिकेशन** को शामिल किया गया है।
	• इस योजना में शहतूत, वान्या शिल्क (Vanya silk) और पोस्ट कोकून क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए भी विभिन्न लाभार्थी उन्मुख घटकों को शामिल किया गया है।
	• इसकी कार्यान्वयन रणनीति लाभ को अधिकतम करने के लिए राज्य स्तर पर अन्य मंत्रालयों की योजनाओं जैसे कृषि मंत्रालय की RKVY और PMKSY, ग्रामीण विकास की मनरेगा के साथ **अभिसरण पर आधारित** है।
	• भारत के **IITs, CSIR, IISc जैसे प्रतिष्ठित संगठन और जापान, चीन, बुल्गारिया आदि देशों** के रेशम-उत्पादन (सेरीकल्चर) से संबंधी अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी प्रगति में सहयोग करेंगे।
	• यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं और देश के अन्य कमजोर वर्गों (जिनमें वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल हैं) को आजीविका के अवसर प्रदान करेगी।
	• भारतीय रेशम का ब्रांड प्रमोशन, घरेलू और निर्यात बाजार में **सिल्क मार्क** द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

45.3. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

(National Technical Textiles Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• देश को तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। • कृषि, जलीय कृषि, डेयरी, कुक्कुटपालन, जैसे क्षेत्रकों तथा रणनीतिक क्षेत्रों सहित **विभिन्न प्रमुख मिशन और कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा**	• मिशन की कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2023-24 तक **चार वर्ष** की होगी। • मिशन के निम्नलिखित चार घटक होंगे: • **घटक- I (अनुसंधान, नवाचार और विकास)** ○ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र (CSIR) प्रयोगशालाओं, भारतीय

देना। • भारत में विनिर्माण और निर्यात गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के अतिरिक्त लागत अर्थव्यवस्था, जल और मृदा संरक्षण, बेहतर कृषि उत्पादकता और प्रति एकड़ कृषि भूमि पर **किसानों की आय में वृद्धि** करना।	प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) तथा अन्य प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/औद्योगिक/शैक्षणिक प्रयोगशालाओं द्वारा फाइबर स्तर पर मौलिक अनुसंधान एवं तकनीकी वस्त्रों में अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान दोनों को प्रोत्साहित करना। • **घटक -II (संवर्धन और बाजार विकास)** ○ इस मिशन का उद्देश्य बाजार विकास, बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और 'मेक इन इंडिया' पहल के माध्यम से वार्षिक 15 से 20 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ घरेलू बाजार के आकार को वर्ष 2024 तक 40 से 50 अरब डॉलर करना है। • **घटक - III (निर्यात संवर्धन)** ○ निर्यात में प्रभावी समन्वय और संवर्धन गतिविधियों के लिए **तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद** का गठन करना तथा वर्ष 2023-24 तक प्रतिवर्ष निर्यात में 10 प्रतिशत की औसत वृद्धि सुनिश्चित करना। • **घटक- IV (शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास)** ○ तकनीकी वस्त्रों और इसके अनुप्रयोग क्षेत्रों के संदर्भ में उच्च इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। ○ नवाचार और इन्क्यूबेशन केंद्रों का निर्माण तथा 'स्टार्ट-अप' और उद्यमों का प्रचार करना। • **अनुसंधान का एक उप-घटक जैव अपघटनीय तकनीकी वस्त्र सामग्री,** विशेष रूप से कृषि-टेक्सटाइल, जियो-टेक्सटाइल्स और चिकित्सा वस्त्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। • **यह चिकित्सा और स्वच्छता अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान पर बल देने के साथ, प्रयुक्त तकनीकी वस्त्रों के पर्यावरणीय अनुकूल संधारणीय निपटान के लिए उपयुक्त उपकरण भी विकसित करेगा।** • 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने और निम्न पूंजीगत लागत के माध्यम से उद्योगों को प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए तकनीकी वस्त्रों हेतु **स्वदेशी मशीनरी और प्रक्रियात्मक उपकरणों का विकास करना।** • वस्त्र मंत्रालय ने **त्रि-स्तरीय (3-tier) संस्थागत तंत्र** के माध्यम से 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission: NTTM)' को लागू करने की योजना निर्मित की है: ○ **टीयर I: वस्त्र मंत्री के नेतृत्व में एक मिशन संचालन समूह -** यह NTTM की सभी योजनाओं, घटकों और कार्यक्रम के संबंध में सभी वित्तीय मानदंडों को अनुमोदित करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, NTTM के तहत सभी वैज्ञानिक/तकनीकी अनुसंधान परियोजनाओं को इसकी स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ○ **टीयर II: वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति -** यह इस मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। यह समिति मिशन संचालन समूह के अनुमोदन के आधार पर अनुसंधान परियोजनाओं को छोड़कर प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर सभी परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान करेगी। ○ **टीयर III: नीति आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में अनुसंधान, विकास और नवाचार पर तकनीकी वस्त्र संबंधी एक समिति -** यह रक्षा, अर्द्ध-सैन्य, सुरक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से संबंधित सभी अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान करेगी और इन पर अनुशंसा प्रदान करेगी।

VISION IAS

45.4. पावरटेक्स इंडिया स्कीम

(PowerTex India Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा लो-एंड (low-end) वाली पावरलूम इकाइयों को उनके आधुनिकीकरण और अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। • उत्पादित कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना और उन्हें घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना। • क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देना। • पावरलूम उत्पाद हेतु बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेता-विक्रेता सम्मेलन और रिवर्स क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करना। • धागे की बिक्री पर मध्यस्थ/स्थानीय आपूर्तिकर्ता ब्रोकरेज चार्ज से बचना। • नवीकरणीय ऊर्जा (सौर) पर बल देना।	• यह **पॉवरलूम (विद्युत् करघा) क्षेत्र** के विकास हेतु एक **व्यापक योजना है।** इस योजना का उद्देश्य देश में सामान्य अवसंरचना में वृद्धि करना तथा पॉवरलूम का आधुनिकीकरण करना है। • इसमें **नौ प्रमुख घटक शामिल** हैं: इनसीटू अपग्रेडेशन ऑफ प्लेन पावरलूम; ग्रुप वर्क्सशेड स्कीम (GWS); यार्न बैंक स्कीम; PM क्रेडिट स्कीम; सोलर एनर्जी स्कीम; जन सुविधा केंद्र (CFC); टेक्स वेंचर कैपिटल फंड; पावरलूम योजनाओं के लिए सरलीकरण, आईटी, जागरूकता, बाजार विकास और प्रचार; तथा पावरलूम सर्विस सेंटर (PSCs) का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन और सहायक अनुदान। • **दो प्रमुख योजनाएँ** निम्नलिखित हैं: ○ **पावरलूम बुनकरों के लिए प्रधान मंत्री क्रेडिट योजना (PMCS);** और ○ पावरलूम के लिए **सौर ऊर्जा योजना।** • **पावरलूम के लिए PMCS:** वित्तीय सहायता (मार्जिन मनी सब्सिडी और ब्याज प्रतिपूर्ति सहित), **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया के** तहत विकेंद्रीकृत पॉवरलूम इकाइयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / महिला उद्यमियों को प्रदत्त क्रेडिट सुविधा की तरह दी जाएगी। • प्राकृतिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और दुर्घटना के कारण आंशिक / स्थायी विकलांगता के मामले में पावरलूम कर्मचारियों (18-59 वर्ष की आयु के) के लिए सार्वभौमिक बीमा का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

45.5. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

(Amended Technology Upgradation Fund Scheme: ATUFS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस को प्रोत्साहित करना तथा सामान्य रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करना और विनिर्माण में मेक इन इंडिया और जीरो इफ़ेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट के माध्यम से निर्यात में वृद्धि करना। • वस्त्र उद्योग में आयात प्रतिस्थापन के साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार और निर्यात वृद्धि को सुगम बनाना तथा अप्रत्यक्ष रूप से वस्त्र मशीनरी विनिर्माण में निवेश में वृद्धि करना।	• यह **केंद्रीय क्षेत्र की** एक क्रेडिट-लिंक्ड **योजना** है। • **इस योजना में** पात्र बेंचमार्क मशीनरी के लिए **परिधान और प्रौद्योगिकीय वस्त्र खंड** हेतु 30 करोड़ रूपए की अधिकतम राशि के साथ **15%** की दर पर तथा **बुनाई, प्रसंस्करण, पटसन, रेशम और हथकरघा खंड** हेतु 20 करोड़ रूपए की अधिकतम राशि के साथ **10%** की दर पर **एकमुश्त पूँजी सब्सिडी का** प्रावधान है। • इस योजना के तहत **इकाइयों / संस्थाओं को नोडल वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सब्सिडी दी** जाती है, न कि राज्य सरकार के माध्यम से। • इसमें **पूंजी निवेश सब्सिडी (CIS)** शामिल है, जबकि TUFS की पूर्व योजनाओं में ब्याज प्रतिपूर्ति और पूंजी सब्सिडी दोनों से संबंधित प्रावधान थे। • ATUFS को परिधान निर्माण जैसे **केंद्रित क्षेत्रों** की ओर लक्षित किया जाता है तथा कताई (spinning) जैसे आधुनिकीकरण के वांछित स्तर को प्राप्त कर चुके क्षेत्रों को लक्षित नहीं किया गया है।

VISION IAS

45.6. वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना

(Scheme For Capacity Building In Textile Sector: SAMARTH)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• **कताई और बुनाई को छोड़कर संगठित कपड़ा क्षेत्र** और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु मांग आधारित, रोजगार उन्मुख NSQF (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) के अनुरूप **कौशल कार्यक्रम** की व्यवस्था करना। • **हैंडलूम, हस्तशिल्प, रेशम-उत्पादन (सेरीकल्चर) और जूट के** पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल विकास और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना। • **वेतन या स्व-रोज़गार के** माध्यम से संपूर्ण देश में समाज के सभी वर्गों को **सतत आजीविका प्रदान** करना।	• 10 लाख व्यक्ति (संगठित क्षेत्र में कार्यरत 9 लाख और पारंपरिक क्षेत्र में कार्यरत 1 लाख लोग)। • कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्ग महिला, ग्रामीण, सुदूर, वामपंथ चरमपंथी प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर।	• यह एक कौशल विकास योजना है। यह योजना **कताई और बुनाई को छोड़कर संगठित क्षेत्र में कपड़ा क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर** करती है। इसे 2017-18 से 2019-20 तक लागू किया जाना है। • इसके तहत कौशल अन्तराल और कौशल आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा और तदनुसार आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। • कार्यक्रम क्षेत्र विशिष्ट हार्ड स्किल के अतिरिक्त, 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल (soft skills) भी प्रदान करेगा। • प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन एक **अधिकृत मूल्यांकन एजेंसी** द्वारा किया जाएगा। • **70% सफल प्रशिक्षुओं के नियोजन (प्लेसमेंट) की गारंटी प्रदान** की जाएगी (संगठित क्षेत्र के लिए, सभी 70% को **वेतन परक रोजगार** में रखा जाएगा, जबकि पारंपरिक क्षेत्र के लिए कम से कम 50% को वेतन परक रोजगार दिया जाएगा) • योजना के तहत **पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग अनिवार्य** है। • हाशिए पर स्थित सामाजिक समूहों और 117 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देना तथा लोक शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था करना। • स्वरोजगार के लिए, **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती ऋण** प्रदान किया जाएगा। • **कार्यान्वयन एजेंसियों** के अंतर्गत वस्त्र उद्योग, वस्त्र मंत्रालय/राज्य सरकारों के ऐसे संगठन/संस्थान सम्मिलित हैं जिनके पास प्रशिक्षण अवसंरचना मौजूद है साथ ही नियोजन (प्लेसमेंट) हेतु वस्त्र उद्योग, प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों (NGOs) आदि के साथ संपर्क (tie-up) स्थापित किया हैं।

45.7. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

साथी (लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकियों का टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण)	यह योजना लघु एवं मध्यम पावरलूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम कीमत के ऊर्जा कुशल पावरलूम, मोटर और रीपेयर किट (rapier kits) प्रदान करने के लिए **वस्त्र मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गयी। (नोट: अधिक जानकारी के लिए, विद्युत मंत्रालय के तहत योजनाएँ देखें)।
दीनदयाल हस्तकला संकुल	यह **वाराणसी** में प्रथम अत्याधुनिक व्यापार केंद्र और शिल्प संग्रहालय है। यह बुनकरों और कारीगरों को विश्व स्तरीय विपणन सुविधाएँ प्रदान करेगा और वाराणसी की पर्यटन क्षमता में भी

VISION IAS

	वृद्धि करेगा।
पुश्तैनी हुनर विकास योजना	यह **पारंपरिक कालीन बुनने वाले परिवारों के बुनकरों को** तकनीकी और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए बदोही के कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान में शुरू की गई।
कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम (Cotton Technical Assistance Programme: TAP)	• भारत द्वारा वर्ष 2012 से 2018 तक **कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम (TAP)** को संचालित किया गया था। जिसमें छह अफ्रीकी देश (बेनिन, बुर्किना फासो, चाड, मालावी, नाइजीरिया और युगांडा) शामिल थे। • हालांकि हाल ही में, वस्त्र मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए TAP के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत C4 (बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली) सहित 11 अफ्रीकी देशों को शामिल किया जाएगा। • इसके तहत क्षेत्रीय विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि, अनुसंधान और विकास/गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन/वितरण अवसंरचना आदि को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
इम्प्रूव कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज फॉर जूट (Jute – ICARE)	• वर्ष 2015 में शुरू की गई इस पायलट परियोजना का उद्देश्य जूट की कृषि करने वालों को रियायती दरों पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना, सीधी रेखा में बुवाई की सुविधा के लिए सीड ड्रिल, आवधिक निराई करने के लिए नेल-वीडर्स और सीमित जल वाली परिस्थितियों में कई नव विकसित रेटिंग (Retting) तकनीकों को बढ़ावा देना है।
'पहचान' कार्ड	• वस्त्र मंत्रालय ने **"पहचान"** पहल के तहत हस्तशिल्प कारीगरों को आधार से संबद्ध पहचान पत्र जारी करने हेतु एक पहल की शुरुआत की है • पहचान कार्ड में हस्तशिल्प कारीगरों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं को शामिल किया जाता है: नाम और पता, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर तथा शिल्प व्यवसाय।
महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना	• इसके द्वारा देश भर में 51-59 वर्ष के आयु वर्ग (जिन्होंने पहले से ही इस योजना के तहत 31.5.2017 को नामांकन कर लिया था) के हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों को जीवन, दुर्घटना और विकलांगता बीमा कवरेज जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाएंगे। • वार्षिक प्रीमियम 470 रुपए हैं। • LIC द्वारा मुवावजा राशि को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दिया जाता है।
सतत संकल्प (Project SU.RE)	• हाल ही में, केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI), यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया और IMG रिलायंस के साथ सतत संकल्प परियोजना आरम्भ की गई है। • सतत संकल्प परियोजना वस्तुतः **सतत फैशन (sustainable fashion) की ओर अग्रसर होने** के लिए **भारतीय परिधान उद्योग** सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। ○ SU.RE का अर्थ है - **'सतत संकल्प' (Sustainable Resolution)** - जो स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देता है। • इसका उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs-2030)**, विशेष रूप से **उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन हेतु SDG -12**, में योगदान देना है। • यह **तेजी से जागरूक होते उन उपभोक्ताओं** की आवश्यकताओं का समाधान करेगा, जो ऐसे ब्रांड से खरीद को प्राथमिकता प्रदान करेंगे, जो पर्यावरण के प्रति सजग (environmentally conscious) हो और **पर्यावरण संरक्षण में संलग्न हो।**

VISION IAS

46. पर्यटन मंत्रालय

(Ministry of Tourism)

46.1. स्वदेश दर्शन

(Swadesh Darshan)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• पर्यटन को **आर्थिक विकास** एवं रोजगार सृजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण **साधन के रूप में स्थापित करना।** • योजनाबद्ध रूप से और प्राथमिकता के आधार पर उन **सर्किट्स को विकसित** करना जिनमें पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है; • पहचाने गए क्षेत्रों में आजीविका के सृजन हेतु देश के **सांस्कृतिक और विरासत मूल्यों को** बढ़ावा देना; • सर्किट/गंतव्य स्थलों में विश्व स्तरीय अवसंरचना को विकसित करके **धारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण** को बढ़ाना; • **समुदाय आधारित विकास और निर्धनों के अनुकूल पर्यटन दृष्टिकोण** का पालन करना • आय के बढ़ते स्रोतों, बेहतर जीवन स्तर और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदायों के मध्य पर्यटन के महत्व के संबंध में **जागरूकता का प्रसार करना।** • स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से **रोजगार के अवसरों का सृजन करना।**	• यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में महत्वपूर्ण पर्यटन अवसंरचना को सतत और समावेशी ढंग से विकसित किया जा रहा है ताकि भारत को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य बनाया जा सके। • इस योजना के अंतर्गत ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जहां निजी क्षेत्र निवेश करने के इच्छुक नहीं है, इनमें अंतिम स्थान तक संपर्क अर्थात् लास्ट माइल क्नेक्टीविटी, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर्स, सड़क किनारे संबंधी सुविधाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रोशनी का प्रबंध, लैंडस्केपिंग, पार्किंग आदि की सुविधाएँ शामिल हैं। • यह योजना 100% केंद्र वित्तपोषित है तथा इसके तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण प्राप्त करने और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिब्लिटी (CSR) पहल हेतु उपलब्ध स्वैच्छिक वित्तीयन का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। • इस योजना के तहत विकास हेतु **15 थीम आधारित पर्यटन सर्किट्स** को चिन्हित किया गया है। • ये सर्किट्स हैं- पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्ण सर्किट, मरुस्थल सर्किट, जनजातीय सर्किट, इको सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, धरोहर सर्किट, सूफी सर्किट और तीर्थंकर सर्किट। • **पर्यटक सर्किट को, ऐसे मार्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें कम से कम तीन विशिष्ट तथा भिन्न पर्यटन स्थल उपस्थित हों।** • छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के तहत हाल ही में प्रथम जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया गया।

46.2. तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन- प्रसाद योजना

{National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) Scheme}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव** प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक नियोजित और धारणीय तरीके से **तीर्थ स्थलों का एकीकृत**	• हाल ही में, केंद्र सरकार ने **उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री तथा मध्यप्रदेश के अमरकंटक व झारखंड के पारसनाथ** को योजना में शामिल

VISION IAS

विकास करना। • रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर **प्रत्यक्ष और गुणक प्रभाव हेतु तीर्थाटन पर्यटन का उपयोग करना।** • धार्मिक गंतव्यों में विश्व स्तरीय अवसंरचना को विकसित करके **धारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण को बढ़ाना;** • **स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, व्यंजन** इत्यादि को बढ़ावा देना।	किया है। • यह योजना **अवसंरचना विकास** पर लक्षित है जैसे-प्रवेश स्थल (सड़क, रेल और जल परिवहन), लास्ट माइल कनेक्टिविटी) मौलिक पर्यटन सुविधाएँ उदाहरणार्थ- सूचना/विवेचन केंद्र एटीएम/मनी एक्सचेंज, पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन आदि। • सार्वजनिक वित्त पोषण के अंतर्गत शामिल घटकों के लिए, **केंद्र सरकार 100% वित्त प्रदान करेगी।** • परियोजना के बेहतर स्थायित्व के लिए, **PPP और CSR को** शामिल करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

46.3. धरोहर गोद लें/अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना

(Adopt A Heritage/Apni Dharohar Apni Pehchan Project)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• धरोहर स्मारकों में और इनके आस-पास **बुनियादी पर्यटन ढांचे** का विकास करना। • विरासत स्थल/स्मारक या पर्यटक स्थल के लिए **समावेशी पर्यटक को बढ़ावा देना।** • संबंधित विरासत स्थल/स्मारक/पर्यटक स्थल के स्थानीय समुदायों की आजीविका सृजन हेतु **देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा** देना। • **धारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण को बढ़ावा** देना। • स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से **रोजगार सृजन करना।** • **रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास में इसके गुणक प्रभावों** के संदर्भ में पर्यटन क्षमता का उपयोग करना। • संधारणीय पर्यटन अवसंरचना का विकास करना।	• **यह संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** के घनिष्ठ सहयोग से **पर्यटन मंत्रालय** की एक अद्वितीय पहल है। • इस **योजना के तहत, निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट से संबंधित व्यक्ति** किसी भी स्थल को गोद ले सकते हैं और संरक्षण एवं विकास के माध्यम से धरोहर तथा पर्यटन को और अधिक संधारणीय बनाने का उत्तरदायित्व ले सकते हैं। • यह परियोजना मुख्यतः **विश्व स्तरीय पर्यटक अवसंरचना और सुविधाओं** के विकास एवं रखरखाव पर केंद्रित है। • **पर्यटन मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार की निधि प्रदान नहीं की गई है।** स्थल एक अंगीकरण के पश्चात् स्मारक के विधिक दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। • ये कंपनियां भविष्य की **'स्मारक मित्र'** होंगी, जो अपनी CSR गतिविधियों के साथ गौरव (pride) को संबद्ध करती है। • यह परियोजना **गैर-प्रमुख क्षेत्रों तक सीमित 'पहुंच' की परिकल्पना करती है** तथा इसके अतिरिक्त 'स्मारकों को किसी अन्य को सुपुर्द नहीं' किया जा सकता।

46.4. पर्यटन पर्व

(Paryatan Parv)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
भारतीयों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा करने तथा **"सभी के लिए पर्यटन"** के संदेश को प्रसारित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ **"देखो अपना देश"** के संदेश का प्रचार-प्रसार करना।	• **पर्यटन पर्व के घटक** ○ **देखो अपना देश:** यह भारतीयों को अपने देश में भ्रमण करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। इसके अंतर्गत वीडियो, फोटोग्राफ और इस अवसर पर उपस्थित लोगों के मध्य ब्लॉग प्रतियोगिताएं, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटकों के अनुभव से प्राप्त भारत के वृत्तांत चित्रण आदि शामिल होंगे। ○ **सभी के लिए पर्यटन:** देश के सभी राज्यों में पर्यटन समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। ये मुख्य रूप से व्यापक स्तर पर सार्वजनिक सहभागिता के साथ लोगों के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यकलापों में नृत्य, संगीत, थिएटर, पर्यटन प्रदर्शनियां, पाक शैली, हस्तशिल्प, हथकरघा आदि का प्रदर्शन शामिल है। ○ **पर्यटन और शासन:** देश भर में विभिन्न विषय वस्तुओं (पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास, पर्यटन में नवाचार और प्रतिष्ठित स्थलों के निकट स्थित स्थानों पर ग्रामीण पर्यटन का विकास आदि) पर हितधारकों के साथ मिल कर संवादमूलक सत्रों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। • **इंडिया टूरिज़्म मार्ट (IMT):** पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारतीय पर्यटन व अतिथि सत्कार परिसंघ (Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality: FAITH) की भागीदारी के साथ पर्यटन पर्व के दौरान पहली बार IMT-2018 (2019 में दूसरा) का आयोजन किया गया यह विदेशी खरीदारों के साथ व्यापार और वार्ता स्थापित करने हेतु पर्यटन से संबंधित विभिन्न हितधारकों को एक मंच प्रदान करता है।

46.5. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

अतुल्य भारत 2.0 अभियान (INCREDIBLE INDIA 2.0 CAMPAIGN)	• इस अभियान का उद्देश्य **विदेशी और घरेलू, दोनों प्रकार के पर्यटकों की संख्या को दोगुना** करना है। • यह परंपरागत प्रचार साधनों के स्थान पर बाजार विशिष्ट प्रचार योजनाओं एवं उत्पाद विशिष्ट रचनाओं की ओर स्थानान्तरण को चिन्हित करता है, इसके लिये डिजिटल उपस्थिति और सोशल मीडिया पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा हैं। • यह अभियान प्रमुख मौजूदा बाजारों के साथ-साथ महत्वपूर्ण संभावित बाजारों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। **विरासत पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, कल्याण और चिकित्सा पर्यटन, MICE, गोल्फ इत्यादि जैसे अग्रणी पर्यटन रूपों को अतुल्य भारत 2.0 अभियान के माध्यम से बढ़ावा दिया** जा रहा है।

47. जनजातीय कार्य मंत्रालय

(Ministry of Tribal Affairs)

47.1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

(Eklavya Model Residential School: EMRS)

उद्देश्य	अपनाई गयी रणनीति	प्रमुख विशेषताएं
• दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना; • उन्हें उच्च और पेशेवर शैक्षिक पाठ्यक्रमों में तथा सरकारी और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में नौकरियों हेतु प्राप्त आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाना; • अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गैर-जनजातीय आबादी के समान शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच प्रदान करना।	• प्रत्येक EMRS में नामांकित सभी छात्रों का व्यापक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विकास। • कक्षा 9वीं से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक सहायता पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। • विद्यार्थी के जीवनकाल की शैक्षिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली अवसंरचना के निर्माण में सहायता करना। • वार्षिक व्ययों का इस प्रकार समर्थन करना, जो कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक प्रदान कर सकें और उनकी सुविधाओं को बनाए रखने में सक्षम हों।	• 50% से अधिक जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले सभी जनजातीय ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की स्थापना की जाएगी। • EMDBS को उन सभी पहचाने गए उप-जिलों/ब्लॉक्स में स्थापित किया जाएगा, जहाँ अनुसूचित जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक (90% या उससे अधिक) है। • एकलव्य विद्यालय जनजातीय विद्यार्थियों को आवास और भोजन की सुविधाएँ प्रदान करेंगे। • ये जवाहर नवोदय विद्यालयों के समान हैं (इन विद्यालयों का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को महत्व दिए बिना उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है)। • इन विद्यालयों में खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त स्थानीय कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने हेतु विशेष सुविधाएँ होंगी। • EMRSs को संचालित करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति के समकक्ष एक स्वायत्त सोसाइटी को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

47.2. जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना

(Scheme Of Ashram Schools In Tribal Sub-Plan Areas)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• PTGs (आदिम जनजातीय समूह) सहित **अनुसूचित जनजातियों के मध्य शिक्षा को बढ़ावा** देना।	• यह जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में संचालित एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है • गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित नक्सल प्रभावित जिलों में बालिकाओं और बालकों के लिए आश्रम विद्यालयों के निर्माण हेतु समय-समय पर 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा गैर-नक्सल प्रभावित जिलों में बालकों के लिए आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु गृह मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण अनुमानित लागत की केवल 50% धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत गृह मंत्रालय द्वारा पूर्णत: या निश्चित अनुपात में भागीदारी के रूप में **केवल निर्माण लागत** ही प्रदान की जाती है। • सरकार द्वारा इस **योजना को 2018-19 से समाप्त करने** तथा इसके तहत किये जा रहे

VISION IAS

	हस्तक्षेपों को **'जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to TSS/TSP)' योजना में सम्मिलित करने** का प्रस्ताव रखा गया है। SCA to TSP को केंद्र द्वारा 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। • ये विद्यालय **मांग आधारित** हैं और **प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक** की शिक्षा प्रदान करते हैं।

47.3. वनबंधु कल्याण योजना

(Vanbandhu Kalyan Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। • शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। • आदिवासी परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सतत रोजगार सुनिश्चित करना। • गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अवसंरचनात्मक अंतर को समाप्त करना। • जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना।	• यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। इसका उद्देश्य देश भर में सभी जनजातीय लोगों तथा जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करना है। • यह योजना सुनिश्चित करती है कि **जनजातीय उप-योजनाओं** के अंतर्गत कवर की गयी सभी केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के **सभी अपेक्षित लाभ उपयुक्त अभिसरण के माध्यम से वास्तव में उन जनजातियों तक** पहुंच सकें।

47.4. प्रधानमंत्री वन धन योजना

(Pradhan Mantri Van Dhan Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसका उद्देश्य कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन सुविधा स्थापित करना है।	• यह एक **मार्केट लिंक्ड ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम** है, जो जनजातीय स्व-सहायता समूहों का क्लस्टर निर्माण तथा उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों के रूप में सुदृढ़ करता है। • ट्राइफेड लघु वनोत्पाद (MFP)-आधारित बहु-उद्देशीय **वन धन विकास केन्द्र** स्थापित करने में सहायता करेगा। यह 10 स्वयं सेवी समूहों (SHGs) का केन्द्र होगा, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में 30 MFP एकत्रित करने वाले शामिल होंगे। • देश के वन क्षेत्रों के जनजातीय जिलों में दो वर्ष में **लगभग 3,000 ऐसे वन धन केन्द्र स्थापित** करने का प्रस्ताव किया गया है। • हाल ही में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में **प्रथम मॉडल वन धन विकास केंद्र** स्थापित किया गया है।

47.5. न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वनोपज मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र

{Scheme For 'Mechanism For Marketing of Minor Forest Produce (MFP) Through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain For MFP}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• स्थानीय स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ उनके द्वारा एकत्रित किए गए चिन्हित लघु वन उपज	• MSP का निर्धारण MFP में से प्रत्येक के लिए मूल्य के आधारभूत सर्वेक्षण, प्रत्येक राज्य के लिए संग्रह की लागत, सफाई की लागत

(MFP) के लिए मुख्य रूप से MS के माध्यम से MFP संग्रहकर्ताओं के लिए उचित प्रतिफल (रिटर्न) सुनिश्चित करना।	और प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं परिवहन लागत के आधार पर किया जाएगा। • TRIFED में गठित एक मूल्य निर्धारण सेल को यह कार्य सौंपा जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय अंततः उस राज्य के लिए चयनित प्रत्येक MFP के लिए राज्यवार MSP को मंजूरी देगा और घोषणा करेगा। • संग्रह की लागत में संशोधन के आधार पर प्रत्येक तीन वर्ष में किए जाने वाले मूल्य की समीक्षा। • इस योजना को भारत के सभी राज्यों में लागू किया जा सकता है।

47.6. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

ट्राईफूड (TRIFOOD) योजना	• यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और TRIFED की एक संयुक्त पहल है। • इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और महाराष्ट्र के रायगढ़ में तृतीयक मूल्य संवर्धन केंद्र स्थापित किया जाएगा। • इस उत्पादन की एक विशेषता परम्परागत महुआ ड्रिंक होगा। इस परियोजना के अंतर्गत इस परम्परागत आदिवासी ड्रिंक को देश की मुख्यधारा में लाया जाएगा और उसकी मार्केटिंग की जाएगी।
"आदिवासियों के मित्र" पहल ("Friends of Tribes" initiative)	• इस पहल के तहत, ट्राइफैड ने आदिवासियों की आजीविका बढ़ाने के लिए CSR कोष को जोड़ दिया है।
गो ट्राइबल कैंपेन	• इसे ट्राइफेड ने जागरुकता सृजन और जनजातीय कला एवं शिल्प को प्रोत्साहित करने तथा साथ ही देश भर में 700 से अधिक भारतीय जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया है। • इसके तहत ट्राइब्स इंडिया ब्रांड एंड आउटलेट्स के तहत उपलब्ध उत्पादों की ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि के माध्यम से खरीद की जा सकती है।
'गोल' (Going Online As Leaders: GOAL) कार्यक्रम	• यह आदिवासी युवाओं को सशक्त करने तथा संबंधित क्षेत्रों में भावी नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने हेतु **फेसबुक की एक डिजिटल मेंटरशिप पहल** है। • इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न स्थानों पर आदिवासी समुदायों को डिजिटल रूप से सशक्त और आदिवासी युवाओं को व्यक्तिगत रूप से परामर्श प्रदान करने के लिए उद्योगों/निकायों से (नीति निर्माताओं और लोकप्रिय) प्रतिष्ठित लोगों (अपने नेतृत्व कौशल या भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध) की पहचान करना और उन्हें संगठित करना है।

VISION IAS

48. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(Ministry of Women and Child Development)

48.1. एकीकृत बाल विकास सेवाएं

(Integrated Child Development Services)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• छोटे बच्चों में अल्पपोषण (अल्प वजनी 0-3 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत) को 10 प्रतिशत से कम करना एवं रोकना;
• बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना;
• मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने संबंधी घटनाओं को कम करना;
• बाल विकास प्रोत्साहन हेतु विभिन्न विभागों के मध्य नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना; तथा
• उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता में वृद्धि करना।
	• यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
	• इसमें संबंधित गांव से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक को शामिल किया जायेगा।
	• यह एक सार्वभौमिक और आत्म-चयन आधारित योजना है अर्थात कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर इन सेवाओं हेतु नामांकन करा सकता है।
	• **छह सेवाओं का पैकेज** इस प्रकार है:
	  ○ पूरक पोषण कार्यक्रम
	  ○ पूर्व स्कूली शिक्षा
	  ○ स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा,
	  ○ टीकाकरण,
	  ○ स्वास्थ्य जांच और
	  ○ लाभार्थियों को निर्दिष्ट सेवाएं;
	अम्ब्रेला ICDS के तहत उप-योजनाएँ
	• **आंगनवाड़ी सेवाएं -** यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के समग्र विकास के लिए है।
	• **बाल संरक्षण सेवाएं** - इसका उद्देश्य क़ानूनी विवाद में संलग्न बच्चों एवं देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सकुशल व सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सुभेद्यता को कम करना है।
	• **राष्ट्रीय क्रेच (creche) सेवा -** इसका उद्देश्य काम करने वाली माताओं के बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करना है। इस प्रकार यह उन्हें रोजगार प्राप्ति करने **के लिए सशक्त बनाती है।**
	• **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना**
	• **पोषण अभियान**
	• **किशोर लड़कियों के लिए योजना**

48.1.1. राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान)

{National Nutrition Mission (Poshan Abhiyaan)}

मिशन के बारे में	लक्ष्य	प्रमुख विशेषताएं
• **राष्ट्रीय पोषाहार रणनीति** ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना के लिए रोडमैप निर्धारित किया है। • यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसे **पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के** साथ नोडल मंत्रालय के रूप में **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD)** के द्वारा संयुक्त	• इस मिशन के तहत प्रति वर्ष ठिगनेपन (स्टंटिंग) या अल्पपोषण और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या (6-59 माह की आयु) में 2% और एनीमिया से ग्रसित महिलाओं/किशोरियों (15-49 वर्ष की आयु) की संख्या में 3% तक कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। • यह वर्ष 2022 तक ठिगनेपन या अल्पविकास के मामलों में 38.4%	• NNM एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में जीवन चक्र अवधारणा (life cycle concept) के साथ पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण एवं लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन का काम करेगा। • कुपोषण का समाधान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के योगदान का प्रतिचित्रण। • ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) आधारित वास्तविक समय (Real

रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।	(NFHS -4) से 25% तक कमी लाने का प्रयास करेगा (वर्ष 2022 तक मिशन 25)। • यह **तीन चरणों** में लागू किया जाएगा: (2017-18, 2018-19 और 2019-20)। 'अत्यधिक बोझ वाले' 315 जिलों को पहले चरण, 235 को अगले और शेष को आखिरी चरण में शामिल किया जाएगा।	Time) निगरानी प्रणाली। • लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना। • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW) को IT आधारित उपकरणों का उपयोग करने और रजिस्टरों के प्रयोग की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना। • आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लम्बाई का मापन। • बच्चों की स्वास्थ्य प्रगति की निगरानी हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा। • पोषण संसाधन केंद्र की स्थापना।

48.1.2. भारतीय पोषण कृषि कोष

(Bhartiya Poshan Krishi Kosh: BPKK)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• एक **कृषि खाद्य एटलस का विकास** तथा **पोषण अभियान** के लिए एक जन-आंदोलन हेतु आशाजनक प्रथाओं का प्रलेखन करना।	• इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन (BMGF) के सहयोग से **महिला और बाल विकास मंत्रालय** द्वारा आरंभ किया गया है। • **कृषि-खाद्य एटलस (जिसे पोषण एटलस के रूप में भी जाना जाता है),** भारत में 128 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विविध प्रकार की फसलों का भंडार होगा। इसके तीन भाग हैं यथा: यह वर्तमान में उगाई जाने वाली फसलें, कृषि-पारिस्थितिक स्थिति (मृदा, जैविक कार्बन सामग्री, भू-जल की उपलब्धता आदि) तथा आहार विविधता और पोषण को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष जिले या प्रखंड में फसलों की अधिक विविधता को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना। • परियोजना के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, कृषि-संगणना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, **इसरो (ISRO) के उन्नत वाइड फील्ड सेंसर (AWiFS)** और **नासा (NASA) के मॉडरेट रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो-रेडियो मीटर** जैसे **विविध डेटा स्रोतों** का उपयोग किया गया है। • यह परियोजना **सामाजिक, व्यवहारिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का भी एक दस्तावेज़** है, जो स्वस्थ आहार संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देती है तथा उसे सुदृढ़ करती है।

48.1.3. किशोर लड़कियों के लिए योजना

(Scheme For Adolescent Girls)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• किशोर लड़कियों को स्व-विकास और सशक्तीकरण के लिए सक्षम करना। • उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। • स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, किशोरावस्था, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (ARSH) तथा परिवार एवं बाल देखभाल के संदर्भ में जागरूकता	11-14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली किशोरियां।	• पोषण संबंधी प्रावधान। • लौह और फोलिक एसिड (IFA) पूरकता। • स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं। • पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (NHE)। • परिवार कल्याण, ARSH, बाल देखभाल प्रथाओं और गृह प्रबंधन पर परामर्श/मार्गदर्शन। • घरेलू कौशल विकास, जीवन कौशल में सुधार करना तथा

VISION IAS

को बढ़ावा देना। • शिक्षित करना, कौशल निर्माण और उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना।		इसे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (NSDP) के साथ व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने के लिए एकीकृत करना। • स्कूल न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक / गैर-औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में लाना। • मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं, जैसे- PHC,CHC, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन इत्यादि के बारे में जानकारी/मार्गदर्शन प्रदान करना। • इस योजना को एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के तहत मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) के माध्यम से क्रियान्वयित किया जाएगा।

किशोरी हेल्थ कार्ड	• इस योजना के तहत प्रदान की गई अन्य सेवाओं के साथ राज्य द्वारा वजन, ऊंचाई, बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के बारे में जानकारी दर्ज करने हेतु अंगवाड़ी केंद्रों (AWCs) में किशोर लड़कियों के लिए किशोरी हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है। • SAG के तहत प्राप्त उपलब्धियों/परिणामों का विवरण किशोरी हेल्थ कार्ड पर अंकित होता है और कार्ड में किशोरियों के जीवन से (जिसमें उनके स्कूलों में नामांकन कराना भी शामिल है) संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उपलब्ध होती हैं।

48.1.4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

(Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• गर्भवती महिला के वेतन कटौती के मामलों में नकद प्रोत्साहन के रूप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना ताकि महिला को प्रथम जीवित बच्चे के जन्म से पूर्व और पश्चात् पर्याप्त आराम मिल सके। • नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) के स्वास्थ्य में सुधार।	• सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएँ (PW&LM) सिवाय उन्हें छोड़कर जो केंद्र या राज्य सरकारों या PSU में नियमित रोजगार में हैं या जहाँ किसी अन्य कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं। • परिवार में जन्मे प्रथम बच्चे के लिए	• तीन किस्तों में 5,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन जिसमें गर्भावस्था के पंजीकरण के समय 1,000 रुपये की पहली किस्त प्रदान की जाएगी, 6 महीने की गर्भावस्था के पश्चात् 2,000 रुपये की दूसरी किस्त प्रदान की जाएगी और जब बच्चे के जन्म का पंजीकरण हो जाता है तथा साथ ही बच्चे का BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहला टीका चक्र पूर्ण हो जाता है तो 2,000 रुपये की तीसरी किस्त प्रदान की जाएगी। • योग्य लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त होगा और JSY के तहत प्राप्त प्रोत्साहन राशि मातृत्व लाभों की प्राप्ति के लिए होगी। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रूपये प्राप्त होंगे। • एनीमिया और आयरन एवं फोलिक एसिड (IFA) सप्लीमेंट, गर्भावस्था में कैल्शियम सप्लीमेंट, गर्भावस्था में कृमि मुक्ति (Deworming) हेतु गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग।

VISION IAS

48.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

(Beti Padhao Beti Bachao: BBBP)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की प्रक्रिया का उन्मूलन करना। • बालिकाओं का **अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित** करना। • बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना।	• इस योजना के **दो प्रमुख घटक हैं:** ○ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के लिए समर्थन एवं जन संचार अभियान। ○ प्रतिकूल CSR वाले 100 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहुक्षेत्रीय कार्यवाही करना। • बालिकाओं को समान महत्व एवं उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु निरंतर सामाजिक संगठनात्मकता एवं संचार अभियान। • यह योजना जिला / ब्लॉक / ज़मीनी स्तर पर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-संस्थागत अभिसरण (convergence) को संभव बनाएगी। • यह एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है, जो 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। • इसमें व्यक्तिगत नकद हस्तांतरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। • सहायता अनुदान को MoW&CD द्वारा, सीधे चयनित जिले के जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट को जारी किया जाता है। • इस योजना को स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर ICDS प्लेटफॉर्म / महिला शक्ति केंद्रों / DLCW के माध्यम से लागू किया जाएगा। **निगरानी योग्य लक्ष्यों में शामिल हैं-** • चयनित प्रतिकूल CSR वाले जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात (Sex Ratio at Birth: SRB) में 2 अंकों का सुधार लाना। • पांच वर्ष से कम आयु के बाल मृत्यु दर में लिंगअंतराल को वर्ष 2014 के 7 अंक (नवीनतम उपलब्ध SRS रिपोर्ट के अनुसार) से प्रति वर्ष 1.5 अंक कम करना। • संस्थागत प्रसव में प्रति वर्ष कम से कम 1.5% की वृद्धि। • 2018-19 तक माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में 82% तक वृद्धि करना। • चयनित जिलों के प्रत्येक स्कूल में बालिकाओं के लिए क्रियाशील शौचालयों (functional toilet) की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • 5 वर्ष से कम उम्र के अल्पभार और रक्ताल्पता से ग्रसित बालिकाओं की संख्या में कमी लाकर बालिकाओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना। • ICDS का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करना। • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन के माध्यम से कन्या शिशु हेतु एक सुरक्षात्मक वातावरण को बढ़ावा देना। • CSR (child sex ratio) में सुधार करने और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु समुदायों को एकजुट करने के लिए कम्युनिटी चैंपियंस के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधियों /ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। • राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, और ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर पर BBBP योजना की निगरानी। BBBP से सम्बंधित सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री के प्रसार हेतु **डिजिटल गुड्डी-गुड्डा बोर्ड** एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर जन्म से सम्बंधित मासिक आंकड़े को अपडेट किया जाता है। इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना के तहत सर्वोत्तम व्यवहार के रूप में अपनाया गया है।

VISION IAS

48.2.1. सुकन्या समृद्धि योजना

(Sukanya Samruddhi Yojana)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development and Ministry of Finance)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• माता-पिता को एक लड़की के नाम पर खाता खोलने और उसके कल्याण के लिए निर्धारित सीमा तक अपनी अधिकतम बचत को इसमें जमा करने हेतु प्रेरित करना। • लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा व्यय की आवश्यकता को पूरा करना। • लड़कियों के कम आयु में होने वाले विवाह को रोकना और परिवार की बचत एवं संसाधनों में लड़कियों की समान हिस्सेदारी (जहां लड़कियों के साथ सामान्यतः लड़कों की तुलना में भेदभाव किया जाता है) को सुनिश्चित करना।	• यह एक अल्प बचत योजना है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना का एक भाग है। जिसकी ब्याज दर बैंकों (वर्तमान में यह 8.4% है) द्वारा दी जाने वाली सामान्य बचत दर से अधिक है। • सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपये की न्यूनतम जमा और अधिकतम 1.5 लाख रुपये के साथ लड़की की शिक्षा तथा विवाह के व्ययों के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए खोला जाता है। • माता-पिता या कानूनी अभिभावक लड़की के दस वर्ष की आयु के होने के पूर्व उसके नाम पर एक खाता खोल सकते हैं। • बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 50% राशि निकाल सकती है। यह 18 वर्ष की समय सीमा बाल-विवाह को रोकने में भी सहायता करेगी। • वार्षिक जमा (योगदान) धारा 80C के तहत लाभ के लिए अर्ह है तथा परिपक्वता लाभ गैर-कर योग्य होते हैं। • **जमा करने की अवधि:** खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष तक। • SSY खाते में खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने तक जमा किया जा सकता है। • **खाते का हस्तांतरण:** खाते को भारत में कहीं भी हस्तांतरित किया जा सकता है। यदि जिसके नाम पर खाता है वह बालिका शहर या क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होती है तो वहां खाते को स्थानांतरित किया जा सकता है। • हाल ही में, इस योजना के नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं: ○ **डिफॉल्ट अकाउंट में भी अधिक ब्याज दर:** पूर्व के डिफ़ॉल्ट अकाउंट (जिस खातों में वार्षिक रूप से 250 रूपये की न्यूनतम राशि को बनाए नहीं रखा गया था) में जमा राशि पर केवल पोस्ट ऑफिस बैंक ब्याज दर ही प्रदान की जाती थी। हालांकि, अब, ऐसे खातों में जमा पर भी उच्च ब्याज दर प्रदान की जाएगी। ○ **खाते का समय-पूर्व बंद करना:** बालिका की मृत्यु या निवास स्थान के परिवर्तन संबंधी के पूरवर्ती आधारों के साथ-साथ नए नियमों के तहत अनुकम्पा (compassionate) आधार के साथ-साथ चिकित्सा आपातकाल या बालिका के उपचार जैसे आधारों को भी शामिल किया गया है। ○ **खाते का संचालन:** पहले, बालिका 10 वर्ष की आयु के पश्चात् ही SSA को संचालित कर सकती थी। हालाँकि, अब इसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है और तब तक केवल अभिभावक द्वारा ही इसे संचालित किया जाएगा। ○ **दो से अधिक बालिकाओं का खाता खुलवाना:** पहले, अभिभावक को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता था। अब, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

48.3. उज्ज्वला योजना

(Ujjawala Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• तस्करी की रोकथाम और सीमा-पार के पीड़ितों के उनके मूल देश में बचाव, पुनर्वास, पुन: एकीकरण एवं प्रत्यावर्तन करना।	• पुनर्वास केंद्रों को आश्रय और बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं, जैसे: ○ खाद्य, वस्त्र, चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता;

	○ यदि पीड़ित बच्चे हैं तो शिक्षा; ○ पीड़ितों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय सृजन गतिविधियाँ।

48.4. किशोर लड़कों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना - सक्षम

(Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Boys-SAKSHAM)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• किशोर लड़कों (11-18 yrs) को आत्मनिर्भर, लिंग-संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनाने हेतु उनका सर्वांगीण विकास करना।	• लड़कों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करना तथा उनके स्वच्छता, पोषण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। • राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (NSDP) के माध्यम से 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना। • एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) के तहत निर्मित संरचनाओं का उपयोग मंच के रूप में किया जाएगा। यह केंद्र और राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निर्मित एक समर्पित सक्षम इकाई द्वारा समर्थित होगा।

48.5. स्वाधार गृह योजना

(Swadhar Greh Scheme)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह स्थापित करना। इनके कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: ○ इस योजना के तहत महिलाओं की आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा उपचार जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति और कठिन परिस्थितियों से पीड़ित तथा सामाजिक एवं आर्थिक सहायता से वंचित महिलाओं की देखभाल करना। ○ उन्हें परिवार/समाज में पुनः समायोजन के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाने हेतु कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। ○ उन्हें आर्थिक और भावनात्मक रूप से पुनर्स्थापित करना। ○ उन्हें अपने जीवन को दृढ़ विश्वास व गरिमा के साथ पुनः आरंभ करने में सक्षम बनाना।	**18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की वैसी महिलाएं:** • जो परित्यक्त हैं, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं, जेल से मुक्त हुई महिला कैदी हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, पारिवारिक तनाव या विवाद से परेशान हैं अथवा तस्करी की गयी महिलाएं/लड़कियाँ (जो वेश्यालयों या अन्य स्थानों से भागी हुई या बचाई गयी)। • उपर्युक्त श्रेणियों की महिलाओं के साथ उनके बच्चों को भी अपनी मां के साथ स्वाधार गृह में रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी (18 वर्ष की आयु तक की बालिकाएं और 8 वर्ष तक की आयु के बालक)।	• कोई भी सरकारी या सिविल सोसायटी संगठन इस योजना के तहत सहायता ले सकता है। • उद्देश्यों को निम्नलिखित रणनीतियों के अंतर्गत प्राप्त किया जाएगा- ○ भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाओं आदि की उपलब्धता के साथ रहने के लिए अस्थायी आवास। ○ ऐसी महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के लिए व्यावसायिक और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण। ○ परामर्श, जागरूकता सृजन और व्यावहारिक प्रशिक्षण। ○ कानूनी सहायता और मार्गदर्शन। ○ टेलीफोन के माध्यम से परामर्श। **स्वाधार गृह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) अनुवर्ती योजना है।**

VISION IAS

48.6. जेंडर चैंपियंस योजना

(Gender Champions scheme)

यह **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय** का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• युवा लड़के और लड़कियों को लैंगिक रूप से संवेदनशील (जेंडर सेंसिटिव) बनाकर एक ऐसे सकारात्मक सामाजिक मानदंडों का निर्माण करना, जो महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों का सम्मान करते हैं।	• शैक्षिक संस्थानों में नामांकित 16 वर्ष से अधिक आयु के लड़के और लड़कियाँ, दोनों **जेंडर चैंपियंस** बन सकते हैं।	• जेंडर चैंपियंस की ऐसे जिम्मेदार नेतृत्वकर्ताओं के रूप में कल्पना की गयी है, जो अपने स्कूलों/कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों के भीतर एक ऐसे सक्षम परिवेश का निर्माण करेंगे, जिसमें लड़कियों के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार किया जाता हो। • यह योजना लैंगिक समानता का समर्थन करने और लैंगिक न्याय की दिशा में होने वाली प्रगति की निगरानी करने के लिए युवा लड़कियों और लड़कों की क्षमता को मज़बूत बनाएगी।

48.7. सखी वन स्टॉप सेंटर

(Sakhi One Stop Centres)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• निजी या सार्वजनिक स्थानों, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना। • महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के किसी भी स्वरूप से निपटने के लिए एक ही स्थान पर चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित कई अन्य प्रकार की सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना।	• जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना, हिंसा से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों सहित सभी महिलाएं।	• इसे **निर्भया फंड के माध्यम से वित्तपोषित** किया जाता है। • केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन। • ये **प्रत्येक समय कार्य करने (24×7) वाले केंद्र** हैं, जहाँ कोई भी महिला जो प्रतिकूल परिस्थिति में हो, या उसकी ओर से कोई अन्य, वूमेन टोल-फ्री हेल्पलाइन 181 पर फोन करके सखी सेंटर से सहायता हेतु प्रयास कर सकता है।

48.8. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

पहल	प्रमुख विशेषताएं
महिला ई-हाट (Mahila E-Haat)	• यह महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन विपणन मंच है। • **लाभार्थी -** 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी भारतीय महिला नागरिक और महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) • यह महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पहल है। इसके माध्यम से महिला उद्यमियों के द्वारा निर्मित/विनिर्मित/बिक्री योग्य उत्पादों के प्रदर्शन लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा। • यह मंच महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत निकाय है तथा इसे राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा स्थापित किया गया है। इसे राष्ट्रीय महिला कोष के साथ अधिकतम 10 लाख रुपये के निवेश के साथ स्थापित किया गया है।
प्रधान मंत्री महिला शक्ति	• यह प्रधानमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना (PMMSY: एक अम्ब्रेला योजना) के तहत एक नवीन

VISION IAS

केंद्र (PMMSK)	उप-योजना है तथा वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित है। • ग्रामीण महिलाओं की सरकार तक पहुँच बनाने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है ताकि वे अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें और उन्हें प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाया सके। ○ यह योजना 23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित की गई है। • PMMSK ब्लॉक स्तरीय पहल: इसके तहत, छात्रों (स्वैच्छिक सहायक के रूप में) के माध्यम से 117 सबसे पिछड़े जिलों में सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। • यह छात्र स्वयंसेवकों (Volunteers) को राष्ट्र विकास प्रक्रिया में भाग लेने और पिछड़े जिले में लैंगिक समानता लाने का अवसर प्रदान करेगा।
नारी (NARI) पोर्टल	• विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं/कानूनों के बारे में सूचनाएँ एक स्थान पर उपलब्ध न होकर बिखरी हुयी हैं जिसके कारण लोगों के मध्य इस संदर्भ में जागरूकता का अभाव है। • इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं/कानूनों से संबंधित सूचना और सेवाओं तक सिंगल विंडो पहुंच के रूप में नारी पोर्टल का शुभारम्भ किया है
ई-संवाद पोर्टल	• यह गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के लिए एक मंच है, जिसके माध्यम से वे महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ अंतःक्रिया कर अपने फीडबैक, सुझाव, शिकायतों, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों (Best Practices)आदि को साझा करते हैं।
खोया पाया पोर्टल	• यह गुमशुदा या कहीं मिले बच्चे के सम्बन्ध में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए नागरिक आधारित वेबसाइट (citizen-based website) है। • इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - DeITY (वर्तमान में इस विभाग को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) का दर्जा प्राप्त है) द्वारा विकसित किया गया था।
जन संपर्क प्रोग्राम	• **उद्देश्य:** सामान्य जन को गोद लेने से संबंधित जानकारी मांगने एवं अपनी चिंताओं को साझा करने हेतु संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाना। • इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के **केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)** द्वारा शुरू किया गया है। • यह भावी दत्तक माता-पिता (prospective adoptive parents: PAPs) को अधिक उम्र के बच्चों को अपनाने के लिए परामर्श देने और प्रेरित करने के एक मंच के रूप में कार्य करेगा।
महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) हेतु समर्थन	• महिलाओं को स्व-नियोजित/उद्यमी बनने हेतु सक्षम बनाने के लिए सामर्थ्य और कौशल प्रदान करता है। • इस योजना का उद्देश्य देश भर में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को लाभान्वित करना है।
महिला पुलिस वालंटियर स्कीम	• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की संयुक्त पहल। • यह कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है।
सुपोषित माँ अभियान	• **उद्देश्य:** नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखना। • इस अभियान के तहत, 1,000 महिलाओं को एक माह के लिए भोजन सामग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही, बच्चे के स्वास्थ्य (जिसमें चिकित्सा परीक्षण, रक्त परीक्षण, औषधियां, प्रसव आदि शामिल हैं) को कवर किया जाएगा। • पहचान की गई महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। एक परिवार से केवल एक गर्भवती महिला को ही लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाएगा।

VISION IAS

49. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(Ministry of Youth Affairs and Sports)

योजना	विवरण
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (Target Olympic Podium Scheme: TOPS)	• वैसे खिलाडियों की पहचान कर समर्थन प्रदान करना जिनके आगामी ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने की संभावना है। • इसके अंतर्गत- ○ विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले संस्थानों में उत्कृष्ट एथलीटों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप **विशेषीकृत प्रशिक्षण** और अन्य आवश्यक समर्थन प्रदान किया जा रहा है। ○ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार **एथलीटों के चयन के लिए एक बेंचमार्क** उपलब्ध कराया जाएगा। ○ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और वे फेडरेशन जो 'मिशन ओलंपिक सेल' (MOC) के सदस्य हैं, फंड के लिए वितरण एजेंसियां होंगे। ○ प्राधिकरण एथलीटों की ओर से "संबंधित व्यक्ति और संस्था" को सीधे भुगतान करेगा। • टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 2020 और 2024 ओलंपिक खेलों के लिए संभावित पदक विजेताओं की पहचान और समर्थन के लिए अभिनव बिंद्रा कमेटी का गठन किया गया था।
राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम (Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram)	• केंद्रीय क्षेत्रक की इस योजना का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों को विकसित करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल करना है। • यह **राष्ट्रीय युवा नीति 2014** में परिभाषित किये गए 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं पर केंद्रित है। • इसमें **निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित** किया गया है- नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम (NYLP), नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS), राष्ट्रीय युवा कोर (NYC), राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (NPYAD), राष्ट्रीय अनुशासन योजना (NDS), स्काउटिंग एवं गाइडिंग संगठनों की सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, युवा हॉस्टल (YH) एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। • सूचना प्रसार के लिए, युवाओं को इस नई अम्ब्रेला योजना के बारे में जानकारी IEC सामग्री के वितरण के माध्यम से दी जाएगी।
खेलो इंडिया - खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (Khelo India- National programme for	• यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र स्तरीय मंच प्रदान कर **ज़मीनी स्तर की प्रतिभाओं का विकास** करना है। • यह गुजरात के **"खेल महाकुंभ"** के मॉडल पर आधारित है, जिसमें देश भर के स्कूल और कॉलेज 27 भिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

VISION IAS

development of sports)	• इसमें राजीव गांधी खेल अभियान (RGKA), शहरी खेल बुनियादी ढांचा योजना (USIS), और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (NSTSS), नामक **तीन योजनाओं का विलय** किया गया है। • इस कार्यक्रम के तहत **खेलो इंडिया स्कूल गेम्स (KISG)** लॉन्च किये गए हैं।
मिशन XI मिलियन **(Mission XI million)**	• भारत में **फुटबॉल को लोकप्रिय खेल** बनाना। • इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे स्वस्थ बन सकें तथा टीम वर्क एवं खेल भावना द्वारा जीवन की महत्वपूर्ण सीख प्राप्त कर सकें। • इस पहल में इस खेल के ऐसे स्वरूपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्हें विभिन्न आकार के मैदानों और परिस्थितियों में अपनाया जा सकता हो; विशेष रूप से ऐसे संस्करणों पर जिनको खिलाड़ियों की कम संख्या वाली टीमों के बीच खेला जा सके।
राष्ट्रीय सेवा योजना **(National Service Scheme: NSS)**	• यह वर्ष 1969 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसका उद्देश्य **स्वैच्छिक सामुदायिक सेवाओं** के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करना है। • NSS का आदर्श वाक्य **"मैं नहीं, बल्कि आप (NOT ME, BUT YOU)"** है। एक NSS स्वयंसेवक 'स्वयं' से अधिक 'समुदाय' को महत्व देता है • कार्यों की निगरानी नेहरू युवा केंद्र संगठन (**NYKS, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन)** करता है। • यह योजना भारत में 11वीं एवं 12वीं कक्षा के युवा स्कूली छात्रों को +2 बोर्ड स्तर पर और तकनीकी संस्थानों, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक एवं परास्नातक के युवा छात्रों को विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा संबंधी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। • NSS, **परिसर (कैंपस) और समुदाय**, कॉलेज और गाँव तथा ज्ञान एवं कार्यवाही के मध्य सार्थक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है।

VISION IAS

50. नीति आयोग

(Niti Ayog)

50.1. अटल नवोन्मेष मिशन

(Atal Innovation Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश भर में (स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSME और उद्योग स्तरों पर) नवाचार और उद्यमशीलता आधारित परिवेश का सृजन करना और बढ़ावा देना। • **इसकी परिकल्पना एक अम्ब्रेला नवाचार संगठन के रूप में की गई है,** जो केन्द्रीय, राज्य और क्षेत्रकीय नवाचार योजनाओं के मध्य नवाचार नीतियों के संरेखण (alignment) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।	• इसके दो प्रमुख कार्य हैं- ○ **स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग (Self-Employment and Talent Utilization: SETU)** योजना के माध्यम से **उद्यमशीलता को प्रोत्साहन**, जिसमें इन्नोवेटर (innovators) को सफल उद्यमी बनने हेतु समर्थन एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा। ○ **नवाचार को प्रोत्साहन:** नवाचारी विचारों के सृजन के लिए मंच उपलब्ध करवाना। • समग्र रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल हैं- ○ **अटल टिंकरिंग लैब (ATLs):** यहाँ छठी से बारहवीं कक्षा तक के छात्र नवाचार कौशलों को सीखते हैं तथा विचारों का विकास करते हैं। ○ **अटल टिंकरिंग मैराथन:** यह मैराथन भारत के सर्वश्रेष्ठ छात्र नवोन्मेषकों की खोज करने हेतु 6 विषयगत क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट मोबिलिटी, और कृषि-तकनीक में देशव्यापी चुनौती प्रस्तुत करता है। ○ **अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AICs) एंड अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC):** इन्हें विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय, गैर-सरकारी संगठन, लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) तथा कॉर्पोरेट उद्योग स्तरों पर स्थापित किया जाएगा। ○ **अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रैंड चैलेंज:** सामाजिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव हेतु प्रौद्योगिकी चालित नवाचारों तथा उत्पाद सृजन को प्रोत्साहन। ○ **"मेंटर इंडिया" अभियान:** यह देश के अग्रणी लोगों (जो छात्रों का मार्गदर्शन और उन्हें परामर्श प्रदान कर सकते हैं) को शामिल करने हेतु एक **रणनीतिक राष्ट्र निर्माण पहल है**। उद्योग, शैक्षणिक समुदाय, सरकार और वैश्विक सहयोग इस अभियान की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। • हाल ही में, अटल इनोवेशन मिशन के तहत, AIM की अटल टिंकरिंग लैब (ATL) की समग्र क्षमता का लाभ उठाने के लिए नीति आयोग ने **भारतीय विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉड्यूल** को स्थापित करने की दिशा में नैसकॉम (NASSCOM) के साथ साझेदारी की है। छात्रों को AI की विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से कार्य करने और सीखने में सक्षम बनाने हेतु इस मॉड्यूल में विभिन्न गतिविधियों, वीडियो और प्रयोगों को शामिल किया गया है।

VISION IAS

50.2. मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी (साथ) कार्यक्रम

{Sustainable Action For Transforming Human Capital (SATH) Programme}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रक** का कायाकल्प करना। • इसका लक्ष्य भविष्य के 'रोल मॉडल' राज्यों का चयन और निर्माण करना है।	• नीति आयोग अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य मशीनरी के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करेगा। इसके माध्यम से हस्तक्षेपों के लिए एक सुदृढ़ रोडमैप तैयार करने, कार्यक्रम कार्यान्वयन के ढांचे के विकास, निगरानी एवं अन्वेषण तंत्रों की स्थापना करने व कार्यान्वयन के दौरान राज्य की संस्थाओं को सहारा देने के लिए सहयोग किया जाएगा। साथ ही अनेक अन्य संस्थागत उपायों को भी समर्थन प्रदान किया जाएगा। • स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक का जबकि शिक्षा क्षेत्रक हेतु मध्यप्रदेश, झारखण्ड तथा ओडिशा का चयन किया है। • इसे नीति आयोग और भागीदार राज्यों के मध्य एक लागत-साझाकरण तंत्र के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। • **नीति आयोग द्वारा SATH-शिक्षा रोडमैप-2018-2020:** इसके तहत 3 राज्यों, नीति आयोग और शैक्षणिक भागीदारों (बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।

50.3. आकांक्षी जिला कार्यक्रम

(Aspirational Districts Programme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश के कुछ अत्यंत अल्पविकसित जिलों का **तीव्र और प्रभावी रूप से** कायाकल्प।	• यह 28 राज्यों के ऐसे 117 जिलों के कायाकल्प पर ध्यान केन्द्रित करता है, जिनमें निश्चित विकास मापदंडों के अनुरूप कम प्रगति हुई है। • कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा में शामिल हैं- **समेकन** (convergence) [केंद्र और राज्य योजनाओं का], **सहयोग** (collaboration) [केंद्र और राज्य स्तर के **प्रभारी** अधिकारियों और जिलाधीश का] तथा जिलों के मध्य **प्रतिस्पर्द्धा** (competition)। • **पांच मुख्य आयामों** में से **49 संकेतक** चयनित किए गए हैं: **स्वास्थ्य एवं पोषण (30%), शिक्षा (30%), वित्तीय समावेशन(20%), कृषि और जल संसाधन (20%), कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना (10%)।** • जिलों में रियल-टाइम प्रगति की निगरानी हेतु डैशबोर्ड। • **सहकारी संघवाद:** जिलों का विकास करने हेतु उपायों की अभिकल्पना, क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन एक साथ कार्य करेंगे।

50.4. परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन

(National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
भारत में **स्वच्छ, संबद्ध (कनेक्टेड), साझा और संधारणीय" गतिशीलता**	• इस हेतु एक **अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के** CEO करेंगे। यह समिति भारत में गतिशीलता को रूपांतरित करने हेतु विभिन्न पहलों को

VISION IAS

पहल को बढ़ावा देना है।	एकीकृत करने के लिए प्रमुख हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। • यह भारत में बड़े पैमाने पर **निर्यात-प्रतिस्पर्धी क्षमता वाले एकीकृत बैटरी तथा सेल-विनिर्माणकारी गीगा संयंत्रों की स्थापना** में सहयोग देने के लिए **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम** (वर्ष 2024 तक 5 वर्षों के लिए वैध) **का समर्थन और कार्यान्वयन करेगा।** • यह मिशन **इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन)** में होने वाले उत्पादन के स्थानीयकरण हेतु एक अन्य कार्यक्रम शुरू करेगा और इसके विवरण को अंतिम रूप देगा। • मिशन के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जों और बैटरियों के लिए एक स्पष्ट **'मेक इन इंडिया' रणनीति** तैयार की जाएगी।

50.5. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

गांधियन चैलेंज	• हाल ही में, अटल नवोन्मेष मिशन (AIM), नीति आयोग की **अटल टिंकरिंग लैब्स** (ATL), **यूनिसेफ इंडिया** एवं **जेनरेशन अनलिमिटेड** ने गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त रूप से **'द गांधियन चैलेंज'** का शुभारंभ किया। • यह नवाचार चैलेंज भारत के प्रत्येक बच्चे को गांधी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए उनके सपनों के भारत के लिए नवाचारी समाधानों की संकल्पना हेतु एक मंच प्रदान करता है। इसे निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, यथा: कला एवं नवाचार (पत्र, कविताएं, चित्रकारी आदि) तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार {रोबोटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), सेंसर्स आदि}।
यूथ को:लैब	• अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग (NITI Aayog) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-भारत (UNDP-India) द्वारा संयुक्त रूप से **यूथ को:लैब** का शुभारंभ किया गया है। • इसका उद्देश्य **भारतीय युवाओं में सामाजिक उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है।** • **यूथ को:लैब (Youth Co:Lab) के प्रथम चरण में छह SDGs पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:** SDG 5 (लैंगिक समानता), SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), SDG 7 (वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा), SDG 8 (उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास), SDG 12 (संधारणीय उपभोग और उत्पादन) और SDG 13 (जलवायु कार्यवाही)। • यूथ को:लैब **राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक नवाचार चुनौतियों** को उजागर करेगा, जहां 18-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं और स्टार्ट-अप को आमंत्रित किया जाएगा तथा क्षेत्र स्तर पर कुछ सबसे बड़ी सामाजिक चुनौतियों से निपटने की दिशा में प्रस्तावित विचारों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा।

51. प्रधान मंत्री कार्यालय

(Prime Minister's Office)

51.1. प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति)

(Pro-Active Governance And Timely Implementation: PRAGATI)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• सामान्य जन की शिकायतों का निवारण और साथ ही साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी एवं समीक्षा करना।	• एक बहु-उद्देशीय और मल्टी-मॉडल प्लेटफोर्म, जो विशिष्ट रूप से **तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों** को समूहबद्ध करता है: ○ डिजिटल डेटा मैनेजमेंट; ○ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा ○ भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी। • इसमें एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें प्रधानमंत्री, केन्द्र सरकार के सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव सम्मिलित हैं। • यह **सहकारी संघवाद** को सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक ही मंच पर लाता है। • यह शिकायतों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRMS), परियोजना निगरानी समूह (PMG) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटाबेस को सशक्त बनाएगा एवं तकनीकी रूप से उन्नत करेगा। • यह एक सार्वजनिक वेब प्लेटफार्म (public web platform) नहीं है।

51.2. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

राष्ट्रीय रक्षा निधि (National Defence Fund)	• इसका उपयोग **सशस्त्र बलों (अर्ध-सैनिक बलों सहित) के सदस्यों एवं उनके आश्रितों के कल्याण** हेतु किया जाता है। • इस **निधि** को **एक कार्यकारी समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में), रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री (अन्य सदस्यों के रूप में) शामिल** होते हैं। • इस **निधि का कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री होता** है तथा इसके खाते (accounts) की देखरेख भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है। • यह निधि पूर्णतः जनता के **स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर** है तथा इसे किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister National Relief Fund)	• इसका गठन **पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता** हेतु वर्ष 1948 में किया गया था। अब इसका **उपयोग बड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत** प्रदान करने हेतु किया जाता है। • इसके अतिरिक्त, हृदय शल्य-चिकित्सा, कैंसर के इलाज तथा एसिड अटैक इत्यादि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता प्रदान की जाती है। • इस कोष में **केवल जनता द्वारा दिया गया अंशदान** सम्मिलित है तथा इसे किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। • समग्र कोष की राशि का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में विभिन्न रूपों में निवेश किया जाता है। • प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही कोष से धनराशि का वितरण किया जाता है। • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। • इस कोष को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय प्रयोजनों हेतु प्रधानमंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (G) के तहत कर योग्य आय से 100 % छूट हेतु अधिसूचित किया गया है।

52. अंतरिक्ष विभाग

(Department of Space)

52.1. भुवन- इसरो का भू-पोर्टल

(Bhuvan- ISRO's Geo-Portal)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• उपयोगकर्ताओं द्वारा पृथ्वी की सतह के 2D/3D प्रतिरूप का अन्वेषण करने हेतु एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को विकसित करना।	• यह 350 से अधिक शहरों के लिए 1 मीटर रेज़ोल्यूशन वाले उपग्रह आँकड़ों के साथ प्रयोक्ताओं को उनकी सुदूर संवेदन अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए भी सेवाएं प्रदान करता है। • विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इसकी सेवाओं का उपयोग: ○ पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का **एनविस (ENVIS)** कार्यक्रम। ○ **'भुवन पंचायत'** नामक वेब पोर्टल जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना निर्माण सुलभ करता है। ○ **भुवन गंगा** मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल, स्वच्छ गंगा परियोजना हेतु महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। • यह पोर्टल क्रमश: जिला एवं ग्रामीण स्तर पर घरों में उपलब्ध सुविधाओं संबंधी आँकड़े एवं जनगणना आँकड़ों के विषय में विस्तृत सूचना प्रदान कराता है। • यह आपदा प्रबंधन के साथ-साथ सरकार के अन्य **महत्वपूर्ण कार्यक्रमों** जैसे समेकित जलसंभरण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, अमृत आदि हेतु सक्रिय सहायता प्रदान कर रहा है।
भुवन पंचायत V 3.0 (Bhuvan Panchayat V 3.0)	• इसे इसरो (ISRO) के **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र** (National Remote Sensing Centre) द्वारा विकसित किया गया है। • यह सरकारी परियोजनाओं की बेहतर नियोजन और निगरानी के लिए इसरो की SISDP (विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता) परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं के अनुकूल वेब आधारित एक जियो पोर्टल है। ○ **SISDP परियोजना:** इसका उद्देश्य विकास योजनाओं के निर्माण, उनके क्रियान्वन और गतिविधियों की निगरानी हेतु उपग्रह आधारित डेटा से प्राप्त मूलभूत नियोजन आगतों के साथ **जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों** की सहायता करना है। • यह पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)** प्रक्रिया में **सहायता के लिए भू-स्थानिक सेवाएं** प्रदान करेगा। • यह **ग्राम पंचायत सदस्यों** और अन्य हितधारकों जैसे PRI एवं लोगों के लाभ के लिए **डेटाबेस विज़ुअलाइज़ेशन, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमैटिक रिपोर्ट के निर्माण**, मॉडल आधारित उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से सहायता करता है। • इस पोर्टल के माध्यम से देश भर में नियोजन हेतु पहली बार एकीकृत उच्च रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा के साथ **उच्च स्तर पर एक थिमेटिक डेटाबेस** उपलब्ध होगा।

52.2. युवा विज्ञानी कार्यक्रम

(Yuva Vigyani Karyakram: YUVIKA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस कार्यक्रम का **मुख्य उद्देश्य** युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर **मौलिक ज्ञान प्रदान करना है ताकि अंतरिक्ष गतिविधियों के तेज़ी से उभरते क्षेत्रों में उनकी रूचि जागृत की** जा सके। • इससे उन्हें यह समझने में सहायता मिलेगी कि उन्हें स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है तथा **अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उस शिक्षा का वास्तविक अनुप्रयोग** क्या है।	• CBSE, ICSE और राज्य पाठ्यक्रम को कवर करते हुए प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए **प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से 3 छात्रों का चयन करना** प्रस्तावित है। जो **छात्र 8वीं कक्षा पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में 9वीं कक्षा** में पढ़ रहे हैं, वे इस कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। • ISRO ने भारत में संबंधित राज्यों के मुख्य **सचिवों**/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से संपर्क किया है ताकि वे अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से **तीन छात्रों के चयन की व्यवस्था कर सकें और ISRO को सूची के** बारे में बता सकें। • **ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के हेतु चयन मानदंड में विशेष अधिभार** दिया गया है।

52.3. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

यूनिस्पेस नेनोसेटेलाइट असेम्बली एंड ट्रेनिंग प्रोगाम (UNNATI)	• इस कार्यक्रम का शुभारंभ बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं शांतिपूर्ण उपयोग पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की **50वीं वर्षगांठ (यूनीस्पेस +50)** के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान किया गया। • यह कार्यक्रम **भागीदार विकासशील देशों को नैनो उपग्रहों के समुच्चयन, समेकन एवं जाँच कार्य में क्षमता संवर्द्धन के लिए अवसर** प्रदान करेगा।
विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम	• हाल ही में इसरो (ISRO) ने विद्यार्थियों के साथ संवाद नामक एक छात्र आउटरीच कार्यक्रम आरम्भ किया है जहां इसरो के अध्यक्ष अपनी बाह्य स्थान यात्राओं के दौरान विद्यार्थियों से मिलते हैं तथा उनके प्रश्नों का समाधान और वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का निदान करते हैं।
साकार (Sakaar)	• साकार एंड्राइड उपकरणों हेतु परिकल्पित **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO) की एक ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) एप्लीकेशन है।** • यह एप्लीकेशन मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM), RISAT व PSLV, GSLV और Mk-III जैसे स्वदेशी रॉकेट्स के त्रीआयामी (3D) प्रतिरूपों को शामिल करती है।

53. राज्य सरकार की योजनाएँ

(State Government Schemes)

योजनाएँ	राज्य	प्रमुख विशेषताएं
शिशु सुरक्षा ऐप	असम	• भावी पीढ़ियों की सुरक्षा की नैतिक ज़िम्मेदारी लेने हेतु नागरिकों को सशक्त बनाना। • यह संपूर्ण असम के उपयोगकर्ताओं को बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाएगा।
सौर सुजला योजना	छत्तीसगढ़	• मार्च 2019 तक किसानों को 3 HP और 5 HP क्षमता के सौर संचालित सिंचाई पंप वितरित किए जाएंगे।
भावांतर भरपाई योजना	हरियाणा	• इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए उनकी उपज की उचित कीमतों को सुनिश्चित करना और फसलों के विविधीकरण पर बल देना है। • इसके अंतर्गत, फसलों का न्यूनतम मूल्य निश्चित किया जाता है और यदि किसान सूचीबद्ध फसलों के लिए निश्चित मूल्य से कम मूल्य प्राप्त करते हैं, तो सरकार उन्हें इसके लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। • किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है।
कृषि भाग्य योजना	कर्नाटक	• किसानों को जल संरक्षण संबंधी उपायों को अपनाने जैसे कृषि भूमि में तालाबों के निर्माण और शुष्क अवधि के दौरान खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को बचाने में सहायता करना।
सौभाग्यवती योजना	मध्य प्रदेश	• यह योजना राज्य में निर्धनों को उनके विद्युत उपभोग से भिन्न एक नियत विद्युत बिल के आधार पर विद्युत प्रदान करती है।
भावांतर भुगतान योजना	मध्य प्रदेश	• सरकार द्वारा किसानों को आधिकारिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और उस दर के मध्य के अंतर का भुगतान किया जाता है जिस दर पर वे अपनी फसल को बेचते हैं या मॉडल मूल्य (जो भी अधिक हो)। • मूल्य गिरावट की स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना और उनके द्वारा सामना किए गए मूल्य जोखिम को कम करना।
साइबर सुरक्षित महिला पहल	महाराष्ट्र	• इसके तहत साइबर सुरक्षा के संदर्भ में राज्य के सभी जिलों में प्रस्तुतियों, व्याख्यानों और केस स्टडी के रूप में जागरूकता शिविर और इंटरेक्टिव सत्र आयोजित किए जाएंगे। • यह पहल महिलाओं को इस संदर्भ में शिक्षित करने में सहायता करेगी कि किस प्रकार असामाजिक तत्वों और बाल अपराधों में संलग्न व्यक्तियों (child predators) द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराधों हेतु वेब का उपयोग किया जाता है।
ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन	ओडिशा	• इसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार को 24 घंटे गुणवत्तायुक्त पाइप आधारित पेयजल आपूर्ति करना है। • इसके लिए राज्य सरकार और यूनिसेफ के मध्य लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग (LoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। • वार्ड-स्तर पर समुदाय-आधारित (जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह भी शामिल हैं) जल प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जायेगा, जो प्रत्येक घर के लिए घरेलू कनेक्शन, मीटर रीडिंग, बिलिंग, जल शुल्क का संग्रहण, शिकायत प्रबंधन, मानक उपकरणों का उपयोग करके गुणवत्ता परीक्षण आदि को सुनिश्चित करेगी।
ओडिशा लाइवेबल	ओडिशा	• **यह राज्य सरकार की एक पहल है, जो हजारों मलिन बस्ती निवासियों को भूमि अधिकार**

हैबिटैट मिशन (OLHM) या जगा मिशन		**प्रदान करने हेतु समर्पित है।** • इस कार्यक्रम के अंतर्गत **ड्रोन और GIS प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 1,725 मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण किया गया।** इसके अतिरिक्त 52,682 परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र (LRCs) देने के लिए डोर-टू-डोर घरेलू सर्वेक्षण भी किया गया। • इस कार्य में मलिन बस्ती निवासियों को सहमत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए **सामुदायिक गतिशीलता को भी शामिल किया गया।** • हाल ही में, ओडिशा को **ओडिशा लाइवेबल हैबिटैट मिशन (OLHM) या जगा मिशन** के लिए **वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड** के कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
कालिया (आजीविका और आय में वृद्धि के लिए कृषक सहायता योजना)	**ओडिशा**	• राज्य के **लघु, सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों** को वित्तीय सहायता प्रदान करना। • कालिया योजना के तहत, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों को **5 प्रकार के लाभ** प्रदान कर रही है, जैसे- **कृषि के लिए सहायता; आजीविका सहायता; जीवन बीमा;** उन किसानों के भरण-पोषण के लिए **वित्तीय सहायता** जो वृद्धावस्था, अक्षमता, बीमारी आदि के कारण खेती करने में सक्षम नहीं है; और **ब्याज मुक्त फसल ऋण प्रदान करना।**
जल साथी	**ओडिशा**	• जल साथी का उद्देश्य पाइप आधारित जल कनेक्शन के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। • इस योजना को महिला स्वयंसेवकों (जो **'जलसाथी'** के रूप में कार्यरत हैं) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो उपभोक्ताओं और सरकार के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। • मिशन शक्ति की सहायता से **'जलसाथी'** को शामिल किया जाएगा। • इससे पूर्व, ओडिशा सरकार द्वारा 'मिशन शक्ति' के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को विद्युत बकाया, धान खरीद और मध्याह्न भोजन तैयार करने संबंधी गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु ज़िम्मेदारी प्रदान की गई थी।
जन सूचना पोर्टल (JSP)	**राजस्थान**	• इस पोर्टल को नागरिक समाज तथा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर **सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C)** द्वारा विकसित किया गया है। • यह देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली है तथा इसमें एक ही मंच पर **13 विभागों की 23 सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी** प्राप्त होगी। • यह पोर्टल **योजनाओं के बारे में विवरण** तथा लाभार्थियों, प्राधिकार प्रभारी, प्रगति आदि पर **रियल टाइम सूचना** प्रदान करता है। इस तक नागरिक अपने कंप्यूटर, मोबाइल या गाँव में स्थापित कियोस्क द्वारा पहुँच सकते हैं। • यह पहल **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) की भावना** से प्रेरित है, अर्थात सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण है। • सूचना प्रौद्योगिकी विभाग JSP के विकास, परिचालन और रखरखाव के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।
'वन फैमिली वन जॉब'	**सिक्किम**	• इसमें प्रत्येक परिवार (जिसका कोई सदस्य राज्य में सरकारी नौकरी में न हो) के एक सदस्य के लिए नौकरी की परिकल्पना की गयी है।
मिशन काकतीय	**तेलंगाना**	• इस मिशन का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों की कृषि आधारित आय में निम्नलिखित उपायों के माध्यम से वृद्धि करना है - ○ लघु सिंचाई अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देकर। ○ समुदाय आधारित सिंचाई प्रबंधन को सुदृढ़ बनाकर ○ **तालाबों के पुनर्भरण** के लिए वृहद कार्यक्रमों को अपनाकर।
मिशन भागीरथ	**तेलंगाना**	• इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों (प्रति व्यक्ति 100 लीटर) के साथ-साथ नगरीय क्षेत्रों

		(प्रति व्यक्ति 150 लीटर) के सभी परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराना है। • इसका उद्देश्य पाइपलाइनों के माध्यम से 25000 ग्रामीण और 67 शहरी अधिवासों को कवर करना है।
रायथु बंधु योजना	**तेलांगना**	• यह किसानों के लिए एक तरह की प्रथम निवेश सहायता योजना है, जिसमें किसानों को उनकी भू-जोतों के आधार पर चेक भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्येक फसल मौसम से पूर्व **4,000 प्रति एकड़ "निवेश सहायता"** के रूप में दिया जाता है। • इसका उद्देश्य किसान को **बीज, उर्वरक, कीटनाशक और खेत की तैयारी** पर किये जाने वाले व्यय के एक बड़े भाग को प्राप्त करने में सहायता करना है। • यह योजना राज्य के 31 जिलों में 1.42 करोड़ एकड़ भूमि को कवर करती है, और **प्रत्येक किसान स्वामित्व वाली भूमि** इसके लिए पात्र हैं।
कन्याश्री प्रकल्प योजना	**पश्चिम बंगाल**	• यह 1,20,000 से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों के लिए सशर्त नकदी हस्तांतरण योजना है। • इसका उद्देश्य सभी किशोरियों की स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करके बालिकाओं के कल्याण और उनकी स्थिति में सुधार करना और उनके विवाह को 18 वर्ष की आयु तक टालना है। • संयुक्त राष्ट्र द्वारा कन्याश्री योजना को जन सेवा हेतु प्रथम स्थान दिया गया है।

Copyright © by Vision IAS
All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.